खण्ड-386, अंक-4
सोमवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1910
(28 मार्च, 1988 ई0)

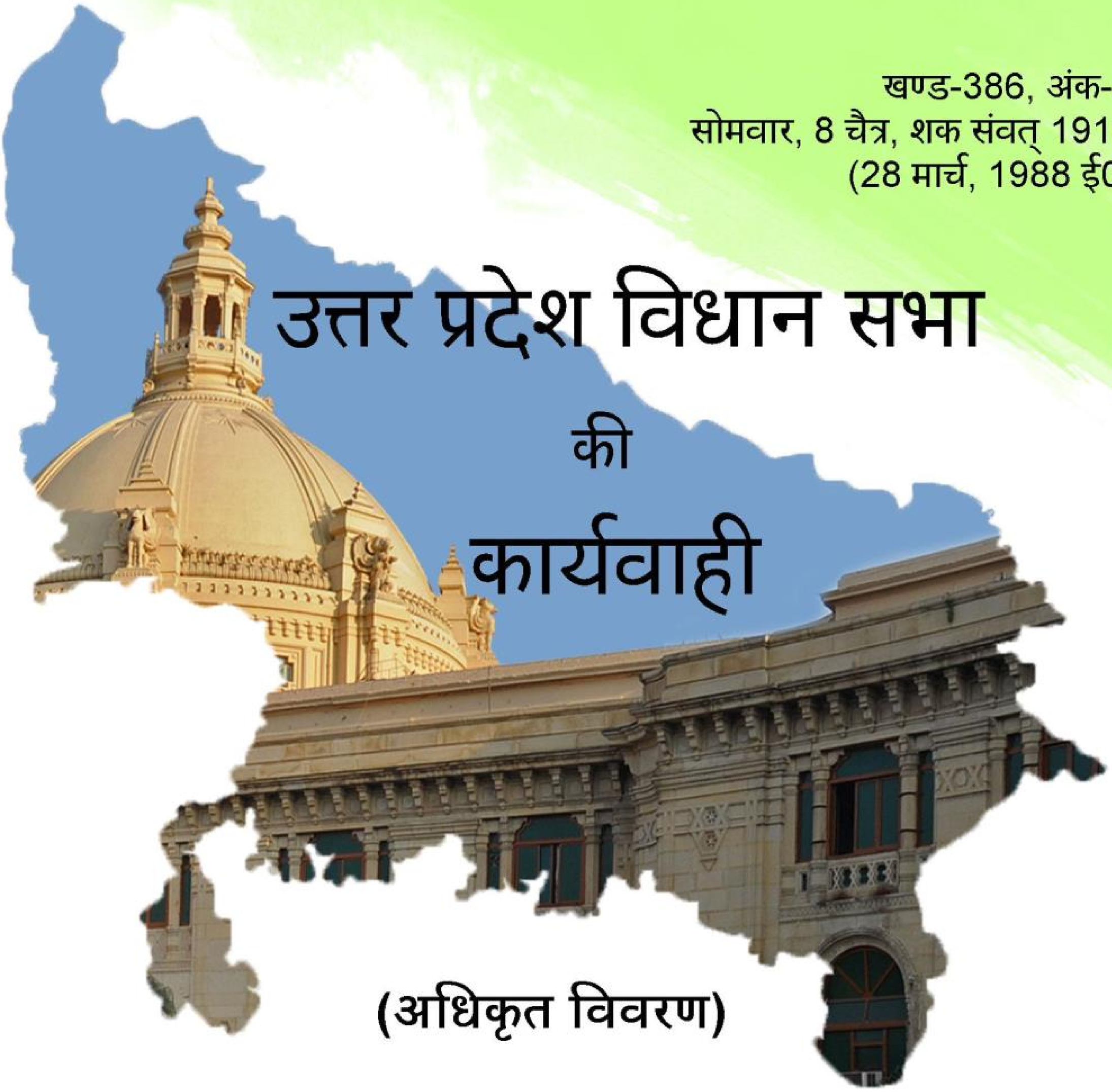

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–62
जिला देवरिया के कसया कस्बे में गन्दगी फैलने तथा उसकी सफाई आदि व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	63
जनपद वाराणसी के थाना मड़ुआडीह के अन्तर्गत बाजार लहरतारा में श्री शिवशंकर गुप्त की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	64
जनपद गाजीपुर की पूर्वांचल सहकारी कताई मिल के श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
फर्म लालमन बुद्धमल कपड़ा विक्रेता विधूना, इटावा के यहां करोड़ों रुपए की चोरी होने तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
राजकीय पालीटेक्निक, अल्मोड़ा के प्रधानाचार्य द्वारा किए जा रहे घांधली एव अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66
आजमगढ़ जिलान्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की जा रही घांधली एवं लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
बांदा जनपद की कोतवाली नरैनी के अन्तर्गत नरैनी कस्बे में दीपू उर्फ दिलीप कुमार गुप्त का अपहरण तथा हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	67
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987–88) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया) . ..	67
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987–88) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)	68
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987–88) का तृतीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)	68
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987–88) का चतुर्थ प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)	68
जिला झांसी के महर्षि विश्वामित्र की तमोभूमि के जीर्णोद्धार विषयक श्री नाथूराम मिश्र आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	68
झांसी जिले की गरौठा तहसील में सिचाई की समस्या के सम्बन्ध में श्री दयाराम यादव आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	69
हमीरपुर जनपद के राठ तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाने विषयक श्री जुगुल किशोर त्रिपाठी आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	69

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री मयंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने विषयक मामले में शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी ..	69
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	71
श्री राम लक्षन, सदस्य, विधान सभा की मां श्रीमती जमुना देवी के साथ पनियर, गोरखपुर की पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)	72-84
श्री राम लक्षन की मां श्रीमती जमुना देवी के साथ पनियरा, गोरखपुर की पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में गृह राज्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना	85-87
श्री राम लक्षन की मां श्रीमती जमुना देवी के साथ पनियरा, गोरखपुर की पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)	88-91
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 27---गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	92-173
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	174
स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल की हत्या करने वाले अपराधी को पकड़ने की मांग करने वाले श्री राज कुमार को पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	175
जनपद फतेहपुर में स्थित क्वालिटी स्टील ट्यूब लिमिटेड, चौड़ामरा के श्रमिकों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन ..	176
दिनांक 15 मार्च, 1988 को भारत बन्द के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में की गयी गिरफ्तारियां एवं लाठी चार्ज के सम्बन्ध में चर्चा का निरस्त किया जाना	176
बलिया जिले में ओला वृष्टि से कृषि की हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन	177
नत्थियां	178-184

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री निथाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
प्रेमीला बढ़वार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
बैजनाथ, श्री	देवरिया
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सिनेमाघरों में मनोरंजन-कर की दर में कमी करने की मांग

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सरकार ने प्रदेश के सिनेमाघरों के गत हड़ताल और उससे हुई वित्तीय हानि को देखते हुए प्रदेश के मनोरंजन कर को कम कर अन्य पड़ोसी प्रदेशों के समान करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश भयंकर सूखे से ग्रस्त रहा है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधन काफी प्रभावित हुए हैं । प्रदेश के विकास एवं चालू योजनाओं की त्वरित पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की नितांत आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में मनोरंजन कर की दर में कमी करना सम्भव नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, अभी तक यह सरकार बेदर्द थी, किन्तु अब मनहूस भी हो गयी है, जो वह प्रदेश के लोगों को मनोरंजन से भी वंचित करना चाहती है और इसी का नतीजा यह रहा है कि 16 अक्टूबर से 10 दिसम्बर तक 55 दिन तक प्रदेश के तमाम सिनेमा घर बन्द रहे, सारे के सारे सिनेमा घर एक तरफ से बन्द रहे । मंत्री जी ने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में मनोरंजन कर को कम नहीं किया जा सकता है, प्रदेश के सिनेमा घरों में वर्ष 83-84 से लेकर अब तक बराबर सिनेमा दर्शकों की संख्या में कमी आयी है और इसका कारण है कि इस प्रदेश में सबसे अधिक 150 प्रतिशत मनोरंजन कर सिनेमा टिकटों पर है, जबकि अन्य सभी प्रदेशों में इससे कम है और कहीं काफी कम है और इसी कारण से सिनेमा दर्शकों में कमी आई है। तो अब तो हम सूखे से उबर रहे हैं और शीघ्र उबर चुके होंगे, क्या सरकार यहां अन्य प्रदेशों के समान मनोरंजन कर कम करने वाली है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं जो उन्होंने अपने प्रश्न के प्रारम्भ में यह बात कही कि प्रदेश में सिनेमा देखने वाले लोगों की संख्या में कमी आयी है । उनका यह कहना सही नहीं है कि 83-84 से अब तक सिनेमा दर्शकों की संख्या में यहां कमी आई है । यह संख्या 82-83 में 2,378.80 लाख, 83-84 में 2,556.65 लाख दर्शक और 85-86 में 2,607.64 लाख हो गई और यही दर्शकों की संख्या बढ़कर 86-87 में 2,743.76 लाख हो गई । इस

तरह से यह संख्या बिल्कुल कम नहीं हुई । जो दूसरी बात माननीय सदस्य ने टैक्स समान करने के बारे में पूछी है, तो मैंने मूल उत्तर में ही यह कहा है कि हम इस पर अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

मान्यवर, पिछले दिनों जो सिनेमाओं की हड़ताल चली, उस समय अवैध वी0 सी0 आर0 चलाने वालों की संख्या पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ी है और सिनेमा बन्द हो जाने से सरकार की आय कम हुई और वी0 सी0 आर0 चलाने और चलवाने का गलत धन्धा करने वालों की आमदनी बहुत बढ़ गई, तो इसको देखते हुए भी आप इस सिनेमा टैक्स में कमी नहीं करना चाहते हैं और इस कर पर प्रभाव पड़ रहा है । वी0सी0आर0 को देखना अवैध भी है, तो क्या मंत्री जी इसको रोकने की कोई व्यवस्था करेंगे, और इसको कड़ाई के साथ लेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जैसा मैंने बताया कि वी0 सी0 आर0 का प्रभाव दर्शकों की संख्या पर नहीं पड़ रहा है । वी0 सी0 आर0 मनोरंजन के साधनों में प्लस हो गया है । सिनेमा-घरों में दर्शकों की संख्या बढ़ रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य द्वारा सवाल पूछा गया और इसका उत्तर आया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वी0 डी0 ओ0 और वी0 सी0 आर0 से भ्रष्टाचार बढ़ता है और राजस्व की प्राप्ति भी नहीं होती है, बिजनेस भी प्रभावित होता है, क्या सरकार ने कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत वी0 सी0 आर0 पर रोक लगाई गई है ? लेकिन उसके रूल्स नहीं बनाये हैं ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि सिनेमा मालिकों की मांग रही है कि इनके सिनेमा को इण्डस्ट्री मान लिया जाए और जेनरेटर आदि पर छूट दी जाए । फिल्म से चुंगी कम हो जाए । टैक्स कम हो जाए इन सब बातों को ध्यान में रखने पर क्या सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो पहली बात बताई उसके बारे में बता दूं कि प्रारम्भ में ऐसा हो रहा है, बाद में रूल्स बनाए गये हैं। इस सदन में वह बिल पेश किया गया था । इसमें टैक्स देना होता है उसको वह देते हैं । इसको ज्यादा व्यवहारिक बनाया जा रहा है । दूसरी बात कही गई कि उसमें परीक्षण कराया जायेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे सिनेमा मालिकों ने हड़ताल की थी, करों में छूट की मांग वह कर रहे थे उसमें उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि जो कर लेते हैं उसमें किसी तरह की कमी करेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा–

इन्हें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का अन्तर मालूम है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, इसमें क्या उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सिनेमाघरों की जो हड़ताल रही कोई सिनेमा नहीं दिखाया जा सका, तो इससे राजस्व की जो क्षति हुई है उसकी क्या धनराशि है और पूरे-पूरे राजस्व की क्या धनराशि है ? तमाम कर इसमें शामिल हैं उसकी मात्रा कितनी है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, कुल कमी जो आई है वह 10 करोड़ 65 लाख की आई है । इसमें श्रीमन् 1987-88 जनवरी तक कुल आय 42 करोड़ हुई और जनवरी 1986-87 में 49 करोड़ आय थी तो सात करोड़ की साफ क्षति हुई है ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, भारतवर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मनोरंजन कर लगाया जाता है, जिसके कारण ज्यादा कर की चोरी होती है और कर कम मिलता है, इसलिए वे अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कम दे पाते हैं । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस पर कर लगाने से क्या लाभ होता है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, कर लगाने से हमको ज्यादा संसाधन प्राप्त होते हैं ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जब सिनेमा मालिकों ने हड़ताल की थी, तो हड़ताल के बाद जितने उनके कर्मचारी थे, उनमें से ज्यादा लोगों की छटनी कर दी गयी और जो कर्मचारी शेष हैं, उनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है और हड़ताल के समय की उनकी कोई तनख्वाह नहीं दी गयी और अब भी वहां पर छटनी जारी है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झोझा–

मान्यवर, हड़ताल के दौरान में तीसरा पक्ष भी रहा है, जिसकी ओर माननीय मित्रसेन ने इशारा किया है । मान्यवर, वह तीसरा पक्ष मजदूर लोग हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस दर्मियान जो छटनी हुई है और उनकी तनख्वाह हड़ताल के दौरान की जो उनको नहीं दी गयी है, क्या उस बीच की तनख्वाह उनको दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में देश भर से सबसे कम सिनेमा घर हैं और यह आम जनता के लिए सस्ता और सुलभ साधन है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

से जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा है, उसमें कम सिनेमा सेन्टर होने का क्या कारण है ? मान्यवर, यदि उत्तर प्रदेश में सिनेमा सेन्टर कम हैं, तो क्या सरकार सिनेमा सेन्टर्स बढ़ाने के लिए उ0 प्र0 वित्त निगम से उसके लिए ऋण दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे बिहार में आबादी के अनुसार वहां पर टैक्स फिक्स कर दिया गया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने की कृपा करेंगे । मान्यवर, चूंकि इसमें टैक्स की हानि नहीं हो रही है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री ने फिक्सेसन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही थी, तो क्या सरकार उस पर विचार कर रही है? इसमें टैक्स की सरकार की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि कुछ बढ़ोत्तरी ही होगी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी, बिहार की भांति आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी वीकली टैक्स फिक्स करने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसमें केवल सिनेमा मालिकों ने गाडगिल कार्मूला के आधार पर फिक्सेशन की मांग की थी, जिस पर परीक्षण कराया जा रहा है ।

प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों में उद्घाटन एवं शिलान्यास आदि किए जाने की प्रवृत्ति पर शासन द्वारा अंकुश लगाया जाना

**2–श्री सरदार सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मूल चन्द–

क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों में शिलान्यास, उद्घाटन, मुख्य अतिथि तथा स्वयं का जन-अभिनन्दन कराने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? उद्घाटन एवं शिलान्यास आदि के संबंध में सरकार की क्या नीति है ? क्या शासन प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ती हुई इस मनोवृत्ति पर कोई अंकुश लगाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

सरकारी अधिकारियों द्वारा उद्घाटन अथवा शिलान्यास न किए जाने व मुख्य अतिथि के रूप में भाग न लेने के संबंध में शासन के स्पष्ट आदेश विद्यमान हैं । इन आदेशों के उल्लंघन की प्रवृत्ति बढ़ने के विषय में शासन में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इस विषय में शिकायत प्राप्त होने पर शासनादेशों के उल्लंघन के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है/की जायेगी ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी निश्चित जानकारी है कि समस्त जिलाधिकारी, उनके अधीनस्थ अधिकारी आज मुख्य अतिथि बनने के लिए और उद्घाटन करने के लिए लालायित रहते हैं । यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा रहती है और जनप्रतिनिधियों, यहां तक कि मंत्रियों को उपेक्षित किया जाता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो स्पष्ट आदेश हैं कि वह उद्घाटन न करें और मुख्य अतिथि न बनें, वह आदेश क्या आए हैं और क्या उन आदेशों से आप अपने समस्त जिलाधिकारी, सचिव और कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को अविलम्ब अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यह जो है, सबसे पहले 4 अगस्त, 1958 को एक आदेश जारी किया गया था, उस आदेश के बाद 10 दिसम्बर, 1982 को मुख्य सचिव के उससे आदेश दिए गए और 15 अप्रैल, 1983 को इसका फिर से आदेश दिया गया । इन आदेशों में जो श्रीमन् कहा गया वह यह था कि अधिकारी वर्ग कोई उद्घाटन अथवा शिलान्यास न करें । नं0-2 पर आदेश विस्तार से किया गया था कि–निम्नलिखित प्रकार के समारोहों में अधिकारीगण मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग न लें–उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोहों में, विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि के वितरण समारोहों में, सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण समारोहों में, ऐसे ही अन्य समारोहों में 1 तो यह है, इस तरह से मान्यवर, 3 जी0 ओ0 मैंने बताये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने आदेश का दिनांक के आधार पर उद्धरण दे दिया तो जिन जगहों पर आपके आदेश के बावजूद पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, आयुक्त मण्डल आयुक्तों ने अपने पत्थर, नेम पत्थर उद्घाटन और शिलान्यास के लगाए हैं क्या उन अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे तथा वह पट उखाड़कर पुनः जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, अगर आप मूल प्रश्न के मूल उत्तर को देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज तक कोई स्पष्ट शिकायत इस तरह की नहीं हुई है । यदि माननीय सदस्य इस तरह की कोई लिखित स्पष्ट शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय एवं श्री सरदार सिंह के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना तो दीजिए, आपके पास कोई सूचना हो तो यह कार्यवाही करेंगे ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, यह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, जैसा माननीय माता प्रसाद जी ने कहा, मेरी निश्चित जानकारी है कि मेरे गोण्डा जनपद में नगर मुख्यालय पर ही वहां का जिलाधिकारी खुद शिलान्यास और उद्घाटन करके उसमें पत्थर लगवाया है और आए दिन जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जिला प्रशासन के लोग, बी0 डी0 ओ0 स्तर के लोग, डी0 एम0 लोग उसको कर रहे हैं । जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि निदेश दे दिए हैं, हमें अपनी सरकार पर आस्था है, यह निदेश जरूर दिए गए होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा शिलान्यास, उद्घाटन का पत्थर वहां पर लगाया गया है तो क्या माननीय मंत्री जी, जो आपकी नीति के विरुद्ध हुआ है, उन पत्थरों को निकलवा करके किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वयोवृद्ध समाजसेवी या जनप्रतिनिधि के नाम से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, माननीय पाण्डेय जी ने, उपाध्याय जी ने जो पूछा तो यह होता है कि नियम बने हुए हैं, जी0 ओ0 होते हैं और उनका पालन करना अधिकारियों का काम है । लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसका पालन नहीं करता है तो जब तक कोई शिकायत नहीं करेंगे तब तक कैसे एक्शन हो सकता है ? आपने अपने गोण्डा जिले का मामला बताया, उस पर लिखकर दे दें तो उस पर निश्चित रूप से परीक्षण कराकर उस पर जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई लिखित शिकायत देंगे तो उसकी जांच करके कार्यवाही की जायगी ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो शासनादेशों को आपके समक्ष पढ़कर सुनाया। इन शासनादेशों में कहा गया है कि सार्वजनिक उद्घाटन अधिकारी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में शासनादेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ क्या एटीट्यूड अपनाया जायगा और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं बार-बार एक ही जवाब दे रहा हूं कि जो शासनादेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्यवाही की जायगी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सब एक साथ खड़े होंगे तो मैं प्रश्नों के समय को स्थगित कर दूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने स्तर से जांच करायेंगे कि किन-किन जगहों पर अधिकारियों ने शिलान्यास या उद्घाटन किया है और सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, पाण्डे जी, किसी ईयर को बता दें या समय को बता दें तो उसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री मनोहर लाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने शासनादेशों का जिक्र किया । मैं निश्चित रूप से जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने मुख्य मंत्री को आज के तीन साल पहले पत्र लिखा है। उन्नाव के डी0 एम0 अनीस अंसारी ने अपनी माशुका के नाम "रश्मि लोक" का पत्थर लगवाया है और "फिरदौस पार्क" का पत्थर लगवाया है। वह कानपुर में इस समय उपाध्यक्ष हैं वहां पर उन्होंने एक स्टेडियम का उद्घाटन किया और पत्थर लगवाया है। मैं यह सूचना पहले ही दे चुका हूं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अनीस असारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, इसकी लिखित सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन आपने जो सूचना दी है इसकी इन्क्वायरी करके निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्यवाही की जायगी ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई निश्चित जानकारी दी जायगी तो कार्यवाही की जायगी । मैं निश्चित जानकारी दे रहा हूं कि गढ़वाल में रुद्रप्रयाग में पी0 डब्लू0 डी0 का डाकबंगला है उसका उद्घाटन चीफ इंजीनियर कलसी ने किया है और वहां बोर्ड लगा है। क्या उस पत्थर को उखड़वाने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, निश्चय ही करेंगे, यह लिखकर दे दें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें या फिर पूरा समय ले लीजिये । मैं प्रश्नकाल को स्थगित कर दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जितनी भी इन्दिरा आवासीय कालोनियां बनी हैं, हर ब्लाक में बनी है। पूरे प्रदेश की संसदीय कांस्टीट्एन्सीज में बनी हैं, उनका उद्घाटन वहां के जिलाधिकारी या मण्डलीय आयुक्त ने किया है। यह एक ऐसी स्पेसिफिक जानकारी है जो हर मा0 सदस्य जानता है कि उनके क्षेत्र में चाहे उधर का हो या इधर का हो, इंदिरा आवासीय कालोनी में उन सबका उद्घाटन या तो जिलाधिकारी ने किया है, या मण्डलीय आयुक्त ने, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, इस सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मथुरा में इलेक्ट्रानिक्स के कारखानों को स्थापित करने की मांग

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा में ताज ट्रिम्पोजियम के कारण मात्र इलेक्ट्रानिक्स के ही कारखाने लगाये जा सकते हैं? यदि हां, तो शासन द्वारा वर्ष 88-89 में कौन-कौन से इलेक्ट्रानिक्स उद्योग मथुरा में लगाये जाने प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सरदार सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, यह ताजमहल के आस-पास के जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं। मा0 मंत्री जी ने बार-बार इस सदन में आश्वासन दिया कि इन जिलों में इलेक्ट्रानिक्स के कारखाने लगायेंगे, लेकिन जब बजट आता है तो या तो सुल्तानपुर या गोरखपुर में ही चला जाता है। मान्यवर, यह कब तक चलता रहेगा ? आप अपने भाषणों में आश्वासन देते हैं, पिछली बार भी दिया था, तो मथुरा में इलेक्ट्रानिक्स के कारखाने कब तक लगायेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, सरकार इन कारखानों को दूसरे जो उद्योगपति हैं, उनके सहयोग से लगाना चाहती है और उनके सहयोग की अपेक्षा करती है। मैं तो आपके माध्यम से मा0 सरदार सिंह जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि एक भी उद्योगपति हमारे सामने लायें जो कि मथुरा में इलेक्ट्रानिक्स का कारखाना लगाना चाहता हो। हम आश्वस्त करते हैं कि हम उनकी पूरी सहायता करेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने ताज प्रदूषण के कारण 78 कि0मी0 एरिया में आपने किसी भी प्रकार की धुएं की इण्डस्ट्री लगाने से बन्द कर दिया है और उसमें आपने इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने की घोषणा की है, लेकिन जब बजट प्रस्तुत होता

है तभी आप आगरा कमिश्नरी के 78 किलोमीटर सर्किल में बार-बार इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्री लगाने की घोषणा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्री के लगाने में आपके सामने क्या कठिनाई आ रही है ? क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो आपने कब तक वहां लगवाने की योजना बनायी है ? यह बताने की कृपा करें ?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, हमें इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं और उद्योगपतियों से बराबर सम्पर्क कर रहे हैं। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, इन्होंने केवल मथुरा जनपद की बात कही । जिन लोगों ने इसका आशय पत्र के लिए एप्लाई किया है उसकी सूचना 1988-89 की हमारे पास नहीं है। इसलिए प्रश्न के उत्तर में हवाला दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

डाक्टर बंगाली सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अलीगढ़ जनपद में एक पेट्रो कैमिकल कारखाने के बारे में आप बार-बार घोषणा करते हैं उसे आप कब लगाने जा रहे हैं?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं पाया, कृपया वे उसे पुनः दोहरा दें ।

डाक्टर बंगाली सिंह–

अबकी बार भी सलेमपुर में पेट्रो केमिकल का कारखाना लगाने के लिए 800 करोड़ का बजट है, पिछले साल भी बजट में इस संबंध में प्राविधान हुआ था । मैं यह जानना चाह रहा हूं कि अलीगढ़ जनपद के सलेमपुर में जो पेट्रो केमिकल्स का कारखाना लगना है, उसको आप कब तक लगवाने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

यहां तो मथुरा का सवाल है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उससे ऐसा लगा कि यह सरकार पूंजीपतियों को फंसा ही नहीं पा रही है, पूंजीपतियों को फंसाने में असफल रही है। अब माननीय मंत्री जी पूंजीपतियों को लाने के लिये, माननीय सरदार सिंह जी और माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी की सहायता चाह रहे थे । मैं यह जानना चाह रहा हूं कि आगरा में कुछ केन्द्र विकसित करेंगे, ताकि पूंजीपति फंस जाय और कोई उद्योग लग जाये ? उसमें आप चाहें तो इन माननीय सदस्यों की सहायता भी ले लें ।

(हंसी)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो पहले उत्तर दिया था उसके सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आप पूंजीपतियों को लायें और उनके

सहारे से सरकार उद्योग लगायेगी । मान्यवर, यह सरकार अपने दायित्व से भाग रही है। मान्यवर, कभी जब ओला पड़ जाता है, तो यह ऊपर वाले के लिए कहने लगते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी पूंजीपति से उनका आशय उद्यमी से है।

श्री विजय सिंह राणा–

कभी सूखा पड़ेगा, तो कहेंगे कि नीचे वाले को ढूंढकर लायें। मान्यवर, जब यह सारे काम हम ही लोगों को करना है, तो फिर यह सरकार क्या काम करेगी, इनका उत्तरदायित्व कुछ है। उद्यमियों को लाने का दायित्व आपका आता है, जनता पर नहीं आता है। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जिन जगहों का अभी उल्लेख हुआ, वहां इलेक्ट्रानिक्स के कारखानों को स्थापित करने में आपको क्या आपत्ति है ? क्या आप कोई नीतिबद्ध कार्यक्रम इलेक्ट्रानिक्स उद्योग खोलने के संबंध में हमको दे रहे हैं?

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, पिछली दफा जब उद्योग का बजट यहां रखा गया था तब भी कहा था कि आगरा में बहुत शीघ्र 1990 तक हम वहां कोई बड़ा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगवायेंगे । मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि हर काम सरकार ही करे । मान्यवर, सरकार भी तो उद्यमियों के माध्यम से काम करती है। उस उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सहयोग देती है, ताकि वहां पर उद्यमी इलेक्ट्रानिक्स के उद्योग लगवायें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि क्या मथुरा में कोई इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स लगाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष–

यह जनपद से ताल्लुक नहीं है। अब आप लोग बैठें । मैंने नत्थी (ग) का प्रश्न संख्या–1 ले लिया है।

*2–श्री गोपाल दास यादव–

[दिनांक 21-3-88 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

*3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी,
श्री हृदय नरायन दीक्षित,
श्री अशोक बाजपेयी,
श्री राकेश धर त्रिपाठी,
श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा
श्री अचल सिंह–

[दिनांक 14-3-88 को ता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में निःशुल्क बोरिंग की छूट की धनराशि सीधे किसानों को दिलवाये जाने हेतु शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में पिछले कई वर्षों की निःशुल्क बोरिंग की छूट की लगभग 60 लाख रुपये से अधिक की धनराशि अभी तक संबंधित किसानों को न मिलने के कारण न तो वे इंजन (पम्पिंग सेट) खरीद पाये हैं और न उन बोरिंग से सिंचाई ही हो पा रही है उल्टे उन किसानों पर ब्याज की रकम बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और सभी संबंधित किसानों को छूट की रकम अविलम्ब दिलाने तथा भविष्य में बोरिंग के साथ-साथ छूट की रकम सम्बन्धित किसानों को दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आप देखें यह प्रश्न 20-1-88 का था, 14-3-88 को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। आप संरक्षण दें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक सूचना एकत्र की जा रही है, इस बीच में, मान्यवर यह एक नीतिगत प्रश्न है, निःशुल्क बोरिंग के लिये जब जिलों को धन आवंटित होता है और पैसा अवमुक्त किया जाता है तो उसमें छूट और मजदूरी का पैसा भी शामिल रहता है, जिलों और ब्लाक स्तर पर यह है कि निःशुल्क बोरिंग की संख्या को बढ़ाने के लिये, ज्यादा दिखाने के लिये, उस पैसे को बोरिंग में खर्च कर दिया जाता है जिससे आंकड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन मौके पर सिंचाई क्षेत्र में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है, क्या सरकार यह निर्देश जारी करने की कृपा करेगी कि जब तक बकाया छूट का पैसा और मजदूरी का भुगतान न हो जाय तब तक नयी बोरिंग नहीं शुरू करायें, पहले भुगतान करा दें और भविष्य में छूट और मजदूरी के पैसे को बोरिंग के काम में न शामिल किया जाए?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय अध्यक्ष जी, यह तिवारी जी का जो सवाल है, उसको आप देखें तो स्पष्ट है कि बहुत ही विस्तीर्ण है। पिछले कई वर्षों से निःशुल्क बोरिंग की छूट के बारे में सवाल पूछा है और माननीय तिवारी जी को पता है कि फैजाबाद जनपद में 18 विकास खण्ड हैं। सभी विकास खण्डों से सूचना जाती है और कई वर्षों की सूचना आती है और जिले में जो कोई हैं, वहां पर छूट एडजस्ट हुई या नहीं, इसको भी देखना है। कुछ जगहों से सूचना आई भी थी लेकिन वह सूचना अपूर्ण थी। मैं तिवारी जी को पूरी सूचना देना चाहता था इसलिये सूचना एकत्र की जा रही है, जवाब मुझको देना पड़ा। अगली जो तारीख आप तय करेंगे, उस पर मैं पूरी सूचना सदन को दे दूंगा। मान्यवर, जहां तक तिवारी जी ने कहा बोरिंग के बकायों का एडजस्टमेंट न हो जाये, तब तक नई बोरिंग न की जाये। तो मान्यवर, यह संभव नहीं है क्योंकि

हम हर वर्ष फ्री बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लघु सीमान्त कृषकों को हम जल उपलब्ध करायें। फिर भी जो किसानों के बकाये हैं, जहां-जहां जिन-जिन जनपदों से इस तरह की सूचना मिलती है, हम उनको एडजेस्ट करने की कोशिश करते हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैसा फ्री बोरिंग के लक्ष्य के लिये हर साल निर्धारित होता है अथवा जो पैसा एलाट करते हैं, उसमें मजदूरी और छूट का पैसा भी शामिल रहता है । हमारे क्षेत्र कटहरी ब्लाक में 90 बोरिंगों का लक्ष्य निर्धारित था और 90 बोरिंग के लिये पैसा गया। लेकिन मजदूरी उसमें से केवल 30 ट्यूबवेल्स पर दी गयी और छूट किसी पर नहीं दी गयी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जहां छूट नहीं दे पायें, मजदूरी नहीं दे पाये, वहां बोरिंग होने के बाद भी सिंचन का कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसान इंजन नहीं खरीद पा रहा है और मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे आपकी सारी योजना विफल होती जा रही है । मेरा कहना यह है कि भविष्य के लिये ऐसे निर्देश जारी कर दें कि जो धन लक्ष्य के लिये आपकी तरफ से आवंटित किया जाता है, पहले उसे ही पूरा किया जाय और छूट और मजदूरी के भुगतान के बाद ही लक्ष्य से अधिक बोरिंग कराई जाये ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, फ्री बोरिंग में 3 हजार रुपये की सीमा तक शासन उसका खर्चा वहन करता है और लक्ष्य हर वर्ष के लिये निर्धारित होता है । यदि किसी अधिकारी ने लक्ष्य से अधिक बोरिंग करवा दी, तो वहां पर इस तरह की दिक्कत पैदा होती है । जो लक्ष्य निर्धारित होता है । यदि किसी अधिकारी ने लक्ष्य से अधिक बोरिंग करवा दी, तो वहां पर इस तरह की दिक्कत पैदा होती है । जो लक्ष्य निर्धारित होता है, उस लक्ष्य के अन्दर ही बोरिंग करनी चाहिये लेकिन विगत वर्षों में कहीं-कहीं फ्री बोरिंग की मद में कुछ पैसा बच गया, तो और बोरिंग करा दी गयीं, लेकिन छूट जो मिलती है वह इंजन पर मिलती है और वह लक्ष्य के अनुरूप ही उन जिलों और ब्लाकों को आवंटित होती है । फिर भी जहां लक्ष्य से अधिक बोरिंग कर दी गयी है और लोग इंजन खरीद लिये हैं, उनको भी जिले से सूचना प्राप्त होने पर अनुदान दिलाने की कोशिश की जाती है और दिलाया जाता है ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गत 16 दिसम्बर को माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ जनपद में गये थे, और वहां पर जनप्रतिनिधियों को अपने जनपद की समस्यायें रखने के लिये सरकिट हाउस बुलाया गया था । मैंने वहां पर फ्री बोरिंग के बारे में एक शिकायत की थी कि जो पाइप ब्लाक में जाते हैं, उसमें आधे पाइप लगाये जाते हैं और दिखाये ज्यादा जाते हैं । मान्यवर, वहां पर 85 फीट पर वाटर लेबिल है । मान्यवर, वहां पर बड़ा घपला होता है । उसके बाद मान्यवर, मेरी शिकायत पर वहां काम बन्द कर दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस काम को दुबारा शुरू करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह प्रश्न तो फैजाबाद जनपद से संबंधित है। माननीय सदस्य उसके बारे में प्रश्न पूछ लें, मैं उसका जवाब दे दूंगा।

*2–श्री पूरन सिंह माहरा–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

[सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 1988 ई0 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

रानीखेत में खेलकूद संस्थान व स्टेडियम खोलने सम्बन्धी घोषणा पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*2–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री ने रानीखेत में खेल कूद संस्थान व स्टेडियम खोलने की घोषणा की है ? क्या रानीखेत में स्थित एन0 सी0 सी0 ग्राउण्ड जिसे रक्षा विभाग उ0 प्र0 सरकार को नब्बे साल लीज पर देने को तैयार है, का उपरोक्त संस्थान व स्टेडियम के लिए चयन कर लिया गया है ? उपरोक्त खेल कूद संस्थान व स्टेडियम कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम आतार दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, पर्वतीय विकास के जिम्मेदार इस विभाग की प्रवृत्ति पर मुझे बड़ा क्षोभ है। मैंने इस सत्र में जितने भी प्रश्न पूछे हैं प्रत्येक में कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। रक्षा विभाग, भारत सरकार 90 साल की लीज पर एन0 सी0 सी0 ग्राउण्ड, रानीखेत को खेलकूद विभाग को देने को तैयार है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा कर रखी है कि रानीखेत में एक खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान व स्टेडियम खोला जायेगा। क्या सरकार रक्षा विभाग के उस वायदे के मुताबिक रानीखेत में खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान व स्टेडियम खोलने की घोषणा यहां करेगी ?

श्री राम आतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, शासन को इसकी जानकारी नहीं होगी तब हम इसके बारे में कुछ कहने में असमर्थ हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य श्री माहरा जी ने भी क्षोभ व्यक्त किया है। दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों की सूचना मंगवाने में क्या ज्यादा समय लगता है?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह कृपा करके प्रश्न को पढ़ लें । इसमें माननीय सदस्य ने रक्षा मंत्रालय का जिक्र किया है । इसमें शासन ने जानकारी चाही है और लिखा पढ़ी भी आरम्भ कर दी है । जब तक कोई निश्चित जानकारी नहीं हो जाती है, तब तक हम कुछ कहने में असमर्थ हैं ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि शासन ने इस संबंध में जानकारी चाही है । मैं केवल माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी के माध्यम से और कौन पत्र के माध्यम से शासन ने जानकारी चाही है, इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई सवाल नहीं है ।

जनपद मथुरा में जिला विकास अधिकारी की शीघ्र नियुक्ति

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में ग्राम्य विकास अधिकारियों एवं विभाग के सहायक विकास अधिकारियों तथा जिला विकास अधिकारी के पद बहुत दिनों से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? शासन कब तक इन पदों पर नई नियुक्तियां कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद मथुरा में सहायक विकास अधिकारी (आई0 एस0 बी0) तथा (सांख्यिकी) के दो पद व जिला विकास अधिकारी का पद रिक्त है । ग्राम्य विकास अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं है ।

सहायक विकास अधिकारी के पद, एक कर्मचारी की मृत्यु से तथा दूसरे के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए हैं । जिला विकास अधिकारी की सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप यह पद रिक्त हुआ । कार्यहित में जिला विकास अधिकारी के पद पर स्थानीय व्यवस्था की जा चुकी है । नियमित नियुक्ति हेतु अधिकारी का चयन कर लिया गया है । तैनाती की जा रही है । सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति से भरने की सक्रिय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि इस सदी का यह सबसे भयंकरतम सूखा था, ऐसी स्थिति में हमारे यहां जिला विकास अधिकारी का पद रिक्त था और जो कार्यवाहक अधिकारी बनाये गये थे, उन्होंने कार्य में रुचि नहीं ली, जिससे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली और सड़कों का जो काम होना चाहिए था, वह सब का सब नहीं हो पाया, जिससे हमारे यहां बड़ी तबाही रही । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह वहां पर जिला विकास अधिकारी के रिक्त पद पर स्थाई रूप से किसी अधिकारी को भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, प्रदेश में जिला विकास अधिकारियों की कमी थी । अब चयन समिति ने चयन कर लिया है । अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति कर ली जायेगी ।

झांसी के लघु सिंचाई अभियन्ता के कार्यालय का स्थानान्तरण

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि झांसी स्थित अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई का कार्यालय जो किराये के भवन में है, के भवन की अवस्था अत्यन्त जर्जर हो गयी है जो कभी भी गिर सकता है और उससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है ? यदि हां, तो उक्त कार्यालय को इस भवन से स्थानान्तरित करने पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि झांसी के लघु सिंचाई के जी को जानकारी दे दूं, अधिशासी अभियन्ता ने पिछले 10 वर्षों से 77 से, मेरे पास कई पत्र हैं, उन्होंने स्वयं लिखकर दिया है कि कार्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, छत चू रही है, गिर सकता है, मरम्मत करा दी जाय। चूंकि 100 साल पुराना भवन है, मरम्मत से ठीक नहीं हो सकता, पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

पूरी बात तो कह दूं। वहां के कर्मचारियों और ठेकेदार ने लिखित दिया है कि भवन अत्यन्त खराब स्थिति में है, छत पर त्रिपाल पड़ा हुआ है, बहुत सी पत्रावलियां भीग गयी हैं। क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि भवन 100 वर्ष पुराना है, छत पर त्रिपाल पड़ा है, चूंकि शासन की जानकारी में नहीं था, अब जानकारी में आ गया है, क्या बरसात से पहले कार्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करने का आदेश करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वास्तव में मकान मालिक इसको खाली कराना चाहता है। उसने 1985 में नोटिस दी थी कि मकान खाली कर दिया जाय, लेकिन 1965 से दफ्तर उसमें चल रहा है। इसका किराया 135/- रु0 है। इतने कम किराये में दूसरा सरकारी दफ्तर नहीं मिल सकता । मकान का जहां तक प्रश्न है, मकान ठीक है, एक कमरा

और शौचालय खराब हैं, मरम्मत करा दी जायगी, कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मैंने भवन पर कब्जा छोड़ने की बात नहीं की, भवन पर कब्जा रखते हुए कार्यालय शिफ्ट करा दीजिये। किसी को भिजवा कर दिखवा लें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बहुत कम किराये पर भवन है, क्यों सरकार का नुकसान करा रहे हैं।

निजी उपयोग हेतु पेड़ों को काटे जाने के लिए शासन की निर्धारित नीति

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि निजी उपयोग के लिए निजी अथवा खरीदे हुए पेड़ों के काटे जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कौन सी नीति निर्धारित की गई है?

श्री राम आतार दीक्षित–

ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए निजी पेड़ों को काटे जाने हेतु सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने से छूट उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी गई है। यह सुविधा पर्वतीय क्षेत्र में एक परिवार द्वारा एक वर्ष में एक वृक्ष काटे जाने तक सीमित है। जहां तक किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से खरीदे हुए वृक्ष को निजी उपयोग के लिए काटने का प्रश्न है, इस हेतु वृक्ष स्वामी द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की व्यक्तिगत कृषि या अकृष्य जोत पर उगने वाली वृक्षों की 27 प्रजातियों, जिन्हें उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्धों से छूट दी गई है, को छोड़कर शेष मामलों के लिए सक्षम अधिकारी से वृक्ष निपातन की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, ईंधन तक के लिए लकड़ी का पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा संकट है, यही कारण है कि इसकी कीमतें आसमान छूने लगी हैं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 27 प्रजातियों को उपबन्धों से छूट की बात की है, क्या उन प्रजातियों के पेड़ों को काटने के लिए भी किसी से परमीशन की आवश्यकता है या नहीं?

श्री राम आतार दीक्षित–

इन 27 प्रजातियों के वृक्षारोपण में किसी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक पेड़ के काटने पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी उसका चालान कर देते हैं तो जो यह 27 प्रजातियां कौन-कौन सी हैं? क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को देंगे कि यह 27 प्रजातियां प्रतिबन्धित नहीं हैं?

श्री राम आँतार दीक्षित–

पहले मैं आपको 27 प्रजातियों के नाम बतला रहा हूं कि ये हैं :– अगस्त, अरु, कैजूरिन, जंगल जलेबी, पोपलर, फरास, बबूल, बिलायती बबूल, यूकेलिप्टस, रोबिनिया, सिरिस, सुबबूल, कठबेर, जामुन, ढाक, पेपर, मलबरी, बेर, सजना तथा शहतूत आदि। इन प्रजातियों पर वन विभाग अनावश्यक रूप से चालान नहीं करेगा।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 12 प्रतिशत के लगभग वन लगे हुए हैं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसको पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि सामाजिक वानकी चलाना बहुत जरूरी है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश देंगे कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ पेड़ लगाये गये हों और कुछ अवधि के बाद जब वह दूसरे पेड़ लगाये तो अपने पूर्व के लगाये हुए पेड़ों में से किसी पेड़ को काटने का उसे अधिकार होगा। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो प्रजातियां अभी गिनायी हैं, उन पर भी मेरी निजी जानकारी है कि उनके काटने पर विभिन्न जिलों में चालान हुए हैं। क्या इस संबंध में आप स्पष्ट निर्देश माननीय मंत्री जी के द्वारा जिले करायेंगे कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत जो पेड़ लगाये जायेंगे उन पर लगाने वाले का स्वामित्व रहेगा, उन पर वन विभाग अनावश्यक रूप से चालान न करे।

श्री राम आँतार दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ा लम्बा चौड़ा प्रश्न कर दिया। जहां तक जिन प्रजातियों का प्रश्न है जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया है, उनके बारे में पूरी तरह की छूट है, इन वृक्षों के काटने पर सरकार किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाये हुए हैं। अगर किसी को इस प्रकार की कठिनाई सामने आती है तो किसी माननीय सदस्य के माध्यम से इसकी सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, चिल्लाने वालों को आप मौका दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब तो मैं आगे बढ़ गया।

श्री राम आसरे वर्मा–

कम से कम जो नहीं चिल्ला रहा है, उसको तो मान्यवर, आप मौका दें। एक प्रश्न और पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

अब तो मैं आगे चला गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का औचित्य

*6–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को रोजगार

उपलब्ध कराने के संबंध में मजदूरी निर्धारण में सरकार की क्या नीति है ? मजदूरी कार्य के अनुसार दी जाती है या समय के अनुसार दी जाती है ? क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे एन0 आर0 ई0 पी0 आदि कार्यों में मजदूरी की दर बढ़कर 13.50 कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मजदूरी का भुगतान मिट्टी की माप एम0 बी0 से होता है ? यदि हां, तब 13.50 रु0 प्रति-दिन की घोषणा का औचित्य क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जा रही रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी निर्धारित अन्य विभागों में प्रचलित दरें एवं व्यावहारिक स्थिति को देखते हुये किया जाता है । कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दैनिक कार्य मात्रा के माप दण्ड निर्धारित हैं जिनकी प्राप्ति होने पर ही पूर्ण दैनिक दर से मजदूरी देय होता है ।

एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 तथा सूखा राहत रोजगार योजनाओं के अंतर्गत 1-12-87 से मजदूरी दर बढ़कर रुपया 13.50 प्रति मानव दिवस कर दी गयी है । मजदूरी का भुगतान मिट्टी की माप तथा दैनिक दर दोनों को दृष्टिगत करते हुए किया जाता है।

श्री हृदय नारायन दीक्षित–

मान्यवर, मेरा नीतिगत सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में मजदूरी निर्धारण में सरकार की क्या नीति है । इस पर मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है "अन्य विभागों में प्रचलित दरें एवं व्यावहारिक स्थिति को देखते हुए किया जाता है ।" तो मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि व्यवहारिक स्थिति की परिभाषा क्या है और दूसरी बात मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने स्वीकार भी किया है कि मजदूरों का भुगतान मिट्टी की माप से होता है तो क्या जो रु0 13.50 प्रति दिन निर्धारित करने की घोषणा की है, क्या वह झूठ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

कोई भी मजदूर चाहे वह एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एस0 जी0 ई0 पी0 और सूखा राहत योजना में काम करता हो, उसे प्रति दिन रु0 13.50 पै0 की मजदूरी देने का शासनादेश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मजदूर आए वह सिर्फ दस्तख्त कर दे या घंटे-दो घंटे मात्र काम करे और उसे साढ़े 13 रु0 दे दिए जांय यह व्यवहारिक नहीं है । इसलिए विभाग ने यह तय किया है कि 2.88 घन मीटर मिट्टी खोदने का कार्य करता है यदि कोई मजदूर, तो उसे यह मजदूरी दी जायेगी ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित–

साढ़े 13 रु0 उस मजदूर को भी मजदूरी दे दी जायेगी जो 100 घनफुट मिट्टी थोड़े समय में अर्थात् 3-4 घंटे में खोद देगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जो निर्धारित माप है उसको पूरा करने पर मजदूरी अवश्य उसे दी जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी क्या तय की है ? न्यूनतम मजदूरी यदि 16 रु0 है तो साढ़े 13 रु0 दिए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, ऐसी बात नहीं, जैसा कि मा0 सदस्य कह रहे हैं, इन समस्त योजनाओं के अन्तर्गत जो मजदूरी दिसम्बर, 87 में तय की गयी है, वह साढ़े 13 रु0 ही है, 16 रु0 नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि प्रश्न में निहित है कि मजदूरी समय से दी जाती है या नहीं ? इस संबंध में मेरी निश्चित जानकारी है कि मजदूर जब 3-4 माह काम कर लेता है, तब उसे मजदूरी उपलब्ध हो पाती है और जहां-जहां काम ठेकेदारी प्रथा पर होता है, वहां मजदूरी नियमानुसार समय से दी जाती है, उसी प्रकार से क्या जो मजदूरी काम करता है उसे हर दूसरे दिन मिट्टी नापकर तीसरे दिन उसकी मजदूरी दिलाने की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ऐसे कोई आदेश नहीं है कि 3-4 माह में मजदूरी का भुगतान हो, यदि कहीं पर ऐसी कोई शिकायत है, तो मा0 सदस्य लिखकर दे दें उसे दिखवा लेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

आदर्श और व्यवहार में मान्यवर बड़ा फर्क है, आये दिन भुगतान के संबंध में शिकायतें आ रही हैं, लेकिन मा0 मंत्री जी वास्तविक रूप में हो क्या ही रहा है कि ठेकेदारी प्रथा में जहां-जहां कार्य हो रहे हैं, उनमें आदर्श कुछ हैं और व्यवहार में कुछ हैं ? तो क्या मा0 मंत्री जी भूमिहीन मजदूरों को रोजी दे रहे हैं और जो मिट्टी पैमाने के हिसाब से खोदते हैं तो उन्हें उसी निर्धारित दर पर जैसा कि अभी मा0 मंत्री जी ने बताया उसी हिसाब से भुगतान हो रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी मान्यवर, यह तो मैंने पहले भी कहा कि जो मजदूर नाप के अनुसार काम कर देगा उसे हम अपनी नीति के अनुसार रु0 साढ़े 13 की मजदूरी अवश्य देंगे ।

श्री प्रकाश नरायन अवस्थी–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो मिट्टी की नाप निर्धारित है, उससे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति को 13 रुपये 50 पैसे से अधिक का भुगतान कर सकते हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्राथमिक विद्यालयों में शुल्क वृद्धि एवं छात्रों की संख्या

*7–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में शुल्क वृद्धि के कारण छात्रों की संख्या में कमी है ? अनिवार्य शिक्षा के महत्व को देखते हुये सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी नहीं ।

प्रदेश में बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य नहीं है । प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि वर्ष 1990 तक 11 वर्ष तक के समस्त बालक/बालिकाओं के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जाय ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बतलाया है, जी नहीं । मेरा प्रश्न यह था कि क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि प्राथमिक शुल्क में वृद्धि के कारण उनकी संख्या में कमी आयी है । आपने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की फीस बढ़ा दी है और उसके कारण गरीब घरों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जो उत्तर दिया है, 'जी नहीं', तो क्या यह किसी सर्वे पर आधारित है, जिसके आधार पर आपने 'जी नहीं' कहा । दूसरे इन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं है । संविधान में यह प्राविधान है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है और आपने उत्तर दिया है कि प्रदेश में शिक्षा आवश्यक नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के किस संशोधन के अनुसार माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि शिक्षा अनिवार्य नहीं है और यह स्पष्ट बता दें कि क्या संख्या कम नहीं हुई और दूसरे यह बता दें कि शिक्षा अनिवार्य नहीं है, यह आप किस आधार पर कहते हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जो हमने 'जी नहीं' कहा वह इस आधार पर कहा कि शुल्क नहीं लगाया है । विद्यालयों में साज सज्जा की कमी रहती है और परेशानी रहती है और सरकार के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, जितने होना चाहिए, जिसके कारण बच्चों के विकास के लिए खेल कूद की समुचित व्यवस्था हो । पढ़ने के लिए सामग्री हो, इसलिए अभिदान शुल्क और खेल शुल्क लिया गया है । कक्षा 1 में अभिदान शुल्क नहीं लगाया गया है कक्षा-2 से 5 पर एक रुपया प्रतिमाह 10 महीनें तक प्राइमरी पाठशालाओं में लगाया गया है और जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक 2 रुपये प्रतिमाह 10 महीनें तक अभिदान शुल्क लगाया गया है । कक्षा 1 से 3 तक खेल शुल्क 10 पैसा प्रति छात्र प्रतिमाह इस प्रकार से 1 रुपया प्रतिवर्ष और कक्षा 4 व 5 में 20 पैसा प्रति माह 10 महीनें तक यानि 2 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 6, 7, 8 रुपये प्रतिमाह 10 महीनें तक खेल शुल्क है । यह शिक्षा शुल्क नहीं है । जहां तक संख्या का सवाल है संख्या हमारी घटी नहीं है । सितम्बर, 1986 में संख्या-1 करोड़ 15 लाख 61 हजार थी और सितम्बर 1987 में 1 करोड़ 22 लाख 73 हजार हो गयी।

इस प्रकार आप देखें तो यह संख्या बढ़ी है । जूनियर हाईस्कूल के छात्रों की संख्या 1986 में 33 लाख 73 हजार थी और सितम्बर 1987 में 37 लाख 16 हजार हो गयी तो यह संख्या बढ़ी है घटी नहीं है । यह कहना कि अभिदान शुल्क लगाने से संख्या घटी है यह सही नहीं है । अनिवार्य शिक्षा के संबंध में कह रहे हैं, संविधान के संशोधन की बात नहीं है, लेकिन शासन की ओर से नीति निर्धारित है और बराबर शासन प्रयत्नशील है कि सबको शिक्षित करना है और इसी संदर्भ में निश्चय किया जा चुका है कि 1990 तक कक्षा 1 से 5 तक सभी बालक और बालिकाओं को शिक्षित कर दिया जायगा और सन् 1995 तक जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 8 तक के 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को हम शिक्षित कर देंगे । इसका प्रयास बराबर हो रहा है । हम माननीय सदस्य से चाहते हैं वे हमारी इस नीति को सफल बनाने में, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं उनको विद्यालयों में भेजने में सहयोग करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि सन् 86 और 88 के बीच में छात्रों की संख्या बढ़ी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने बताया कि छात्रों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सन् 86 से 88 तक बच्चों की जन्म दर की संख्या कितनी बढ़ी है । वह निः संदेह बढ़ी है किन्तु अभी तक इसका सर्वे नहीं कराया गया है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने शिक्षा को अनिवार्य न करके संविधान के विपरीत कार्य किया है । आपने जो यह कार्य किया है, उसका पछतावा करके क्या आप प्राइमरी स्कूल से लेकर इन्टरमीडिएट तक अनिवार्य, निःशुल्क और शासन शिक्षा की घोषणा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, चूंकि यह संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न किया गया है, इसलिए मैं इन्टरवीन कर रहा हूं और कहना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि इस स्तर तक के समस्त बालक और बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दी जायेगी बल्कि यह लिखा हुआ है कि प्रदेशीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रयास किया जायेगा । (व्यवधान) । मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि संविधान में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि 6 से 11 वर्ष तक और 11 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जायेगी । बल्कि यह लिखा है कि 11 से 14 साल तक और 6 से 11 साल तक के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनीकरण प्रदेशीय और राष्ट्रीय स्तर पर करने का प्रयास किया जायेगा । इसलिए जो यह अनिवार्य शब्द इसमें लिखा है, उससे कन्फ्यूजन हो रहा है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि शिक्षा को अनिवार्य किया जायेगा । मैं उनके संज्ञान में यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा आजादी के 10 वर्ष के बाद प्रदान किये जाने का प्राविधान है । यह बात

सही है कि भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार ने संविधान के इस डाइरेक्टिव प्रिंसिपल को बलायें ताक रख दिया है । क्या कारण है कि शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में चारों ओर अराजकता फैल गई है ? मंत्री जी ने बताया कि सन् 90 तक सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है कि वह इस स्तर तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेगी । इसके लिए कौन-कौन से उपाय मंत्री जी कर रहे हैं और क्या मंत्री जी उनकी फीस भी नि:शुल्क कर देंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

उपाय के संबंध में औपचारिक शिक्षा पद्धति और अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग करके प्रदेश में 6 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी से यह कहने की चेष्टा की है कि प्रदेश में छात्रों का प्रवेश फर्जी नहीं है । मेरी सूचना को सही मानकर आपके विद्यालयों में जो 40 और 1 का अनुपात छात्रों और अध्यापकों के बीच लागू है जिसमें आपने कहा है कि छात्रों के अनुपात को देखते हुये अध्यापकों की संख्या घटी नहीं है । इस संबंध में जिलाधिकारी सीतापुर ने सर्वे किया और एक ही दिन में जनपद के सभी विद्यालयों का सर्वे करने के बाद वे इस तथ्य को प्रकाश में लाये कि 1 लाख लड़के लड़कियों का सीतापुर में फर्जी पंजीकरण हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी सीतापुर के जिलाधिकारी ने इस संबंध में जो रिपोर्ट की है उसे मंगा कर देख लेंगे ? इस प्रकार पूरे प्रदेश में कितने ही छात्रों का पंजीकरण फर्जी हुआ है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करके लिये कि लाखों बच्चों का फर्जी पंजीकरण हुआ है इस संबंध में कोई उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह सही है कि 1:40 के रेशियो पर अध्यापकों का नियुक्ति करते हैं जैसा कि गुप्ता जी ने कहा । छात्रों की संख्या मे कमी के संबंध में जो वह सर्वे कराने की बात कह रहे हैं यह उचित प्रतीत नहीं होता है । हां, आप किसी विद्यालय के सिलसिले में जानकारी कराना चाहते हैं तो आप बतायें निश्चित रूप से उनके बारे में कार्यवाही करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर आप इसकी जांच करा दें तो भ्रष्टाचार की कलई खुल जायेगी । आप सीतापुर की रिपोर्ट मंगा लें तो आपको मालूम हो जायेगा ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, सीतापुर के मामले की जांच करने की जो बात कह रहे हैं, वहां की रिपोर्ट मंगा कर देख लेंगे ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि छात्रों की संख्या में विद्यालयों में कमी नहीं हुई है । मैं बलिया के लगभग 80 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण किया हूं ।

वहां पर सितम्बर, 86 और सितम्बर 87 की संख्या में लगभग आधे का अन्तर है यानी आधी संख्या है तो मेरी जानकारी को सही मानकर आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, यह सूचना जो हमने दी है यह किसी एक जिले की नहीं है यह पूरे प्रदेश की है जैसा कि आप बलिया की बात कर रहे हैं कि आपने स्वयं विद्यालयों में जाकर देखा है । यदि आप किसी विद्यालय का नाम बता दें तो उस विद्यालय को दिखवा लेंगे नहीं तो पूरे जनपद के बारे में दिखवा लेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी को या जिला विद्यालय निरीक्षक को बताये वहां का कार्यक्रम बना दें । बलिया और गाजीपुर के जो सड़क पर के विद्यालय में उनका अकस्मात निरीक्षण करेंगे तो आप पायेंगे कि 25 प्रतिशत भी छात्र उपस्थित नहीं हैं । अध्यापक अपनी नौकरी बनाये रखने के लिए फीस अपनी तरफ से जमा कर देते हैं और फर्जी लड़कों के नाम लिख देते हैं अगर आप अकस्मात बलिया के विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे तो क्या ऐसा आप करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, जैसा माननीय मैनेजर सिंह जी ने कहा मेरे जाने से छात्र संख्या बढ़ तो नहीं जायेगी । रजिस्टर में जो छात्र संख्या है वह तो वही रहेगी और उस दिन वह गैर हाजिर बता दिये जायेंगे । आप चाहते हैं कि मैं बलिया जाकर देखूं तो मैं निश्चित रूप से यथाशक्ति देखने का प्रयास करूंगा । इसकी सही ढंग से जानकारी कराकर उचित व्यवस्था हो प्रयास करूंगा ।

जनपद गाजियाबाद की सहायक अध्यापिका श्रीमती प्रेम चन्द्रिका वर्मा का वार्षिक वेतन वृद्धि रहित निर्धारित वेतनमान

*8–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेम चन्द्रिका वर्मा सहायक अध्यापिका प्राइमरी पाठशाला नं0-1 बेहटा हाजीपुर विकास क्षेत्र लोनी जनपद गाजियाबाद की नियुक्ति दिनांक 7 अक्तूबर, 1964 को हुई थी और वह तभी से निरन्तर सेवारत है? क्या यह भी सही है कि वह प्रशिक्षित है? यदि हां, तो अभी तक उनकी सेवा पुस्तिका एवं वार्षिक वृद्धि न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां।

जी नहीं।

अप्रशिक्षित होने के कारण इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि की सुविधा अनुमन्य नहीं है। अध्यापक को सेवा पुस्तिका देने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस वक्त इनकी भर्ती हुई उस वक्त इनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी और आज क्या है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, पहले तो हाईस्कूल पास लोग यह अध्यापक नियुक्त किये जाते थे। अप्रशिक्षित भी जैसी आवश्यकता होती नियुक्त कर लिये जाते थे। लेकिन इस समय इंटरमीडिएट ट्रेण्ड अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं।

श्री महेन्द्र भाटी–

जब यह भर्ती हुई उसके बाद इनके पास कोई प्रशिक्षण की डिग्री है?

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री महेन्द्र भाटी–

जिस समय इनको नौकरी मिली थी उसके बाद से क्या एडीशनल क्वालीफिकेशन ट्रेनिंग, इन्होंने प्राप्त की है कि नहीं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, एडीशनल क्वालीफिकेशन संबंधी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन इसको दिखवा लेंगे। मान्यवर, यहां सवाल दूसरा है, यह अप्रशिक्षित अध्यापिका हैं, इनके लिए फिक्स्ड वेतन निर्धारित है और जो प्रशिक्षित होते हैं उनके लिये वेतनमान निर्धारित है। मान्यवर, 1972 के शिक्षा परिषद् के गठन के संबंध में यह निश्चय किया गया कि जो अप्रशिक्षित अध्यापक या अध्यापिका होंगी 15 वर्ष तक की सेवा पर उनको प्रशिक्षित मान लिया जायेगा। चूंकि 1964 की नियुक्ति है, 1972 में 15 वर्ष की सेवा नहीं थी, इसलिए प्रशिक्षित नहीं माना जा सकता है, अतः अप्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है।

(*9–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

*10–श्री दीपक कुमार–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में सूखे/अकाल से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई गई सूखा राहत रोजगार योजना

*11–श्री सुनील शास्त्री–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विगत वर्ष 1987 में प्रदेश में पड़े सूखे, अकाल से निपटने हेतु प्रदेश की गरीब जनता के हित के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये गये हैं और उनका सम्पूर्ण विवरण क्या है? क्या सरकार इस योजना को भविष्य में चलाये रखने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1987 में प्रदेश में व्याप्त अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए रोजगार सृजन के सामान्य कार्यक्रमों के पूरक के रूप में सूखा राहत रोजगार योजना ग्रामीण अंचलों में चालू की गई है। इसके अन्तर्गत आवश्यकता होने पर प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये नकद तथा लगभग 19 लाख रुपये के खाद्यान्न उपलब्ध कराये गये थे। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होने पर कुछ जिलों को इस हेतु रु0 330.536 लाख रुपये की धनराशि और आवंटित की गई है। इन संसाधनों से प्रबन्ध, जल संरक्षण, तथा भूमि संरक्षण, सम्पर्क मार्ग निर्माण आदि कराये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सूखा राहत रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार परक विभागीय कार्यक्रमों को भी त्वरित गति से सम्पादित किया जा रहा है। निम्न विभागों को इस हेतु सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत धन आवंटन किया गया है :–

(1) मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं, जल निकासी योजनाओं तथा बंधियों के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग को रु0 1580.65 लाख,

(2) भूमि संरक्षण कार्यों हेतु कृषि विभाग को रु0 1527.06 लाख,

(3) मत्स्य पालन योजनाओं हेतु पशुधन विभाग को रु0 73.55 लाख,

(4) सम्पर्क मार्गों के निर्माण एवं राज्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को रु0 2350 लाख।

प्राप्त सूचना के अनुसार उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत 21 मार्च, 1988 तक 481.28 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया जा चुका है।

सूखा राहत रोजगार योजना का 30 जून, 1988 तक चालू रखने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि लगभग 15 लाख रुपये नकद तथा लगभग 19 लाख रुपये के खाद्यान्न हर जिले को दिये गये, इसके अतिरिक्त जैसा मंत्री जी ने बताया कि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होने पर 330.536 लाख रुपये की धनराशि और आवंटित की गयी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस समिति से इसका अनुश्रवण आप करा रहे हैं जिससे कि मालूम हो सके पूरा कार्य कराया जा रहा है कि नहीं?

उत्तर के नं0 (4) में कहा है कि सम्पर्क मार्गों के निर्माण एवं राज्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को 2350 लाख रुपये दिये गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन सम्पर्क मार्गों या अन्य मार्गों पर किस प्रकार धन खर्च किया जायेगा, इसकी जानकारी दे दें?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जो अनुश्रवण का प्रश्न है तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी सभी संबंधित विधायकों और सांसदों से बात करके आवश्यकतानुसार काम कराते हैं। और

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, सम्पर्क मार्गों के निर्माण में और राज मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए जो धन आवंटित किया गया है, जो एक जिले से दूसरे जिले को मार्ग जा रहे हैं, उनकी व्हाइटिंनिंग करनी है या पूर्ण क्षति हो गई है, उसका धन पी0 डब्लू0 डी0 को दिया गया है, जिससे उनको सुदृढ़ीकरण हो सके और रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकें।

(श्री पारसनाथ का नाम पुकारे जाने तथा उनके खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

अब आप क्षमा करेंगे, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया (व्यवधान) वह ठीक है, लेकिन जब घड़ी पर नजर गई तो समय हो चुका था।

प्रदेश में पीने के पानी की मांग पूरी करने हेतु भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के पुनर्गठन का प्रस्ताव

*12--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जब प्रदेश के अधिकतर भागों में वर्तमान सूखे के कारण भू-जल स्तर अत्यधिक गिर गया है, जिससे हैण्ड पम्प एवं नलकूपों के निकास शून्य मात्र रह गये हैं जिससे पीने के पानी की मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा क्या कोई भू-गर्भ जल योजना विचाराधीन है ? क्या शासन इस परिप्रेक्ष्य में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को समस्त वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां। इस वर्ष अभूतपूर्व सूखे के कारण भूजल स्तर में गिरावट आयी है जिससे नलकूपों एवं हैण्डपम्प आदि के निकास में भी स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जी हां ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के पुनर्गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनपद हरदोई के राजकीय महाविद्यालय में एम0 एस-सी0/एम0 काम0/बी0 एड0 की कक्षायें खोलने की मांग

*13--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के कतिपय विधायकों एवं स्वयं प्रश्नकर्ता के राजकीय महाविद्यालय, हरदोई में एम0 एस-सी0 की कक्षायें खोले जाने का अनुरोध लिखित रूप से किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी वर्ष 88-89 के सत्र के प्रारम्भ से एम0 एस-सी0 कक्षायें प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? तो क्यों?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । प्रश्नकर्ता के एक पत्र में प्रश्नगत कालेज में एम0 एस-सी0, एम0 काम0 तथा बी0 एड0 की कक्षायें खोलने की मांग की गई थी।

एम0 काम0 की अस्थायी सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स शासनादेश दिनांक 8-12-86 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान भवन में स्थान उपलब्ध न होने के कारण एम0 एस-सी0 की कक्षायें आरम्भ करना सम्प्रति सम्भव नहीं है। बी0 एड0 की कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु क्लियरेन्स प्रदान करने की शासन की नीति न होने के कारण इस विषय में कक्षायें प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

ऊपर वर्णित स्थिति में सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद गोण्डा के राजा सगरा–रामपुर खरहटा मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

*14–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास राज्य मंत्री के आदेश पर ग्राम-रामपुर खरहटा, क्षेत्र समिति-बजीरगंज, जनपद–गोण्डा के राजा-सगरा–रामपुर खरहटा मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सन्दर्भ में संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास ने जिला अधिकारी, गोण्डा को अप्रैल/मई, 1986 में कोई आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत मार्ग के संदर्भित अंश को शीघ्र पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मथुरा जनपद के छौंकरवास से राधौरा वाया फराहरी मार्ग के निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितताओं की जांच की मांग

*15–श्री कुशल पाल सिंह तथा श्री जगवीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद के छाता ब्लाक में छौंकरवास से राधौरा वाया फराहरी मार्ग का निर्माण वर्ष 1986-87 में छाता-ब्लाक द्वारा कराया गया था जिसकी निश्चित मापदण्ड के अनुसार न बनाये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25 जनवरी, 1988 को बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग में की थी और माननीय श्री नरेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री बीस-सूत्रीय के निर्देश के अनुसार इस मार्ग का निरीक्षण प्रश्नकर्ता व श्री राम जी लाल शर्मा, ए0 पी0 डी0 ग्राम्य विकास अभिकरण मथुरा व बी0 डी0 ओ0 छाता ने दिनांक 27 जनवरी, 1988 को संयुक्त रूप से किया था? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर पायी गयी अनियमितताओं के बारे में शासन कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर के वक्फ न0 61 के मुतवल्ली के कार्य व आचरण की जांच एवं शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*16—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 10-12-87 को वक्फ नं0 61 शाहजहांपुर के मुतवल्ली के कार्य और कन्डक्ट की जांच के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां; तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

पत्र में अनुरोध किया गया था कि वक्फ नं0-61, शाहजहांपुर का वक्फनामे की शर्तों के मुताबिक विशेष सर्वे कराने तथा मुतवल्ली के कार्य और आचरण के बारे में विशेष रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के सचिव को दे दिए जायं ।

तद्नुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड के सचिव को समुचित निर्देश भेज दिए गये हैं।

*17—श्री बलराम यादव—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*18—श्री सुख पाल पाण्डे—

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

*19—श्री बदन सिंह—

[9वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*20—श्री काशी सिंह एरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर, माडल हाईस्कूल घुंघरावली एवं हाई स्कूल कनौना को शासन द्वारा अनुमोदित मान्यतायें

1—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माडल हाईस्कूल घुंघरावली व हाई-स्कूल कनौना, जनपद बुलन्दशहर में उच्चीकरण के वित्तहीन प्रस्ताव पूर्ण विचार हेतु शासन में प्रस्तुत हैं? यदि हां, तो उपरोक्त स्कूलों का उच्चीकरण करने की कृपा करेंगे?

श्री सिब्ते रजी—

हां। माडल हाईस्कूल, घुंघरावली, बुलन्दशहर को इन्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की वित्त विहीन मान्यता शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है; हाईस्कूल, कनौना, बुलन्दशहर को परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रतिबन्ध पूर्ण न करने के कारण इन्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग की वित्त विहीन मान्यता शासन द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी।

जनपद बुलन्दशहर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किए जाने की मांग

2—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जनपद के विकास हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि की सूचना जिला प्रशासन द्वारा जन-प्रतिनिधियों को अवगत करायी जाती है ? क्या पी0 डी0 को अधिकार है कि डी0 आर0 डी0 ए0 की धनराशि को बिना डी0 आर0 डी0 ए0 के प्रस्ताव के किसी भी योजना के लिए स्वीकृत कर सकता है ? यदि नहीं, तो शासन की उपरोक्त नीति का उल्लंघन करने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की प्रबन्ध समिति (गवर्निंग बाडी) जिसके सदस्यों में जन प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृतियों की सूचना दी जाती है ।

जी नहीं ।

स्पष्ट तथ्यों के अभाव में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है ।

रोहतक की पशु पैठ से पशु क्रय करने में पूर्ण स्वतंत्रता

3—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा 1986 व 1987 में कितनी भैंसें आई0 आर0 डी0 लाभार्थियों को पशु पैठ रोहतक हरियाणा में से ही क्रय करायी गयीं ? पी0 डी0 द्वारा उपरोक्त पशु पैठ से आई0 आर0 डी0 लाभार्थियों को भैंस क्रय कराने पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या कारण था ? जनपद के निकट अन्य प्रसिद्ध पशु पैठ से क्रय करने की अनुमति देने में पी0 डी0 को क्या कठिनाई थी ? क्या लाभार्थी को स्वतंत्र रूप से अपनी भैंस क्रय करने की अनुमति देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 1986-87 में 4,386 भैंसें रोहतक मण्डी से तथा वर्ष 1987-88 में 5,236 भैंसें रोहतक मण्डी से क्रय करायी गयी ।

वर्ष 1986-87 में दिनांक 5 नवम्बर, 1986 से दिनांक 20 दिसम्बर, 1986 तक जनपद स्तर पर मेले का आयोजन किया गया था । मात्र उस अवधि में रोहतक मण्डियों से क्रय करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । इनका उद्देश्य यह था कि स्थानीय मेले का विकास हो सकें तथा लाभार्थियों को निकटतम पशु मेले से अच्छे पशु मिल सकें । रोहतक की पशु पैठ से पशु क्रय करने पर कोई प्रतिबन्ध वर्ष 1987 में नहीं लगाया गया था ।

जनपद के निकट के अन्य पशु पैठों से पशु क्रय करने हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया था ।

लाभार्थियों को पंजीकृत पशु मेले से पशु क्रय करने में पूर्ण स्वतंत्रता है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा सीनियर बेसिक स्कूल (कन्या) में गृह शिल्प शिक्षिका के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में किया गया घोटाला

4—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने वर्ष 1983 में सीनियर बेसिक स्कूल (कन्या) हेतु गृह शिल्प शिक्षिका के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार लिया था ? यदि हां, तो इस साक्षात्कार में कितनी विभागीय अभ्यर्थिनी सम्मिलित हुई थीं ? उनके नाम व बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण वर्ष क्या थे ? क्या यह सत्य है कि चयन समिति ने सभी विभागीय अभ्यर्थिनियों को अयोग्य करार देकर बाह्य जनपद की अभ्यर्थिनी श्रीमती शान्ती मिश्र को नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

12

सूची संलग्न है ।

जी हां ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 178 पर)

श्रीमती शान्ती मिश्र सह0 अध्यापिका, सीनियर बेसिक विद्यालय, देवां, बाराबंकी की सेवा समाप्ति

5—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना गृह जनपद की जानकारी प्राप्त किए ही किए जाने का प्राविधान उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा विनियमावली—1981 में निहित है ? यदि नहीं, तो प्रश्नगत नियुक्ति (श्रीमती शान्ती मिश्र) जिनके गृह जनपद की जानकारी नहीं है, किए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

श्रीमती शान्ती मिश्र ने अपने आवेदन पत्र में स्थायी निवास बाराबंकी अंकित किया था । जबकि श्रीमती मिश्र जनपद बाराबंकी की मूल निवासिनी नहीं थी । आवेदन द्वारा गलत तथ्य आवेदन पत्र में अंकित करना अनुचित था ।

6—श्री अमिताभ अनिल दुबे—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर के अभिलेखों की जांच में दोषी पाए गए अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की मांग

7—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुछ माह पूर्व ग्राम्य विकास निदेशालय के उपायुक्त (लेखा) द्वारा जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर के अभिलेखों की जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? क्या कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जांच में प्रथम दृष्टया जिला विकास अधिकारी गाजीपुर को दोषी पाया गया था ।

इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर के कर्मचारी को वेतन का भुगतान कराये जाने की मांग

8—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर के एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से वेतन से वंचित रखा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा ऐसा करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर में आशुलिपिक के पद के दो दावेदारों का मामला विवादग्रस्त होने के फलस्वरूप एक कर्मचारी के वेतन भुगतान अवशेष है । जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित कर्मचारी एक दीर्घ अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित भी रहा है । मामले का सम्यक परीक्षण कराकर यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खण्ड विकास अधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति एवं बहाली

9—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-5-87 को सचिव, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में गठित समिति ने कितने खण्ड विकास अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त करने का निर्णय लिया था ? क्या वे सभी सेवा निवृत्त किये जा चुके हैं ? उनमें से कितने खण्ड विकास अधिकारी समिति के निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा पुनः सेवा में बहाल होने का आदेश प्राप्त कर चुके हैं ? इस प्रकार जो शासन को आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

दिनांक 14-5-87 को समिति ने 8 खण्ड विकास अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त करने की संस्तुति की थी ।

जी हां ।

दो खण्ड विकास अधिकारियों के अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेशों को निरस्त करते हुये उन्हें पूर्व की स्थिति में बहाली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश शासन को प्राप्त हुये हैं ।

इसके लिये कोई दोषी नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ में राजी योजना के अन्तर्गत सृजित ग्राम्य विकास अधिकारियों के पदों की समाप्ति एवं राजी आदिम जाति के विकास हेतु जनजाति अयोजना के अन्तर्गत विशेष योजना के संचालन का प्रस्ताव

10–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में राजी जनजाति के उत्थान के क्रियान्वयन हेतु सृजित ग्राम्य विकास अधिकारी के उ0 प्र0 शासन के पर्वतीय विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 754/28-6-54/83, दि0 14-2-87 द्वारा दि0 28 फरवरी, 87 से समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन पदों का सृजन कब किन उद्देश्यों के साथ किया गया था ? सृजित पदों की समाप्ति के समय राजी जन जातियों में वांछित उद्देश्य पूर्ति के मानकों का आंकलन किस प्रकार किया गया ? राजी जनजाति के लगे इन कर्मचारियों के वैकल्पिक रोजगार हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये ? क्या राजी जनजाति के वास्तविक आधारभूत विकास के लिये सरकार के पास कोई निश्चित योजना है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक लागू करेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी हां ।

2–प्रश्नगत पदों का सृजन दिनांक 30-5-84 को परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु किया गया था । राजी योजना के अन्तर्गत सृजित पदों को समाप्त किया गया । किन्तु राजी परियोजना के कार्यक्रम पूर्व की भांति चलाये जा रहे हैं। जिसका सम्पादन हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के अन्तर्गत नियुक्त जनजाति कल्याण निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

3–राजी परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त परियोजना अधिकारी को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना नाचनी पिथौरागढ़ का परियोजना अधिकारी बना दिया गया है तथा कनिष्ठ लिपिक को उक्त एकीकृत जनजाति विकास परियोजना में रिक्त तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित कर लिया गया है। चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत कार्मिकों को जनजाति छात्रावास काशीपुर (नैनीताल) में स्थानान्तरित कर दिया गया है। 5 ग्राम विकास अधिकारियों के पद अस्थायी थे तथा योजना की समाप्ति के समय विभाग में कोई पद न होने के कारण सेवा में नहीं रखे जा सके । राजी आदिम जाति के विकास हेतु जनजाति उपयोजना के अंतर्गत एक विशेष योजना

संचालित की जा रही है । जिसके अन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा कृषि, पशुपालन स्वतः रोजगार से सम्बन्धित योजनायें सातवीं पंचवर्षीय योजना काल (1985–90) तक के लिए प्रस्तावित की गयी है।

जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट मुख्यालय के नालों की मरम्मत

11–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 342/85, दि0 2-9-85 द्वारा प्रेषित जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ मुख्यालय के 14 तथा डीडीहाट मुख्यालय के 2 नालों (जलस्रोतों) के जीर्णोद्धार अतिशीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिनांक 19 अक्टूबर, 87 तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । पिथौरागढ़ मुख्यालय के 14 नालों में से चिमसिया, खडकोट, स्टेशन, पाण्डेगांव, कोल तथा रई कुल 6 नालों की मरम्मत हो गई है तथा सही हालत में हैं। शेष पिथौरागढ़ मुख्यालय के आठ तथा डीडीहाट के 2 नालों की जांचोपरान्त आगणन तैयार कर लिये गये हैं एवं मरम्मत कराने की कार्यवाही की जा रही है।

12–श्री काशी सिंह ऐरी–

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वन राजि क्षेत्र में छपान की गयी लकड़ी का ईंधन एवं स्टार पेपर मिल को आवंटन

13–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वन राजि क्षेत्र में उल्लेख कम्पार्टमेन्ट नं0–14 हेतु वर्ष 1980-81 में स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को दिए गए वन क्षेत्र में कथित मिल के लिए वन के पेड़ों का छपान कार्य कब से प्रारम्भ किया गया ? इस हेतु कितनी घन मीटर लकड़ी का छपान किया गया ? छपान की गई लकड़ी में से आस पास के गांवों के निवासियों को कितनी घनमीटर लकड़ी जलाऊ ईंधन के रूप में दी गयी तथा कितनी घनमीटर लकड़ी स्टार पेपर मिल को वन निगम के माध्यम से आवंटित की गयी थी?

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

उल्लेख कम्पार्टमेन्ट नं0–14 में छपान कार्य दिनांक 25-4-1980 से प्रारम्भ किया गया ।

इस हेतु 11,160.112 घन मी0 लकड़ी का छपान किया गया ।

छपान की गयी लकड़ी में आस-पास के गांव के निवासियों को जलाऊ ईंधन के रूप में 1541.893 घन मीटर लकड़ी दी गयी तथा 56,803.20 क्विंटल चीड़ प्रकाष्ठ वन निगम द्वारा स्टार पेपर मिल को आवंटित की गयी।

जनपद अल्मोड़ा के वन क्षेत्र में से स्टार पेपर मिल को प्राप्त लकड़ी एवं कार्यरत ठेकेदार को भुगतान की गयी दर का निर्धारण

14–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वनराजि क्षेत्र में उल्लेख कम्पार्टमेन्ट नं0 14 में 1980-81 के लिए स्टार पेपर मिल सहारनपुर को आवंटित वन क्षेत्र में से वन निगम द्वारा कुल कितनी लकड़ी प्राप्त की गयी? इस कार्य का कार्यरत ठेकेदार को क्रमशः किस-किस दर से कुल कितना भुगतान निर्धारित किया गया था ? यदि इन मदों में कोई कटौती की गयी तो किस दर से और कुल कितनी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1980-81 में द्वाराहाट वन राजि में उल्लेख कं0 नं0-14 में से 57,286.90 कुन्टल लकड़ी प्राप्त हुई।

इस कार्य में कार्यरत ठेकेदार द्वारा कुल रु0 8,99,148.69 का कार्य किया गया । यह कार्य कटान तथा ढुलान करने हेतु स्वीकृत टेण्डर दर रु0 15.75 के आधार पर था । कुल उत्पादन में से केवल 416.00 कुन्तल उत्पादन हेतु रु0 8.25 का दर दिया गया क्योंकि इसका ढुलान नहीं कराया गया ।

आयकर, ट्रक किराया, ट्रक उतराई व मशीन के किराये से सम्बन्धित कुल रु0 3,59,540.70 की कटौतियां स्वयं ठेकेदार के अनुरोध पर की गई। मदों में अन्य कोई कटौती नहीं की गई।

15–श्री शिवानन्द नौटियाल–

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा के ब्लाक चौमुहां के बी0 डी0 ओ0 श्री प्रेमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच

16–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी, मथुरा को ब्लाक चौमुहां के बी0 डी0 ओ0 श्री प्रेमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप की जांच कराने हेतु जनवरी, 1988 में प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी जांच परगना मजिस्ट्रेट, छाता को दी गयी ? यदि हां, तो कौन सी शिकायतें सही पायी गयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । किन्तु प्रश्नगत जांच जिला विकास अधिकारी, मथुरा से कराई जा रही है।

शिकायतों की जांच चल रही है। जांचोपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन मैनुअल में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार

17—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वर्तमान वन मैनुअल कब लागू किया था व अन्तिम बार उसमें कब संशोधन किया था ? क्या मंत्री जी वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए वन मैनुअल में संशोधन पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वन मैनुअल के लागू किये जाने की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस मैनुअल का तृतीय संस्करण वर्ष 1911 में मुद्रित किया गया था तथा इसका अन्तिम संशोधन (सातवां संस्करण) वर्ष 1952 में किया गया था जो वर्ष 1958 में मुद्रित किया गया था ।

वन मैनुअल में संशोधन के प्रस्ताव पर शासन स्तर पर परीक्षण हो रहा है।

नेशनल महाविद्यालय, आजमगढ़ के प्राचार्य द्वारा डिग्रियों का वितरण

18—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नेशनल महाविद्यालय आजमगढ़ के विधि की उत्तीर्ण स्नातकों को वर्ष 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 की डिग्री प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विश्वविद्यालय द्वारा डिग्रियां तैयार करा दी गई हैं और महाविद्यालय के प्राचार्य को उन्हें वितरित करने को कहा गया है ।

जनपद आजमगढ़ में मनचौथा मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव

19—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद में दोहरीघाट, आजमगढ़ मार्ग से मनचौथा मार्ग पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो इसे वित्तीय वर्ष 1987-1988 में ठीक कराकर जनता के आवागमन हेतु उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग 1987-88 की वर्षा में कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हो गया था । उसकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति जिला परिषद् अनुदान के अंतर्गत दे दी गयी है ।

उ0 प्र0 इलाहाबाद के शिक्षा निदेशालय में कार्यरत पेड अप्रेन्टिशों को नियमित करने की मांग

20—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय (मा0) उ0 प्र0 इलाहाबाद में 7 वर्षों से भी अधिक कार्यरत पेड अप्रेन्टिशों को नियमित किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और

कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या शीघ्र ही पेंड अप्रेन्टिशों को कनिष्ठ लिपिक पद पर समायोजित किये जाने का आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

जिला वाराणसी के ब्लाक पिंडरा में लड़कियों हेतु प्राइवेट हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज खोलने हेतु सरकारी सहायता की मांग

21–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में लड़कियों हेतु कोई भी हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिंडरा बाजार में लड़कियों की शिक्षा, के लिए कालेज खोलने पर विचार करेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

हां ।

योजना के अभाव में सम्प्रति कालेज खोलने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

22–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लड़कियों की शिक्षा हेतु हाईस्कूल व इण्टर कालेज प्राइवेट तरीके से खोला जाने पर सरकार की ओर से क्या सहायता दी जाती है ? क्या इस संबंध में भू0 पू0 सभापति लोक लेखा समिति मा0 ऊदल ने 20-4-87 को मा0 शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

विद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा सहायता देने की नीति नहीं है।

दिनांक 20-4-87 का पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के दिलेश्वरी इण्टर कालेज, रुधौली के पास कुल भूमि एवं उससे प्राप्त आय/व्यय

23–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिलेश्वरी इण्टर कालेज, रुधौली, जनपद बस्ती के पास कुल कितनी भूमि है और सन् 1981 से जनवरी, 87 तक उक्त जमीन से प्राप्त कितना रुपया प्रतिभूत में जमा किया गया और कितना रुपया अन्य मद में खर्च किया गया ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री सिब्ते रजी--

जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती की आख्यानुसार दिलेश्वरी इण्टर कालेज, रुधौली, बस्ती के पास कुल 24 बीघा 13 बिस्वा 18 धुर भूमि ग्राम रुधौली कला जनपद बस्ती में है ।

सन् 1981 से जनवरी 1987 तक उक्त भूमि से कोई आय प्राप्त नहीं हुई । अतः न तो कोई धनराशि प्राभूत मद में जमा की गयी और अन्य किसी प्रकार व्यय की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती दिलेश्वरी इण्टर कालेज, रुधौली में साधिकार नियंत्रक द्वारा अनियमित कार्य एवं अनियमित प्रबन्ध समिति का चुनाव

24—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिलेश्वरी इण्टर कालेज रुधौली जनपद बस्ती के साधिकार नियंत्रक विद्यालय का कार्य देखने के लिए 100 रुपया प्रतिमास कालेज से प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो प्रबन्ध समिति के चुनाव होने के बाद भी और जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में भेजने के बावजूद अब तक अनुमोदन न होने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्यानुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव नियमानुसार न कराये जाने के कारण उक्त प्रबंध समिति को मान्यता नहीं दी गयी है ।

25—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिलेश्वरी इण्टर कालेज रुदौली बस्ती के प्रबन्ध समिति का चुनाव वर्ष 1987 में करा कर अनुमोदन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय भेज दिया गया ? यदि हां, तो अब तक निर्धारित प्रबन्ध समिति को अनुमोदित करके चार्ज न देने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्रबन्ध समिति का चुनाव नियमानुसार न होने के कारण प्रश्नगत प्रबन्ध समिति को जिलाविद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है । अतः उसे चार्ज दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बरेली के ग्राम धल्लिया बसई जाने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण करने का प्रस्ताव

26—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली जनपद के शेरगढ़ ब्लाक के ग्राम धल्लिया बसई जाने वाली सड़क पर, गांव के समीप, पुलिया न बनी होने के कारण पानी भर जाता है व सड़क कट जाती है जिससे ग्रामीणों को बहुत असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ग्रामीणों की असुविधा देखते हुए उक्त पुलिया का निर्माण कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत मार्ग पर पुलिया न होने के कारण आवागमन में असुविधा की जानकारी शासन को प्राप्त हुई है । पुलिया के निर्माण के संबंध में उपलब्ध संसाधनों एवं स्थानीय प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

27–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद चमोली में जड़ी-बूटी शोध संस्थान की स्थापना पर विचार

28–श्री बलराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में जड़ी-बूटी शोध संस्थान खोलने का मामला शासन के विचाराधीन है ?, यदि हां, तो यह कब तक स्थापित हो जायेगा और इसका स्वरूप क्या होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत संस्थान की स्थापना हेतु एक अध्ययन दल गठित किया गया है जिससे शीघ्र संस्तुति मांगी जा रही है । संस्तुति प्राप्त के उपरान्त ही अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा ।

डी0 ए0 बी0 कालेज, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं की जांच पर कृत कार्यवाही

कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी0 ए0 बी0 इण्टर कालेज, अलीगढ़ में प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायती पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों को दिनांक 30-9-85 को दिया गया ?, यदि हां, तो शिकायत क्या थीं ? क्या इसकी कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

शिकायती पत्र दिनांक 30-9-85 में निम्न शिकायतें की गई थीं:–

1–1985 की गृह परीक्षा प्रधानाचार्य द्वारा अनाधिकृत पुनः मूल्यांकन कराकर अवैध रूप से विद्यार्थीयों को उत्तीर्ण करना ।

2–प्रधानाचार्य द्वारा 70 अंक के प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को 100 के हिसाब से जांच कर हेरा फेरी करके छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित करना।

3–छात्रों से प्राप्त होने वाली फीस का बड़े पैमाने पर गबन करना ।

4–उत्तीर्ण छात्रों को अनुत्तीर्ण घोषित करना ।

5–छात्रों की उपस्थिति/अनुपस्थिति में हेरा फेरी करना ।

6–निरीक्षक तथा प्रबन्ध समिति द्वारा दण्डित अध्यापक को क्रीड़ा अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना ।

जी हां । जांच की गयी थी किन्तु जांच रिपोर्ट संतोषजनक न होने के कारण शिक्षा निदेशक को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह मामले की दुबारा विस्तृत जांच करवाकर प्रभावी कार्यवाही करें ।

गोरखपुर जनपद में फरेन्दा एवं कम्पियरगंज डिपो से अभिवहन परमिट पर लकड़ी की खरीद

30—श्री हर्ष वर्धन—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में वन निगम के फरेन्दा डिपो से फरेन्दा एवं बृजमनगंज तथा कम्पियरगंज डिपो से फरेन्दा एवं कम्पियरगंज में खरीदी गयी लकड़ी का स्टाक करने हेतु ढुलाई करने पर संबंधित वनराजि अधिकारी से अभिवहन परमिट लेना आवश्यक है अथवा नहीं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अभिवहन परमिट लेना आवश्यक है ।

जनपद फैजाबाद, जूनियर हाईस्कूल महबूबगंज में नये अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

31—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में स्थित जूनियर हाई स्कूल महबूबगंज में आठ अध्यापकों के स्थान पर केवल चार अध्यापक ही कार्य कर रहे हैं जिससे छात्रों/छात्राओं की पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं हो पा रही है? क्या यह सही है कि जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अधिकांश जूनियर हाई स्कूलों और प्राइमरी पाठशालाओं की यही स्थिति है? यदि हां, तो नई नियुक्तियां करके सभी रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी—

छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय में 5 अध्यापक नियुक्त हैं उनमें से एक अध्यापक कतिपय आरोपों के कारण निलम्बित है। सम्प्रति चार अध्यापकों से शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के जूनियर हाईस्कूलों और प्राइमरी पाठशालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था

32—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अधिकांश जूनियर हाईस्कूलों और प्राइमरी पाठशालाओं में पिछले कई वर्षों से चपरासी एवं स्वच्छकर्ता नहीं है? क्या यह सही है कि कुछ स्कूलों में दो या दो से अधिक चपरासी मौजूद हैं? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और सभी स्कूलों में चपरासी उपलब्ध कराने तथा एक स्कूल में एक से अधिक चपरासी की तैनाती के लिए दोषी लोगों को दण्डित करने का काम कब तक पूरा कर दिया जायगा?

श्री सिब्ते रजी–

प्राइमरी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है। जूनियर हाई-स्कूलों में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रति विद्यालय की व्यवस्था है।

जी हां।

22 जूनियर हाई स्कूलों में दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

प्रत्येक जूनियर हाईस्कूल में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समायोजित करने के आदेश दे दिये गये हैं। अतः किसी के दोषी होने अथवा दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बरेली में कार्यरत भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण के लिए सामान्य योजना में आवंटित भवनों की संख्या

33–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 हेतु जिला बरेली में कार्यरत भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण के लिए कितने-कितने भवन सामान्य योजना में आवंटित किए गये? जिला शिक्षा सलाहकार समिति बरेली ने इन भवनों के निर्माण के लिए किन-किन स्कूलों का चयन किया तथा चयनित स्कूलों के भवन कब तक निर्मित कर दिए गए? जिन चयनित स्कूलों के भवन अभी तक निर्मित नहीं हुए हैं क्या वहां पर मंत्री जी 30 जून, 1988 तक भवन निर्मित करा देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

विवरण निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत भवनों की संख्या	
	प्रा0स्कूल	जू0हा0स्कूल
1984–85	17	7
1985–86	14	4
1986–87	6	4
1987–88	..	4
योग ..	37	19

सूची संलग्न है।

पी0एल0ए0 फ्रीज होने के कारण निर्माण इकाई को धन हस्तान्तरित नहीं हुआ। अतः भवनों का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है। अब पी0एल0ए0 अवमुक्त हो गया है। धन हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। इस स्थिति में 30-6-88 तक भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जाना संभव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 179 पर)

34–श्री राम आसरे वर्मा–

[7वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

35–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[7वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भू-भौतिकीय खण्ड-2, लखनऊ का जनपद झांसी में स्थानान्तरण

36–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विभाग के पुनर्गठन में मिश्रित खण्डों की अनुशंसा उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं कि हमीरपुर खण्ड के होते हुए शासन द्वारा भू-भौतिकीय खण्ड-2 लखनऊ को झांसी जनपद में स्थानान्तरित किया गया है? उक्त खण्ड का कार्य क्षेत्र क्या होगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। पुनर्गठन प्रस्ताव में ही एक मिश्रित खण्ड की स्थापना झांसी में प्रस्तावित की गई है। इसके लिये वर्तमान भू-भौतिकीय सर्वे खण्ड-2 को बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के पठारी भागों में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण की प्राथमिकता के कारण झांसी में स्थानान्तरित किया गया है। उक्त खण्ड का कार्यक्षेत्र वर्तमान समय में प्रदेश का पठारी क्षेत्र होगा।

37–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उ0प्र0 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में निदेशक के पद पर नियुक्ति की अर्हताएं

38–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए जो अर्हताएं निर्धारित कर विभिन्न विभागों को सर्कुलर भेजे गए हैं, उनके अनुसार पात्रता क्षेत्र में कोई विभागीय अधिकारी आता है? यदि हां, तो निदेशक के पत्र पर बाह्य अधिकारी की नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का कोई अधिकारी निदेशक पद की निर्धारित अर्हता में नहीं आता था।

जिला विकास अधिकारी, देवरिया तथा विकास अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री ध्रुव नारायन पाण्डेय पर भ्रष्टाचार के आरोप

39–श्री रणजीत तथा

श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी, देवरिया तथा विकास अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री ध्रुव नारायण पाण्डेय द्वारा नियुक्ति में भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-1-1988 जिलाधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर अब तक शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6 जनवरी 1988 में वर्णित शिकायतों की जांच जिलाधिकारी देवरिया द्वारा की गई । शिकायतें निराधार पाई गई । अस्तु कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् बस्ती के अधीन आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बोनस एवं एरियर का भुगतान

49–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बस्ती के अधीन आयुर्वेदिक चिकित्सकों को वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 का बोनस एवं बकाया एरियर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बोनस तथा बकाया एरियर कब तक भुगतान करायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

धनाभाव के कारण जिला परिषद बस्ती के अधीन कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को वर्ष 1983-84, 1984-85 व 1985-86 का बोनस एवं बकाया एरियर नहीं दिया जा सका था । अब उनके बोनस एवं बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है ।

जनपद गोरखपुर में पडखौली से बसंतपुर मार्ग तथा पक्की सड़क से सोहरौना राजा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

41–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र घुघली (गोरखपुर) में मंगलपुर पडखौली बसंतपुर मार्ग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की पक्की सड़क से सोहरौना–राजा तक कच्चे मार्ग का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया है ? इसकी स्वीकृति जिला अभिकरण ने कब दिया ? क्या यह भी सच है कि प्रश्नकर्ता ने उक्त दोनों सड़कों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग मार्ग बनाने समय ही किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड घुघली में पटखौली से बसन्तपुर मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत तथा पक्की सड़क से सोहरौना राजा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों के सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत कराया गया है । उक्त दोनों कार्यों की स्वीकृति जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोरखपुर द्वारा दी गयी थी ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 29-9-86 के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर पर भ्रष्टाचार की शिकायत का आरोप

42—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मनमानी, बिना स्वीकृति कार्य कराने, भ्रष्टाचार इत्यादि की गम्भीर शिकायतों की डी0 आर0 डी0 ए0 (गोरखपुर) में बार-बार चर्चा होने पर मु0 वि0 अधिकारी गोरखपुर ने ग्रा0 अभि0 विभाग के अभियन्ता को कितने एवं कब-कब पत्र लिखे ? क्या यह सच है कि अधि0 अभि0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोरखपुर ने किसी पत्र का उत्तर नहीं दिया ? यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नकर्ता ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड के सम्बन्ध में बिना स्वीकृति के कार्य कराये जाने की शिकायत की थी तथा दिनांक 2-1-1988 को अभिकरण की गवर्निंग वाडी की बैठक में भी इस संबंध में चर्चा हुई थी । मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर को दिनांक 6-12-1986 एवं 25-21-1986 को पत्र भेजे गये जिनका उत्तर अधिशासी अभियंता द्वारा दिनांक 7-1-1987 को दे दिया गया था । अतः संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के सरकारी सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इण्टर कालेज के घोषित किये गये संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाफल में छात्रों की संख्या

43—श्री काशी सिंह ऐरी—

द्वितीय सत्र 87 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ के अंतर्गत सरकारी/सहायता प्राप्त कौन-कौन से हाईस्कूल इण्टर कालेज थे जिनमें 8 जुलाई, 1987 तक शिक्षा सत्र 1986-87 तथा इससे पूर्व के संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाफल घोषित नहीं किये गये थे ? इन विद्यालयों में अपूर्ण परीक्षाफल के कारण कितने-कितने छात्र रुके ? परीक्षाफल तुरन्त घोषित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

हां । हाईस्कूल परीक्षा, 1987 के 69 विद्यालयों के 362 एवं इण्टरमीडिएट के 22 विद्यालयों के 158 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल 8 जुलाई, 87 तक अघोषित रहे ।

हाईस्कूल परीक्षा 1987 के 8 विद्यालयों के 9 परीक्षार्थियों एवं इण्टर के 1 परीक्षार्थी का परीक्षाफल 8-7-87 को अपूर्ण था जिसे पूर्ण कर दिया गया है । वर्ष 1986 एवं इसके पूर्व वर्षों के किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल अपूर्ण नहीं है ।

टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, शिवालिक, कुमायूं प्रकोष्ठ एवं पश्चिमी वृत्त के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं उसका निस्तारण

44—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, शिवालिक, कूमायूं प्रकोष्ठ एवं पश्चिमी वृत्त के अंतर्गत कार्यरत मातहत कार्मिकों में से दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से 1 अप्रैल, 1987 तक कितने कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ? क्या इन कार्यवाहियों का निस्तारण अनुशासनात्मक प्रक्रिया की निर्धारित अवधि के अंतर्गत किया गया ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब एवं कर्मियों के उत्पीड़न का उत्तरदायित्व किस पर है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

385 कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ।

244 प्रकरणों में निस्तारण निर्धारित अवधि के अन्दर किया गया है ।

106 प्रकरणों में विभिन्न कारणों से (यथा-आरोप-पत्र का विलम्ब से उत्तर, जांच अधिकारी का स्थानान्तरण, आदि) विलम्ब हुआ । 31 प्रकरण जांच तथा चार न्यायालय में हैं । कर्मचारियों को उत्पीड़न की भावना से अनुशासनात्मक प्रक्रिया के निस्तारण में विलम्ब नहीं किया गया है । अतः किसी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में सूखा राहत योजना के अंतर्गत नयी सड़कें बनाने वाले मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कराये जाने की मांग

45—श्री अचल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में सूखा राहत के अंतर्गत कितने किलोमीटर ऐसी सड़कें बनी हैं जिसकी स्वीकृत गवर्निंगबाडी या जिलाधिकारी से नहीं ली गयी है ? क्या उक्त सड़कों में कार्य करने वाले मजदूरों का भुगतान हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम सुन्दर दुबे के विरुद्ध की गयी शिकायत पर दुबारा जांच आदेश

46—श्री अचल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड बदुआ के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री श्याम सुन्दर दुबे के विरुद्ध श्री भोला सिंह प्रमुख बदुआ ने कोई शिकायत की थी जिसकी जांच पंचायत अधिकारी कर रहे हैं ? क्या जांच के दौरान श्री भोला सिंह ने जांच अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 21-11-87 देकर आरोप लगाया था कि जांच अधिकारी और श्री श्याम सुन्दर दुबे दोनों एक ही जनपद इलाहाबाद के रहने वाले हैं और दूर के रिश्तेदार हैं ? क्या उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रति जिलाधिकारी को भी दी गई थी ? यदि हां, तो क्या दुबारा इसकी जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जांच के दौरान प्रश्न में वर्णित श्री भोला सिंह प्रमुख का प्रार्थना पत्र जांच अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ किन्तु संदर्भित पत्र जिला अधिकारी को प्राप्त हुआ ।

जी हां । दुबारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के मलवा और देवमई में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम

47–श्री अचल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मलवा और देवमई में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम लागू कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक उन ब्लाकों में उक्त स्कीम लागू होने की संभावना है और अब तक लागू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

विकास क्षेत्र के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में भवन उपलब्ध हो जाने पर । शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े विकास क्षेत्रों को पहले लिया जा रहा है।

जनपद फतेहपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बनाई गई सड़कों के कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी भुगतान की मांग

48–श्री अचल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में सन् 1985-86 व 1986-87, 1987-88 में जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आर0 ई0 एस0) द्वारा कितने किलोमीटर सड़क बनाई गयी और कितने मानव दिवस सृजित किये गये ? क्या उक्त विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों में जिन मजदूरों ने कार्य किया था उन सभी का भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो अब तक कितना पैसा भुगतान का शेष है ? भुगतान न करने के क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय में साप्ताहिक बैठक की तिथि का निर्धारण

49–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास आयुक्त, कार्यालय में साप्ताहिक स्टाफ मीटिंग दिनांक 16-2-87 व 23-2-87 के क्रमशः प्रस्तर 23 व 17 पर कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां । आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय में साप्ताहिक बैठक दिनांक 16-2-87 व 23-2-87 के क्रमशः प्रस्तर 23 व 17 पर आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विनोद चन्द्र शर्मा, बी0 डी0 ओ0 स्पेशल ग्रेड अनूपशहर, बुलन्दशहर की अनिवार्य सेवा निवृत्ति एवं उनके प्रतिकूल प्रविष्टि

50–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 14-5-87 जिसकी अध्यक्षता सचिव, ग्राम्य विकास ने की व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश एवं विशेष सचिव, कृषि विकास विभाग उसके सदस्य थे, ने कुछ खण्ड विकास अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर अनिवार्य सेवा निवृत्त करने का निर्णय लिया था? क्या श्री विनोद चन्द्र शर्मा बी0 डी0 ओ0 स्पेशल ग्रेड अनूपशहर, बुलन्दशहर को भी तदनुसार जून, 87 में अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया है ? क्या यह सही है कि श्री शर्मा को 1976 में विभाग में सर्वोत्तम कार्यों के लिए दो विशेष वार्षिक वेतन वृद्धि व स्वर्ण पदक शासन द्वारा दिया गया था? क्या यह भी सही है कि श्री शर्मा की प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा गलत रिपोर्टिंग की गयी ? यदि हां, तो इस प्रकार गलत सूचनायें प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

श्री विनोद चन्द्र शर्मा को जून, 1987 में सेवा निवृत्त कर दिया गया था। अब उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

इस कथन की सत्यता की छानबीन करायी जा रही है।

जांचोपरान्त पाया गया कि श्री शर्मा को वर्ष 79–80 तथा 82–83 की प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित नहीं हुई थी।

प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित न करने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी को सचेत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के मरणोपरान्त बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के आश्रितों को नौकरियां प्रदान किये जाने की मांग

51–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा वर्ष 1985 के बाद अध्यापकों के मरणोपरान्त उनके कितने आश्रितों को नौकरी दी गई तथा अध्यापकों की मृत्यु की दिनांक क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 182 पर)

जनपद बाराबंकी के श्री विद्या प्रसाद वर्मा, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र श्री प्रमोद कुमार वर्मा को नौकरी दिलवाने, बीमा, जी0 पी0 एफ0 एवं पेन्शन के भुगतान की मांग एवं संबंधित पत्रावली

52–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री विद्या प्रसाद वर्मा, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला छहदवल तहसील व विकास खण्ड फतेहपुर जनपद बाराबंकी की मृत्यु के बाद करीब ढाई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उनके उत्तराधिकारियों को बीमा, जी0 पी0 एफ0, पेन्शन एवं अन्य देयों का जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा जारी किए गए वारिस प्रमाण-पत्र के बावजूद भी, भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन कर्मचारी दोषी है तथा उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री सिब्ते रजी–

वित्तीय नियमों के अनुसार 5,000-00 रु0 से अधिक की धनराशि पर जिला जज का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक है जो संबंधित अध्यापक के उत्तराधिकारी द्वारा आज तक न देने के फलस्वरूप भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला जज का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान संभव होगा।

53–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी तथा श्री राम कृष्ण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 विद्या प्रसाद वर्मा प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला छहदवल तहसील व विकास खण्ड फतेहपुर जनपद बाराबंकी के आश्रित पुत्र श्री प्रमोद कुमार वर्मा द्वारा दिया गया आवेदन पत्र (नियुक्ति के सम्बन्ध में) दिनांक 29-1-87 जिला बेसिक अधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी ।

54–श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी तथा श्री राम कृष्ण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विद्या प्रसाद वर्मा, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला छहदवल तहसील व विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बाराबकी के उत्तराधिकारियों से संबंधित पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उसके लिए कौन कर्मचारी दोषी है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा की गई कुल अध्यापकों की नियुक्तियां

55–श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी तथा श्री राम कृष्ण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा वर्ष 1985 के बाद अध्यापकों की अब तक कुल कितनी नियुक्तियां की गईं, उनमें मृतक अध्यापकों के आश्रितों की कितनी नियुक्तियां की गईं तथा आश्रितों के चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

श्री सिब्ते रजी–

कुल 200 नियुक्तियां की गयी।

मृतक अध्यापकों के आश्रितों की 44 नियुक्तियां की गईं।

आश्रितों के चयन में अध्यापकों की मृत्यु तिथि के वरीयता क्रमानुसार ।

जनपद बस्ती के खलीलाबाद स्थित इलाहाबाद बैंक से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों में वितरित की गयी धनराशि

56–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1983-84 में जनपद बस्ती के खलीलाबाद स्थित इलाहाबाद बैंक से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में 80 लाख (अस्सी लाख) रुपये की धनराशि लगभग 17 सौ (सत्तरह सौ) लाभार्थियों में वितरित की गई थी ? यदि हां, तो क्या लाभार्थियों को शासन द्वारा स्वीकृत छूट की धनराशि से लाभान्वित कराया गया । यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं । वर्ष 1983-84 में जनपद बस्ती के खलीलाबाद स्थित इलाहाबाद बैंक से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में मात्र 2,34,600 रु0 (रु0 दो लाख चौंतीस हजार छः सौ) की धनराशि 104 लाभार्थियों में वितरित की गयी थी।

103 लाभार्थियों को स्वीकृत छूट की धनराशि से लाभान्वित कराया गया है।

एक लाभार्थी का संयत्र पुराना होने के कारण उसे छूट की धनराशि से लाभान्वित नहीं कराया गया।

आदर्श कृषक विद्यालय अब्दुल्लानगर, हरदोई के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवराज सिंह के नियमित वेतन भुगतान की मांग

57–श्री बालेश्वर–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अब्दुल्लानगर आदर्श कृषक विद्यालय अब्दुल्लानगर, हरदोई के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवराज सिंह के वेतन भुगतान के संबंध में उच्च नयायालय बेंच लखनऊ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-5-87 पंजीकृत पत्र दिनांक 25-5-87 के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व लेखाधिकारी, हरदोई व अन्य विभागीय अधिकारीगणों तथा शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या न्यायालय आदेश का पालन करते हुए उनको जनवरी 86 से अब तक का वेतन इन्क्रीमेन्ट सहित भुगतान करके अब वेतन भुगतान नियमित ढंग से हो रहा है? यदि नहीं, तो

कब तक बकाया वेतन इन्क्रीमेन्ट सहित भुगतान करके वेतन का भुगतान नियमित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जून, 1987 से नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा था परन्तु फरवरी, 1988 में अनुपस्थिति के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अवशेष वेतन आदि का भुगतान प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण में अधिशासी अभियन्ता एवं उनके समकक्ष पदों का पुनर्वर्गीकरण एवं पुनर्वर्गीकरण के अनुरूप पद नामों में संशोधन

58–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी में संवर्गवार पद विभाजन का कोई शासनादेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो क्या संवर्गवार प्रथम श्रेणी में प्रोन्नतियां एवं तैनातियां की गयी हैं?

59–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जियोलाजी संवर्ग को आवंटित प्रथम श्रेणी पदों से अधिक अधिकारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या आवंटित पदों से अधिक कार्यरत अधिकारियों को रिवर्ट या कार्यमुक्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अधिशासी अभियन्ता, सिविल अथवा यांत्रिक के पदों पर जियोलाजी के अधिकारियों को प्रोन्नत या तैनात किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विभाग में स्वीकृत अधिशासी अभियन्ता एवं उसके समकक्ष पदों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है। पुनर्वर्गीकृत पदों पर आवश्यकतानुसार विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। तदनुसार अधिशासी अभियन्ता के एक स्वीकृत पद पर जियो-हाइड्रोलाजिस्ट संवर्ग का एक अधिकारी कार्यरत है पुनर्वर्गीकरण के अनुरूप पद नामों में अपेक्षित संशोधन किया जा रहा है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का मध्य सत्र में स्थानान्तरण के लिए निर्धारित नीति

60–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के मध्य सत्र में स्थानान्तरण किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? क्या यह सही है कि शोध एवं अनुसंधान हेतु आज तक शासन द्वारा स्थानान्तरण की स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भविष्य में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित की जायेगी? यदि हां, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

जी हां ।

आवश्यकतानुसार यथासमय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

61–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

श्री शिवयतन चक्रवर्ती, विज्ञान अध्यापक, जू0 हा0 स्कूल मिर्जापुर पर वेतन और छात्र-वृत्ति एक साथ लेने का आरोप

62–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री शिवयतन चक्रवर्ती, विज्ञान अध्यापक, टाउन हाल जू0 हा0 स्कूल मिर्जापुर ने वर्ष 1979-80 में पूर्णकालिक शिक्षण के साथ-साथ बी0 एड0 का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और वेतन के साथ ही बी0 एड0 की छात्र-वृत्ति भी ली है ? क्या ऐसे मामलों में वेतन और छात्रवृत्ति दोनों एक साथ प्राप्त करने का प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्या उक्त अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं। पूर्ण कालिक शिक्षण के साथ बी0 एड0 प्रशिक्षण प्राप्त किया है किन्तु प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य की रिपोर्ट के अनुसार छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त की थी।

अध्यापक द्वारा- बिना वेतन के अवकाश न लेना विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है। नियुक्ति प्राधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

63–श्री चन्द्रभान मौर्य–

[7वें सोमवार के लिए स्थगित]

डी0 पी0 ए0 पी0 योजनान्तर्गत जनपद बांदा के समस्त विकास खण्डों के लिए विशेष अध्ययन की योजना पर विचार

64–श्री राम सजीवन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 लखनऊ ने बांदा जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के भूगर्भ जल संसाधनों के 1-1-85 के अध्ययन आधार पर दी गई रिपोर्ट में पाठा क्षेत्र में विशेष सर्वेक्षण की आवश्यकता बताई थी ? यदि हां, तो क्या कोई विशेष सर्वेक्षण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? विशेष सर्वेक्षण कब तक पूरा करा लिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन ने अपने पत्रांक 3419/भू0ज0स0सं0/ए-7, डी0 पी0 ए0 पी0, दिनांक 13-11-84 द्वारा जनपद मिर्जापुर एवं बांदा में डी0 पी0 ए0 पी0 योजनान्तर्गत एकीकृत भूगर्भ जल अनुसंधान की योजना प्रेषित की थी जिसमें बांदा जनपद के समस्त विकास खण्डों के लिए विशेष अध्ययन के बारे में योजना बनाई गयी थी, जो वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना में विचाराधीन है।

जिला बांदा के श्री श्रीचन्द्रशेखर सिंह, अध्यक्ष युवक मंगल दल द्वारा ब्लाक अधिकारियों एवं ग्राम प्रधान पर हजारों रुपये के गबन का आरोप

65—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्द्रशेखर सिंह अध्यक्ष, युवक मंगल दल ग्राम चकौंध, विकास खण्ड पहाड़ी, जिला बांदा ने 30-7-87 को आयुक्त झांसी को एक प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि उनके ग्राम चकौंध में सौ धुंवा रहित चूल्हे लगाने की पूरी कार्यवाही फर्जी है तथा गांव में एक भी चूल्हा नहीं लगाया गया? क्या यह भी शिकायत की गयी है कि ब्लाक अधिकारियों और ग्राम प्रधान ने सांठ-गांठ करके सत्तर हजार रुपये की धनराशि गबन कर ली है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? दोषी व्यक्तियों को दण्डित न करने के क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

दिलेश्वरी इण्टर कालेज रूधौली, बस्ती में व्याप्त अनियमितताओं के कारण साधिकार नियंत्रक का पांच वर्ष से अधिक पद पर बने रहना

66—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि दिलेश्वरी इण्टर कालेज रुधौली, बस्ती में 19 दिसम्बर 81 से साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया गया है जो अब तक (जनवरी 88) तक कार्यरत हैं? पांच वर्ष से अधिक साधिकार नियंत्रक के रहने का क्या कारण है तथा निदेशक आदि के आदेश के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा साधिकार नियंत्रक वापस क्यों नहीं लिया गया? इसके लिए कौन-कौन से लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं का निराकरण न होने तथा नियमित प्रबन्ध समिति का गठन न हो पाने के कारण शासन के आदेशानुसार नियंत्रक कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर, श्री विजय पाल सिंह प्रवक्ता एग्रोनामी अमर सिंह डिग्री कालेज लखावटी की अवैधानिक नियुक्ति पर कृत कार्यवाही

67–श्री किरन पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 10 अगस्त, 1987 श्री विजय पाल सिंह प्रवक्ता, एग्रोनामी अमर सिंह डिग्री कालेज, लखावटी जनपद बुलन्दशहर के साथ हो रहे अन्याय के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संबन्ध में बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

पत्र के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) से प्राप्त आख्या व सूचना के अनुसार यह पाया गया कि श्री विजय पाल सिंह इस महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर विधिवत् नियुक्त नहीं है।

फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट का पद शिक्षणेत्तर वर्ग का है, अतः उन्हें प्रवक्ता वेतनमान अनुमन्य नहीं है। इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी हेतु अभिलेख मांगे गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सूखा राहत पर सृजित मानव दिवस एवं मजदूरी की दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान

68–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सूखा राहत पर ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा उ0 प्र0 में कराए गए कामों में कुल कितने मानव दिवस 30 जनवरी, 88 तक सृजित हुए हैं ? उनमें मजदूरी की दर क्या थी ? क्या यह सच है कि मजदूरी की दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान न करके मजदूरी किए गए काम कों नाप कर की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

30 जनवरी, 1988 तक सूखा राहत कार्यों द्वारा कुल 228·29 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं । 30 नवम्बर, 87 तक रु0 11·50 प्रति मानव दिवस की मजदूरी दर निर्धारित थी जो 1-12-87 से रु0 13·50 प्रति मानव दिवस कर दी गई है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दैनिक कार्य मात्रा के मापदण्ड निर्धारित हैं तथा एक दिन का कार्य (100 घन फुट अथवा 2·8 घनमीटर मिट्टी का कार्य) पूर्ण होने पर ही दैनिक दर से मजदूरी देय होती है ।

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के पदों हेतु निर्धारित योग्यतायें एवं साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अपात्र अभ्यर्थी

69—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के पदों हेतु निर्धारित योग्यताएं क्या थी ? क्या यह सही है कि जन सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री जहीन अहमद जो निर्धारित योग्यताएं पूरी नहीं करते हैं को भी साक्षात्कार हेतु जून 87 में आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के पद के लिये जून 1987 में आयोजित चयन हेतु जो अर्हतायें एवं अन्य शर्तें रखी गयी थीं वे नीचे उद्धृत की जा रही हैं :—

अर्हतायें तथा अन्य शर्तें :—

(1) रु0 850-1700 के वेतनमान या उससे अधिक के वेतनमान में कार्यरत अधिकारी ।

(2) सात वर्ष का प्रशासनिक, शैक्षिक, निरीक्षण अथवा अन्य विकास कार्य का अनुभव ।

(3) अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, जिसमें कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

(4) प्रौढ़ शिक्षा योजनान्तर्गत कार्यरत परियोजना अधिकारी भी उक्त पद के लिए अर्ह होंगे यदि परियोजना अधिकारी के पद पर उनकी सेवा अवधि 2 वर्ष की हो गयी हो ।

अन्य शर्तें :—

(1) रु0 850-1720 अथवा उससे अधिक के वेतनमान में कम से कम एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो ।

(2) सामान्य रूप से पिछले पांच वर्षों की प्रविष्टियों में से यदि एक वर्ष की भी प्रविष्टि प्रतिकूल हो तो अभ्यर्थी अनर्ह समझा जायेगा किन्तु केवल प्रतिकूल प्रविष्टि होने मात्र से ही अनर्हता नहीं मानी जावेगी । प्रविष्टि की विषयवस्तु पर विचारोपरान्त ही अर्हता/अनर्हता के विषय में निर्णय लिया जावेगा ।

(3) चयनित अभ्यर्थी को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम 3 वर्ष तक कार्य करना होगा और इस अवधि से पूर्व उसे किसी भी कारणवश योजना को छोड़ने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी । केवल वे ही व्यक्ति आवेदन पत्र दें जो इस शर्त को स्वीकार करते हों । चयन होने पर यदि नियुक्ति स्वीकार न की गयी तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है ।

कुल पदों में से 50 प्रतिशत पदों में महिला अभ्यर्थियों को चुना जावेगा, किन्तु उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने से 50 प्रतिशत का कोटा पूरा न होने पर शेष पद पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे । शासन के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जावेगा । अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के बाद ही किया जावेगा ताकि यह पता चल सके कि अधिकारी (टेम्प्रमेंटली) दौड़-धूप, परिश्रम जनसम्पर्क इत्यादि के लिये उपयुक्त है ।

साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी पद पर चयन के लिए अपात्र पाए गए । इन अपात्र अभ्यर्थियों में श्री जहीन अहमद भी थे ।

अमेठी क्षेत्र में भूजल भंडारों की खोज एवं स्थल चयन का कार्य, भूभौतिकीय सर्वेक्षण हेतु भूगर्भ जल सर्वेक्षण को आवंटित

70—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गहरे भूजल भंडारों की खोज एवं स्थल चयन का कार्य उ0 प्र0 जल निगम द्वारा फरवरी, 87 में भूगर्भ जल सर्वेक्षण को, भूभौतिकीय सर्वेक्षण हेतु आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या अमेठी क्षेत्र में अन्य आधुनिक तकनीकी पद्धतियों में भी सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या बुन्देलचण्ड के पठारी क्षेत्रों में भी उपरोक्त सर्वेक्षण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

विचाराधीन है ।

वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड के पाठारी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी पद्धतियों से सर्वेक्षण कार्य आवश्यकतानुसार कराया जा रहा है ।

जिला सुल्तानपुर श्री बाबू अब्दुल्लाह खां, ताल्लुकेदार बहरपुर, का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी में उ0 प्र0 के खण्डों में अंकित कराने की मांग

71—श्री शारदा प्रताप—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू अब्दुल्लाह खां, ताल्लुकेदार बहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के राजा बेनी माधव सिंह, बेगम हजरत महल तथा मौलवी अहमद उल्लाह खां के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में शरीक थे, जिसके कारण उनके कई इलाके रायबरेली, बाराबंकी, जौनपुर तथा सुल्तानपुर को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, परन्तु स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका नाम अंकित नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की छानबीन कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिब्ते रजी–

श्री बाबू अब्दुल्लाह खां, तालुकेदार बहरपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिर-खाना जिला सुल्तानपुर का नाम फ्रीडम स्ट्रगल इन उ0 प्र0 के खण्डों में अंकित नहीं है ।

इस मामले की छानबीन कराने और तथ्यों से अवगत कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

72–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद वाराणसी की तहसील चकिया के अन्तर्गत ग्राम विजयपुर बिजौरा के समस्त ग्रामवासियों को वृहद भेड़ पालन परियोजना के कारण विस्थापित किए जाने पर महगाई रेंज की वन भूमि पर पुनर्वासित करने हेतु वन भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित

73–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में तह0 चकिया के अंतर्गत नौगढ़ के गांव विजयपुर बिजौरा के हरिजनों खरवार आदि की आदिवासी जातियों की बृहत भेड़ पालन परियोजना के कारण विस्थापित किये जाने पर इसी क्षेत्र के महगाई रेंज की वन भूमि पर सन् 1978 में पुनर्वासित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इन हरिजनों खरवार परिवारों के हक में भूमि का बन्दोबस्त होकर सरकारी कागजों में उनके नाम प्रविष्ट करके उनको पूरी सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और इस संबंध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वाराणसी जनपद की तहसील चकिया के अंतर्गत नौगढ़ के ग्राम विजयपुर बिजौरा के समस्त ग्रामवासियों, जिनमें हरिजन खरवार आदिवासी भी सम्मिलित हैं, को वृहद भेड़ पालन परियोजना के कारण विस्थापित किये जाने पर इसी क्षेत्र के महगाई रेंज की वनभूमि पर पुनर्वासित करने हेतु वनभूमि 1973 से 1983 तक राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की गयी है । इस संबंध में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु वांछित प्रस्ताव जिलाधिकारी वाराणसी से मांगा गया है ।

वन विभाग मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

74–श्री कुशलपाल सिंह––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 19 सितम्बर, 86 को वन विभाग मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में शिकायती पत्र बृज गरिमा पत्रिका के साथ दिया था ? यदि हां, तो क्या अब तक उस शिकायती पत्र की जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के दोहरीघाट विकास खण्ड में जिला परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों पर खड़ंजा में सोयम ईंट एवं कम सीमेन्ट लगाये जाने के संबंध में मुख्य प्राविधिक परीक्षण टेक्निकल आडिट सेल द्वारा की गयी जांच

75–श्री विष्णु देव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के दोहरीघाट विकास खण्ड में जिला परिषद द्वारा ग्राम सुग्गी चौरी बांध से ग्राम नरायनपुर तक निर्मित सड़क पर खड़न्जा में केवल सोयम दर्जे की ईंट लगने तथा ग्राम रसूलपुर में नव निर्मित कन्या पाठशाला में भी केवल सोयम ईंट लगाने तथा रसूलपुर जूनियर हाईस्कूल के पलस्तर में 1/10 सीमेन्ट लगाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 17-7-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, इसी संबंध में माननीय विधायक के एक अन्य शिकायती पत्र दिनांक 28-4-86 के तारतम्य में मामले की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक टेक्निकल परीक्षक टेक्निकल आडिट सेल ग्राम्य विकास से कराई जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में मिनी नलकूप का निर्माण पूरा कराये जाने की मांग

76–श्री बिहारी लाल दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में इलाहाबाद मण्डलीय निगम द्वारा ग्राम-नसरापुर तथा सरायशाह मोहम्मद विकास खण्ड कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद मिनी नलकूप का निर्माण पूरा हो गया है ? यदि हां, तो अब तक इनसे कितनी सिंचाई हुई और उससे क्या आय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कब तक चालू हो जायेगा ? इस कार्य को समय से पूरा न कराने में दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिये गये बीस सूत्रीय ज्ञापन में ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित मांगों को पूरा कराने की मांग

77–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन और सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में स्थित जूनियर हाईस्कूल का भवन घटिया स्तर का बनाने का जिला-परिषद् पर आरोप

78—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में स्थित जूनियर हाई स्कूल बरामदपुर जरियारी का भवन जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा काफी दिनों से निर्माणाधीन है और उक्त भवन का निर्माण इतना घटिया स्तर का किया जा रहा था निर्माण कार्य पूरा होने के पहले ही भवन की छत और दीवारें गिर गईं यदि हां, तो घटिया निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने और निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

इस विद्यालय भवन का निर्माण कार्य वर्ष अक्तूबर, 87 में पूरा हो गया था।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के कन्या प्राइमरी पाठशाला, समर सिंह पुर के भवन निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच

79—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कन्या प्राइमरी पाठशाला समरसिंहपुर विकास खण्ड भीटी के भवन के निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-87 मय संलग्नक मा0 ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री उ0 प्र0 को मिल गया है ? यदि हां, तो सारे मामले की टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है । जांच पूर्ण होने पर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को दण्डित करने में शासन को कोई कठिनाई नहीं होगी ।

क्षेत्रवासियों द्वारा जिला मुरादाबाद में ''हमीरपुर-सकटूनगला'' मार्ग बनवाने एवं रभेड़ा नाला पर पुलिया ठीक करवाने की मांग की जानकारी

80—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र भगतपुर टांडा, तहसील व जिला मुरादाबाद में ''हमीरपुर-सकटूनगला'' मार्ग का कार्य कितने वर्ष से स्वीकृत होने के बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है और उसी मार्ग पर ''रभेड़ा नाला'' पर विभाग द्वारा बनायी गयी पुलिया कितने वर्ष से टूटी पड़ी है और उसको ठीक कराने के क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

81–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र वासियों की तरफ से संबंधित अधिकारियों को बार-बार इस संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर आज तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाराबंकी में हुई नियुक्तियों की जांच

82–श्री सरदार सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0 18 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चयन समिति ने मार्किंग किस आधार पर की थी? क्या यह नियुक्तियां (लिपिक/चपरासियों) बिना परीक्षा लिए भी की जा सकती हैं ? यदि हां, तो किस नियम/शासनादेश के अनुसार तथा दिनांक 22-4-83 की समाचार विज्ञप्ति में लिपिकों/चपरासियों के कुल कितने-कितने रिक्त पद प्रकाशित कराये गये थे ?

श्री सिब्ते रजी–

विज्ञान एवं संस्कृत अध्यापकों के चयन में चयन समिति ने मार्किंग साक्षात्कार में पूंछे गये प्रश्नों के आधार पर की थी ।

जी हां । परन्तु लिपिकों के लिये टंकण का टेस्ट होता है ।

नियमावली 1986 के अध्याय–4 के नियम 13, 14 तथा 15 के अनुसार 22-4-83 को लिपिकों/चपरासियों की नियुक्ति हेतु कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गयी ।

जनपद देवरिया के अपर जिलाधिकारी (परियोजना) द्वारा ग्राम्य विकास अभिकरण में कनिष्ठ लेखा लिपिकों की नियुक्तियों में की गयी धांधली की जांच

83–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर जिलाधिकारी, परियोजना, जनपद देवरिया (श्री श्रवण कुमार उपाध्याय) के द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया में कनिष्ठ लेखा लिपिकों की नियुक्ति में धांधली किये जाने से संबंधित प्रश्न-कर्ता द्वारा दिनांक 30-7-87 को कोई पत्र जिलाधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

जिलाधिकारी, देवरिया ने अपर जिलाधिकारी (परियोजना), देवरिया द्वारा ग्राम विकास अधिकारी (महिला) के पद पर की गई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। कनिष्ठ लेखालिपिकों, लिपिकों, चपरासियों तथा चालकों की नियुक्तियों के संबंध में जांच की जा रही है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

84—श्री सरदार सिंह—

[अर्ध न्यायिक आयोग के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा व पिलाना में मरम्मत हेतु स्वीकृत विद्यालयों की संख्या

85—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

कृपया शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा व पिलाना में कितने प्राइमरी स्कूल भवनों की 86-87, 87-88 में मरम्मत होना स्वीकृत हुआ था। कितने प्राइमरी स्कूलों के भवनों की मरम्मत करा दी गयी है ?

श्री सिब्ते रजी—

विवरण निम्नवत् है :—

विकास खण्ड	वर्ष	मरम्मत हेतु स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	मरम्मत किए गए विद्यालयों की संख्या
खेकड़ा ..	1986-87	11	11
	1987-88	13	13
पिलाना ..	1986-87	5	5
	1987-88	9	9
	योग ..	38	38

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर नगरा, रतनपुरा में बाधित विकास कार्य के मामले की छानबीन

86—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा, रतनपुरा में विकास कार्य बाधित होने विषयक पत्र दिनांक 2-6-87 शासन को प्राप्त हुआ है जिस पर पत्रांक वी-857 दिनांक 24-6-87 की आवश्यक कार्यवाही का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो निर्माण-कार्यों में प्राक्कलन के विरुद्ध गलत कार्य करने वाले तत्वों का जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

मामले की छानबीन की जा रही है।

जिला परिषदीय इकाई बाराबंकी में लिपिकों की पदोन्नतियों एवं रिक्त लिपिकों के पदों पर की गयीं नियुक्तियों का विवरण

87—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाराबंकी में सन् 1972-73 में कितने लिपिकों की पदोन्नति की गयी थी? पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त लिपिक के पदों पर भी नियुक्तियां की गयी थीं ? यदि हां, तो उनके नाम व विवरण क्या है? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे नियुक्त लिपिकों में से उप विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी के पृष्ठांकन आदेश संख्या 2555/73-74, दिनांक 13 नवम्बर, 1973 द्वारा किसी लिपिक की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं और उनके स्थान पर पुनः नियुक्तियां कर ली गयी हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सेवा समाप्त लिपिकों को पुनः सेवा में लेने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

दो लिपिकों की पदोन्नति जिला परिषदीय इकाई बाराबंकी में की गई थी।

जी हां।

सूची संलग्न है।

जी हां । पद सृजित न होने के कारण सभी चार नवनियुक्त लिपिकों की सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं। इन पदों पर पुनः नियुक्ति नहीं की गयी थी।

जी नहीं। क्योंकि अनियमित रूप से सृजित पद समाप्त हो गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 184 पर)

जनपद अलीगढ़ की बेसिक शिक्षा परिषद् की कतिपय प्राथमिक पाठशालाओं को सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण भवन निर्माण में कठिनाई

88—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद की जिला योजना वर्ष 1987-88 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् की प्राथमिक पाठशालाओं क्रमशः मुबारिकपुर, नाई नगला ताहर, नारई व श्रीनगर के भवन निर्माण का कार्य विभागीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है ? क्या भवन निर्माण के अभाव में शिक्षण कार्य में हो रही कठिनाई को दूर करने हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति शीघ्र भिजवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधन के कारण सम्प्रति इनके लिए स्वीकृति देना सम्भव नहीं है।

पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेज, भल में हाईस्कूल स्तर पर गृह विज्ञान विषय को चयन करने में छात्राओं की संख्या एवं प्रशिक्षित अध्यापिका के अभाव में परीक्षाफल पर प्रभाव तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

89—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 86 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 200 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित विद्यालय से विगत पांच शैक्षिक वर्षों में वर्षवार क्रमशः कितनी-कितनी छात्राओं ने संस्थागत रूप से उ0 प्र0 बोर्ड इलाहाबाद से गृह विज्ञान को एक विषय के रूप में चयन कर हाईस्कूल की परीक्षा दी थी? प्रशिक्षित अध्यापिका के अभाव में संस्थागत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में पड़ने वाले प्रभाव हेतु कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? सरकार ने उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

90—श्री सुखपाल पाण्डे—

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर को प्रेषित पत्र में विकास खण्ड धानी में सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

91—श्री हर्ष वर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी अध्यक्ष डी0 आर0 डी0 ए0 गोरखपुर को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1-10-86 को प्रेषित पत्र जो विकास खण्ड धानी में सम्पर्क मार्ग निर्माण के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर 31-3-87 तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर के श्री बुनियाद अली सेवा निवृत्त अध्यापक प्राइमरी पाठशाला को फण्ड तथा पेन्शन का भुगतान

92—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बुनियाद अली अध्यापक प्राइमरी पाठशाला चन्दियाना, विकास खण्ड ऊंचागांव, जनपद बुलन्दशहर दिनांक 1-7-80 को सेवानिवृत्त हुए थे, को फण्ड एवं पेंशन प्राप्त न होने का क्या कारण है ? क्या उसके लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री बुनियाद अली, सेवानिवृत्त अध्यापक को फण्ड तथा पेंशन का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बलिया के अवकाश प्राप्त प्राइमरी शिक्षकों को शीघ्र पेंशन का भुगतान कराये जाने की मांग

93—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के अवकाश प्राप्त प्राइमरी शिक्षकों की पेंशन कितने दिनों से बकाया है ? क्या सरकार अवकाश प्राप्त शिक्षकों के पेंशन भुगतान हेतु तत्काल आदेश जारी कर उनको परेशानी से बचायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

माह दिसम्बर, 1987 तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है । माह जनवरी, 1988 से पेंशन का भुगतान करना शेष है ।

जी हां ।

जिला वाराणसी के सेवापुरी से बाला भट्टी होते हुए ककरिया नामक अस्वीकृत मार्ग के निर्माण की मांग

94—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला अन्तर्गत वाराणसी शहर के सेवापुरी से बला भट्टी होते हुए ककरिया मार्ग जो ग्राम बखरिया सुरही लखनीपुर कोटवा होते हुए जाता है, के निर्माण की स्वीकृत शासन द्वारा किस वर्ष प्रदान की गयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सड़क पर निर्माण कार्य किस स्थिति में है तथा इसे पूर्ण होने में अब कितना समय लगने की सम्भावना है ? इस सम्पूर्ण कार्य में शासन का कितना धन व्यय होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वाराणसी जिला अन्तर्गत वाराणसी शहर के सेवापुरी से बाला भट्टी होते हुए ककरिया मार्ग जो ग्राम बखरियों सुरही लखनीपुर कोटवा होते हुए जाता है, के नाम का कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

जिला मुरादाबाद के श्री एस0 पी0 चावला, जे0 ई0 एम0 आई0 के विरुद्ध गेहूं वितरण में लगाये गये आरोप की जांच

95—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भगतपुर टाण्डा, जिला मुरादाबाद की टाण्डा रोड से गंजों वाली मिलक सड़क की मजदूरी का श्री एस0 सी0 चावला, जे0 ई0 एम0 आई0 द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर खण्ड विकास अधिकारी के आदेश के बिना दिनांक 6-4-1986 को गेहूं बांटा गया है और उसी समय ब्लाक प्रमुख द्वारा जांच किये जाने पर उक्त मस्टर रोल में मृत व फर्जी व्यक्तियों के नाम पाये गये जिसकी ब्लाक प्रमुख द्वारा तत्काल जिलाधिकारी और आयुक्त मुरादाबाद से लिखित रूप में शिकायतें की गयी और उस सड़क के नकद रुपये का भुगतान आज तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त श्री एस0 सी0 चावला, जे0 ई0 एम0 आई0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत मार्ग श्री एम0 सी0 चावला के कार्यकाल में नहीं बना है । इसके संबंध में ब्लाक प्रमुख द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी है ।

पर्वतीय क्षेत्र में विकास हेतु एवं बजट पर नियंत्रण रखने हेतु उठाये गये कदम

96–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास को और अधिक द्रुत गति प्रदान करने के लिए सचिव, पर्वतीय विकास के प्रशासनिक नियंत्रण में एक संयुक्त सचिव वित्त/पर्वतीय विकास की नियुक्ति की जावेगी जो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय विकास विभाग के माध्यम से खर्च होने वाले बजट पर नियंत्रण रखने हेतु उत्तरदायी हो ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पर्वतीय विकास विभाग को आवंटित बजट पर इस विभाग द्वारा प्रभावी नियंत्रण मासिक/त्रैमासिक, वित्तीय/भौतिक प्रगति समीक्षा कर ली जाती है तथा वित्त विभाग में इस विभाग की योजनाओं के सुगमता से परीक्षण हेतु एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी नामित है अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण से सचिव, पर्वतीय विकास विभाग के नियंत्रण में एक संयुक्त सचिव, वित्त की तैनाती आवश्यक नहीं है।

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

जिला देवरिया के कसया कस्बे में गन्दगी फैलने तथा उसकी सफाई आदि की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 27 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से सात सूचनाएं शलाका द्वारा स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री सूर्यप्रताप शाही जी की है, दूसरी श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी, की है, तीसरी श्री सुरेन्द्र सिंह बी (गाजीपुर) की है । चौथी सूचना श्री आसान सिंह की, पांचवीं श्री काशी सिंह एरी जी की, छठी श्री विष्णु देव जी की और सातवीं श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी की है। अब आप कहें तो . . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

[महोदय, देवरिया जनपद के मेरे क्षेत्र में कस्बा कसया में गन्दगी और मच्छरों का साम्राज्य है । बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली होने के कारण वहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं किन्तु सड़कों के किनारे नालियां न होने के कारण कस्बे के गंदे पानी का निकास नहीं हो पाता है। फलतः बराबर गन्दगी फैली रहती है । कस्बे के भीतर की सड़कें पक्की न होने से विधिवत सफाई भी नहीं हो पाती है । सार्वजनिक शौचालयों का अभाव भी गन्दगी का एक कारण है। कस्बे में पेयजल तथा स्ट्रीट लाइट का भीषण संकट है। इन समस्याओं से कसया और कुशीनगर के नागरिक गम्भीर रूप से ग्रस्त हैं। आने वाले पर्यटकों को भी भारी असुविधा और निराशा होती है। समुचित सफाई के अभाव में मच्छरों की भरमार है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर कसया तथा कुशीनगर टाउन एरिया क्षेत्र के भीतर शौचालयों के निर्माण, स्ट्रीट लाइट तथा सफाई के साथ पेयजल व्यवस्था करने हेतु अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद वाराणसी के थाना मडुआडीह के अन्तर्गत बाजार लहरतारा में श्री शिव शंकर गुप्त की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[महोदय, वाराणसी महानगर स्थित मडुआडीह थाना के प्रमुख बाजार लहरतारा में श्री शिवशंकर गुप्त को 15 मार्च, 88 को प्रातः 5 बजे जब कि वह टहलने जा रहे थे बदमाशों ने उन पर अन्धाधुन्ध बम प्रहार कर उन्हें मार डाला ।

इसी क्षेत्र में 13 जनवरी, 88 को प्रातः 5 बजे जबकि श्री पन्ना लाल कबाड़ी के पुत्र स्टेशन से अपने घर आ रहे थे । इसी स्थान पर बदमाशों ने रिवाल्वर दिखा कर उनका पांच हजार रुपयी छीन लिया था । इस डकैती में मृतक भी गवाह थे। परन्तु खेद जनक है कि दोनों ही काण्डों में अभी तक मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

इस हत्याकाण्ड के कारण लहरतारा और आस-पास की जनता में क्षोभ और रोष व्याप्त है । फलस्वरूप 16 मार्च को पुलिस की लापरवाही के विरोध में लहरतारा बाजार बन्द रही है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि अपराधीजनों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय तथा मृतक के वारिसों को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपया दिया जाय और उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजीपुर की पूर्वांचल सहकारी कताई मिल के श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन में एक जनहित में लोक महत्व का सवाल उठाना चाहता हूं ।

हमारे जनपद में पूर्वान्चल सहकारी कताई मिल, बहादुरगंज के श्रमिकों के विभिन्न संगठनों एवं महा प्रबन्धक के बीच एक समझौता 2 मई, 1987 को हुआ था । महाप्रबन्धक द्वारा उक्त समझौते को लागू न किये जाने के विरुद्ध मिल के विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 20 फरवरी, 1988 को काली पट्टी बांध कर काला दिवस मनाया तथा दिनांक 29-2-88 से 14-3-88 तक क्रमिक अनशन किया । आमरण अनशन पर बैठे श्री झाझूराम को पुलिस द्वारा रात्रि 2 बजे बल प्रयोग कर उठा लिया गया एवं जेल भेज दिया गया। अपनी मांगे पूरी न होने के कारण विभिन्न संगठनों से संबंधित मजदूर एवं श्रमिक मिल गेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे गये हैं । स्थिति गम्भीर एवं तनावपूर्ण बनी हुई है । मिल के प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों का इस मामले में अनदेखी किया जाना बड़ा ही खेदजनक है । स्थिति कभी भी गम्भीर रूप ले सकती है ।

हम आपके माध्यम से शासन से मांग करते हैं कि मिल के मजदूरों एवं श्रमिकों को न्याय दिलाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये जिससे आमरण अनशन पर बैठे हुए मजदूर और श्रमिकों की जिन्दगी को सुरक्षा प्रदान की जा सके ।]

फर्म लालमन बुद्धमल कपड़ा विक्रेता विधूना, इटावा के यहां करोड़ों रुपये की चोरी होने तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आसान सिंह–

[महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। फर्म लालमन बुद्धमल कपड़ा विक्रेता विधूना इटावा के यहां करोड़ों रुपये की नकदी व जेवर की सनसनी खेज चोरी होने की तथा पुलिस द्वारा कोई सक्रिय कार्यवाही न करने से नगर के व्यापारियों -नागरिकों एवं आम जनता में भय, आतंक, क्षोभ, निराशा एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

पुलिस के प्रति जनता में अविश्वास की भावना जागृत हो गई है। व्यापारी वर्ग आन्दोलित हो रहा है।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

राजकीय पालीटेक्निक, अल्मोड़ा के प्रधानाचार्य द्वारा किये जा रहे धांधली एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काशी सिंह ऐरी–

[मान्यवर, दिनांक 18 मार्च, 1988, को राजकीय पालीटेक्निक विद्यालय द्वारा हाट (अल्मोड़ा) में वहां के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न तनाव के कारण दिन दहाड़े विद्यालय परिसर में गोलियां चल गयी। प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं क्षेत्रवाद फैलाने के गम्भीर आरोप बहुत पहले से ही लगाये गये हैं जिनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

18 मार्च के गोली काण्ड के कारण पूरे विद्यालय परिसर व हाट क्षेत्र का वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो गया है जनता में भारी रोष, क्षोभ एवं आतंक व्याप्त है और जनता ने 25 मार्च से अनशन आरम्भ कर दिया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को मा0 सदन के सम्मुख रखते हुए मांग करता हूं कि प्रधानाचार्य को अविलम्ब निलम्बित कर उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की जाय।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की जा रही धांधली एवं लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव–

[मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा दो वर्ष पूर्व जिन सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी अथवा खड़ंजा का काम कराया गया है उन पर आज तक पुल-पुलिया का निर्माण न होने से स्थानीय जनता में व्यापक असंतोष की स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फतेहपुर मंडाव में (1) अहिरौली से लालनपुर (2) गंगऊपुर से सुवाह भठिया (3) सिहुलिया से परसिया (4) भटौली-परदहां आदि सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का काम व ग्राम कटघरा शंकर ब्रह्म स्थान से गांव में होते पक्की सड़क तक खड़ंजा दो वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आजमगढ़ से सम्पन्न हो चुका है। परन्तु शासन के निर्देश के बावजूद इन सम्पर्क मार्गों पर पुल या पुलिया का निर्माण अब तक न हो पाया। पुलिया निर्माण के नाम पर सारा पैसा अधिकारी खा गये हैं और पुल पुलिया के निर्माण के अभाव में सम्पर्क मार्गों की उपयोगिता नहीं के बराबर है। इस स्थिति से क्षेत्रीय जनता में व्यापक असंतोष पैदा हो गया है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त सम्पर्क मार्गों पर शीघ्र पुल-पुलिया का निर्माण कराये जाने तथा सरकारी धन की लूट के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांदा जनपद की कोतवाली नरैनी के अन्तर्गत नरैनी कस्बे में दीपू उर्फ दिलीप कुमार गुप्त का अपहरण तथा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[मान्यवर, बांदा जनपद की कोतवाली नरैनी के अन्तर्गत नरैनी कस्बे में ही दीपू उर्फ दिलीप कुमार गुप्त का अपहरण फिरौती के उद्देश्य से कुछ अराजक तत्वों ने 9 जनवरी, 1988 को कर लिया तथा 14 जनवरी, 1988 को उसकी लाश क्षत-विक्षत एक खेत में मिली। जिसकी जानकारी होते ही क्षेत्र के हजारों लोग लाश के पास पहुंच गये और उसी दिन उपरोक्त काण्ड की सी0 बी0 आई0 जांच की मांग को लेकर नरैनी कोतवाली तथा वहां उपस्थित अपर जिला मजिस्ट्रेट का घेराव किया। जिला पुलिस इस सम्बन्ध में मनगढ़न्त कहानी बना रही है तथा असरदार लोगों के दबाव में आकर इस प्रकरण में पर्दा डालने के प्रयास में लगकर कुछ निर्दोष लोगों को फंसा रही है। दिनांक 16 जनवरी को भारत सरकार के एक मंत्री के आने पर करीब दस हजार लोगों ने उनका घेराव करके सी0 बी0 आई0 जांच की मांग की और उन्होंने सी0 बी0 आई0 जांच का आश्वासन भी दिया था।

इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, कस्बे के व्यापारी अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने, कस्बे छोड़ने पर अमादा हैं। विभिन्न दलों एवं व्यापार मंडल की सभायें जारी हैं।

अतः मांग करता हूं कि उपरोक्त प्रकरण में उ0 प्र0 सरकार केन्द्र सरकार से सी0 बी0 आई0 जांच कराने का अनुरोध करे तथा नरैनी के व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें बन्दूक राइफलों के लाईसेन्स प्रदान किये जायं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में दो सूचनाएं श्री हर्षवर्धन जी की और श्री हरिश्चन्द्र जी की प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम से सम्बन्धित है और दूसरी सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की मद्य निषेध विभाग के कार्य कलापों के बारे में है।

दोनों नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आतीं, लिहाजा अस्वीकार।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री अध्यक्ष–

अब मद संख्या 4, माननीय सभापति, लोक लेखा समिति।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मेरी सूचना के सम्बन्ध में . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 जब लिया जाएगा तब, उसके पहले उसे ले लिया जाएगा। (व्यवधान) हर्षवर्धन जी, देखिए, निर्णय हो चुका है। मैंने अब सभापति जी को बुलाया है।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1978-88) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का तृतीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का तृतीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का चतुर्थ प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1987-88) का चतुर्थ प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 23 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

जिला झांसी में महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि के जीर्णोद्धार विषयक श्री नाथूराम मिश्र आदि की याचिका††

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जिला झांसी में महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि के जीर्णोद्धार हेतु झारखण्ड तीर्थस्थल को झारखण्ड विकास प्राधिकरण बनवाने, इसके सम्पर्क मार्ग, पेयजल तथा विद्युत व्यवस्था कराने विषयक श्री नाथूराम मिश्र, श्री अनिल कुमार सिंह तथा श्री सुरेश चन्द्र मिश्र निवासीगण ग्राम-खडौरा, तहसील-गरौठा, जिला झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

---

††छापी नहीं गयी।

†छापा नहीं गया।

झांसी जिले की गरौठा तहसील में सिंचाई की समस्या के सम्बन्ध में श्री दयाराम यादव आदि की याचिका††

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से झांसी जिले की गरौठा तहसील में सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु बेलवा नदी पर डिकौली ग्राम के निकट लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने विषयक सर्वश्री दयाराम यादव, किशोरी शरण, देवी प्रसाद तिवारी, परशुराम यादव तथा रादा दुबे निवासीगण ग्राम एवं पोस्ट एरच, जिला झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

हमीरपुर जनपद के राठ तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किये जाने विषयक श्री जुगुल किशोर त्रिपाठी आदि की याचिका†

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हमीरपुर जनपद के राठ तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाने विषयक सर्वश्री जुगुल किशोर त्रिपाठी, कुंवर हंस प्रताप सिंह तथा चौधरी राजेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम व पोस्ट राठ, जिला हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री मयंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने विषयक मामले में शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि कार्यस्थगन के पहले मुझे सुन लेंगे। मान्यवर, मैंने चिट्ठी भी दी है। माननीय मयंकर सिंह जी के बारे में उस दिन सदन में बात उठी थी। उसमें सभी माननीय नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये थे और कहा था कि मयंकर सिंह के साथ वहां की पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया और जान-बूझकर उनको अपमानित करने की और प्रताड़ित करने की साजिश की गई और उनके घर में छापा डाला गया। मान्यवर, दो दिन से कार्यस्थगन के प्रस्ताव में मयंकर सिंह द्वारा सूचना दी जा रही थी, इस बात की सूचना जिलाधिकारी को मिल गई, यह मामला विशेषाधिकार के हनन का भी मामला बनता है। आपने मान्यवर, उस दिन कृपा पूर्वक सब बातों को सुना था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया था कि इसमें कार्यवाही की जाए और सदन को सूचित किया जाए। मान्यवर, सदन में माननीय सदस्यों की ऐसी भावनायें थीं कि संसदीय कार्य मंत्री ने इसमें कोई ऐसी कार्यवाही की होगी कि सदन के मा0 सदस्यों का सम्मान सुरक्षित रहे और इस तरह का आचरण कोई माननीय सदस्य के साथ न करे जैसा कि मयंकर सिंह जी के साथ किया गया है। तो मान्यवर, हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से

†छापी नहीं गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें क्या कार्यवाही की?, उन्होंने वैसे तो इस सम्बन्ध में सदन को कोई सूचना दी नहीं कि इसमें क्या कार्यवाही की? तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें बता दें कि इसमें क्या कार्यवाही की? हम लोगों की यह मांग है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी को तत्काल वहां से हटाया जाए? जिसने माननीय सदस्य को अपमानित करने का घृणित कार्य किया है।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने तथा उनके उपस्थित न होने पर)

मान्यवर, सरकार का यह रवैया है। संसदीय कार्य मंत्री हैं नहीं। आप सदन को व्यवस्थित करें।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, इसमें पूरी जानकारी करके हम इनको कल बता देंगे।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कल सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आज शाम को छः बजे जिलाधिकारी को बुलाया गया और माननीय मयंकर सिंह जी और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी को बुलाकर बातचीत कर ली जाएगी और यह सदन को अवगत करायेंगे। आप कहते हैं कि संयुक्त जिम्मेदारी मंत्री परिषद् की है और जब एक संसदीय कार्यमंत्री ने कह दिया तो मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य जिम्मेदारी ले लेगा तो उसका क्या नतीजा निकला इसकी जानकारी सदन को मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

कल तक समय ले लिया है।

(संसदीय कार्य मंत्री के आने पर)

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह तो नहीं सुना था कि गुप्ता जी ने क्या कहा लेकिन अभी जब मैं आया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा नाम लिया गया? गुप्ता जी को मालूम होगा कि परसों सदन उठने के बाद वहां के जिलाधिकारी के साथ हम लोगों की बैठक हुई थी उसमें कुछ चीजें तय हुई थीं, वहां के पुलिस अधीक्षक को बुला लिया जाय और तब कोई निर्णय लिया जाये। आज चुनाव थे हमने निवेदन किया था कि 29 तारीख को बुला लिया जाए। आज 28 तारीख है। तो गुप्त जी अगर 29 तारीख के बाद कोई बात कहते तब तो ठीक था कि सदन को सूचित नहीं किया। तब तो कोई औचित्य का प्रश्न था और कोई बात हो सकती थी। लेकिन गुप्ता जी ने 29 तारीख के पहले ही प्रश्न उठा दिया। मान्यवर, इसमें कल बातचीत होगी उसके बाद सदन को सूचित कर दिया जाएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना सर्वश्री विजय सिंह राणा, रघुबर दयाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण तथा श्री चन्द्र भान मौर्य की भण्डारण की व्यवस्था न होने से आलू उत्पादकों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री राजेन्द्र सिंह की आलू के दामों में गिरावट आ जाने से प्रदेश के लाखों किसानों में असंतोष की स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की बलिया जनपद में उत्पन्न पेयजल संकट से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में है। चौथी सूचना सर्वश्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह की भी इसी संबंध में है। पांचवीं सूचना सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, डा0 दिनेश जौहरी, किशन लाल दिलेर, मयंकर सिंह, अवनीश कुमार सिंह, श्याम बिहारी सिंह, नरेश पाल सिंह यादव तथा श्री किशन लाल की दिनांक 26-3-88 को पूर्णागिरि (नैनीताल) मेले में प्रशासनिक कुप्रबन्ध से 15 व्यक्तियों की मृत्यु तथा अनेकों के घायल हो जाने के संबंध में है। छठी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा राम गोविन्द चौधरी की जनपद फैजाबाद के बसखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शुक्कुल बाजार के पास अकबरपुर–आजमगढ़ मार्ग पर चार लोगों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री औसान सिंह की हरिजन अधिकारी का मुंह काला करके तथा बाजार में घुमाये जाने से अधिकारियों व जनता में उत्पन्न असंतोष के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री शारदा प्रताप की यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 एवं उसकी समस्त अनुसंगीय इकाइयों के लिए गठित वेतन आयोग के समक्ष वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य सेवा शर्तों के संबंध में है। नवीं सूचना श्री बदन सिंह की जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लगे राजकीय नलकूपों के खराब हो जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की हरिजन विधायक श्री राम लक्षन की मां श्रीमती जमुना देवी के साथ पनियरा गोरखपुर की पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री राम सजीवन की बांदा जिले में चिल्लीमल लिफ्ट सिंचाई योजना के समुचित रखरखाव न हो पाने से सिंचाई हेतु पानी की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री मोहम्मद मसूद खां की आजमगढ़ में असामाजिक तत्वों से वहां के नागरिकों में व्याप्त असंतोष के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री देवतादीन की नानपारा क्षेत्र, जनपद बहराइच में गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति होने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री हर्षवर्धन तथा श्री राम गोविन्द चौधरी की नैनीताल जिले में बिड़ला उद्योग समूह को शासन द्वारा सस्ते दर पर लकड़ी उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की फैजाबाद जिले के तहसील बीकापुर के गांव बरांव में श्री राकेश पुत्र श्री दुक्कड़ का धर्म परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित की किसानों को फसल बीमा का भुगतान न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही बस्ती जनपद में रामनवमी के दिन राम भक्तों द्वारा जुलूस तथा झांकियां निकालने पर लगायी गयी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना सर्वश्री हरेन्द्र सिंह,

भोपाल सिंह, कनक सिंह, अब्दुल वहीद कुरेशी तथा श्री जगवीर सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर तहसील बुढ़ाना विकास खण्ड बघरा एवं मेरठ के चौगावां क्षेत्र में गिरते जल स्तर से पेयजल व सिंचाई की गम्भीर समस्या के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री काशी सिंह एरी की इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित भवन संख्या बी–3197 को उत्तर प्रदेश के पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री भवानी दत्त जोशी द्वारा जालसाजी करके अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। बीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री मित्रसेन की राजकीय कताई मिल, मऊनाथ भंजन के मुख्य अधिशासी अधिकारी के उत्पीड़न से मजदूरों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री राजकिशोर सिंह तथा श्री अकबर हुसैन बाबर की साकेत महाविद्यालय फैजाबाद में लाठीचार्ज से छात्र राम करण वर्मा की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न छात्रों में असंतोष के संबंध में है। बाईसवीं सूचना श्री फजलुल बारी की हीवेट इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है। तेइसवीं सूचना श्री मनोहर लाल की कानपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है। चौबीसवीं सूचना श्री राम शरण दास की मेरठ मंडल के सभी जनपदों में किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री गया प्रसाद वर्मा की यू0 पी0 एफ0 सी0, इटावा के आर0 एम0 श्री आर0 एन0 मिश्रा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा जनपद की नरैनी तहसील की अर्धनिर्मित मसौनी लिफ्ट कैनाल के पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

इसी तरीके की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं कुछ सूचनाएं सुनूंगा। लेकिन समय का ध्यान रखें आज गृह विभाग का बजट है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस वर्ष आलू की समस्या हमारे आगरा जिले में इतनी भयंकर है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। जब आलू की फसल तैयार हुई तो उसके पहले ही शीतगृहों के मालिकों ने सटोरियों और व्यापारियों से मिलकर फर्रुखाबाद, इटावा, मध्य प्रदेश के जिलों से आलू क्रय किया और कोल्ड स्टोरेजों में भर लिया या तो कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने अपना आलू भरा या व्यापारियों को पूरी-पूरी सुविधा दी और उनका आलू कोल्ड स्टोरेजों में जमा किया। नतीजा यह हुआ कि जब किसान का आलू आया, तब तक कोल्ड स्टोरेज में हाउस फुल या शीतगृह फुल की तख्ती टांग दी गयी। किसान 5-5, 7-7 दिन तक धूप में खड़े इन्तजार करते रहते हैं। शीतगृह के प्रबन्धकों की तरफ से इसी आश्वासन में, किसान धूप की तपती हुई दोपहरियों में अपनी बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रालियां आदि लिये हुए 8-8, 10-10 दिन बिता देते हैं। मान्यवर, धूप में खड़े-खड़े स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि आलू सड़ने लगा है। वह यहां का रहता है, न वहां का रहता है। तो विवश होकर किसान उन्हें सड़कों के सहारे फेंक कर खाली हाथ और भरे मन से घर लौट आता है।

मान्यवर, किसान खून का आंसू रो रहा है। उसने अपनी दोनों फसलों की कमाई इस फसल की तैयारी में लगा दी और जब फसल तैयार होकर आई, तो कोल्ड स्टोरेज में कोई जगह नहीं मिल रही है। बाजार में कोई खरीददार नहीं है। सरकार आंख बन्द किये हुए हाथ पर हाथ धरे सो रही है, किसान बेचारा इस फसल को ज्यादा दिन तक अपने पास रख नहीं सकता है। मान्यवर, आप बताइये कि किसान के दर्द को मैं कैसे अभिव्यक्त करूं। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस विषय पर दो घंटे की चर्चा कराई जाय।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सूखे के बाद आलू उत्पादकों को अपना आलू शीतगृह में रखना और आलू के विक्रय में किसानों को ठीक पैसा मिलना एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। आगरा, फिरोजाबाद में शीतगृह मालिकों का एक पुल बना हुआ है और उसमें कुछ शीतगृह मालिकों ने अभी तक अपने शीतगृह खोले नहीं हैं और न उसमें आलू रखा है। लेकिन शीतगृह मालिकों की साजिश के तहत अपने शीतगृह पर 'स्थान नहीं है' का बोर्ड लगा रखा है और वह उन शीतगृह पर उसी आलू को रखने के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं, जो या तो शीतगृह मालिक ने स्वयं खरीदा है अथवा व्यापारियों द्वारा क्रय किया हुआ है अथवा वह आलू है जो हर्टिकल्चर विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र देने पर व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है, वही रखा जाता है, जिससे किसानों के सामने अपने आलू को शीतगृहों में रखने का गम्भीर संकट आ गया है।

श्रीमन् मैं अभी अपने क्षेत्र के गांव विजयपुर, नगला भावसिंह, नगला मवासी, डबरई दौबेली, सरावां, अकलपुर, आलमपुर, कनेटा, वजीर जेहलपुर आदि में गया तो देखा कि डबरई से लेकर नगला मवासी तक सड़क के सहारे एक मील तक आलू पड़ा सड़ रहा है, उसे शीतगृहों में रखने का स्थान नहीं है और इसी प्रकार से आलू बड़ी संख्या में जयना कोल्ड स्टोरेज के पास करीब दो मील की एरिया में दोनों साइड पर पड़ा सड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसे रखने के स्थान नहीं मिले हैं। किसान का फटा बोरा आलू रखने को 6 रु0 में और मेहनत और भाड़ा बढ़ी हुई दर पर मिल रहा है, जिससे बोरा और आलू की कीमत जोड़ने के बाद सारा व्यय 60 रु0 से अधिक आता है, जिसमें बाजार में 40 रु0 बोरा की कीमत भी नहीं मिल रही है, जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते वक्त घोषणा की कि आलू की खरीद की व्यवस्था नैफेड से करायेंगे और बाजार भाव नहीं गिरने देंगे, तथा शीतगृहों में भण्डारण की सुविधा प्राथमिकता के तौर पर किसानों को दिलाई जायगी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। मेरा माननीय मंत्री जी पर आरोप है कि शीतगृह मालिक किसान से रेट से अधिक रुपया देने पर ही आलू को रखने की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट के अधीक्षक ने काश्तकारों को प्रमाण-पत्र जारी न करके व्यापारियों को जारी किये हैं, जिससे किसान को शीतगृहों में जगह मिलना बन्द हो गया है। यह एक गम्भीर सवाल है। मैं मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूं कि शीतगृह मालिक के पूल को तोड़ें और अभी तक जो शीतगृह खुले नहीं हैं, उन्हें खुलवायें। शीतगृह मालिक द्वारा रेट से ज्यादा ऊंचे पैसे

पर आलू रखने की व्यवस्था करने और व्यापारियों के खरीदे आलू को सुविधा देने तथा शीतगृह मालिकों द्वारा खरीदे गये आलू को शीतगृह में स्थान देने, यह किसान विरोधी नीति का परिचायक है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शीतगृहों में जो झूठे प्रमाण-पत्र लगा रखे हैं और अभी तक शीतगृह चालू नहीं किये हैं, उन्हें आप चलवायें और हार्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट के खिलाफ कार्यवाही करें तथा किसान को सैक्टेट से खरीद की व्यवस्था करावें ताकि किसान का आलू बर्बाद न हो सकें।

मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण गम्भीर सवाल पर आप चर्चा करावें, ताकि किसान ऐसे भयानक सूखे के समय में आलू उत्पादन के बाद महंगाई के दिये गये लागत व्यय से बच सके। मैं चाहूंगा कि आप इस गम्भीर मामले पर सदन में दो घंटे की चर्चा का अवसर प्रदान करें। शीतगृह मालिक के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें और किसान का आलू सीधे रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान के मध्य)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में लोगों का आलू सड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आपका नाम नहीं है। आपका समय जाता है। मैं कहता हूं जब मैं समय दूं तब बोलियेगा। अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी बोलेंगे। एक सूचना पर 2 से ज्यादा लोग नहीं। यह समय आपका ही जाता है। (व्यवधान) अगर किसी के 10 हैं तो 10 सुनेंगे, आप राजी हो जायं। अगर किसी में 4-5 आदमी होंगे तो मैं सबको सुनूंगा अगर आप ऐसा करेंगे तो।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, बोल लेने दें।

*श्री चन्द्र भान मौर्य–

मान्यवर, फर्रुखाबाद के बाद आगरा उत्तर-प्रदेश में सबसे बड़ा आलू उत्पादन का जनपद है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि आज आलू किसान का पड़ा सड़ रहा है और आलू को शीतगृह में रखने की जगह नहीं है। आलू का कोई खरीददार नहीं है। किसानों ने जो बड़ी मेहनत करके खून पसीने से आलू पैदा किया है, वह सड़ने की हालत में है।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि कोल्डस्टोरेज में मीलों लम्बी लाइन लगी है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में रामा कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा हूं, हजारों बोरे उसने जो किसानों का कम कीमत पर खुद खरीदा है उसको कोल्ड स्टोरेज में रख रहा है और जो मीलों लम्बी लाइन आलू उत्पादकों की थी उसको पुलिस के बल पर तुड़वाकर अपना आलू खुद कोल्डस्टोरेज में रखवा दिया है और अपने गुण्डों से उसने बीसों किसानों को पिटवाया है जिससे उनको चोटें आई हैं। मान्यवर, आज तक इन किसानों का आलू नहीं रखा गया है। हफ्तों से किसान सड़क पर पड़े हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि इस भयंकर स्थिति में प्रदेश के किसान जो आलू पैदा करते हैं वह क्या करें?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत ही बोझिल मन से प्रदेश में आलू उत्पादक काश्तकारों की जो दुर्दशा हो रही है और आलू के दामों में जो भारी गिरावट आई है, उस संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, कृषि विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार आलू उत्पादन में महंगा बीज, खाद, पानी, बिजली और कीटनाशक दवाइयां इन सबको लेकर कम से कम 75 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से लागत आती है। मान्यवर, मैं, 3 दिन से फर्रुखाबाद और आसपास के जनपदों में घूमा हूं, मैंने आलू उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखी है, कृषि मंडियों में गया हूं और यह जानकर अत्यन्त अफसोस होता है कि आज 30-35 रुपये क्विन्टल भी कोई आलू लेने वाला नहीं है। एक तरफ तो मान्यवर, किसान सूखे से पहले से ही पीड़ित था उसके ऊपर एक और वज्राघात हुआ उपल वृष्टि का लेकिन एक आशा जागी थी कि आलू की कंशक्राप हो रही है उसके समुचित दाम मिल जायेंगे तो उसकी बिटिया की शादी के लिए सामान कपड़े जोड़ने के लिए कुछ साधन हो जायेगा। अन्य कार्यों के लिए भी केवल कुछ दाम आ जायेगा। मान्यवर, खर्चा लगाकर जिन्होंने आलू बोया उनको आज 30-35 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं।

मान्यवर, आप जानते होंगे और बहुत से माननीय सदस्य जानते होंगे, खुदाई में आज गर्मी के दिनों में 5 रुपये क्विन्टल खुदाई खर्चा आ रही है और 5 रुपये कुन्तल ढुलाई है इसके अलावा चुंगी देनी पड़ती है, कृषि मंडी टैक्स देना पड़ता है और पल्लेदारी अलग लेते हैं, बोरा भी 8 रुपये में मिलता है तो इस प्रकार जो आलू मंडी पहुंचता है उसकी कीमत 22-23 रुपये आती है। बीज, खाद, पानी, कीटनाशक दवा और लागत अलग से किन्तु आलू बिकता है 35 रु0 कुन्तल मान्यवर, मुझे अफसोस इस बात का है कि किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, एक दाना भी, सरकारी खरीद नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद एक महत्वपूर्ण आलू उत्पादक जिला है और वहां उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की एक बहुत बड़ी मंण्डी है, 85 कोल्डस्टोरेज हैं और ऐसा कोई कोल्डस्टोरेज नहीं है जहां पर हजारों बोरियों का चट्टा न लगा हुआ हो और जलती हुई धूप में उसके ऊपर काश्तकार बैठा हुआ 4-4 आंसू न बहा रहा हो। कोल्डस्टोरेज वाले आलू नहीं ले रहे हैं, अधिकारियों की सांठगांठ है, पोटैटो अधिकारी मिले हुए हैं। और मान्यवर, वह क्या करते हैं कि जानबूझकर आलू को नहीं लिया जा रहा है और उसके दाम को गिराया जा रहा है और बिचौलिए कमाई कर रहे हैं। उनके अधिकारी भी आलू के व्यापार में लगे हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज में व्यापारी और अधिकारी अपने आलू भर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि फर्रुखाबाद में रेलवे के वैगन की व्यवस्था ठीक न होने से ट्रक से आलू बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन ट्रक मालिकों ने हड़ताल की धमकी दी है। ऐसे में यह आलू की दुर्दशा हो रही है और किसानों पर कर्ज लदता चला जा रहा है। आलू की लागत तो दूर रही, स्थिति यह है कि बोरी सस्ती है और आलू महंगा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

द्विवेदी जी समाप्त करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, खेतों में आलू पड़ा है, लोग खोद नहीं रहे हैं कि आलू सड़ जायगा तो कम से कम खाद तो काम आयेगी । शासन की दुर्नीति के कारण बड़ी-बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार किसान विरोधी है । उत्तर प्रदेश के लाखों लाख आलू उत्पादकों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है और सरकार केवल घोषणाएं कर रही है । मैं समझता हूं कि यह पूरे प्रदेश का सवाल है । मा0 सदस्य आगरा और मा0 सदस्य बरेली बोले । सभी में चिन्ता व्याप्त है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि आज सदन की शेष कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय । पश्चिम और मध्य उ0 प्र0 ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इससे पीड़ित है और वहां के लाखों किसानों के लिए स्पष्ट घोषणा करें कि . . .

श्री उपाध्यक्ष–

द्विवेदी जी समाप्त करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आज आलू के सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा करें कि . . .

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, आलू के संबंध में राणा साहब, द्विवेदी जी, वर्मा जी हमारे सम्मानित मित्र मौर्याजी और मा0 मैनेजर सिंह जी सभी को चिन्ता है और बोलना चाहते हैं, कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैंने आप सबकी भावना को समझ लिया । मान्यवर, जहां तक आलू के भण्डारण और उसके क्रय का सवाल है, मैं मा0 उपाध्यक्ष की इजाजत से बोल रहा हूं, जहां तक इसके भण्डारण और क्रय का सवाल है, मान्यवर, हमारे यहां करीब सवा सात सौ कोल्ड स्टोर हैं जिनमें आलू के भण्डारण की व्यवस्था है । चौंतीस को और नए लाइसेंस दिए गए हैं । उसमें से 23 को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है । क्रय की बात जहां तक है, 29 जिलों में 69 क्रय केन्द्र खोले गए हैं । पिछले दिनों बाजार में आलू का भाव अच्छा था, इसलिए किसान लोग क्रय केन्द्रों पर नहीं आते थे । अब क्रय शुरू हो गया है और जहां तक वैगन . . .

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि आलू नहीं खरीदा गया है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जहां तक वैगन की बात ब्रह्मदत्त जी ने उठायी, पिछले साल 301 वैगन फर्रुखाबाद से गये थे और इस साल अभी तक 450 से ज्यादा वैगन फर्रुखाबाद से जा चुके हैं । शासन की ओर से पूरी कोशिश जारी है और जिलाधिकारियों को भी हमने निर्देशित किया है । उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है और हेडक्वार्टर से लोगों को भेजा है । पूरी कोशिश हो रही है, किसानों को मदद करने की । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक मुझे अभी तक जानकारी है, हमने 80 प्रतिशत आलू कुल भण्डारण क्षमता के विपरीत भण्डार कर चुके हैं और बाकी के बारे में हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों का आलू

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राथमिकता के आधार पर शीतगृह में भण्डारण किया जाय । यह कहना कि व्यापारियों ने किसानों के नाम पर आलू का भण्डारण किया है, जिन शीतगृहों के बारे में मालूम होगा कि इस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसमें चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी, माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कह दी, निर्णय मैं बाद में दूंगा । अभी आप लोग बैठें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, माननीय द्विवेदी जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने यहां एक लोक महत्व की बात रखी है, यह किसी किसान का सवाल नहीं है, किसी एक जिले का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश का सवाल है, किसानों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ सीधा-साधा सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न कहां है ? मैंने कह दिया कि मैं उस पर बाद में निर्णय दूंगा ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसे सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है । इस पर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं । उसमें पूरे प्रदेश की स्थिति सामने आ जायेगी । चर्चा स्वीकार कर लें, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मान्यवर, इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, इस पर निर्णय बाद में दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आज जो आलू से संबंधित किसान की पीड़ा है, उसे यहां व्यक्त न कर सकें तो फिर यहां बैठना बेकार है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, अगर इस विषय पर आप चर्चा स्वीकार कर लेंगे तो कौन सी आफत आ जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, निर्णय बाद में दे दूंगा । मैंने माननीय अंचल जी को बुला लिया है, वह संक्षेप में कहें ।

*श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, बलिया जनपद में पेयजल संकट से हाहाकार मचा हुआ है । पूरे जनपद के अन्तर्गत जो पैसा गया था, इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पाईप लगाने के लिए, वहां की पेयजल समस्या को हल करने के लिए, उस पैसे का दुरुपयोग वहां के जिला प्रशासन ने किया है । उस पैसे को दूसरी मदों में लगाया गया है । वहां अब स्थिति यह हो गयी है कि वहां की जनता जनप्रतिनिधियों को बुरा भला कह रही है वह कह रही है कि जनप्रतिनिधि जो यहां आकर बैठते हैं उनको तो पानी मिल जाता है लेकिन आम जनता को पानी नहीं मिल रहा है । माननीय हरदेव जी बैठे हुए हैं, इनके क्षेत्र की स्थिति तो बहुत ही खराब है, इनके क्षेत्र में जिन गांवों के अन्दर सुनिश्चित किया गया कि हैण्डपाइप लगा दिए गए हैं, उन गांवों में हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं । रसड़ा तहसील–सबसे पिछड़ा इलाका है, इस इलाके के अन्तर्गत जो निश्चित किया गया था जो सूचीबद्ध किया गया था कि इन गांवों में हैण्डपम्प लगाए गए हैं, वहां वह न लाकर, उन पैसों का दुरुपयोग किया गया है, उस पैसे को एन0 एस0 सी0 में लगाया गया है, उसमें खर्च किया गया है । वहां के जिलाधिकारी ने निरंकुश रूप से हैण्ड-पाईप के पैसे को, जल व्यवस्था के पैसे को, एन0 एस0 सी0 में जमा कराया है । इससे पूरी तौर से वहां के लोग नाराज हो गए हैं, जिला प्रशासन के इस आचरण से शासन की छवि भी धूमिल हो रही है । जो पैसा भेजा गया है, उस पैसे का दुरु-पयोग हुआ है । माननीय मैनेजर सिंह जी, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी, माननीय पाण्डेय जी भी इस पर पूरी तफसील में बतायेंगे । मान्यवर, अधिकारियों का इतना निरंकुश रवैया कभी नहीं रहा, जितना कि इस समय जनपद बलिया में देखने को मिल रहा है । जो पैसा भेजा जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है । इस गम्भीर पेयजल संकट से लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । मैं चाहूंगा कि शेष सारे कार्य रोककर इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायी जाय ताकि इस समस्या का निदान ढूंढ़ा जा सके ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, बलिया जनपद में पेयजल का संकट भयंकर होता जा रहा है । ज्यों-ज्यों गंगा और घाघरा का पानी नीचे जा रहा है, नदी के किनारे के गांवों के कुएं भी सूखने शुरू हो गए हैं । पेयजल योजना के तहत और खासकर सूखा राहत योजनाओं के तहत जो लाखों लाख रुपया बलिया जनपद को पेयजल व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराया गया था उसमें गोल माल हुआ है ।

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य अंचल जी ने कहा है । हमारे जिलाधिकारी महोदय ने एन0 एस0 सी0 में पेयजल का सारा रुपया जमा करवा दिया है । इतना ही नहीं, पेयजल के लिए जो पाइप आये थे, उन पाइपों का भी सदुपयोग उन्होंने अपने बंगले में, खेती की सिंचाई के काम में करवा दिया है । नगरपालिका को जो विद्युती-करण के लिए पैसा गया, उसको भी उन्होंने अपने बंगले के विद्युतीकरण में खर्च करा दिया है । मान्यवर, मैं उनका दोष नहीं मानता प्रदेश प्रशासन का दोष है । जिला-धिकारी के महत्वपूर्ण पद पर इस तरह के लोग छांट-छांट कर बिठाए जाते हैं । श्रीमन्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज क्या हो रहा है ? श्रीमन आज से 20 साल पहले की एक बात याद दिलाना चाहता हूं । उस समय भी पी0 सी0 पाण्डे जी हमारे यहां नियुक्त सचिव थे, उनसे मैंने कहा कि एक नौजवान हरिजन को जिलाधिकारी बना दीजिए, यह हरिजन अधिकारी है और बहुत तेज भी है । श्री पाण्डे जी मुस्कराए और बोले कि ठीक है हरिजन अधिकारी है, तेज भी है लेकिन यह लंगोट का तो ढीला है । जिलाधिकारी के पद के लिए ठीक नहीं है । मान्यवर, आज मा0 गोपी नाथ दीक्षित और मा0 रिजवी साहब के राज में लंगोट ढीली वाले ही भ्रष्ट अधिकारी इस तरह जिलाधिकारी बनाये जाते हैं । लगता है शासन की नीति बदल गई है । जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा, बेईमान होगा, वह जिलाधिकारी बनाया जायेगा । जो पेयजल का पैसा एन0 एस0 सी0 में जमा करायेगा, राहत का पैसा गरीबों को न देकर अपने गृह कार्य में खर्च करायेगा और फर्जी भुगतान कराके अपनी बीबी के माध्यम से स्वयं हड़प लेगा, उसको ये जिलाधिकारी बनाते हैं । अभी जिलाधिकारी ने अपने विवाह की सालगिरह सारंग होटल में मनाई । उसमें तमाम अधिकारियों ने प्रजेन्ट दिए और वहां पर रंगरेलियां मनाई गयीं । यह व्यय कहां से हुआ ?

मान्यवर, बलिया में पानी नहीं है, बिजली नहीं है । मैं आपसे मांग करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करी जाए । और सरकार जवाब दे कि आज जिलों में पेयजल और सूखा राहत का पैसा का दुरुपयोग वहां के जिलाधिकारी द्वारा किस अधिकार से किया जा रहा है, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए । मैं पुनः मांग करता हूं कि आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करायें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है कि बलिया में लगे इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पाइप के 80 प्रतिशत से ज्यादा हैण्डपाइप खराब हो गये हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, आज बलिया जिले में हालत बहुत खराब है और इण्डिया मार्का–2 हैण्डपाइप साढ़े आठ हजार रुपये का पड़ता है। बलिया में बारह सौ गांव इस हैण्डपम्प से लाभान्वित बताये जाते हैं। लेकिन बोरिंग ठीक से नहीं की गई । कम बोरिंग की गयी । आठ हजार प्रति पम्प दिखाकर पैसा बचा लिया गया । लाखों रुपयों का घोटाला हुआ । इसकी शिकायत की गयी लेकिन कुछ नहीं हुआ । आज इन गांवों में पेयजल का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न है। नदी के किनारे के गांवों में न तो कुओं में पानी रह गया है और न हैण्डपाइप ठीक से काम कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त इस वर्ष सूखा राहत के लिए जो पैसा दिया गया, उस पैसे का बिल्कुल भी सदुपयोग हमारे बलिया जनपद में नहीं हुआ । मान्यवर, उसका सारा पैसा वहां के जिलाधिकारी द्वारा एन0 एस0 सी0 में या अन्य में लगा दिया गया । मैं मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करावें और जिस अधिकारी ने इण्डिया मार्क-2 की बोरिंग में गड़बड़ी की है जिससे हैण्डपम्प पानी नहीं दे रहे हैं या बेकार हैं और धन का गलत प्रयोग किया है, जिससे पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायी, उसके खिलाफ जांच कराई जाये और इस प्रश्न पर चर्चा अवश्य करायी जाये ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जनपद बलिया में पीने के पानी की भीषण समस्या पर यह सूचना दी है। साथ ही साथ यह भी बताया कि इण्डिया मार्क-टू हैण्ड पम्प खरीदने के लिए जो धनराशि दी गयी थी, उसे उस मद में खर्च न करके दूसरे मद में खर्च किया गया है, मतलब एन0 एस0 सी0 में उस पैसे को जमा करा दिया गया है। जहां तक मुझे याद है, सम्भवतः यह प्रश्न पहले भी इस आदरणीय सदन में उठाया गया था, गर्मी आ रही है, माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं या चिन्तायें हैं, उससे मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं। हम इसकी जांच करायेंगे और पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क-टू खरीदने हेतु जो पैसा दिया गया है बलिया जनपद को, वह पैसा उसी मद में खर्च किया जायेगा और उसका किसी दूसरे मद में दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।

(श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री शारदानन्द अंचल व श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जायं। स्पष्टीकरण आप नहीं पूछ सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पैसे का सही उपयोग किया जायेगा लेकिन जो दुरुपयोग कर दिया गया है और एन0 एस0 सी0 में जमा करवा दिया गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय श्री मैनेजर सिंह व श्री विक्रमादित्य पाण्डेय जी ने कुछ गांवों का नाम भी लिया है, उनको हम विशेषतौर से दिखलवा लेंगे और जिन माननीय सदस्यों ने और गांवों के नाम लिये हैं कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है, उन्हें भी हम दिखलवा लेंगे और जो पैसा दिया गया है, उसका सही उपयोग किया जायेगा। यदि सही उपयोग पैसे का नहीं हुआ है तो इस संबंध में जो आवश्यक कार्यवाही करनी होगी, वह की जायेगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त दुखद व हृदय विदारक घटना के संबंध में इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस सरकार का प्रशासन बिल्कुल अक्षम और कर्तव्य पथ से च्युत हो गया है। घटना यह है कि रामनवमी के दिन नैनीताल जिले में पूर्णागिरी में एक महत्वपूर्ण मेला होता है। बड़ी संख्या में वहां पर यात्री आते हैं। पुलिस का इतना कुप्रबन्ध था कि रास्ता साफ नहीं किया गया था। ऐसे जो धार्मिक समारोह होते हैं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वहां पर पुलिस का प्रबन्ध करे। सब जानते हैं कि रास्ता पहाड़ी है। वहां पर भगदड़ मच गई। मुझे जो जानकारी मिली है, उसमें 15 व्यक्ति, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, मर गये और 70 के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगभग लोग घायल हो गये हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। वीर बहादुर सिंह जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद यह चौथी घटना है। कुम्भ के मेले में इतने लोग मर गये, अयोध्या में इतने लोग मर गये, चित्रकूट में एक-एक बूंद पानी के लिए लोग मर गये। इससे साफ है कि जो ये मेले होते हैं, उनमें प्रबन्ध करने के नाम पर यह सरकार बिल्कुल अक्षम हो गई है। पुलिस का यह रवैया है कि जो यात्री वहां जाते हैं, उन्हें वह गाय, बकरी आदि जानवरों की तरह उनसे सलूक करते हैं, और डण्डे से उन्हें मारते हैं। यदि रास्ता संकरा था तो उसे साफ किया जाना चाहिए था और आवागमन के रास्ते को ठीक किया जाना चाहिए था। लेकिन यह कुछ न करेंगे, ऐसी व्यवस्था की गयी कि आदमी मर गये। इसके अतिरिक्त मेले में चिकित्सा व्यवस्था का कोई इन्तजाम नहीं था। मेरी निजी जानकारी है, मेले से लौटे लोगों ने बताया कि आदमी तड़प-तड़प कर मर गये, प्राथमिक चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह सवाल पूर्णागिरि, अयोध्या या चित्रकूट का नहीं है, यह नीति का प्रश्न है। कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा विषय हो नहीं सकता है। इस पुलिस प्रशासन के बजट के दिन ऐसी घटना शासन के सामने आ जाय। मेरी धारणा थी कि अगर इनमें कुछ भी शर्म और नैतिकता शेष होगी तो आज गोपी नाथ दीक्षित जी अपने पद से त्याग-पत्र देकर यहां आयेंगे। मेरी मांग है कि इस पर चर्चा करायें।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मैं कल रात वहां से लौटा हूं। इसमें 15 लोग मारे गये हैं, 50–60 से ज्यादा घायल हुए हैं। रामनवमी से एक दिन पहले नागा बाबाओं पर गोली चलायी गयी थी, जिसमें 5 घायल हुए थे। नवरात्रि की बड़ी मान्यता है, बड़ी संख्या में लोग यहां से जाते हैं पूर्णागिरि। इस संबंध में यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 12 मामले ऐसे प्रकाश में आये हैं, जहां पर कि यात्रियों को जहर खिलाकर उनका पैसा लूट लिया गया है। दूसरी घटना गोली चलाने की है, तीसरी घटना भगदड़ में लोगों के मारे जाने की है। पूर्णागिरि में इतनी अव्यवस्था थी कि 10 हजार लोगों में से आधे तो बिना दर्शन किये ही लौट आये। यही हालत विन्ध्याचल की है। अयोध्या में हुआ, ऋषिकेश में हुआ, विन्ध्याचल में भी यही घटना हो सकती थी। जितने भी तीर्थस्थल हैं, वहां पर ऐसी अव्यवस्था है कि श्रद्धा कम होती जा रही है। बरेली के न जाने कितने लोग बिना दर्शन किये लौट आये। मैं सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

(श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी द्वारा बिना अनुमति खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका नाम इसमें नहीं है, आपको मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, कुछ नहीं लिखा जायगा। आप बैठें।

श्री मयंकर सिंह–

उत्तर प्रदेश में मेलों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वीर बहादुर सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में तीन घटनायें हो चुकी हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, अयोध्या में और तीसरी पूर्णागिरि में हुई है।

(श्री विजय सिंह राणा भी खड़े होकर बोलने लगे)

श्री विजय सिंह राणा–

पुलिस की घोर अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गयी । अगर इन्तजाम सही होता तो दुर्घटना नहीं होती । सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, जितना माननीय सदस्यों को दुःख और क्षोभ है, हमें उससे कहीं ज्यादा है। मान्यवर, 15 नहीं बल्कि 5 व्यक्ति उस घटनास्थल पर मरे हैं । जो सूचना हमें उपलब्ध हुई है उसमें यह है कि एक बच्चा रेलिंग से गिर पड़ा, इससे भगदड़ मच गयी, वहां रास्ता सकरा है। उस भगदड़ से तीन औरतें मर गयी और एक पुरुष की हत्या हो गयी । वहां पर न तो पुलिस ने और ना ही होम गार्ड्स ने कोई अभद्र व्यवहार किया है, यदि ऐसा कहा जाता है तो यह बात सत्य से परे है। वहां पर बराबर शान्ति व्यवस्था बनी हुई है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पर नहीं है, तो उसे मैं दिखवा लूंगा और यदि कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था करवा दूंगा । इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो मामला है, आज होमगार्ड का बजट है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

यह नहीं मान्यवर, आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं दो-तीन को और एक-एक करके सुन लूंगा । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, . . .

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था यह है कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सूचना दी है, आप सबको सुनें, दो तीन को ही आप क्यों सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

अभी मैंने माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को बुला लिया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में मा0 राम गोविन्द चौधरी के साथ मिल कर सूचना दी है कि 25/26 मार्च की रात में जनपद फैजाबाद में बसखारी थाना क्षेत्र के पास एक गांव है सुकुल बाजार वहां से दो किलो मीटर दूरी जो सीधे बसखारी थाने में सूचना देने के लिये आया । हमारे कार्य-स्थगन में उस बसखारी थाने की पुलिस ने जो निष्क्रियता दिखायी है कि एक घायल आदमी से जब घटना की सूचना मिल गयी उसके बाद भी पुलिस निष्क्रिय रही. . . .

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, अगर ये सब लोग नियम का हवाला देंगे, मैं तो पुलिस की निष्क्रियता के बारे में बोल रहा था, आप कह रहे हैं कि आज पुलिस प्रशासन का बजट है, तो मैं न बोलूं । माननीय सदस्यगण बड़ी आज्ञा का पालन करते हैं, मैं देखूंगा कि आगे कोई सूचना नियम विरुद्ध फिर नहीं चलेगी । मेरा तो मतलब कार्यवाही होने से है, आप कहेंगे कि बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन आगे से कोई भी काम रोको की सूचना नियम विरुदध यदि आप लेंगे तो मैं मजबूर होकर अव्यवस्था करूंगा ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो दुर्घटना हुई है फैजाबाद और आजमगढ़ के बीच में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि चार-पांच साल से जो डकैतियां बन्द हो गयी थीं, वह पुनः शुरू हो गयी हैं । अब फिर डकैती, राहजनी, फिरौती तथा अन्य अपराध संबंधी घटना फिर से चलने लगी है जो कि पहले बन्द हो गयी थीं। मान्यवर, इसके लिए आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रदेश के डाकू व अन्य बिगड़े हुए लोग यही सोच रहे हैं कि जब यदि कोई पुलिस किसी व्यक्ति की हत्या करे, लूट-पाट करे या कुछ भी भ्रष्टाचार करे, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती इसी प्रकार से हम भी लूट-मार और हत्याएं आदि करेंगे हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है ।। मान्यवर, प्रदेश की इस बिगड़ती हुई स्थिति पर यदि चर्चा न की गयी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो मान्यवर, और किस पर होगी । इसलिए आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा अवश्य करायें ।।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जैसा कि मा0 सदस्य ने घटना का उल्लेख किया है, इस में मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि 6 मर्द और 9 औरतें इस सम्बन्ध में गिरफ्तार हो गये हैं और लूट का सारा माल बरामद हो गया है और इसके अतिरिक्त जिन लोगों पर संदेह है, उनके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर उनके प्रति भी कार्यवाही की जायेगी. . .

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।।

श्री राम लक्षन, सदस्य, विधान सभा की मां श्रीमती जमुना देवी के साथ पनियरा, गोरखपुर की पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, इससे पहले भी यह बातें इस सदन में आ चुकी हैं और मान्यवर, हमारा मामला बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, एक हरिजन विधायक से संबंधित है जो सत्ता-पक्ष के ही सदस्य हैं । मान्यवर, इस समय पूरे गोरखपुर में दरोगा राज्य है और उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह का राज्य है, और मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी के ही निर्वाचन क्षेत्र में, पनियरा क्षेत्र के एक सदस्य हैं, श्री राम लक्षन जो यहां इस समय बैठे हुए हैं। इनकी 70 वर्षीय बूढ़ी मां जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, जो वहां के एक सिनेमाघर में पिक्चर देखने गयीं, लेकिन मान्यवर, धार्मिक भावना के कारण एक सिपाही आया और उन लोगों से सिनेमा-टिकट के बारे में पूछने लगा तो उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उस हरिजन विधायक की मां ने और उसके पोते ने कहा कि हमारे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, दिखा भी दिया । उन लोगों ने फिर भी वह नहीं माना और सिनेमा घर के बाहर गाली देता हुआ ले आया, जिसमें बार-बार हरिजन शब्द भी लगा रहा था और माननीय विधायक का नाम ले-ले कर गाली भी दे रहा था, फिर उस 70 साल की बुढ़िया को पीटना शुरू कर दिया । आज भी उस बुढ़िया को देखा जा सकता है जो पूरे शरीर की पीड़ा से कराह रही है, उसके पोते को भी मारा-पीटा और जब उसका यह अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचा तो वहां पर उपस्थित लोगों ने बीच बचाव करना चाहा तो उस पर बहुत बड़ी संख्या में उसने लोगों को एकत्र कर लिया मुकबला करने के लिए और बेतहाशा गालियां उसकी बुढ़िया मां को हरिजन आदि के सम्बोधन के साथ देता रहा और इतना ही नहीं मान्यवर, इसके बाद से जब यह माननीय सदस्य श्री राम लक्षन जी उधर जाते हैं, तो इनको भी धमकी दी जाती है और बराबर दी जा रही है तो मान्यवर, आज यह व्यवस्था है पुलिस की। पुलिस आज केवल विशेष वर्ग के लोगों के लिए और विशेष दल के लोगों के लिए ही रह गयी है। मान्यवर, माननीय सदस्य इस समय यहां पर बैठे हुए हैं, इनसे स्वयं आप सारी स्थिति पूछ लीजिए कि पनियरा थाने में इनके साथ क्या-क्या किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, माननीय सदस्य खड़े हैं जिनके साथ यह घटना घटी है, (व्यवधान) इनको मान्यवर, सुना जाये . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, सुन तो लीजिए, कितना गम्भीर मामला है, पुलिस की ओर से पूरे प्रदेश में अत्याचार बढ़ा हुआ है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और 70 वर्ष की बुढ़िया है, उसको मारा-पीटा, सत्ता पक्ष के विधायक के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है तो मान्यवर, हम लोग आज किस प्रकार से जी रहे हैं, यह हमी लोग जानते हैं। इसलिए मान्यवर, यह बड़े ही लोक महत्व का मामला है इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें और दूसरे मान्यवर, माननीय सदस्य जिन पर यह सारी विपदा बीती है, बैठे हैं, इनसे भी पूछ लीजिए उन पर क्या बीती है। उन्होंने जो बताया है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम घर नहीं जा सकते हैं, हमारा कत्ल हो सकता है। वह खड़े हैं, उनसे पूछिये तो सही।

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

श्री रामलक्षन–

मान्यवर, गृह मंत्री जी इस्तीफा दें। हर जगह इनके विभाग के लोग किसी भी साधारण आदमी को रहने नहीं दे रहे हैं, हरिजन को रहने नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्री ऐसी स्थिति में अपने पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं हमारी 70 साल की बूढ़ी मां जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं सती अनुसुइया पिक्चर, मेरे लड़के के साथ देखने गयी थी। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था एक सिपाही मेरी मां को हटाने लगा। मेरी मां और लड़के ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है मुझे क्यों हटाते हो ?। इस पर उस सिपाही ने मेरी बूढ़ी मां को और लड़के को मारा और अपशब्दों का प्रयोग किया। इनको त्याग पत्र देना चाहिए। इस प्रकार आये दिन हरिजनों के साथ बराबर अत्याचार हो रहा है। वहां पर एक दरोगा गोरख सिंह थे उनका ट्रांसफर हो गया है लेकिन वह रोज आये दिन किसी न किसी फसाद के कारण वहां के चक्कर लगाते हैं। हत्या कराते हैं। कश्मौरा हत्याकांड में सी0 आई0 डी0 अपराध सं0 23 की रिपोर्ट है। इस तरह का थानेदार उस जनपद में है। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरिजनों के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं।

(कई सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

गृह मंत्री जी खड़े हैं। उनको सुन लीजिये। वह अपनी बात कह लें।

(शोर होने पर)

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, सुन तो लीजिये। जो नोटिस आज दिया है, वह मामला बहुत गम्भीर है। मसले की गम्भीरता को देखते हुए और माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार प्रकट किये गये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और इसीलिए सारे प्रसंग को सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द करता हूं।

(नहीं-नहीं की आवाजें)

श्री राम शरण दास–

मुअत्तल करायें । कांग्रेस-आई का एम0 एल0 ए0 कह रहा है। मुअत्तल करायें ।

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं । आप कृपया पूरी बात को सुन लें। मैंने निवेदन किया है . . . ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप पहले सुन लीजिये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

आप अपनी बात कहते रहेंगे। दूसरे की भी बात सुनें । उस पुलिस कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है और जांच सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द कर दी गयी है ।

*श्री कल्याण सिंह–

उपाध्यक्ष जी, केवल एक दो मिनट में आपके लूंगा । मान्यवर, सरकार दरोगा से डरती है और कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं है। आज माननीय गृह मंत्री जी के जवाब को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दरोगा बहुत बड़ी चीज है और यह सरकार अब एक कान्सिटेबुल से भी डरने लगी है, उसकी हैसियत इस सदन से भी बड़ी हो गई है। हमें अफसोस इस बात का है कि माननीय सदस्य ने एक गम्भीर मामला उठाया कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 70 वर्ष की बुढ़िया और एक विधायक की मां को पटक दिया गया, उनके हाथ-पैर तोड़ डाल दिए गए और विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। देखिये मान्यवर, ...

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री विजय सिंह राणा–

देखिये मान्यवर, माननीय राम लक्षन को सुरेन्द्र सिंह चौहान धमकी दे रहे हैं . . . . (व्यवधान) । धमकाने गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें।

(कई सदस्य उत्तेजित होकर सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

एक सदस्य–

माननीय सदस्य को मंत्री जी धमकी दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

जानकारी लेने गये हैं . . .

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य जोर-जोर से नारा लगाने लगे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राणा–

इस तरह से नहीं चलेगा.....

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी। 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी और मेरी बात पूरी नहीं हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो काम हो गया (व्यवधान) अब उसमें क्या है?

श्री राम लखन की मां श्रीमती जमुना देवी के साथ पनियारा, गोरखपुर की पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मैंने आपको एक नोटिस विशेषाधिकार अवहेलना की माननीय सुरेन्द्र सिंह चौहान के खिलाफ लिख कर दी है। हमारे नियम 63 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि अगर कोई मामला सदन के संज्ञान में है उसके सामने है तो उसमें सूचना देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैंने नियमों का पालन करते हुये सूचना दे दी। मेरा आरोप है कि माननीय सुरेन्द्र सिंह चौहान माननीय राम लखन की सीट पर गये और उनको धमकाने की चेष्टा की और उनको डांटा और कहा कि आप कांग्रेस के विधायक हो और आपने सरकार की खिलाफत की है। अगर भविष्य में ऐसा किया तो तुम को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान) इस सदन के सदस्य होने के नाते हमें विशेषाधिकार प्राप्त है, हम इस आदरणीय सदन में कोई बात बिना किसी दबाव के निडर होकर कह सकते हैं (शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

शांति बनाये रखें। (व्यवधान) आपस में बात न करें। (गृह मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित के खड़े होने पर) माननीय गृह मंत्री जी उन्हें एक मिनट कह लेने दीजिये। गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मैं बिना किसी उत्तेजना के एक बात कहना चाहता हूं। इस सदन में हमें पूरी वाक स्वतंत्रता अपनी बात कहने की है उसमें कोई दबाव नहीं डाल सकता है। मैं संसदीय परिपाटी जानता हूं कोई पार्टी अपने सदस्य को हिदायत दे सकती है लेकिन हम उसका पालन करें या न करें। अगर नहीं करते हैं तो पार्टी से निकाल सकते हैं और दल बदल कानून के अन्तर्गत पार्टी से निकाल सकते हैं लेकिन उस हिदायत के अलावा हम पर कोई दबाव डाल कर हमें बोलने से वंचित नहीं कर सकते हैं। डांटने या प्रताड़ित करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अधिकार किसी को नहीं है। माननीय सुरेन्द्र सिंह चौहान ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है। आप पार्लियामेंट्री पैक्ट्रस या कौल शकधर की किताब देख लें उसमें दिया हुआ है कि एक सदस्य को जो अधिकार है, वही अधिकार पूरे सदन को है, एक सदस्य की अवहेलना पूरे सदन की अवहेलना है और वह हमारे विशेषाधिकारों का हनन है। इसमें भी यही है हमारे विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई है। इसलिए मैंने लिखित रूप से विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है।

मैं एक बात और कहूंगा हमारे नियमों में व्यवस्था दी है कि कोई मामला सदन के सामने होता है तो उस पर निर्णय आपको करना है। उस समय यह सदन जूरी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले को ग्राह्य कर सदन में प्रस्तुत करें। अगर किसी को हमारी बात काटनी होगी तो वह अपनी बात कहेंगे और हम अपनी बात कहेंगे और यह सदन न्यायालय के रूप में फैसला करेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उनके खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की कार्यवाही होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैंने जो सूचना दी है, उस पर बल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान जी के बारे में कहा गया है श्री राम लक्षन से तो मैं पूछूंगा कि क्या कहा है?

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है जिस पर मेरे दस्तखत हैं। श्री हर्षवर्धन और श्री मनोहर लाल के दस्तखत हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं कि धमकी दी है।

श्री उपाध्यक्ष–

सूचना पर जिनके नाम हैं वह बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप लोग शांति बनाये रखें।

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है कि दरोगा से जान का खतरा है। मेरा निवेदन है कि आप पहले श्री लक्षन से पूंछ लें कि श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ने उनसे क्या कहा? माननीय मंत्री जी ने उनको धमकी दी है कि कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जायेगा, इसलिये यह गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री रामलक्षन–

मान्यवर, मंत्री जी आज सदन में इस्तीफा दें, मैं यह चाहता हूं। मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मान्यवर, जब-जब हरिजनों के साथ अत्याचार हुये हैं और हर जगह हरिजनों के साथ अत्याचार आज हो रहे हैं और कहा जाता है कि नहीं हो रहे हैं। हमने इस सम्बन्ध में मंत्री जी से कहा तो कहा गया कि यह तो मुख्य मंत्री जी

का जिला है, इसमें हम क्या हाथ डालें यह तो गोरखपुर का मामला है, इसलिये हम हाथ नहीं डालेंगे। मंत्री होकर अपने विभाग का यह काम नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको धमकी दी गयी है कि नहीं यह बता दें?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रामलक्षन–

मंत्री जी हमारे पास आये और कहने लगे कि आप शांत हो जायें, बाद में बात की जायेगी, इतनी बात उन्होंने कही थी।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने अपनी बात कह दी कि धमकी नहीं दी है।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय रामलक्षन जी की जो भावनायें हैं और उन्हें जो पीड़ा है, उस पीड़ा से हम अपने को सम्बद्ध करते हैं और यह समझते हैं कि अपमान उनकी माता जी का नहीं है बल्कि हम सब की मां का अपमान हुआ है, यह हम महसूस करते हैं और मान्यवर, यह उनका दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, यह हमारी तकलीफ है और इस पीड़ा में वह जो कुछ कहें जस्टीफाई है और यह इसमें नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने गलत कहा है। मैं उनकी इस बात का विरोध नहीं करता हूं। यह घटना किसी के साथ घटी होती तो उसकी यही भावना होती, लेकिन जिस तरह से विरोध पक्ष के लोग इस बात को उठा रहे हैं, क्या वह समझते हैं कि यह उनकी तकलीफ है, उन्हीं का दर्द है। आज वह हमदर्दी (व्यवधान) आप सुनेंगे कि हमने उसको क्या सजा दी है? उस कांस्टेबुल के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। सी0 आई0 डी0 जांच कराई जाएगी। उसको गिरफ्तार किया जाएगा। किन्तु हर चीज की यहां एक प्रक्रिया है और उसी के हिसाब से काम होगा और इसमें सख्त से सख्त सजा जो होगी वह उसे दी जाएगी। किन्तु इसको राजनैतिक रंग देने के लिए विरोध पक्ष की तरफ से इस तरह से किया जा रहा है। यह सोची समझी विरोध पक्ष की बात है। आज नेता विरोधी दल फिर कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं और यह लोग आज वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जैसी कि सामान्य प्रशासन के दिन पैदा कर दी थी। उत्तर प्रदेश की यह सरकार पूरी तरह से, पूरी तत्परता से सख्त से सख्त कार्यवाही उस कांस्टेबुल के खिलाफ करेगी। इसमें कोई रियायत नहीं होने पाएगी। आज गृह मंत्री जी का पुलिस बजट है, यह बात और इस तरह की अन्य सारी बातें उसकी चर्चा के मध्य हो सकती हैं (व्यवधान) सारे लक्ष्य जब तक सन्तुष्ट नहीं हो जायेंगे, उस समय तक सरकार इसमें कार्यवाही करती रहेगी, यह मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। मान्यवर, अब इस मामले को आप समाप्त करें और जो अनुदान आज यहां पेश हो रही है, उस पर चर्चा करावें।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, अभी गृह मंत्री शोर के बीच में कहना चाहते थे और कुछ आपका स्वभाव भी हो गया है, शोर के बीच बोलने का ।

अभी अम्मार रिजवी ने कहा कि वह हमारे विधायक रामलक्षन की मां नहीं हैं, सब सदस्यों की मां हैं । ठीक है यह आप प्रधान मंत्री के स्वर में स्वर मिलाकर बोल रहे थे । हम सब स्वीकार करते हैं कि वह हम सब की मां हैं, लेकिन आपकी इतनी निकम्मी सरकार है कि आप मां की रक्षा करने में अक्षम हो गये हैं (व्यवधान) आपको शर्म आनी चाहिए, अपने कांग्रेस के ही मंत्री लाल बहादुर शास्त्री से आप शिक्षा लें, जिन्होंने एक छोटी सी बात के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था । हम सब लोग उस मां की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं । यह हमारी बात नाजायज नहीं है । वह अपना इस्तीफा देकर एक ऐतिहासिक पुरुष बनने का प्रयास करें । केवल यह कहना कि हमने उसको सस्पेन्ड कर दिया, हमने उस पर कार्यवाही कर दी, यह काफी नहीं है । गृह मंत्री जी ने जो मुअत्तल किया है, वह दरोगा दो विधायकों के लिए खतरा बना हुआ है । सारे प्रदेश में आज दरोगा राज्य छाया हुआ है, और आप इन निरंकुश पुलिस को नियन्त्रण में रखने में पूरी तरह विफल रहे हैं । प्रदेश के दर्जनों विधायकों के लिए आज उनकी जान का खतरा है । इनसे आप कहते हैं कि इनका नहीं सारी मां का अपमान हुआ है । आप अपने राज्य में किसी मां या भाई की सुरक्षा बरकरार रखने में विफल रहे हैं। इसलिये गृह मंत्री जी इस्तीफा दें और माननीय विधायक की पूरी सुरक्षा की जाए ।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, अभी जो भी घटना हुई है, वह आपके सामने हुई है । माननीय सदन के बाहर तो पुलिस के लोग विधायकों और अन्य सम्मानित लोगों के साथ ज्यादती करते रहे हैं, लेकिन इस सदन में ही माननीय गृह राज्य मंत्री उन माननीय विधायक के पास, हम सबके सामने गये थे, इसकी सूचना नियम 3 के अन्तर्गत हमने तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने आपको दी है. .

श्री उपाध्यक्ष–

अब यह समाप्त हो गया है ।

श्री मनोहर लाल–

माननीय नेता विरोधी दल ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, आप उनका इस्तीफा दिलवा दें तो यह मामला समाप्त हो जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें धमकी नहीं दी गई मैंने पूछ लिया ।

(शोर होने पर)

आप पहले गृहमंत्री को तो सुन लें । उसके बाद बोलें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

दो बिन्दु खड़े हुए हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य ने जिस घटना का उल्लेख किया है उसके संबंध में चार प्रकार की कार्यवाही कर दी गई है ।

(व्यवधान के मध्य)

संबंधित मामले में मुकदमा कायम कर दिया गया है और उस कर्मचारी को निलम्बित करके लाइन हाजिर कर दिया गया है और सी0 आई0 डी0 की जांच नियुक्त कर दी गई है इसके अलावा कोई भी कार्यवाही वैधानिक नहीं होगी । मेहरबानी करके विचार करें ।

(सर्वश्री किशन लाल दिलेर, मूलचन्द, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, हर्ष वर्धन, दीप चन्द सोनकर श्रीमती शारदा देवी तथा कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 57 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 13 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि **मां0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन सवा तीन बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है ।** तदोपरान्त 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राम लक्षन की मां श्रीमती जमुना देवी के साथ पनिपरा, गोरखपुर की पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब शांतिपूर्वक बैठें। माननीय आसान सिंह, आप बैठिये। जो प्रकरण अभी हाउस में था, उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात आप सब शांतिपूर्वक सुन लीजिये।

(श्रीमती शारदा देवी चूड़ियां लेकर सदन के बीच में आ गयीं और गृह मंत्री की ओर चूड़ियां फेंकने लगी जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करिये।

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर शोर करने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष–

यह अशोभनीय काम है। ऐसा काम सदन में नहीं करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि सब लोग शांतिपूर्वक सदन में बैठें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यगण . . . मान्यवर, ये कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। जब यह बात तय हो गयी कि आप पूरी बात सुन लें, तो फिर भी ये लोग कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। इसका संक्षेप में अर्थ यह है कि ये सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं और बजट पर सम्मानित नेताओं का भाषण नहीं होने देना चाहते हैं।

मान्यवर, आज की घटना के संबंध में मैंने आरम्भ में जो कुछ बात कही थी, और उसके बाद मैंने कहना चाहा कि उसी बीच में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इतना शोरगुल किया कि पूरी बात होने नहीं पाई थी कि विपक्ष के माननीय सदस्य उत्तेजित होने लगे, मान्यवर, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने जो बात कही है, जैसा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, इस सदन के लिए वह एक अफसोसनाक बात है और इसलिए उस घटना के सम्बन्ध में 4 निर्णय कर दिये गये हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

और उन निर्णयों की बात भी यह सुनना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें कह लेने दीजिए।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पहला निर्णय यह है कि उस कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा कायम करने के आदेश दे दिये गये हैं और दूसरी कार्यवाही यह कि उसको निलम्बित कर दिया गया है।

(श्री शारदा नन्द अंचल बोलते रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

निलम्बन की कार्यवाही करने के बाद यह 4 कार्यवाही कर दी गयी है और इसके अलावा यहां पर बड़े सुविज्ञ ज्ञाता बैठे हुए हैं। संभवतः इन 4 कार्यवाहियों के अलावा और किसी प्रकार की दूसरी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। निलम्बन की कार्यवाही और उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम करना, सी0 आई0 डी0 की जांच कराना इन सब कार्यवाहियों के अतिरिक्त फांसी की सजा देने का अधिकार न आपको है और न मुझे है। इसके अलावा और कोई कार्यवाहियां करना सम्भव नहीं है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान के मध्य)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे आपत्ति है कि आपने माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं थे इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री ने, [xxx] अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए गलत बयान दिया है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, यह असंसदीय है।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

बैठिए, ज्यादा काबिलियत न दिखाइए।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, हमेशा यह बोलते रहते हैं और मैं चुप रहती हूं। कभी-कभी मौका हमें भी दे दिया करें। मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं, मैं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हूं और आपसे उम्मीद कर रही हूं।

(श्री किशन लाल के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर मेरी व्यवस्था है, मैं अपनी व्यवस्था आपके सामने रख रही हूं और जब तक मुझे आपसे आज्ञा नहीं मिलेगी, तब तक मैं खड़ी रहूंगी, आप कह देंगे, तो मैं बैठ जाऊंगी।

मान्यवर, मेरी शिकायत यह है कि हम हमेशा आपकी सुनते हैं और सुनने में कोई कसर नहीं बाकी रखते हैं आप बजट में बोलने न दें, हम बोलते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या व्यवस्था है?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मेरी व्यवस्था यह है कि 'पाप' शब्द यह पापी है। इसके पहले राजेन्द्र कुमार जी ने यह किये बिना, सारे सदन को इन्होंने गुमराह किया यह कहकर कि उनको धक्का दिया। अब 'पाप' की बात है तो क्या यह 'पाप' शब्द संसदीय है? इस पर व्यवस्था चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

उसको मैं देख लूंगा अगर संसदीय नहीं होगा तो निकाल दिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं महिलाओं को विशेषकर अवसर देता हूं, इसीलिए बहन जी को दे दिया। (व्यवधान के मध्य)

उपाध्यक्ष महोदय, [xxx] आप गम्भीरता से इस विषय को लें। जब हम लोग बोला करें तो [xxx] मैं कहना चाहता हूं (व्यवधान) देखिये उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को व्यवस्थित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शान्ति बनाइए।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अभी गृह मंत्री जी ने अपने तथ्यों से सम्बन्धित और इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री जी कह चुके हैं कि यह सबकी मां है। जहां तक मां का सवाल है, इधर के लोगों की वह वास्तव में मां है और जो अपनी मां की इज्जत नहीं बचा सकता, वह सपूत नहीं कहा जा सकता। वह कपूत है। मां की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जो अपनी मां की इज्जत नहीं बचा सकता, वह सरकार में रहने लायक नहीं है।

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच कराने की क्या आवश्यकता रह गयी है? जब तथ्य सामने हैं, क्या कोई बात छिपी है? रात का मामला है अंधेरे का मामला है कि किसी को देखना हो तो उस समय जांच स्वीकार कर सकते हैं, सी0 आई0 डी0 की जांच कर सकते हैं। लेकिन इसमें जांच क्यों, मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजे जाने की जरूरत है कि दरोगा को तुरन्त जेल भेजा जाय। लेकिन इनको [xxx] (व्यवधान) जो भी दोषी हो, कान्स्टेबिल हो या पुलिसकर्मी हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, संसदीय कार्य-मंत्री से विशेष रूप से कहना चाहता हूं।

श्री सैयद अली अशरफी–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 राम लक्षन जी, जिनकी मां का मामला है, उनको गायब कर दिया है। यह बड़ा गम्भीर मसला है।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि इस तरफ से जो लोग गायब होते हैं, उधर मिल जाते हैं। ढूंढ़ा जाय, उधर न हों।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो संसदीय कार्य मंत्री ने जब गलत आरोप लगा करके तथ्यों को छिपाने की कोशिश की तो मैं समझता हूं कि यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है। संसदीय कार्य मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर दोनों पक्षों के लोगों को लड़ाया है। उनको चाहिए कि दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री पूरी तरह से एक तरफ जा रहे हैं। हमें इन संसदीय कार्य मंत्री में विश्वास नहीं है, यह बेशर्मी से रह सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इससे सदन की गरिमा घटती है। चाहे डा0 दत्ता का सवाल रहा हो, आज इसकी पुनरावृत्ति न होती, कई बार विधायकों को अपमानित किया है, उनके परिवार को अपमानित किया है और आज तो मां की लाज चली गयी है और उसके बाद किस तरह से गृह मंत्री गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि कार्यवाही करेंगे। इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच की क्या जरूरत है? तथ्य सारे सामने हैं। इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच वापस लेकर कांस्टेबिल या जो भी पुलिसकर्मी हो, उसको जेल भेजा जाना चाहिए।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री आसान सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे पहले बुला लिया था। आपने हमको कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बुला लिया था।

श्री उपाध्यक्ष–

आसान सिंह जी, यह निपट जाय तो कुछ होगा।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, आपकी मदद के लिए व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मैनेजर सिंह जी के बाद आप व्यवस्था का प्रश्न उठा लीजियेगा। अभी बैठें।

*श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जिस विषय पर अभी चर्चा हुई, माननीय जनार्दन प्रसाद झा जी ने जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया, वह अत्यन्त गम्भीर विषय है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने जबसे पहले एक वक्तव्य दिया, उसके बाद में दूसरा वक्तव्य दिया। दूसरा ही वक्तव्य पहले आया होता तो मैं समझता हूं कि सदन में उत्तेजना न फैलती। पहले केवल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सिपाही को लाईन हाजिर कर दिया गया है, सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश कर दिये गये हैं। बाद में मैं भी माननीय गृह मंत्री जी के यहां गया, निवेदन किया कि इस पर एक्शन होना चाहिए,, गम्भीर मामला है, उन्होंने भी कहा कि गम्भीर मामला है, निलम्बन का आदेश दे दिया गया है या लाईन हाजिर का आदेश दिया गया है, स्पष्ट रूप से सदन को बता दें, तो सदन इससे कुछ हद तक संतुष्ट हो जायेगा।

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जो सी0 आई0 डी0 के बारे में शिकायत है, वह सही शिकायत सी0 आई0 डी0 है क्या? एक पुलिस का दरोगा डंडा मारता है बाकी वर्दी में, वही साल दो साल बाद सी0 आई0 डी0 में जाता है जांच करने। मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था वही कि चोर चोर मौसेरे भाई। मान्यवर, यह जो मामला यहां उठा है बड़ा स्पष्ट है, लेकिन अगर इस कार्यवाही से शासन संतुष्ट है, तो हम लोगों को आपत्ति नहीं है। माननीय मंत्री जी अगर जांच से संतुष्ट हैं, तो जांच करवायें। यह मामला एक माननीय विधायक से संबंधित है इसलिए यहां आ गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आज प्रदेश में क्या स्थिति है, उसको भी देखें। हजारों लोग रोज शरीफ यात्री बसों टैक्सियों की अगली सीट से उतार दिये जाते हैं। आपका दरोगा कहता है सिपाही कहता है कि पीछे जाओ आगे की सीट खाली करो। इसी तरह से सिनेमाघरों में जो लोग टिकट लेकर बैठे हुए होते हैं, उनसे पुलिस वाले सीट खाली कराते हैं। माननीय विधायक की मां को धकेल दिया कुर्सी से। यह परिस्थिति आज पूरे प्रदेश में व्याप्त है। आपको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

इस मामले में सोचकार जो करना हो प्रदेश स्तर पर यह व्यवस्था कीजिये। आज पूरे प्रदेश में चिन्तनीय स्थिति व्याप्त है। उसको भी देखिये, पूरे प्रदेश स्तर पर कोई प्रशासकीय कदम उठाइये। आज जो स्थिति व्याप्त है, पूरे शासन की छवि खराब हो रही है। आज एक माननीय विधायक से संबंधित मामला यहां उठा, उस पर जो कार्यवाही करनी है वह आपके विवेक पर छोड़ना चाहता हूं। लेकिन, अगर आप पुलिस पर कुछ अंकुश नहीं रखेंगे, कोई प्रशासकीय कार्यवाही नहीं करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2 साल बाद जब आप इधर विरोध पक्ष में बैठेंगे तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा। दो साल का मौका है, इसलिए आप इस पर सोचिये। मान्यवर, सदन की कार्यवाही को आगे चलने दें, पुलिस विभाग का बजट पेश होना है, उसे पेश होने दें, कटौती का प्रस्ताव आने दें, ताकि उस पर बहस हो सके।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज माननीय सदन के अंदर गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट पेश किया जाना है। माननीय नेता विरोधी दल को उस पर कटौती का प्रस्ताव लाना है। मान्यवर, लगातार पिछले समय से जानकारी में है कि लोकदल (ब) नेता विरोधी दल को कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने दे रहे हैं। आज लोकदल (ब) और बी0 जे0 पी0 के षड़यंत्र के कारण फिर उन्हें कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था की बात इसमें नहीं है, आप बैठिये।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा पाण्डेय जी, आप बैठें।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आपको।

जो आम रोको प्रस्ताव के प्रश्न हैं, उसमें आलू से सम्बन्धित मामले पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

श्री शारदा नन्द अंचल की सूचना पर ध्यान आकृष्ट किया गया है, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय की सूचना पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। श्री मदन सिंह की सूचना पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के मामले पर वक्तव्य स्वीकार किया गया है और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री आसान सिंह, श्री मनोहर लाल की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है, बाकी को मैं अस्वीकार करता हूं।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरठ मंडल में . . .

श्री उपाध्यक्ष–

राम शरण दास जी, आप बैठिये ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (पुलिस)

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (पुलिस) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,92,41,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 9 हजार किलोमीटर है और 71 हजार के लगभग बीहड़ क्षेत्र इस प्रदेश में है । इतने बड़े प्रदेश में पुलिस के सामने अनेक समस्यायें हैं । श्रीमन् इस बात को सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं । आज हमारे प्रदेश में 9 हजार, 414 विद्यालय हैं, जहां लगभग 2 करोड़ विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं । मान्यवर, इसके अतिरिक्त छात्र असंतोष श्रमिक अशान्ति, राजनैतिक और धार्मिक जुलुसों में, रैलियों में, रैलियों की भरमार, विभिन्न मेलों-उत्सवों की व्यवस्था, नहर कटान को रोकने, ट्यूबवेलों की चौकसी करने पेड़ों की कटान को रोकने, अतिक्रमण को हटाने और भीड़ कन्ट्रोल तथा ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक रखने, विभिन्न विभागों की बकायों की वसूली को कराने आदि कार्यों का भार पुलिस के ऊपर है । इतने उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए हमारे पास, इस विभाग में केवल एक लाख, 56 हजार के लगभग पुलिस कर्मी हैं, जिनका औसत 10 हजार पर 13 के करीब पड़ता है, जबकि दूसरे प्रदेशों में संख्या कहीं अधिक है । श्रीमन् इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुये इस वर्ष हमारे बजट में 3,92,41,67,000 रुपये का प्राविधान किया गया है । श्रीमन् यह केवल पूरे राजस्व का 4.7 प्रतिशत है ।

श्रीमन् इतने सभी उत्तरदायित्वों को पुलिस को वहन करना पड़ता है । श्रीमन्, हमें विश्वास है कि विपक्ष के हमारे सहयोगी भी इस ओर ध्यान देंगे कि पुलिस के ऊपर जो उत्तरदायित्व है, उसके निर्वहन के लिये पुलिस बढ़ोत्तरी होना आवश्यक है और पुलिस के मनोबल को सशक्त करना और सक्षम बनाना भी आवश्यक है । श्रीमन् इसके लिये यह आवश्यक है कि पुलिस की ट्रेनिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन किया जाय और पुलिस की मानसिकता बदली जाये । इसके लिये पाठ्यक्रम और सिलेबस बदलने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लगभग 43 में परिवर्तन करके आज की आवश्यकता के अनुरूप पुलिस को ट्रेन्ड किया जाय और उनके अन्दर की खामियों को दूर किया जाये । इसके अतिरिक्त यातायात के मामले में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है । बढ़ती हुई आबादी के कारण ट्रैफिक पर पड़ने वाला बोझ भी पुलिस विभाग के सामने एक समस्या बन गया है ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता चाहता हूं कि पुलिस के ये कर्मचारी भवनों के अभाव में किस तरह से छप्परों की फूस में अपना जीवन-यापन करते हैं । आज हमारे प्रदेश के पुलिस बल को एक लाख 6 हजार 570 आवास व 59489 बैरेक्स की आवश्यकता है, जिसमें से केवल 34568 आवास व 40,771 बैरेक्स ही बन सके हैं, अभी 75,339 आवासों की अभी भी आवश्यकता है, इसलिए आवासों की इस कमी को पूरा करने के लिए ही इस शासन ने एक पुलिस आवास निर्माण निगम की स्थापना की है क्योंकि जो आवासों का निर्माण हो रहा था, वह बहुत धीमी गति से हो रहा था, इसलिए इस निगम का गठन करना पड़ा। इसके अलावा सप्तम पंचवर्षीय योजना में 51 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया था, उसमें से 1987-88 में 11 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं । उसमें से 1281 आवास व 127 अनावासीय भवन बनाये गये हैं । अष्टम वित्त आयोग ने 62 करोड़ 27 लाख रुपए की एक योजना बनाई थी उसमें से श्रीमन्, 241 थाने 12,237 आवासीय भवन बनाने थे, किन्तु श्रीमन्, उसमें से केवल 59 थाने व 4131 आवास ही बन पाये । पुलिस निर्माण निगम के गठन के बाद, जिसका शुभारम्भ, इसी दिसम्बर में माननीय मुख्य मंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रथम कार्य का उद्घाटन हो चुका है ।

मान्यवर, आज सभी लोग जानते हैं कि इसी तरह से प्रदेशों में अग्निशमन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है । जगह-जगह पर किसानों के खेतों, खलिहानों व मकानों में आग लग जाती है, जिससे बहुत बड़ी क्षति होती है, इसको मद्दे नजर रखते हुए इस वर्ष हमारे प्रदेश में 9 नये अग्निशमन केन्द्र खोले जायेंगे । ज्ञानपुर, रामसनेहीघाट, गजरौला, रानीखेत, पडरौना, कोटद्वार बीशवां, सानपुर, भिनगा, वाह और निधानसन में ये अग्निशमन केन्द्र खोले जायेंगे । इस समय हमारे प्रदेश में 108 फायर स्टेशन कार्यरत हैं । 1987-88 में केवल 20 फायर स्टेशन खोले जा सके थे । हमें विश्वास है कि गतवर्ष जो सम्पत्ति की हानि हुई थी वह 29,13,97, 384 रुपए की थी, किन्तु इन अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना के बाद 3,37,50, 48,961 रुपए की सम्पत्ति की रक्षा हुई । श्रीमन्, पुलिस कर्मियों की सुख-सुविधाओं को देखते हुए इस बात की कोशिश की गई है तथा 1987-88 में 17 लाख रुपए का प्राविधान था और 1988-89 में 3 करोड़ 99 लाख 81 हजार रुपए का प्राविधान है । चिकित्सा के लिए 2 करोड़ 6 लाख 21 हजार रुपए का प्राविधान है मलेरिया के लिए 1 लाख 20 हजार, खेलकूद के लिए 18 लाख 50 हजार, रिलीफ के लिए 8 लाख 10 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है । श्रीमन्, पुलिस के पास लड़खड़ाती जीपों के होने की वजह से उन्हें अपराधी को पकडने में काफी असुविधा होती थी । . . .

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज माननीय गृह मंत्री जी ने अपने चारों तरफ महिलाओं को बैठा दिया है, पता नहीं इन्हें कौन सा डर है, इसे आप बता दें ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा ।

1987-88 में 5 करोड़ 11 लाख 15 हजार रुपए का प्राविधान किया गया था। इसमें से 212 हलकी, 89 भारी गाड़ियों के साथ 6 मोटर साईकिल्स की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1988-89 में 5 करोड़ 17 लाख 24 हजार रु0 का प्राविधान इसलिए किया गया है कि 400 पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियां, सभी स्थानों में वायरलेस सेट्स तथा नई जीप गाड़ियों की व्यवस्था की जायगी। क्षेत्राधिकारी, एडीशनल एस0 पी0, पुलिस अधीक्षकों को जो जीपें दी गयी हैं, उनका भी नवीनीकरण किया जायगा।

हमारे प्रदेश में संचार व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे प्रदेश का संचार व्यवस्था आज हमारे देश में उच्च कोटि की मानी जाती है। इसके लिए 11 करोड़ 6 लाख रु0 की योजना बनायी गयी थी, संवेदन शील स्थानों पर इसकी महत्ता प्रगट होती रही है। वर्ष 86-87 में एक करोड़ रु0 इसके लिए जो प्लानिंग ग्रुप से प्राप्त हुआ था उससे 6192 रेडियो और 6121 रेडियो स्टाफ की स्वीकृति कर दी गयी है। वर्ष 87-88 में इसी ग्रुप की योजना से 2.50 करोड़ रु0 प्राप्त हुआ था, जिससे इस शाखा के आधुनिकीकरण हेतु 1166 वायरलेस सेट तथा 480 रेडियो स्टाफ स्वीकृत किया गया। वर्ष 88-89 में मात्र 11 लाख 50 हजार रु0 का प्राविधान हो सका है इससे 100 चौकियों में और 10 थानों में टेलीफोन लगवाये जायेंगे। हमारे प्रदेश में अभी तक केवल एक कार्यशाला मीरापुर में थी। अब 4 स्थानों पर इसकी स्थापना की जा रही है ताकि वाहनों की मरम्मत उचित अवसर पर तात्कालिक ढंग से की जा सके। ये कार्यशालायें लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा और वाराणसी में स्थापित की जा रही हैं।

हमारे प्रदेश में भारत नेपाल सीमा बहुत बड़ी समस्या है, 900 कि0 मी0 लम्बी सीमा के कारण और इसमें कोई दीवार या कांटेदार तार न लगे होने के कारण सदैव समस्या बनी रहती है, इसके लिए आठ जनपदों में—बस्ती, बहराइच, गोंण्डा, खीरी, पीलीभीत, नैनीताल, पिथौरागढ़, गोरखपुर इनमें पुलिस की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 29 थानों में से 26 को उच्चीकृत किया जायगा, 16 नये थाने खोले जायेंगे, 41 रिपोर्टिंग चौकियां स्थापित की जायेंगी, 12 थाने भारत-नैपाल सीमा पर—

1—गोरखपुर में सुनौली तथा ठूठीवारी।
2—बस्ती, में लोरन, अलीगढ़िया, जोगिया उदयपुर।
3—गोण्डा में गैसडी तथा जखा।
4—बहराइच में मुरतिहा
5—खीरी में तिकोनिया, चन्दनचौकी, गौरीफन्टा।
6—पीलीभीत में दिउरिया।

इसके साथ ही स्टाफ की भी व्यवस्था की गयी है। द्वितीय चरण में 41 रिपोर्टिंग चौकियां, 40 विशेष ग्रामीण चौकियां, 26 थानों को खोलने का प्रस्ताव है, जिससे नैपाल और भारत की सीमा सुरक्षित हो सके।

हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बना रहा है। इस सदन में प्रश्नों के द्वारा और अन्य अवसरों पर इसकी ओर शासन का ध्यान दिलाया गया है। इस प्रदेश के और इस देश के 40 वर्षों के इतिहास में कोई एक भी

अवसर ऐसा नहीं आया जब एक जगह दंगा हुआ हो और दूसरी जगह फैला न हो । माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 40 वर्षों में यह पहला वर्ष है जब होली और दीवाली, मोहर्रम और बकरीद सब स्थानों पर इस प्रदेश में मनाये गये हैं । साम्प्रदायिक तनाव हमारे प्रदेश की कोई नयी समस्या नहीं है । हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में भी और आज से पहले भी साम्प्रदायिक तनाव होता रहा है । मेरठ के दंगे के बाद आपने देखा कि मेरठ का दंगा कण्ट्रोल करने के बाद उसकी चिनगारी मेरठ के अलावा प्रदेश के किसी हिस्से में भी नहीं पहुंच सकी । श्रीमन्, दंगों की रोक थाम के लिये इस शासन के लिये, हमारे प्रदेश के लिये यह एक समस्या बनी हुई है इन दंगों की रोकथाम के लिये जो उपाय किये गये हैं उनके बारे में बतलाने के लिये मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा कि समय-समय पर सूचना एकत्र करने के लिए और उनकी समीक्षा करने के लिये अलग से एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । इसके अलावा सूचना एकत्र करने के लिए तहसील स्तर के अलावा अब ब्लाक स्तर के कर्मचारी भी इसमें प्रयोग किये जा रहे हैं । सी जिलों में नियंत्रण कायम करने के लिए 42 जिलों में हंट लाइनें स्थापित की गयी हैं और सभी जिलों में गश्ती गाड़ियों के चलाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है ।

संवेदनशील जगहों पर राईट कन्ट्रोल करने के लिए एक स्कीम चालू की गयी है कि एक स्थान पर करफ्यू कब लगा और कब करफ्यू उठाया गया । इस संबंध में सभी स्थानों पर सूचना देने के लिए यह स्कीम लागू की गयी । राष्ट्रीय एकीकरण की समीक्षा करके इस संबंध में लगातार मीटिंग करायी जा रही हैं ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा हो । साम्प्रदायिक विवादग्रस्त स्थलों पर बिना सूचना दिये, धार्मिक स्थालों का जो बिना अनुमति के निर्माण कराया जा रहा हो उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए इनका निर्माण किया जा रहा है । जो धार्मिक संस्थान हैं, वहां जो धार्मिक स्थान बनाये गये हैं हमारे प्रदेश में उनकी ओर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी दल या सेना साम्प्रदायिकता को उभार न सके ।

साम्प्रदायिक, धार्मिक व्यवस्थाओं के जरियों जो दंगे होते हैं उनको नियंत्रण में करने के लिए दो पुरुष बटेलियन की व्यवस्था और एक महिला बटेलियन के गठन की व्यवस्था शासन के विचाराधीन है ।

श्रीमन्, अभी आज सदन में एक समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया । हमारे सम्मानित सस्दयगण पूरे चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों सभी ने एहसास किया कि हमारे प्रदेश में हरिजनों के उत्थान की समस्या पर पुरजोर कदम उठाये गये हैं ।आप देखें कि मुख्यालय पर आई0 जी0 के नियंत्रण में एक विशेष जांच प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । बीस संवेदनशील जनपदों में इस प्रकोष्ठ की इकाईयों को स्थापित किया गया है, 14 जिलों के बारे में जहां पर कि शिकायतें थीं, जांच कराने का कार्य अनिवार्य कर दिया गया है । अब यदि जांचकर्ता को इसमें अधिक समय लगता है तो इसमें एस0 पी0 से विशेष अनुमति लेनी होगी ।

जहां पर हरिजनों के उत्पीड़न की घटनायें हुई हैं, वहां सूचना मिलते ही 24 घण्टे के अंदर वहां पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है । श्रीमन्, इस बात की कोशिश की जा रही है कि उत्पीड़न करने वाले उत्पीड़क का लाईसेन्स निरस्त कर दिया

जाय और उसे शस्त्र रखने की अनुमति न दी जाय । हर एक स्थान की भर्ती में कम से कम एक हरिजन की भर्ती को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय । एस0 पी0 को निर्देश दिये गये हैं कि समय-समय पर एफ0 आई0 आर0 की जांच करें कि एफ0 आई0 आर0 लाज करने में किसी तरह की कोई कंजूसी न बर्ती जाय । हरिजन के मामलों के निस्तारण के लिए एक हरिजन उत्पीड़न सेल की स्थापित किया गया है ।

हमारे प्रदेश में इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि हर जिले के थाने में एक एस0 आई0 निश्चित रूप से हरिजन होना चाहिए । इसके अलावा 10 प्रतिशत हरिजन एस0 आई0 अनिवार्य रूप से होंगे । कांस्टेबिल्स में 18 प्रतिशत सहायक पुलिस में 21 प्रतिशत, पी0 ए0 सी0 में 20 प्रतिशत हरिजनों का कोटा पूरा हो चुका है । वर्ष 1987 से बड़े अधिकारियों की भर्ती में 25 प्रतिशत हरिजनों का कोटा पूरा किया गया है । श्रीमन् जो कार्यवाहियां हुयी हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि 1986 में 4,697 स्थानों पर और 1987 में 4348 स्थानों पर ही रिपोर्ट्स हुई हैं । और श्रीमन् हमारे इस प्रदेश में हत्या का कोई भी मामला नहीं हुआ, अगर कहीं हुई होती तो उसकी रिपोर्ट समाचार-पत्रों द्वारा प्रकाश में अवश्य आती । दूसरा मान्यवर, रिपोर्ट लिखने में आना-कानी करने वालों, या मनमाने ढंग से लिखने वालों या तोड़-मरोड़कर लिखने वालों की जो शिकायतें आयीं उनमें से 1 एस0 आई0 व सात कान्स्टेबुलों को दण्डित किया गया । इसी प्रकार से प्रकोष्ठ के संबंध में आने वाली शिकायतें वर्ष 1985-86 में 2,945, वर्ष 1986-87 में 3642 तथा 1987-88 में 4225 थीं, इन समस्त मामलों की गम्भीरता से छानबीन की गयी और पाए गए दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया जिनमें से एक इन्सपेक्टर, 3 एस0 आई0, 4 हेड-कांस्टेबिल तथा 12 कांस्टेबिल हैं ।

श्रीमन् इसी प्रकार से महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में जो कार्यवाही हुई, उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आज बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं घटी तथा इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस ओर और कड़े कानून बनाए जाएं । इस ओर हमारे प्रयास बराबर जारी है साथ ही आपको जांचकर इस संबंध में प्रसन्नता होगी कि बाजारों में और सिनेमाघरों में किसी प्रकार की कोई इनके साथ छेड़-छाड़ की कार्यवाही न हो, इसके लिए भी सादी वर्दी में पुलिस के गश्त की व्यवस्था अनिवार्य रूप में की गयी है तथा साथ ही यह भी आदेश दे दिए गए हैं कि किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार न किया जाए और यदि किन्हीं कारणोंवश करना ही पड़ जाए तो इसके लिए यह आदेश कर दिए गए हैं कि उस अपराधी महिला के साथ उसके परिवार की कोई एक महिला और साथ रहे और इसी प्रकार से यदि हवालात में भी ले जाना आवश्यक हो तो यहां पर भी एक महिला उसके परिवार की रहना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई वारदात इनके उत्पीड़न की न हो । इसके अलावा यह भी किया गया है कि यदि कोई घटना दहेज को लेकर हो जाए तो पोस्टमार्टम दो डाक्टरों द्वारा अलग-अलग करवाया जाए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पावे ।

साथ ही यह भी बताना चाहूंगा श्रीमन्, कि पत्रकारों के उत्पीड़न की बात यहां पर बार-बार आयी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जिला स्तरीय समिति बनायी गयी है, जिसके अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, सूचनाधिकारी उसके सचिव

होंगे । दो पत्रकार बन्धु भी उसके सदस्य होंगे तथा एस0 पी0 भी उसके सदस्य होंगे । इस प्रकार से 5 सदस्यों की यह कमेटी गठित की गयी है और इस कमेटी की प्रति माह बैठक होगी जिसमें यह देखा जायेगा कि पत्रकार बन्धुओं को किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है । इसी प्रकार से एक पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी है, जिसके अध्यक्ष सूचना सचिव होंगे और जो सूचना विभाग के डाइरेक्टर हैं, उसके सचिव होंगे । इसके अतिरिक्त 17 हमारे पत्रकार बन्धु होंगे, सदस्य के रूप में । यह भी इसी मकसद के लिए बनायी गयी है ताकि हमारे पत्रकार भाईयों की जो शिकायतें हों, उनको सुना जा सके और इसके लिए एस0 पी0 साहब को यह आदेश दिए गए हैं कि वह प्रति माह इसकी बैठक करें और इस बैठक की सूचना तमाम नागरिकों, ब्लाक प्रमुखों व अन्य जिम्मेदार लोगों को देकर बुलाया जाए और उनसे सम्पर्क स्थापित किया जाए जिनमें पत्रकार भी हों । इस प्रकार से पूरे जनपद स्तर पर शिकायतों की जानकारी मिल सके और उनके लाभप्रद सुझावों से फायदा उठाया जा सके ।

दूसरे श्रीमन् डाकुओं के उन्मूलन के संबंध में भी कहना चाहूंगा कि एक समय यहां ऐसा भी था मैं नाम नहीं लूंगा कि ऐसा लगता था कि यहां पर सभी लोग डाकू ही पैदा हो गए हैं इतनी भरमार हो गयी थी इनकी, लेकिन आज मान्यवर, प्रदेश में इनका कोई नामोनिशान नहीं है, यदि होते तो इस बारे में समाचार-पत्र के माध्यम से अवश्य बातें प्रकाश में आतीं अगर ऐसी कोई घटना होती तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह खबर आपके सामने अवश्य आती जैसा कि इन भाईयों द्वारा कोई खबरें छिपायी नहीं जाती हैं । तो निश्चित रूप से इसको छिपाया नहीं है । श्रीमन् यह वर्ष अपराध नियंत्रण के मुहिम पर पुलिस के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है जिसमें कई अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्राजीय और अन्तर्जनपदीय स्तर के दुर्दान्त डकैतों को मार गिराया गया है। प्रमुख सफलताओं में राजू भटनागर, नैपाल सिंह यादव, श्रीकृष्ण यादव और डकैत भीमा गिरोह के सदस्य हैं, इनका सफाया कर दिया गया है । श्रीमन् माह जनवरी, 1988 में एक अन्तराष्ट्रीय गिरोह के प्रमुख अपराधी लक्ष्मी नारायण एवं उनके साथियों को पकड़वाने में पुलिस कामयाब रही और उसके कब्जे से फिरौती के लिये पकड़े गये व्यापारी को मुक्त कराया गया। इस उपलब्धि का एक विशेष महत्व है।

श्रीमन्, ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया गया है और इन्होंने केवल दिखावटी काम नहीं किया है। 3 मुठभेड़ें हुई हैं और 119 डकैत मारे गये हैं और 35 को पुलिस के हवाले किया गया है । इन मुठभेड़ों में एक ग्रामीण वीरगति को प्राप्त हुआ है और 72 लोग आहत हुये हैं। मुठभेड़ों में पुलिस के एक डी0 वाई0 एस0 पी0, 10 एस0 आई0, 5 हेड कान्स्टेबिल्स और 28 कान्स्टेबिल्स वीरगति को प्राप्त हुये हैं ।

अब मैं आतंकवाद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पंजाब की घटनाओं के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी के कारण स्थिति चिन्ताजनक रही । आतंकवादियों की घुसपैठ एवं सम्भावना के कारण उससे निपटने हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है । राज्य अभिसूचना विभाग में आतंकवाद विरोधी विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना डी0 आई0 जी0 के अधीन की गयी है जिसमें एक एस0पी0, एक डी0 एस0 पी0 तथा कुछ पुलिस कर्मी हैं। अति संवेदनशील जनपदों में अतिरिक्त बल की व्यवस्था की

गयी है। इन तत्वों से रेलगाड़ियों में सुरक्षा प्रदान करने हेतु 14 एस0 आई0, 74 हेड कांनिस्टेबिल्स और 200 कांनिस्टेबिल्स दिये गये हैं। आतंकवाद से निबटने के लिये विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है और प्रदेश में आतंकवाद पनपने न पावे, इसका हमारा दृढ़ संकल्प है । श्रीमन्, विस्फोटक पदार्थों के अवैध व्यवहार की घटनाओं को देखते हुए 5 "बम डिस्पोज्जल स्क्वैड" की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है और इसके साथ ही साथ स्क्वैड को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में सी0आई0डी0 का अपना अलग महत्व है। वर्ष 1987 में 923 जांचे सी0आई0डी0 को प्राप्त हुई और पुरानी जांचे 1025 थी, इस प्रकार से कुल 1948 जांचे थीं। 31-12-86 तक 1052 जांचों को जो पेचीदा किस्म की थीं, उनका निबटारा किया गया है और 896 मामले विचाराधीन हैं।

मान्यवर, भ्रष्टाचार निवारण संगठन हमारे प्रदेश में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । यह पुलिस कर्मियों की शिकायतों की जांच करता है और रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करता है और ट्रैप का आयोजन किया जाता है। 1987 में इस प्रकार की 311 मामलों की विवेचना की गयी और उसका निस्तारण किया गया और 93 मामलों में प्राथमिक आख्या शासन को भेजी गयी है । इसके साथ ही साथ 7 ट्रैप भी किये गये हैं।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त विद्युत सेल की स्थापना की गयी है, बिजली की चोरी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और बिजली की चोरी कटिया डाल कर की जाती है और बिजली के बिलों में गड़बड़ी की जाती है, उसके लिये एक आई0 जी0 के नेतृत्व में एक सेल की स्थापना की गयी है और उसके द्वारा दविश की जाती है । दविश के द्वारा 4 करोड़ 81 लाख 84 हजार रुपये की वसूली इन दविशों के माध्यम से की गयी है । सन् 86 में 15, 18, 59,000 रुपए की वसूली हुई और सन् 87 में 29, 39,81,000 रुपये की वसूली हुई है। मान्यवर, विद्युत चोरी में सन् 85 में 3130 केसेज पकड़े गये, सन् 86 में 3561 केसेज पकड़े गये और सन् 87 में 4578 केसेज पकड़े गए । इसी तरह से गिरफ्तारियों की संख्या भी आप चाहें तो मैं बता सकता हूं ।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में कृषि सेल भी सी0 आई0 डी0 के अन्तर्गत है। मान्यवर, इसमें 83 जांचें की गई हैं, 49 जांचों का निस्तारण हो चुका है 25 राजपत्रित और 16 अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है।

श्रीमन्, अनुशासन के बारे में इस सदन में और व्यक्तिगत रूप से हमारे माननीय सदस्यों ने पुलिस की शिकायत समय-समय पर की है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दिसम्बर, 87 के पूरे होने वाले वर्ष में हमने 268 पुलिस कर्मचारियों को सेवानिवृत किया है और 289 को पदावनत किया है । इसके अतिरिक्त 1488 लोगों को निलंबित किया गया है और 161 की सत्यनिष्ठा रोक दी गई है । 12,247 पुलिस कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के दन्ड दिये गये हैं। इन सब का परिणाम यह है कि हमारे प्रदेश में इस समय इस वर्ष केवल हत्या को छोड़कर सम्पूर्ण मदों में कमी आयी है । हत्या में बढ़ोत्तरी केवल 0.84 प्रतिशत हुई है जिसका कारण पारस्परिक मतभेद, आपसी वैमनस्यता, भूमि संबंधी विवाद, सेक्स की दण्डात्मक प्रवृत्ति को बढ़ोत्तरी होना है।

श्रीमन्, पुलिस विभाग में सद्व्यवहार हो । पुलिस के लोग भले आदमी के साथ भला व्यवहार करें इसके लिए जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया है कि यहां पर पुलिस प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी है जिसमें उनमें राष्ट्रीय भावना की जागृति हो । वे स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास जानें उनमें धर्म निरपेक्षता की भावना हो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। महिलाओं और बाल अपराधियों के प्रति सद्व्यवहार हो । आर्थिक अपराधों और साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम हो । भीड़ नियंत्रण मनोवैज्ञानिक ढंग से वे कर सकें। आतंकवाद की रोकथाम करें, अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था करें, इसके लिए उन्हें कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

श्रीमन्, पुलिस विभाग को सुधारने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं । पुलिस विभाग का काम जहां एक तरफ जोखिम का है नहीं दूसरी तरफ मुश्किल का भी है। जिस समय वह अपराधियों से जांच पड़ताल कर रहे होते हैं उस समय उनकी मुख मंडल की भावभंगिमा दूसरे किस्म की होती है। श्रीमन्, आप सहमत होंगे कि यदि अपराधियों से हाथ जोड़कर पूछा जाय कि श्रीमन् जी, आप बतायें कि आपने अपराध किया है या नहीं ? इससे उनकी भाव भंगिमा परिलक्षित नहीं होती । जब कोई जन प्रतिनिधि पहुंचता है तो उनसे कहना होता है कि आइये श्रीमान जी । यह नाटक और ड्रामा में तो होता है कि पर्दा खुला और शंकर जी त्रिशूल लिये खड़े हैं, दूसरा पर्दा खुला तो सीता जी साड़ी पहने खड़ी हैं। इस तरह का काम पुलिस से मुश्किल होता है। फिर भी चाहे जितना मुश्किल हो, पुलिस के लिये यह जरूरी है कि वह जन प्रतिनिधियों का आदर करे, उनका सम्मान करे । श्रीमन्, इस तरह का उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश और देश में गंगा प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए 27 लाख रुपये की योजना हमारे प्रदेश में बनी है और उसके अन्तर्गत एक नयी पुलिस शाखा की स्थापना बनारस में की गई है। उसमें स्टाफ की नियुक्ति भी हो गयी है । उसमें एक स्टील स्ट्रक्चर लांच, दो फाइबर ग्लास नौकायें और तीन स्पीड बोट नौकायें वहां पर चालू कर दी गई हैं।

श्रीमन्, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि रिपोर्ट न लिखने के बारे में बहुत शिकायतें मिलती हैं उसके लिए हमने पेटियां लगाने की व्यवस्था की है। पिछली बार नेता विरोधी दल ने यह पूछा था कि कितने जनपदों में पेटियां थानों में टांगी गयी हैं जिनमें शिकायती पत्र डाले जायं। तो मैं बताना चाहता हूं कि सभी जनपदों में थानों में यह पेटिकायें टांग दी गयी हैं । लेकिन इनमें बहुत सी जगहों में शिकायतें नहीं पहुंचती हैं। उसमें यह शिकायत मिली है कि पुलिस के संतरी के डर के कारण लोग शिकायत नहीं डालते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उसमें जो ताला लगा हुआ है उसे डी0 वाई0 एस0 पी0 खोलता है और जो सचल दस्ता जाता है वह उन पेटियों को खोलता है।

इसके साथ ही शराबियों के संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि ड्यूटी के समय जो भी व्यक्ति शराब पिये हुए हालत में पाया जाय उसे तत्काल मुअत्तल कर दिया

जाय । यह स्क्वैड जिले से जाता है और उसमें जिले का ही डाक्टर रहता है ताकि स्थानीय डाक्टर किसी लिहाज या संकोच के कारण उसे न छिपाये । इसलिये बाहर से डाक्टर जाता है। इसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों की मदद की भी जरूरत है। कभी-कभी थानों में गलत ढंग से रिपोर्ट इंदिराज हो जाती है और पुरानी दुश्मनी और वैमनस्य के कारण वास्तविक अपराधी के साथ-साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी जोड़ दिये जाते हैं जो निरपराध हैं, मैं निःसंकोच कहना चाहूंगा कि कहीं-कहीं पुलिस कर्मचारी भी इसमें सहायक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जांच पड़ताल का काम करने में गड़बड़ी जो आती है और वास्तविक अपराधी उसमें छूट जाता है और बेगुनाह के फंसने की गुंजाइश हो जाती है। इसलिए सचल दस्ते बनाये गये हैं और उनको प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। इसमें आपके अमूल्य सुझावों का हम फायदा उठायेंगे और सचल दस्तों को सक्रिय और सक्षम बनाने की कोशिश की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त आप जानते हैं शासन का इरादा यही है कि पुलिस विभाग एक प्रतीक के रूप में सामने आये और उसमें छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक भले आदमी के साथ भला व्यवहार करें और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वहां के एस0 पी0 और डी0 एम0 तथा अन्य अधिकारियों से उस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया गया है कि जो लाखों रुपयों की लागत से सरकारी ट्यूबवेल बनाये गये हैं उसमें जहां हमारी पुलिस गांव का गश्त करती है और अपराधियों की जानकारी करती है उसको कहीं पर सरकारी ट्यूबवेल खराब मिले तो उसकी रिपोर्ट थानों में आकर करे उसके लिए एक रजिस्टर मेन्टेन करने के लिए कहा गया है और उसकी रिपोर्ट वह वायरलेस से एस0 पी0 को कर दे कि अमुक-अमुक नम्बर का ट्यूबवेल खराब है और एस0 पी0, डी0 एम0 को इत्तला करेगा ।

इसी प्रकार से हरे पेड़ों को काटने के संबंध में जहां पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए वन विभाग जिम्मेदार है लेकिन अब उनको यह जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है । क्योंकि आमतौर पर शिकायत आती है कि अपराधी हरे पेड़ों का कटान कर देते हैं और उसमें पुलिस की साजिश भी रहती है उसके बिना वह नहीं हो सकता है। इसलिए वन विभाग से निवेदन किया गया है कि जब कभी वह किसी को परमिट दे तो उसकी सूचना पुलिस एस0 पी0 को भी दें ताकि वहां के पुलिस कर्मियों को वह सूचना दे और वह पुलिस कर्मी देखे कि एक ही परमिट के आधार पर कई-कई पेड़ न कटें । यह एक नयी जिम्मेदारी उनको दी गयी है । मेरा विश्वास है कि पुलिस को इन सब दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आपका सहयोग मिलेगा और जितनी धनराशि की हमने मांग की है उसको और बढ़ाने के लिये कहेंगे और उसमें कटौती करने के लिए नहीं कहेंगे । इस विश्वास के साथ आपसे आशा करता हूं कि आप ऐसे सुझाव और ऐसे मार्गदर्शन देंगे जिससे इस विभाग का कल्याण हो और इस विभाग में और अधिक सुधार हो ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (पुलिस) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी हमने गृह मंत्री का भाषण ध्यान से सुना । उन्होंने एक ऐसा चित्र यहां खींचा जैसे वर्तमान में चारों तरफ पुलिस बिल्कुल कल्याणकारी राज्य के समान चल रही है और जैसा कि इस समय चारों तरफ उत्तर प्रदेश में राम राज छाया है। आज सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जनता से पूछा जाये तो माननीय गृह मंत्री से जनता यह नहीं कहेगी कि हमें सूखे से परेशानी है, आंधी से परेशानी है, बीमार होने पर इलाज की परेशानी है यह नहीं कहेगी बल्कि आज जनता को सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस प्रशासन से है। मान्यवर, पुलिस का प्रशासन इतना निकम्मा दिनों दिन होता जा रहा है कि जनता के लिए पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है । जनता आज इसलिए परेशान है कि आपका एक मापदण्ड नहीं है। गरीबों को और बेगुनाह लोगों को पुलिस बन्द करती है और उन पर जुल्म ढाती है और जितने भी सफेद पोश हैं, पूंजीपति हैं वह कितने ही बड़े अत्याचार, दुराचार और व्यभिचार करें लेकिन पुलिस के लोग उनके प्रति दूसरा दृष्टिकोण रखते हैं । यह समान रूप से आज जनता की विचारधारा बन चुकी है। मान्यवर, इसका कारण है पुलिस एक्ट जो अंग्रेजों के समय में बना था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है और उसी तरीके से पुलिस आज भी कार्य कर रही है जैसा कि अंग्रेजों के समय में शुरुआत हुई थी। मान्यवर, 1860 में पुलिस आयोग बना था उसके द्वारा शुरुआत हुई थी और उस समय कहा गया था कि पुलिस राजनीतिक दृष्टि से अधिक उपयोगी होगी और आज भी वही आलम है कि पुलिस का आप आज भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अधिक उपयोग कर रहे हैं । उसको ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं और यही पुलिस में प्रमुख कमी है । मान्यवर, आप देखें चाहे प्रधानों के चुनाव हों या कोआपरेटिव के चुनाव हों, एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 के चुनावों को छोड़ दें, उसमें पुलिस के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग तक होती है जिसका परिणाम होता है कि वह पुलिस आपके लिए कटिबद्ध होती है, आपकी पुलिस आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है। मान्यवर, कानपुर के एस0 पी0, श्री यशपाल सिंह थे, वह पहले उन्नाव के एस0 एस0 पी0 थे। चुनाव हुआ था, एम0 एल0 ए0 का तो गृह मंत्री 250 वोटों से जीते थे, नतीजा हुआ कि श्री यशपाल सिंह को उन्नाव से हटाकर कानपुर में एस0 पी0 बनाया था, इसलिए कि इनको बेइमानी से जिताया था । इस तरह से यह पुलिस का अपने लिए उपयोग करते हैं और यहां ऐसा चित्र खींचते हैं कि पुलिस से हमें बहुत बड़ा इन्साफ मिलता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पिछले वर्ष श्री सुभाष जोशी कानपुर में एस0 पी0 थे उनको एक महीने में वहां से हटा दिया गया उनका कसूर था कि आपके परिवार के लिए गाड़ी पुलिस ने नहीं दी । मान्यवर, पिछले वर्ष कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आधे घंटे की चर्चा की गयी थी कि बदायूं का एस0 पी0 बेईमान है, एन्टी करप्शन का मुकदमा उसके खिलाफ चल रहा है। घोटाला किया, जिसके खिलाफ अनेक शिकायतें रहीं, उस गलत एस0 पी0 को जो आपको सबसे ज्यादा पसन्द आया और कानपुर के ईमानदार एस0 पी0, श्री सुभाष जोशी को रेलवे में भेज दिया और उसकी जगह बदायूं के बेईमान एस0 पी0 श्री राजीव को ले आये और सदन में आश्वासन देते हैं कि वह पुलिस पर भरोसा करते हैं, और गरीबों का भला करेंगे । तो मैं कहता हूं कि यह सत्ता पक्ष की तुष्टि के अलावा गरीबों की मदद करने में इनकी पुलिस बिल्कुल अक्षम है आपसे कोई भरोसा नहीं । क्योंकि जिस पुलिस का आपने सन् 1860 में गठन किया था, उसने और उसके बाद जो पुलिस आयोग बना उसने राजनैतिक तुष्टीकरण का ही रास्ता अपनाया था और निष्पक्षता का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया था । इसको देखते हुए फिर पुलिस आयोग नियुक्त किया गया और उसने देखा कि 40 साल की जो मंजिल चली थी उसमें कोई फर्क नहीं आया है।

1902-3 में जो पुलिस आयोग यह गठित हुआ था, उसके बारे में यह कहा गया था कि देश भर में पुलिस बल असन्तोषजनक स्थिति में है और इसमें आमूल चूल परिवर्तन लाने की नितान्त आवश्यकता है । पुलिस आयोग ने जो कुछ कहा है, वही स्थिति पूरी तरह से चल रही है । 1902-3 के बाद 1977 में जनता पार्टी के शासन-काल में एक तीसरा नया पुलिस आयोग बना, जिसके अध्यक्ष श्री धर्मवीर बने । उनकी अध्यक्षता में यह पुलिस आयोग बना था। उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे सुधारात्मक सुझाव दिये थे। उसमें यह कहा गया है कि 1860 के बाद से इतना अधिक समय बीत गया है कि प्रदेश भर की स्थिति में भारी बदलाव आया है । प्रदेश भर की आबादी आज तीन गुना हो गई है, 47 के मुकाबले दुगनी हो गई है और प्रदेश में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जिस समय पहले यह बना था उस समय हमारी पुलिस गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। आजादी के वातावरण में किसी के लिए सम्मान के साथ सांस लेना भी दुष्कर था और अब हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हो गए हैं तो हमारे ऊपर पुलिस का यह कन्ट्रोल नहीं होगा। उस आयोग के माध्यम से आयोग ने और प्रदेश के नागरिकों ने एक सपना देखा था कि अब हमारे ऊपर पुलिस के जुल्म और ज्यादतियां नहीं होंगी । हमारे ऊपर जुल्म नहीं ढाये जाएगें। हमें स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी बात कहने का अधिकार होगा। प्रजातांत्रिक अधिकारों के उपयोग की आजादी होगी । उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न की जायेगी और पुलिस के कारनामों पर और ज्यादतियों पर अंकुश लग जाएगा। उसने सोचा था पुलिस का अबतक का कर्तव्य जो केवल निरीह जनता पर जुल्म ढाना था और नियन्त्रण रखना था, अब उसका कर्तव्य होगा हमारी रक्षा करना, हमारे रक्षक बनना और जिस समय हमारे ऊपर किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उसमें आगे बढ़कर पुलिस हमारा साथ देगी । किन्तु आजादी के चालिस साल बीत गये । आज उसका रवैय्या वही है, जो 1902 और 3 में था तथा जो 1860 में था।

पुलिस के कठोर व्यवहार की खासकर धर्मवीर जी ने शिकायत की है और कहा है कि यहां पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति बहुत कठोर और निन्दनीय है और इसके बारे में खासकर उन्होंने कहा था कि कठोर व्यवस्था की सारी शिकायतों की तीव्रता के कारण हमें क्षोभ है और इसके लिए यह आयोग बहुत चिन्तित है। इसलिए पुलिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही करने का उसने निर्णय लिया था। उसने पुलिस के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के बारे में कई निर्णय लिये थे साथ ही उसने पुलिसवालों की ओर भी ध्यान दिया था, जिसके कारण पुलिस के लोग परेशान रहते हैं, उनको भी दूर करने के लिए पुलिस जवानों के लिए उसने कुछ रिफार्म्स दिए थे। उनकी यह सरकार किसी भी हद तक लागू नहीं कर पायी है। उसी का परिणाम आज यह हुआ है कि उनमें कुंठा व्याप्त हो गई और उनका दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है।

इसी प्रकार से जस्टिस मुल्ला ने भी इन पुलिस कर्मियों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक निर्णय में कहा था कि पुलिस अपराधियों का सबसे बड़ा संगठित गिरोह है। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी इसके बारे में अपने-अपने विचार समय-समय पर इसी प्रकार के व्यक्त किए हैं कि रंगनाथ आयोग ने भी कहा है कि यदि पुलिस बिना लापरवाही के कार्य करती तो जो लोग इतने दंगों में हताहत हुए, उतने हताहत न हुए होते। भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के बाद दिल्ली आदि स्थानों पर जो दंगे हुए थे, उन दंगों की जांच के लिए यह रंगनाथ आयोग उस समय बना था। उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का दंगों के दौरान काफी हाथ था, लेकिन इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कानपुर में विशेषकर पुलिस सचेत नहीं थी। उस समय के दंगों के भड़क उठने का कारण यही था कि इनकी पुलिस उन पर कारगर कन्ट्रोल नहीं कर पायी।

भूतपूर्व डी0 जी0 पी0 भटनागर साहब ने कहा है "पुलिस का चेहरा मित्रवत नहीं लगता है।" लोग उससे भय खाते हैं। उन्होंने जन-सम्पर्क पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भले आदमी के साथ मित्रवर व्यवहार नहीं होता है। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि अगर पुलिस अपराधी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जायेगी तो कोई अपराधी अपना अपराध कबूल नहीं करेगा। लेकिन मैं इसके विपरीत बात कह रहा हूं पुलिस को भले आदमी के मित्र की तरह दोस्त की तरह और अपराधियों को काल की तरह देखना चाहिए आजकल भला आदमी पुलिस को देखकर डरता है। कोई शिकायत होती है तो शिकायत करने से डरता है। मान्यवर, डी0 जी0 पी0 चतुर्वेदी साहब ने कहा है पुलिस के बारे में, फतेहगढ़ में एक समारोह में उन्होंने पुलिस के बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत लोग अच्छे हैं। 25 प्रतिशत लोगों को सुधारा जा सकता है। 25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता है। 25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में रहने लायक नहीं हैं। आपने कहा कि पुलिस के लोगों को सुधारने के लिए कमेटी बनायेंगे। पता नहीं कौन सी कमेटी बनायेंगे, कब बनायेंगे? पुलिस इनकी काबू से बाहर हो रही है कुछ लोगों की क्रूरता की वजह से पुलिस विभाग बदनाम हो रहा है। पुलिस विभाग के अन्दर सब लोग भ्रष्ट और बेईमान नहीं हैं कुछ अच्छे और शरीफ लोग भी हैं। लेकिन

उनको हमारे माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0, पी0 टी0 सी0, मुरादाबाद आदि जगहों पर रहने देते हैं और राजीव, एस0 पी0 जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको गले लगायेंगे ।

मान्यवर, गृहमंत्री चिदम्बरम् ने कहा है कि अपराधों का एक बड़ा कारण पुलिस की गतिशीलता में कमी तथा कर्तव्य परायणता का अभाव है । रिपोर्ट दर्ज न करना, गम्भीर आरोप को गलत धाराओं में दर्ज कर जांच पड़ताल से मुक्ति पाने की कोशिश करना । नागरिकों से अशिष्ट व्यवहार करना, पुलिस की मुख्य शिकायतें हैं ।

मान्यवर, यह उन्होंने कहा है । मान्यवर, सन् 1985 में महाराष्ट्र में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 40 सीनियर पुलिस प्रशासक और आई0 पी0 एस0 अफसरों का एक सेमिनार आयोजित किया गया। उसमें सारे देश के और उत्तर प्रदेश की पुलिस के कार्यकलापों पर जानकारी की गई । उसमें सुविख्यात कानून विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने पुलिस की गिरती दशा को उनकी कम आमदनी से जोड़ा। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । उन्होंने आई0 पी0 सी0 को पुराना और असामाजिक बताया, उन्होंने बताया कि कानून में झोल होने के कारण पुलिस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है । इसी के साथ मान्यवर, टाटा इन्स्टीट्यूट सोशल साइंसेज के डाक्टर आर0 मैती ने पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा "पुलिस गरीबों की झोपड़ियां तोड़ने में निर्दयता से पेश आती है, लेकिन मध्यवर्ग और उच्च वर्ग के साथ उनका रवैया बदल जाता है । उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो पुलिस के काम में बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन यदि पुलिस चाहे तो अपने काम से पूरे समाज की सहानुभूति प्राप्त कर सकती है । मान्यवर, इसी तरह से बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा0 एम0 एस0 गोरे के विचार में राजनीतिज्ञों की दखलअंदाजी के कारण अपराधियों और पुलिस में सांठ-गांठ होती है ।

मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अपराधियों और पुलिस में सांठगांठ होती है इसका मुख्य कारण यह है कि पुलिस की कार्य पद्धति के अन्दर राजनीतिक विशेष-कर सत्ता पक्ष के राजनीतिज्ञों का दखल होता है जिसकी वजह से पुलिस की छवि दिन प्रति दिन धूमिल होती चली जा रही है और स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के तत्कालीन आई0 जी0 (पी0) एम0 कत्रे ने कुबूल किया है, उन्होंने कहा है कि सारे देश के पुलिस कर्मियों को इस बात का एहसास है कि उनकी छवि धूमिल है पुलिस को झूठा, भ्रष्ट और और अपराधियों का हिमायती समझा जाता है । तो केवल राजनीतिज्ञों ने ही नहीं, विपक्ष के लोगों ने ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के राजनीतिज्ञों, बड़े-बड़े अधिकारियों की मैंने राय बतायी है जिनसे साबित होता है कि पुलिस जनता की भावनाओं पर खरी नहीं उतर रही है और जनता की भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है जिससे जनता को काफी कठिनाइयां आ रही हैं। इसी तरह से आठवां वित्त आयोग जो बना था उसकी रिपोर्ट में कहा गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले निम्न स्तर की है और यह सुझाव दिया है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । हमारे प्रदेश में पुलिस की संख्या बहुत कम है। पिछले साल माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे सदन में कहा था कि प्रदेश के अन्दर अल्प साधनों के होते हुए 141 सब-

इन्सपेक्टर, 456 हेड-कान्स्टेबिल, 2270 कान्स्टेबिलों का प्राविधान करेंगे । हमें भरोसा था कि हमारे प्रदेश के अन्दर पुलिस की संख्या बढ़ेगी लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर राज्यों के मुकाबले में देखा जाय तो अन्य राज्यों में पुलिस बल हमारे यहां के मुकाबले में ज्यादा है । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक 10 हजार की जनसंख्या पर विभिन्न राज्यों में पुलिस की संख्या इस प्रकार है :—

लक्षद्वीप में 36, जम्मू-काश्मीर में 12, केरल में 14, राजस्थान में 14.32, उत्तर प्रदेश में 14.50, हरियाणा में 16, मध्य प्रदेश में 14, पांडिचेरी में 28, मेघालय में 58, आसाम में 28.80 है । हमारा यहां 14.50 है । पिछले साल आपने कहा था कि हम काफी पैसा खर्च करके साधनों के अभाव के बावजूद अपने प्रदेश में 2270 कांस्टेबिलों और दरोगा आदि को बढ़ायेंगे लेकिन आपकी योजना का अंजाम यह हुआ कि हमारे प्रदेश के अन्दर इस समय जो पुलिस का औसत प्रति 10 हजार व्यक्तियों पर है वह 14.50 से घटकर 12.80 हो गया है । जिसको भरोसा था कि आप बढ़ायेंगे, वह संख्या कम हो गयी है ।

इसी प्रकार से गाड़ियों पर और वाहनों पर बड़ा खर्च करने की बात की है । पिछले साल वाहनों पर जो खर्च हुआ था तो उस समय प्रदेश में प्रति एक हजार पुलिस कर्मियों पर वाहनों की संख्या 12.75 थी और आपने जब प्रयास किया और पैसा लगाया तो वह घटकर केवल 12 रह गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही व्यवस्था आप कर रहे हैं । आठवें वित्त आयोग ने पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की बात की थी । कान्स्टेबिल्स की संख्या बढ़ानी चाहिए थी लेकिन उनकी संख्या न बढ़ाकर अपने अफसरों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाई है । मैंने इस बजट भाषण पर बोलने के लिए उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से कुछ सूचना मांगी थी । मैंने सूचना मांगी थी कि वर्तमान पुलिस के ढांचे में कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं । गृह मंत्री जी आप अपनी पुलिस की योग्यता और क्षमता को देख लीजिए कि वह कितनी सतर्कता से कार्य कर रहे हैं । मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कितनी रिपोर्ट आपकी सही है जिसकी आप दुहाई देते हैं और सही मानकर सदन में बयान देते हैं । 24-3-88 को गृह सचिव ने रिपोर्ट भेजी है ।

वर्तमान में प्रदेश में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत अभिसूचना तकनीकी सेवा-2, प्रशिक्षण-3 और अग्निशमन में एक-एक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति है । एक पुलिस डी0 जी0 पी0 और 4 आपने बताया जब कि मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि आपके पुलिस विभाग के अन्दर इन 4 डी0 जी0 के अलावा जो मैं बता रहा हूं अभिसूचना, तकनीकी सेवा-2, प्रशिक्षण और अग्निशमन के अलावा डी0 जी0 प्राजीक्यूशन भी हैं, डी0 जी0 हाउसिंग भी हैं और डी0 जी0 होमगार्ड भी आपके यहां है, 7 लोग डी0 जी0 हैं और सूचना भेजी जा रही है कि 4 डी0 जी0 हैं । यह आप देखें कि आपके अधिकारी कैसी सूचना देते हैं । मान्यवर, हमने पूछा था कि हमको यह भी जानकारी दी जाय कि हमारे प्रदेश में अपहरण

की घटनाएं बहुत हो रही हैं तो वर्ष 1987 में कितने आदमियों के अपहरण हुए और उसमें से कितने लोग बरामद हुए जिन्दा या मुर्दा तो उसमें शासन का जवाब है कि अपहरण की घटना का विवरण उपलब्ध नहीं है, विवरण एकत्रित किया जा रहा है तो पता नहीं कि एकत्रित हुआ कि नहीं । हमको 24 तारीख को सूचना दी गयी और 28 तारीख है, इस बीच में कोई जवाब नहीं मिल पाया ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में यह भी बहुत शिकायत होती है कि हमारी रपट नहीं लिखी जा रही है, यह सामान्य शिकायत है । सरकार तो कह सकती है कि हमने बड़े जुर्म कम कर दिये । आज डकैती के, लूट के, चोरी के कई जुर्मों के आंकड़े पेश हुए हैं जिससे ये यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि अपराध कम हुए हैं लेकिन पिछले साल आपने माना है कि 4 फीसदी कत्ल बढ़े हैं और इस साल भी माना है कि 84 प्रतिशत कत्ल बढ़े हैं लेकिन जब हमने सूचना मांगी कि एफ0 आई0 आर0 न लिखे जाने की कितनी सूचना है जो आपके प्रशासन की तरफ से यह जबाब दिया गया कि इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि कितनी शिकायतें हैं । इसलिए मैं खासकर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आप वाहवाही लूट रहे हैं तो वास्तविकता यह है कि अपराधों में कमी नहीं हुई है, बल्कि अपराध बढ़े हैं । यह रपट न लिखा जाना मुख्य कारण है । इसके लिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी थाने में या गांव में चले जाइये, एक न एक घटना अवश्य मिलेगी जहां रपट न लिखे जाने की सबसे मुख्य शिकायत होगी । पिछली बार वह रिपोर्ट दी गई कि जितनी शिकायतें आई हैं उसमें 70 फीसदी शिकायतें यह है कि रपट नहीं लिखी जा रही है ।

मान्यवर, कत्ल के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने एक आंकड़ा दिया सन् 86-87 का, वर्ष 1987 में बताया गया कि इटावा जनपद में केवल 140 कत्ल हुए हैं और जब मान्यवर, पोस्टमार्टम देखा गया तो जिले के अन्दर 500 से अधिक पोस्टमार्टम हुए हैं । चलिए कुछ सोसाइड के और एक्सीडेन्ट के केसेज हो सकते हैं । मान्यवर, कत्ल में रपट नहीं लिखी जाती है उसको एक्सीडेन्ट दिखा देंगे । इस तरह से रपट न लिखे जाने की घटना बढ़ी है । मैं बताना चाहता हूं कि एक जिले के अन्दर नहीं सारे प्रदेश के अन्दर यह एक भयंकर समस्या है उनकी रपट न लिखे जाने की और अगर गृह मंत्री जी केवल एक व्यवस्था कर दें कि रपट जो कोई लिखाने जायेगा तो वह लिखी जायेगी तो जनता की आधी परेशानियां दूर हो जायेंगी। लेकिन मान्यवर, न इनके कहने का असर है और न इनके आदेशों का असर है, असर तब होता जब कोई मंत्री का आचरण ठीक होता है । जब आप स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आपके अधिकारी आपकी परवाह क्यों करें ? आपके आदेश आते हैं और चले जाते हैं, कोई परवाह नहीं करता ।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर अभी इन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में एक कम्प्यूटर सेल खोला है । कम्प्यूटर सेल 72-73 के अन्दर शासन ने स्वीकृत किया था लेकिन किराये के मकान में, निजी मकान में कम्प्यूटर सेल नहीं लग सकता था

और अंजाम यह हुआ कि 1972 में स्वीकृत किया गया वह कम्प्यूटर सेल 1983-84 में लग सका । वर्ष 1983-84 में लगने पर आपके यहां से आदेश गया कि जितने भी गुण्डे बदमाश या डकैत हैं, हत्या करने वाले हैं, उनका डाटा एकत्र करके भेजा जाय ताकि सही जानकारी उनकी स्थिति के बारे में कर सकें । आपके आदेश गये, आपने कम्प्यूर अधिकारियों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट लेनी चाही, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आयी । अंजाम यह हुआ कि 1983-84 में बना कम्प्यूटर सेल, जिस पर 80-90 लाख रुपये खर्च किये गये, जवाहर भवन में एक कक्ष दिया गया और 10 लाख रुपया उसकी एअर कंडीशनिंग पर खर्च हुए, वह बेकार पड़ा है । आपके आदेश हैं कि सूचना भेजी जाय, लेकिन पुलिस के लोग आदेशों को नहीं मान रहे हैं । कम्प्यूटर सेल में आजकल रिटायर होने वाले कनिस्टेबिल, हेड कनिस्टेबिल और अन्य पुलिस वालों की पेंशन बनाने का काम चल रहा है । यह आलम है जिसके तहत प्रदेश में पुलिस प्रशासन ठप्प हो रहा है । आठवें वित्त आयोग ने प्रशिक्षण पर बल दिया था कि उसको सुदृढ़ नहीं किया जायगा तो पुलिस के लोग जनता का भला नहीं कर पाएंगे ।

इसी प्रकार से आवास की व्यवस्था में मंत्री जी ने कहा कि बड़ा जोर दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक निश्चित सिद्धान्त है कि जितने पुलिस कनिस्टेबिल हैं, उनका 50 प्रतिशत, हेड कनिस्टेबिलों को 75 प्रतिशत और सब इन्सपेक्टर के लिये शत प्रतिशत होना चाहिये । एक अच्छी धनराशि आप इसमें खर्च करते हैं, लेकिन उन लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए कि पुलिस के लोगों की ड्यूटी के घंटे तय नहीं हैं और उनके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है, जाहिर है कि इससे इनके दिमाग में गुस्सा पैदा होगी, जिसका अंजाम जनता को भुगतना पड़ता है, इसलिये मैं बल देना चाहता हूं कि और पुलिस का भ्रष्टाचार दूर करना है तो पहले उनकी सुख-सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके वेतन की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके आवास की व्यवस्था करना चाहिये और उनकी संख्या बढ़ानी चाहिये, न कि पुलिस अफसरों की फौज बढ़ाई जाय जिस पर तमाम खर्च हो रहा है और आपकी वित्तीय व्यवस्था चरमरा रही है । आपका पुलिस प्रशासन पर कन्ट्रोल नहीं हो पा रहा है । इसलिये मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इन छोटे-मोटे कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि वित्त आयोग के अनुसार बढ़ती हुई आबादी के आधार पर 1528 ग्रामीण अंचल में और 600 शहरी अंचल में थाने होने चाहिये, जबकि केवल 1038 देहाती अंचल में और 215 थाने शहरी क्षेत्र में हैं । इसलिये आवश्यकता है कि इन थानों की संख्या अपने प्रदेश की आबादी को देखते हुए बढ़ावे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में पुलिस में प्रव्यक्ति जो खर्च किया जा रहा है, वह अन्य प्रदेशों के मुकाबले कम है। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि 1982 में उत्तर प्रदेश में 11.8 परसेंट खर्च हुआ, जबकि हरियाणा में 14.7, महाराष्ट्र में 15.3, गुजरात में 15.7 और पंजाब में 17.3 खर्च हुआ। हर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों पर खर्च आपके प्रदेश से ज्यादा है ।

इसलिये विशेष रूप से कहना है कि पुलिस के लोगों की तनख्वाह, आमदनी कम है, इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिये । इनके ऊपर खर्च अधिक किया जाय ताकि भ्रष्टाचार से बचा जा सके । अब मुझे यह कहना है कि आपने कहा कि अपराध कम हुए, मैं बताना चाहता हूं, आपके ही आंकड़ों के माध्यम से कि आपके प्रदेश की अन्दर कई चीजों में अपराध बढ़े हैं। उदाहरण के तौर पर कत्ल के मामले 1980 में हुए 5422, 1982 में हुए 5749, 1983 में 5503, 1984 में 6218, 1985 में 6275, 1986 में 6514, और 1987 में 6569 इसके अलावा इस वर्ष आपके यहां कत्ल की संख्या बढ़ी है।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में आलम यह है कि प्रत्येक दिन प्रदेश में दो बहुएं दहेज के कारण जलाई जा रही हैं। 1980 में 17 बहुएं जलाई गयीं, 1981 में 30 और 1982 में 155, 1983 में 160, 1984 में 232, 1985 में 323, 1986 में 601 और 1987 में 703 संख्या हो गयी । दहेज प्रथा जो समाज के अन्दर एक अभिशाप है। आपने बराबर निर्देश भी दिये हैं कि जो नये विवाह होकर आये हैं, उनके घरों पर ध्यान रखा जायेगा ताकि लालची परिवारों पर नजर रखी जा सके । लेकिन, आप सफल नहीं हो रहे हैं हमारे देश के ही कुछ प्रान्तों अरुणांचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि में कोई घटना दहेज के कारण नहीं होती है। इसी तरह से यहां बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार, दहेज के कारण हत्या, कत्ल-इनमें कहीं आप कमी नहीं कर पाये हैं । हां, आप कमी कर पाये हैं, वह भी चोरी डकैती की घटनाओं की, जो थानों पर लिखने की छूट है । वहां, पर आप कमी करके दिखा देते हैं। वास्तव में कहीं कमी नहीं है, बल्कि और बढ़ती ही जा रही है। आपके रिकार्ड में न आने की वजह से कमी लग रही है। बलात्कार की घटनाओं की संख्या देखें 1980 में 812, 1981 में 948 और 1982 में 776, 1983 में 797, 1984 में 985, 1985 में 1093, 1986 में 1180 और 1987 में 1291 । सबसे हाईएस्ट हमारे यहां बलात्कार की घटनायें हैं। आप बगल की स्थिति भी देखें, उ0 प्र0 में 718 है, राजस्थान में 604 है, बिहार में 587 है, दिल्ली में 103 है। इस प्रकार से बलात्कार, दहेज के कारण हत्या और कत्ल इनमें आप किसी भी तरह से कोई कमी नहीं कर पाये हैं, बल्कि इनमें दिनोंदिन बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि साम्प्रदायिक दंगों के ऊपर काफी कंट्रोल किया। साम्प्रदायिकता का नाम लेकर, मेरठ के अंदर एक साम्प्रदायिक दंगा हुआ, इसके अलावा, कोई दंगा नहीं हुआ । मेरठ का दंगा क्या आपके माथे पर कलंक लगाने के लिये काफी नहीं है? आजादी के बाद इतना भयंकर दंगा कभी नहीं हुआ। आपकी पुलिस इसमें दोषी ठहरायी गयी, प्रशासन दोषी ठहराया गया। आपके शासन ने एक ज्ञान प्रकाश कमेटी 19 मई, 87 के जांच के लिये बिठायी । उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी । आज से 6 महीने पहले, मुख्य मंत्री जी की टेबुल पर वह रिपोर्ट पहुंच चुकी है, उसकी रिपोर्ट आये 6 महीने बीत चुके हैं, आपने क्या किया ? ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि मेरठ में दंगे के लिये दोषी जो हैं वहां का जिला प्रशासन है, जिसकी अदूरदर्शिता रही, अक्षमता रही, असफलता रही। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिये उत्तर प्रदेश का शासन भी दोषी है कि

उन्होंने वहां के जिला प्रशासन को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये थे । 19 तारीख को मेरठ में दंगा हुआ था।

(इस समय 4 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इनका ध्यान तो रैलियों की ओर भी बहुत रहता है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर पहले 33 कम्पनियां थी पी0 ए0 सी0 की, लेकिन उसके तीन दिन पहले 16 तारीख को कांग्रेस की रैली होने वाली थी, मान्यवर, अब तो हालत यह है कि जब भी माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी कुर्सी हिलती नजर आती है तो यह रैली लगा देते हैं, एक रैली ठोक देते हैं, पिछले दिनों इन्होंने इसी के तहत इलाहाबाद में रैली की । लखनऊ में रैली की इसी तरह से पिछले वर्ष 16 मई को दिल्ली में रैली की, सिर्फ प्रधान मंत्री की निगाहों में जमने के लिये कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट में कहा गया, जब मई से पहले अप्रैल के महीने में दंगा हो चुका है, 33 कम्पनियां उस समय पी0ए0सी0 की लगी हुई थीं, 23 कम्पनियां हटा दी गयीं, 10 कम्पनियां ही रहने दीं । 16 तारीख को रैली के लिये वह 23 कम्पनियां चली गयीं, वह इसलिये चली गयी क्योंकि वहां कांग्रेस की रैली थी, रैली होनी थी। मान्यवर, जब रैली थी, तो उस रैली की तरफ प्रशासन का ध्यान केन्द्रित होना था, वह भी एक कारण है।

मेरठ के अन्दर जो दंगा भड़का है, उसके बारे में ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट में कहा गया । हम अगर कुछ कहते तो दूसरी बात है । इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात को भी साबित किया गया है कि वहां का प्रशासन, वहां के अधिकारीगण इस घटना के लिये पूरी तरह से दोषी थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया गया होता, तो वहां दंगा न होता । मेरठ में किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ । किसी ने कहा कि वहां हिन्दुओं का हथकरघा व्यापार बहुत बढ़ गया था, जो मुसलमानों को नहीं भाया, कुछ ने कुछ और कारण बताया । ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। मेरठ में जो दंगा भड़का, वह हिन्दू और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता के बढ़ने के कारण हुआ, ऐसा इस रिपोर्ट में है और राम जन्म भूमि तथा बाबरी मस्जिद को इसके लिये भी दोषी बताया गया है। हमारे प्रदेश में इसका सारा श्रेय माननीय मुख्य मंत्री जी को जाता है। जब से वह आये हैं, उनके जमाने से सारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में यह विवाद खुलकर सामने आया है । इस झगड़े को कराने के लिये मेरठ के अन्दर इस तरह का माहौल पैदा किया गया जिसके तहत यह झगड़ा हुआ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर धार्मिक कट्टरता और उग्रवाद को समाप्त नहीं किया गया, तो किसी भी समय हमारा उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक ज्वाला में भस्म हो सकता है। मान्यवर, जर्मनी की एक संस्था इन्टरनेशनल एमेनस्टी ने इस विषय पर जांच की है । इस संस्था ने मलियाना कांड की जांच की, और अपनी रिपोर्ट में यह साबित किया है कि मलियाना के अन्दर पुलिस ने जुल्म ढाया, पुलिस ने जबरदस्ती झगड़ा करके तमाम लोगों को गोली से उड़ा दिया और जो लोग बचे, उनका इस संस्था ने बयान लिया। मान्यवर, इन्टरनेशनल एमनेस्टी ने मलियाना कांड के लिये वहां की पी0ए0सी को पूर्ण रूप से दोषी ठहराया है। मान्यवर, आज यह कह रहे हैं कि उत्तर

प्रदेश में ईद और होली के मौके पर कोई दंगा नहीं हुआ, यह इनके लिये बड़ी उपलब्धि की बात है।

मान्यवर, आज पी0ए0सी0 पर से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है और पुलिस का काम कायदे से नहीं चल रहा है। मान्यवर, मेरठ का दंगा जो भड़का है, वह इस सरकार के ऊपर ऐतिहासिक कलंक है, उस कलंक को धोना ही इनके लिये मुनासिब नहीं है और उसके बावजूद यह कह रहे हैं कि साल में ईद और होली पर कोई दंगा नहीं हुआ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के धरती पर अनेकों ऐसे अवसर आये हैं, जब होली, ईद पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसमें इन्होंने कौन सी बड़ी बात कर दी। आज इसका श्रेय यह लेना चाहते हैं कि इस वर्ष कोई दंगा नहीं भड़का। आज यह मेरठ के दंगे को धोने की हैसियत में नहीं है।

मान्यवर, यह बड़े दुख की बात है कि जब भी हम विरोध पक्ष के लोग कुछ कहते हैं चाहे करहना कांड हो, मलियाना कांड हो और चाहे माया त्यागी कांड हो। यह अम्मार रिजवी साहब हर बात में कह देते हैं कि हम सबकी मां हैं, हम सबकी बहन हैं। लेकिन माया त्यागी कांड में वहां की पुलिस ने जो जुल्म ढ़ाया, हमने इस बात को कहा। मान्यवर, माया त्यागी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, व्याभिचार किया गया और मान्यवर, कोई भी अमानुषिक कृत्य ऐसा नहीं, जो उसके साथ नहीं किया गया हो। हजारों आदमी जेल के सीखचों के पीछे चले गये। लेकिन उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका बधाई की पात्र है मान्यवर, जब-जब गलत काम हुआ है, तब-तब न्यायपालिका ने इन्साफ किया है। माया त्यागी कांड में 6 लोगों को फांसी, 4 लोगों को आजन्म कारावास की सजा दी गयी है। एक दरोगा को वहां के लोगों ने मार डाला और एक दरोगा गोड़ नाम का था, उसको इन्होंने भगा दिया। इस दरोगा को इन्होंने शाहजहांपुर भेज दिया मान्यवर मैं इस माया त्यागी कांड के बारे में कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद खाकी वर्दी वालों के लिए यह एक कठोर सजा बताई गई है। इसमें खासकर जिस महिला के साथ यह दुर्व्यवहार किया गया, वह गर्भवती थी। उसे नंगा किया गया और घुमाया गया। श्री बी0 डी0 दुबे, एडीशनल जज ने अपने निर्णय में कहा कि यह सब कुछ आदिकाल के पुलिस राज की तरह लगता है, जहां हर आदमी का जीवन निरंकुश शासन की मर्जी पर था। उन्होंने अपने फैसले में आगे कहा। हत्या के बाद जो बहिसियानापन की हरकतें उन्होंने की, वह एक भूखे भेड़िए की तरह थी, जो अपने को जान-माल के रक्षक बताते हैं। समाज को बचाये रखने के लिए ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों का सफाया किया जाय ताकि समाज का विश्वास कायम हो सके और पुलिस बल पर भी निवारक असर पड़े। इस निर्णय से सारे प्रदेश में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोगों ने समझा कि जिस किसी ने भी जुल्म किया उसको सजा दी गई।

हमने अखबारों में पढ़ा कि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन पुलिस वालों को सजा दी गई है, उनके लिए हम सरकार की तरफ से अपील करेंगे। यह कैसी पार्लियामेन्टरी पद्धति है? एक ओर तो सरकार मुकदमा कर रही है दूसरी तरफ अपील करने की बात माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, इसलिए शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपील इसलिए करेंगे ताकि पुलिस का मनोबल गिरने न पाये। आप जनता के ऊपर जुल्म ढाते रहे और उसकी जान ले

लें, ऊपर से पुलिस का मनोबल बढ़ाने की बात आप कहें । गृह मंत्री जी के जनपद उन्नाव के अन्तर्गत, जैसा कि मैंने कहा कि आपने कोई राजीव जी को पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजा है । वह एक भ्रष्टतम पुलिस अधिकारी है । सिविल पुलिस में रहने लायक वह अधिकारी नहीं है । उसे निलम्बित होना चाहिए था । निलम्बन तो दूर, उसे आप अपने सिर पर बैठाये हुए हैं ।

हमारे पड़ोस का जिला है हरदोई के अन्दर, वहां भी आपने एक पुलिस अधीक्षक भेजा है, कोई त्रिपाठी हैं, उन पर भी कई चार्जेज लगे हुए हैं । वह आपका कोई संबंधी है । हरदोई से लेकर कानपुर तक वह यशपाल सिंह एस0 एस0 पी0, एक बीच में गांव पड़ता है, शफीकपुर, वहां पर 150 बसें चल रही हैं । प्रत्येक बस से वह 80 रुपए लेता है, इस प्रकार ढाई लाख रुपए प्रति महीना आय होती है । अब उसमें किसका हिस्सा है। पुलिस उन्नाव, पुलिस कानपुर व पुलिस हरदोई और इसके साथ-साथ उसमें [xxx] अब पता नहीं क्या सच्चाई है, मुझे स्वयं कहने में शर्म लग रही है । वे न तो रोडवेज की बसें हैं, न परमिट वाली बसें हैं । माननीय गृह मंत्री जी के क्षेत्र बांगरमऊ से होकर ये बसें चलती हैं । आज से नहीं महीनों व सालों से ये बसें चल रही हैं । ऐसा नहीं हो सकता है कि अकेले पुलिस का दरोगा इस काम को कर ले, इसमें उच्च अधिकारी व बड़े लोगों के हाथ के अलावा यह काम नहीं हो सकता है । यह सारा का सारा वसूल किया जा रहा है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

जो अभी माननीय नेता, विरोधी दल ने आरोप लगाया है, उस सम्बन्ध में मेरी निश्चित जानकारी है और मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो अवैध वसूली चल रही है, [xxx] मैं सरकार से जांच कराने की मांग करूंगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मुझको मौका दीजिये, मेरा नाम लिया गया है । [x x x] मैं चाहता हूं कि सदन की कमेटी बना दी जाय आपको पता है कि गोपीनाथ दीक्षित चलवा रहे हैं बसें, इनका लड़का चलवा रहा है बसें ।

(घोर व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 नेता, विरोधी दल आप अपना भाषण जारी रखें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जो आरोप मनोहर लाल जी, लगा रहे हैं, मैं किसी भी प्रकार की जांच के लिये तैयार हूं ।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय मनोहर लाल जी ने सदन की कमेटी की बात कही, गृह मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया । मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको स्वीकार करके सदन की कमेटी की घोषणा कर दें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय आपकी ही अध्यक्षता में बनें

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सदन के एक सम्मानित सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, माननीय मनोहर लाल जी ने जवाब दिया, मा0 गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं सदन में स्वीकार करता हूं कि मेरे खिलाफ या मनोहर लाल जी के खिलाफ जो आरोप हैं, उसके सम्बन्ध में एक समिति बना दी जाय । यह प्रस्ताव इनकी तरफ से आ गया ।

(शोर)

आपको यह चाहिये कि जब प्रस्ताव हो गया, हम लोग मान रहे हैं तो सदन में इसे प्रस्तुत करें कि सदन की सहमति है या नहीं ।

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर कोई प्रस्ताव बगैर पीठ की अनुज्ञा के प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । माननीय सदस्य पाण्डेय जी, ने और माननीय मनोहर लाल जी ने आपस में कुछ बात कही । माननीय नेता, विरोधी दल का भाषण समाप्त हो जाय उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी उसका जवाब देंगे । जितने बिन्दु इन्होंने उठाये हैं या उन्होंने उठाये हैं, उस पर वे प्रकाश डालेंगे, मामला सामने आ जायेगा । मान्यवर, इस तरह से सदन की कमेटी बनाने का प्रकरण अगर शुरू हो जायेगा तो दिन भर में चार-पांच कमेटीज तो आपको बनानी ही पड़ेंगी । मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भाषण को जारी रखें ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता विरोधी दल जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट आरोप नहीं लगाया था, यह कहा था कि बसों से ढाई लाख रु0 कमीशन का लिया जाता है, शक है कि मा0 मंत्री जी के परिवार का भी उसमें हाथ है । उन्होंने यह नहीं कहा कि मंत्री जी का परिवार लेता है बल्कि उन्होंने यह कहा कि लोग ऐसा कहते हैं । पता नहीं इसमें कितना सत्य है ? लेकिन हमारे मा0 नेकचन्द्र पाण्डेय ने नाम लेकर कहा कि लोकदल के मनोहर लाल ऐसा करते हैं ।

तब मा0 मनोहर लाल जी ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप उसने लगाया है जो कि [x x x] अब मान्यवर, यह गम्भीर मामला हो गया है और इसकी जांच होनी चाहिये क्योंकि यह बातें सदन के संज्ञान में भी आ गयी हैं । आप इस पर जुडीशियल इनक्वारी के लिये कार्यवाही करें, इस तरह से सदन में आरोप लगाये जायं तो उनकी जांच होनी ही चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब मा0 नेता विरोधी दल आप अपना भाषण जारी करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मुझ पर [x x x] आरोप लगाया गया है आप मुझे पहले सुन लें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जब मा0 गृह मंत्री ने जांच की बात स्वीकार कर ली है और इधर से मा0 मनोहर लाल जी ने भी जांच कमेटी को बैठाये जाने की मांग की है, तब आपका कमेटी बनाने में क्या आपत्ति है, मा0 मंत्री जी की तरफ से प्रस्ताव तो आ ही गया है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्ताव तो हमारी ही अनुमति से आयेगा ?

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, कुछ आरोप हमारे साथी पर लगाये गये हैं उनको स्पष्टीकरण देने का आप मौका जरूर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

(शोर)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आप मुझे मौका दें । मेरे ऊपर आरोप लगाये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप सब लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करिये । माननीय नेता विरोधी दल, अपना भाषण शुरू करें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि. . .

(अत्यधिक शोर होने पर)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मैं आपका संरक्षण लेकर स्पष्ट करना चाहता हूं कि. . .

(कई सदस्यों के बोलने से घोर व्यवधान)

मान्यवर, यदि एक भी मुकदमा मेरे विरुद्ध कहीं पर दर्ज हो तो मैं इसी समय इस्तीफा देने को तैयार हूं और यदि मनोहर लाल के खिलाफ मुकदमें चल रहे हों तो यह इस्तीफा यहां दे दें अगर इनमें दम है, यह मान्यवर, मेरी खुली हुई चुनौती है इनसे । इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, जानबूझकर मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं।

(इस समय 5 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया एक-एक करके माननीय सदस्य बोलें तो बात किसी की कुछ समझ में आए । कृपया शान्ति बनायें रखें । माननीय नेता विरोधी दल कृपया अपना भाषण शुरू करें. . .

(घोर व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

(जोर-जोर से बोलते हुए) मा0 उपाध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए । मान्यवर, हमारी बात सुनिए। मैं तो खामोश बैठा हुआ था मा0 नेता विरोधी दल अपना भाषण प्रारम्भ किए हुए थे, इसी बीच मा0 नेता विरोधी दल ने मा0 गृह मंत्री जी को कुछ आरोपित किया ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, हमको भी अपने स्पष्टीकरण का मौका दिया जाए आपका संरक्षण लेते हुए कहना चाहता हूं कि यह एक स्मगलर हैं और इनके मामलों की जांच करायी जाए. . .

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्ति बनाये रखें । मा0 नेता विरोधी दल अपना भाषण प्रारम्भ करें । उस तरफ के मा0 सदस्यगण सभी बैठ गये हैं । मा0 अनुग्रह नारायण सिंह जी आप भी बैठ जायें । मा0 नेता विरोधी दल खड़े हैं, कम से कम इतना तो आदर करें । आपके नेता. . . .

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, पहले मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें । आप ने सभी को सुना है, हमें भी मौका दें, तभी बैठूंगा. . .

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 अनुग्रह नारायण सिंह अब जो बोलेंगे, नहीं लिखा जायेगा. . .

(शोर)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा बिना अनुमति बोले जाने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप इन आरोपों और प्रत्यारोपों की जांच करा लें । आप इसको दिखलवा लें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यह अच्छी बात नहीं है कि इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाये जायें । मैं चाहूंगा कि आप कार्यवाही को देख लें, इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए, उनको खारिज कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कार्यवाही देख लूंगा, और उनको निकलवा दूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

आप कार्यवाही से क्यों निकालेंगे ? आप इन आरोपों और प्रत्यारोपों का परीक्षण करा लें । जो मनोहर लाल जी ने आरोप लगाये हैं और जो पाण्डेय जी ने आरोप लगाये हैं, उनका परीक्षण करा लें कि वह सही है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उन सभी को निकाल दूंगा ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, सुन तो लें, . . .

श्री सत्यपाल सिंह–

अगर व्यवधान नहीं होता है, तो मनोहर लाल जी को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको इजाजत नहीं देता । आप बोलिये ।

श्री सत्यपाल सिंह–

तो मान्यवर, माननीय गृह मंत्री के क्षेत्र बांगरमऊ में एक इन्सपेक्टर है, ज्वाला प्रसाद मिश्रा। 15 मार्च को जब भारत बन्द का आह्वान किया गया, तो उसने सारे व्यापारियों और दुकानदारों पर दबाव डाला कि दुकानें न बन्द की जायें, लेकिन इसके बावजूद भी जनता नहीं मानी और दुकानें बन्द कीं । प्रतिशोध की भावना उस दरोगा के अन्दर आयी और जिन व्यापारियों और दुकानदारों ने दुकानें बन्द की नहीं थी उनको परेशान करने लगा । इस बारे में गृह मंत्री से कहा गया, लेकिन उन्होंने इन्साफ नहीं दिया । मैंने स्वयं कहा आपका इन्सपेक्टर दरोगा राज्य कायम कर रहा है। इसी मिश्रा दरोगा ने 7/16 के मुल्जिम से कहा कि मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा । एस0 डी0 एम0 ने उसकी जमानत मंजूर करवा ली लेकिन उसने कह दिया कि मुचलकों, तफतीस करायेंगे । उस दरोगा ने दो मुल्जिमान को निकाल दिया । एस0 डी0 एम0 ने कलेक्टर से शिकायत की कि इतनी बड़ी अनुशासनहीनता की गयी है। अगर आप अंकुश नहीं लगायेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

अब मैं मान्यवर, बरेली मण्डल की बात बताना चाहता हूं। वहां पर एक आई0 जी0 त्रिपरेश त्रिपाठी हैं। वहां पर डी0 आई0 जी0 5 महीने से नियुक्त नहीं किया गया है और सारा काम उन्हीं को देखना पड़ता है। उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत इस बात से है कि पुलिस के अधिकारी एक राजनैतिक पार्टी के चक्कर में पड़ गये हैं, तो गृह मंत्री का क्या भरोसा किया जाये? वह त्रिपुरेश त्रिपाठी आई0 जी0 हैं। उनको सरकारी आवास बरेली में दिया गया है। जितने भी आई0 जी0 आये हैं वे उसी में रहे हैं लेकिन जो वर्तमान में आई0 जी0 आये हैं उन्होंने बरेली पहुंच कर वहां के एक सांसद की कोठी में जो किरायेदार रह रहे थे उनको निकलवा दिया और उसमें स्वयं रहने लगे। उसका किराया भी नहीं दे रहे हैं। एम0 पी0 की कोठी में रह रहे हैं। एम0 पी0 को

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

क्या है, उनका तो फायदा हो गया कि उनकी कोठी खाली हो गई। उसकी मरम्मत और कोठी की मेंटीनेन्स हो जाती है। उनका क्या है उसमें आई0 जी रहें या पुलिस कमिश्नर रहें। लेकिन उससे आज स्थिति यह है कि वहां के आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 उस एम0 पी0 के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऊपर से कहा जाता है कि तुम उनकी कोठी पर उनकी मेहरबानी से रह रहे हो। मान्यवर, इस तरह के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। उस आई0 जी0 का फोन एस0 ओ0 को आता है सी0 ओ0 को आता है कि फलां केस में यह होना है और फलां केस में यह होना है। गांवों में ब्लाकों के अन्दर पुलिस जो कुछ करती है, जो भी हादसे होते हैं उनके रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है। एम0 पी0 का टेलीफोन आता है कि फलां को जेल भेजना है। वह फलां का रिस्तेदार है, नातेदार है। इस तरह से बरेली में चल रहा है। इसलिये उस पुलिस अफसर का बरेली में रहना मुनासिफ नहीं है। वह निष्पक्ष न्याय नहीं दिला पा रहा है। आप उस आई0 जी0 के विषय में कार्यवाही करें। उसने सरकारी आवास होते हुये भी निजी आधार पर रहने की कोशिश की है।

मान्यवर, मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि माताओं को संरक्षण हो, उनको पूरा इन्साफ मिले। मेरा कहना है कि जहां आप माताओं को संरक्षण देने की बात कहते हैं वहां भाइयों को भी आपको संरक्षण देना चाहिए। हमारे यहां पर मयंकर सिंह जी विधायक हैं। उनके भाई जयंकर सिंह का कोई मामूली झगड़ा हो गया। ए0 डी0 एम0 के पास भी वह मामला गया। पुलिस की ज्यादती देखिये कि उसने मयंकर सिंह के भाई का सारा घर 16-3-88 को तहस-नहस कर दिया इसी तरह के कई मामले आपके पास आ चुके हैं और इस सदन में कहा गया कि हम सी0 आई0 डी0 की जांच करायेंगे, कुछ नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। थानों में घटनाओं की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है।

सफीपुर, फैजाबाद के अन्दर एक गांव में डकैती पड़ी। मुझे भी वहां जाने का मौका मिला मैंने वहां पर लोगों से पूछा तो पता चला कि वहां पर एक भी असलाहा नहीं था। गांव के लोगों ने ईंटों पत्थरों से डकैतों को घायल कर दिया था। दो पुलिस के सिपाही भी वहां पर थे। गांव वालों को बुलाकर पूछा तो मालूम हुआ कि वे

दो पुलिस के सिपाही चारपाई के नीचे घुसे हुये थे । उसके बाद उन दोनों सिपाहियों को गांव के लोगों द्वारा बदमाशों के पास ले जाया गया तो पता चला कि उनके पास कोई कारतूत नहीं थी । वहां पर गांव के लोग मारे गये लेकिन आपके बहादुर पुलिस के कर्मचारी मुकाबला नहीं कर पाये । मैं आपको बांदा की बात बताना चाहता हूं । वहां पर बड़ौसा में एक नौजवान महेश सिंह नामक व्यक्ति था उसने कई बार इस बात को वहां पुलिस अधीक्षक, डी0 आई0 जी0 से यह प्रार्थना की कि वहां का एस0 ओ0 हमें मरवा देगा । चूंकि पुलिस बदमाशों से मिली हुई थी, लिहाजा महेश सिंह बदमाशों द्वारा मरवा दिया गया, उसके कन्धे पर गोली लगी और महेश सिंह का कत्ल करवा दिया गया । ऐसे पुलिस के लोग आपके विभाग में रह रहे हैं जो कायदे से आज तक जेल के सिंकजों में बन्द हो जाने चाहिये थे लेकिन पता नहीं कौन सा कानून आपके यहां चल रहा है और यह जो महेश सिंह नाम का नौजवान लड़का मारा गया, उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है । आज पुलिस के लोग गांव वालों को परेशान कर रहे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं ।

इसी तरह से अभी दो तीन दिन पहले यहां एक मामला आया था जिसमें थाना भुगना शाहपुर जिला जालौन में एक व्यक्ति को मारा दिखा दिया गया और उस केस में जो मुल्जिम दिखाया उसको जेल भेज दिया गया लेकिन एक साल बाद मृतक हाजिर हो गया । इस अभियोग के मुल्जिम को जेल भेज दिया गया और उसे जेल की यातनायें सहनी पड़ी । उसके घर का सारा सामान कुर्क हुआ । इस सदन में मांग की गयी कि पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की जाय क्योंकि दरोगा ने इतनी बड़ी लापरवाही की उसे सजा मिलनी चाहिये क्योंकि उसकी इतनी बड़ी लापरवाही से एक व्यक्ति को इतनी बड़ी सजा मिल गयी, सारा घर उसका तबाह हो गया ।

यही नहीं फतेहपुर में एक राम अवतार गुप्ता के यहां कुछ समय पहले डकैती पड़ी । डकैत काफी सामान उसका ले गये लेकिन पुलिस डकैतों का कुछ नहीं कर पायी । इससे कुछ महीने पहले उसी राम अवतार गुप्ता का अपहरण हो गया था । वहां के लोगों ने आन्दोलन किया और कहा कि जिंदा था मरा उसको फतेहपुर लाया जाय और पब्लिक के सामने पेश किया जाय । इसमें पुलिस ने एक सरकटी लाश पेश कर दी उसके घर वालों ने उसे पहचानने से इन्कार कर दिया लेकिन पुलिस का दबाव पड़ा लिहाजा घरवालों का रोना धोना शुरू हो गया । यह कोई कहानी नहीं है यह सच बात है, यह पुलिस के काले कारनामे हैं । उसको श्मशानघाट ले जाने की तैयारी होने लगी तो एकाएक देखा कि वह सामने से टहलते आ रहा है । तो इस तरह से पुलिस मजाक कर रही है और लापरवाही कर रही है । यह बात यहीं पर खत्म नहीं हुई उसी लाश को एक पंडित जी के यहां ले गये । क्योंकि उससे पन्द्रह दिन पहले पंडित जी घर से गायब हो गये थे और कहा कि यह पंडित जी की लाश है। तो उनके यहां भी रोना धोना शुरू हो गया । जब लाश को श्मशान घाट फूंकने के लिये ले जा रहे थे तो पंडित जी भी सामने दिखाई दे गये । इतना बड़ा अपराध करने पर भी पुलिस को कोई सजा नहीं दी गयी यह बहुत ही शर्मनाक बात है । एक सरकटी लाश का एक नहीं दो-दो जगह प्रयोग किया गया । जब इन राम अवतार गुप्ता के यहां डकैती पड़ी तो उनका सारा सामान डाकू लूट ले गये लेकिन पुलिस डाकुओं को पकड़ नहीं सकी। तो वह पुलिस व्यवस्था आपके यहां की है।

एक और तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं एक दरोगा अतर सिंह हैं थाना भगतपुर मुरादाबाद में, उनका एप्रूवल 85 में हो गया लेकिन उनके मामले को लटका दिया गया है क्योंकि उन्हीं के नाम के एक अतर सिंह और दरोगा हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन में जांच चल रही हैं । लेकिन उसके साथ इस अतर सिंह को जोड़ दिया गया है जो 1985 से लेकर आज तक इन्साफ की याचना कर रहा है कि उसके साथ जो गैर-इन्साफी हो रही है उसे समाप्त किया जाय लेकिन इनका प्रशासन इस गलती को दुरुस्त नहीं कर रहा है । वह एस0 ओ0 मेरे जिले का रहने वाला है । मैंने कई बार न्याय कराने की कोशिश की लेकिन उस गैर इन्साफी को समाप्त नहीं किया जा रहा है । तो मेरा कहना है कि जो वास्तव में करप्ट है उसे सजा मिलनी चाहिये लेकिन इस सरकार का कानून ऐसा है कि इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है ।

एक बात और कहना चाहता हूं, जब आपने गैंगेस्टर एक्ट बनाया था उस वक्त आपने कहा था कि इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और सदन में आश्वासन दिया था कि इसका दुरुपयोग कहीं नहीं किया जायेगा और कहते हैं कि गैंगेस्टर एक्ट का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा । मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि लखनऊ शहर में 16 मार्च को 8 मुल्जिम बन्द किये गये इस एक्ट में जिसमें नं0 1—कल्लू उर्फ बुद्धपाल सिंह पर सात मुकदमें चल रहे हैं, 2—महिपाल सिंह पर कोई मुकदमा नहीं है, 3—श्री राजू पर कोई मुकदमा नहीं है, 4—श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा पर कोई मुकदमा नहीं है, 5—सुन्दर लाल चौधरी -ड्राइवर द्वारा एक्सीडेन्ट में एक आदमी मर गया था, 70 साल के हैं, आपकी पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट में भेजा है, 6—लल्ली पर कोई मुकदमा नहीं है, 7—डा0 जियाराम वर्मा पर कोई मुकदमा नहीं है किन्तु नं0 8—श्री अजय कुमार पर 8 मुकदमें हैं, कुल 8 लोग इस एक्ट में बन्द किये गये हैं, जिनमें मात्र दो पर मुकदमें हैं, बाकी किसी पर मुकदमा नहीं है, तो यह गैंगेस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है और पैसे लेकर लोगों को पुलिस परेशान कर रही है । इसी तरह से एक कार्यकर्ता हैं फतेहपुर जिले में श्री मजहर हैदर नकवी जो बहुत ही नेक आदमी हैं । इन पर भी कोई केस नहीं है, दोष इतना है कि पुलिस के गलत कामों का पर्दाफास करते हैं, इसलिये इनको भी गैंगेस्टर एक्ट में बन्द कर दिया गया है ।

मान्यवर, सहारनपुर में दो व्यक्तियों को जो पुलिस के गवाह थे उनको भी गैंगेस्टर एक्ट में बन्द किया गया है। इसलिए आपकी नीयत एक्ट में चाहे जितनी साफ हो लेकिन उसके बूते पर कोई काम चलने वाला नहीं है । इसलिये भरोसा पुलिस पर रखें और इन्साफ पुलिस करेगी, तो इस तरह गैंगेस्टर एक्ट ही नहीं और एक्ट बन जायेंगे लेकिन उनका दुरुपयोग इसी तरह होता रहेगा।

मान्यवर, गोरखपुर जिले की घटना बताना चाहता हूं क्योंकि यह मुख्य मंत्री जी का जिला है । वहां होली के अवसर पर एक आदमी को मार दिया गया । गोरखपुर के विधायक श्री राम लक्षन की माता की पिटाई कर दी गयी । गुलहरिया में रघु टोला में पिछले साल कांड हुआ था, जिसमें बताया गया कि पुलिस के वह लोग नहीं थे बल्कि सुअर थे और बलात्कार से लेकर घरों को लूटा गया और बच्चों को मारा पीटा गया वहां जो मुख्य मंत्री का जिला है । अभी वहां एक विश्वविद्यालय है छात्र

संघ के लड़कों ने वहां के एक इंजीनियर को पीटा, प्राणघातक हमला किया, 4 घन्टे बेहोश रहे, अस्पताल गये जिसकी रिपोर्ट मुख्य मंत्री के परिवार के लोगों के इशारे पर लिखी गयी । वहां इतना बड़ा आतंक है कि जो कुख्यात बदमाश हैं वह सारे वहां पनप रहे हैं मुख्य मंत्री की ताकत और सत्ता के साये के नीचे वह पनप रहे हैं इनके कहने पर । 30 तारीख को उद्घाटन करने के संबंध में वहां के प्रबुद्ध लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि गुण्डा तत्वों को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिये गोरखपुर में न जायें, वहां के लोग जघन्य अपराध कर रहे हैं और उनको किसी प्रकार का बढ़ावा न मिलने पाये ।

मान्यवर, एक बात और मैं पुलिस के संबंध में कहना चाहता हूं कि कल ही अखबार में पढ़ा था, पुलिस के लोग बचकाने काम करते हैं, अलीगंज, लखनऊ का फोटो पेपर में दिया है कि 4 वर्ष के बच्चे को शांति भंग के अन्देशा में जेल भेज दिया ।

मान्यवर, इसी तरह हमारे जनपद शाहजहांपुर के थाना पुवायं की पुलिस ने सात वर्षीय बालक अनिल कुमार को लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में अर्थात् धारा 354 में जेल भेज दिया है। पुलिस कितनी बचकानी और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है, इसको आज देखने वाला कोई नहीं है। बिना कुछ देखें, जांच किये पुलिस मनमानी कार्यवाही करती है, जिसके रहते ऐसी-ऐसी अविश्वसनीय बातें उसके द्वारा हो जाती हैं । थाना रोतासराय, जनपद जौनपुर जिले में नये दरोगा अध्यक्ष के आने के बाद से वहां पर चोरी-डकैती और लूटमार की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। लोग उनके जुल्मों से आतंकित हैं और वह प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। वहां पर इनका और अन्य पुलिसवालों का इतना आतंक व्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति उसका मुकाबला या विरोध करने के लिए तैयार नहीं होता है।

क्योंकि वह ऐसा करने का परिणाम जानता है । साथ ही हमारे आगरा के थाना अछनेरा में इसी 21/22 जनवरी को बहेशी लुटेरों और जालिमों ने जिनकी संख्या 5 रही, एक पति-पत्नी को बुरी तरह से लूट लिया और पत्नी श्रीमती महादेवी के साथ उन्होंने बलात्कार करने का कुप्रयास किया। किन्तु उस महिला ने बड़ी बहादुरी से अपने साथ शीलभंग नहीं होने दिया और उसमें एक बदमाश मारा गया। उसने चार-चार हथियार बन्द बदमाशों द्वारा बुरी तरह से घिरे होने पर भी अपने साथ बलात्कार नहीं होने दिया और बड़ी बहादुरी से बदमाशों के छक्के छुड़ा दिये। इतना ही नहीं उसने भागकर अपने पति के भी जीवन की रक्षा की और वह भाग गया। लेकिन इतने गम्भीर मामले में भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा माननीय गृह मंत्री जी निवेदन है कि वह इस मामले में उस वीरांगना को पुरस्कृत करने का कार्य करें, जिसने बदमाशों का डटकर मुकाबला करके उनको मारा और अपनी जिन्दगी पर खेल-कर अपनी इज्जत नहीं जाने दी और अपने पति की प्राण रक्षा की, ताकि वह लोगों के लिए एक आदर्श बन सकें।

5 मार्च, 1985 को जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में, ईंटगांव ग्राम इनायतनगर में चुनाव की रंजिश को लेकर सत्तादल के लोगों की साजिश से एक ऐसी घटना घटी जिसमें हमारे विधायक मित्रसेन और उनके 15 साथियों के खिलाफ

एक मुकदमा डकैती आदि का दर्ज करा दिया। इस घटना की आड़ में उनके साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। जब इस मामले को यहां पर 300 में उठाया गया तो तत्कालीन नेता विरोधी दल ने इस मामले में सी0 आई0 डी0 जांच की जोरदार मांग की तो उस पर मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 जांच कराने का आश्वासन दे दिया, किन्तु आज तक उस मामले की कोई सी0 आई0 डी0 जांच सरकार द्वारा नहीं कराई गई है। बल्कि इन विधायक के ऊपर उन्हीं तत्वों द्वारा दुबारा हमला किया गया जिसमें काफी इनके साथी लोग घायल हुए और उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई, परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसी तरह पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, जिसमें 7 दिन पहले चुनाव हुए थे, उसमें काफी चोरियां हो रही थीं, तो वहां के दुकानदारों ने मिलकर बाजार बन्द किया और इसलिए किया कि जब चोरी हो रही थी, एक चौकीदार के विरोध करने पर लुटेरों ने एक चौकीदार को पकड़ कर बन्द कर लिया और दूसरे चौकीदार ने इस की पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने उस चौकीदार को भी बन्द कर लिया अपने यहां और जब वह चौकीदार नहीं आया तो सारे दुकानदारों ने थाने का घिराव किया। तो पुलिस दरोगा ने इतने वहशीपन का परिचय दिया कि उस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उसने एक दम से गोलियां चला दीं, जिसमें कई लोग मारे गये। यह आपकी पुलिस है, जहां पर चोरी, बदमाशी, डकैती होती है, बदमाशों के सामने बहादुरी दिखाने की बात होती है तो वह मुंह छिपाकर भागती है और जहां जरूरत है कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसको सांतवना दी जाए उसके जानमाल की रक्षा की जाय यह लोग अपनी व्यवस्था नहीं बदलते हैं और उल्टे पीड़ित लोगों को ही उत्पीड़ित करते हैं, और जब हम ऐसे विषयों को यहां पर उठाते हैं तो हमारे अम्मार रिजवी साहब कार्यवाही करने का आश्वासन दे देते हैं, लेकिन वास्तव में उनके खिलाफ कोई, किसी प्रकार की कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की जाती है, यहां तक कि उनको मुअत्तल भी नहीं करते हैं।

छोटी-मोटी कुछ अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, पुलिस अधीक्षक गिरिराज शाह के खिलाफ विजीलेंस की जांच हुई और उनके विरुद्ध आरोप सही पाए गये, किन्तु फिर भी यह आदमी पुलिस में जिम्मेदारी के पद पर आज भी बरकरार है। फिर भी अगर इनके ऊपर जांच साबित हो गयी तो मैं समझता हूं इनको सजा मिलनी चाहिए। इनको मुअत्तल होना चाहिए। इनको पुलिस में सेवा करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।

(इस समय 5 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, इसी तरह से एक घटना और बताना चाहता हूं जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री ने अपने ही दल के कानपुर शहर के विधायक श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित को अशोक लाइब्रेरी स्थित कार्यालय पर कांग्रेस के दो विधायकों के माध्यम से लुटवाया। क्योंकि वीरेन्द्र नाथ दीक्षित जनमोर्चा में इन्ट्रेस्ट रखते हैं। मान्यवर, जब इसकी रिपोर्ट लिखवाई गई तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। इसमें सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

मान्यवर, इसी तरह से शाहजहांपुर में एक ठाकुर परिवार के घर में बदाऊं पुलिस के लोग घुस गये और घर के अन्दर औरतों को छेड़ने लगे और औरतों के साथ व्याभिचार किया तो वहां के लड़कों ने पुलिस वालों की राइफल ले ली और वर्दियां उतार ली और पुलिस वालों को कमरे के अन्दर बन्द कर दिया। यह नशे में धुत थे। उसके बाद सारे कपड़े और राइफल लेकर वह लोग एस0 पी0 के पास पहुंचे और उनको राइफल और पुलिस वालों की वर्दियां दे दीं। इसमें कोई इंसाफ नहीं किया गया। इसमें शाहजहांपुर का कोई आदमी नहीं था। उन लोगों को कोई सजा नहीं मिली। यह कहां का इंसाफ है? इसी तरह से मान्यवर, कानपुर में भगवत नगर चौकी है। मान्यवर, 23 नवम्बर को पंजाब नेशनल बैंक का ताला तोड़ा गया और बैंक के नीचे सर्राफ सुन्दरलाल की दुकान है उसका ताला तोड़ा गया। वहां से मान्यवर, 80 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन कुछ नहीं किया गया इसी के दूसरे दिन 24 दिसम्बर को पुलिस चौकी भगवत नगर के पास कपड़ा व्यापारी महेशचन्द्र के यहां डकैती पड़ी। एक घंटे तक डकैती डाली गई वहां फायरिंग होती रही। लेकिन पुलिस के लोग वहां नहीं गये यह इनकी अकर्मण्यता है। जैसा कि कहा जाता है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है पुलिस बाद में जाती है। इसी तरह से वहां भी पुलिस नहीं पहुंची। इसी तरह से मान्यवर, मैं रज्जबपुर के थाने में जो घटना हुई उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। वहां रेल की पटरी उखाड़ दी। टेलीफोन के तार उखाड़ दिये अभी हमारे गृह मंत्री जी चिट्ठा दिखा रहे थे, जाने क्या-क्या उसमें था? मान्यवर, जिस समय रेल की पटरी उखड़ी, जिस समय गाड़ी फूकी गई उस समय किसी को भी पुलिस ने नहीं मारा उसके बाद जब सड़क जाम कर रहे थे, तो लोगों को मारा गया। दो आदमियों का पोस्टमार्टम भी दिखाया गया। मान्यवर, वास्तविकता तो यह है कि 30 से लेकर 40 लोग गांव और खेतों के मारे गये हैं। इसकी न्यायायिक जांच कराने को गृह मंत्री जी तैयार नहीं हैं। जहां इतनी बड़ी घटना हो जाए वहां आप न्यायिक जांच के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, तो किस पर भरोसा किया जाए। क्या आप प्रदेश की जनता को इंसाफ दे पायेंगे?

मैंने अखबारों में पढ़ा था कि इस प्रदेश में 4 गृह मंत्री हैं। यह कितना सही है या कितना गलत यह मैं नहीं जानता। मुझे पता जो लगा है वह यह है कि एक गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित जी हैं, दूसरे अशोक दीक्षित जी हैं, तीसरे त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी (प्रथम) कानपुर, चौथे पी0 के0 मिश्रा, थानाध्यक्ष, अचलगंज, तो यह चार गृह मंत्री कहे जाते हैं। थानाध्यक्ष अचलगंज, थानाध्यक्ष गंगाघाट, थानाध्यक्ष बांगरमऊ, थानाध्यक्ष अजगैन, यह सारे लोग ऐसे हैं जो आपके इशारे पर काम करते हैं और आपका राजनीतिक तुष्टीकरण करते हैं। इनके ऊपर बड़े-बड़े आरोप हैं कि यह जनता की बात सुनते नहीं हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमारी पुलिस भरोसे मंद है, इंसाफ करती है। मैं तो समझता हूं कि यह आपका स्वप्न है। जो भी लोग बताये गये हैं, थानाध्यक्ष गंगाघाट, आदिल रसीद, वहां के एस0 पी0 के घर पर जाकर उन्होंने गालियां दीं। एस0 पी0 गालियों का प्रतोत्तर नहीं दे पाये और जब उन्होंने इसके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की तो गृह मंत्री जी ने एक महीने में उनका पत्ता काट दिया। एस0 ओ0 वहीं का वहीं रहा लेकिन एस0 पी0 का स्थानान्तरण हो गया, अगर इंसाफ चलेगा और एस0 ओ0 एस0 पी0 के घर जाकर गाली दे आयेगा और एस0 ओ0 के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं कर पायेंगे तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है?

केवल यही नहीं बल्कि तमाम दरोगा ऐसे हैं, हमारे शाहजहांपुर में जंग बहादुर सिंह इंस्पेक्टर, एक लोहा सिंह एस0 आई0 हैं, ऐसे ही 10-12 दरोगा हैं जिनके बारे में तत्कालीन डी0 जी0 (पी) ने कहा था कि इनको पुलिस में कहीं पर महत्वपूर्ण पद न दिये जायं। लेकिन वह सारे के सारे इंसपेक्टर जो बुरे हैं ऐसे लोग गृह मंत्री जी को पसंद आते हैं और वह सारे के सारे इंसपेक्टर अच्छी-अच्छी जगहों पर लगे हुए हैं और कई बार तो एक रस्साकशी हो गयी बड़े-बड़े अधिकारियों और दरोगाओं में लेकिन अधिकारियों को मुंह की खानी पड़ी लेकिन गृह मंत्री के दरोगा राज में किसी दरोगा को मुंह की नहीं खानी पड़ी। गृह मंत्री जी, प्रदेश में अगर सबसे बड़ी हैसियत किसी की है तो वह दरोगा की है। जबकि पुलिस प्रशासन का एक अदना सा कर्मचारी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दरोगा के सामने गृह मंत्री जी आप भी कांप जायेंगे अगर गृह मंत्री की कुर्सी पर न हों। इसीलिये आपको दिखायी देता है कि सारी की सारी पुलिस सही काम कर रही है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में देखें पुलिस के जुल्म, ज्यादतियां, रिपोर्ट न लिखने के अनेकों उदाहरण मिलेंगे। जनता के साथ पुलिस के जुल्म और ज्यादतियां बढ़ रही हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि इटावा के चौगिया थाने के अंतर्गत हरदोई के प्रधान जवर सिंह यादव की हत्या कर दी गयी। उनके हथियार को 2 वर्ष पहले पुलिस ने जमा कर लिया था। उनके हथियार को वापस करने के लिये केवल मैंने नहीं लिखा बल्कि कांग्रेस पार्टी के बलराम सिंह यादव, चौधरी रघुराज सिंह, राज्य मंत्री गौरी शंकर, पूर्व मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी, शीला दीक्षित, के साथ-साथ मैंने भी कई बार लिखा कि इनके हथियार को वापस कर दिया जाय। लेकिन आप इस गरीब के हथियार को वापस नहीं दिलवा सके और होली के दो दिन पहले इनकी हत्या कर दी गयी। आप न उनकी सुरक्षा कर पाये और न उनको हथियार वापस करवा पाये। इटावा के अंदर जितने हथियार हैं और जितनी 30 कारबाइन हैं उतनी प्रदेश के किसी दूसरे जिले में नहीं हैं। इस गरीब को मरवाकर ही आपको तसल्ली मिली। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि बिक्री कर अधिकारी श्री आर0 एन0 सिंह की हत्या कर दी गयी। इटावा में पुलिस के कुत्ते जो सूंघकर अपराधियों का पता लगाते हैं, वह भेजे गये। उन्होंने सूंघ कर मुल्जिमों का पता लगा लिया लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह मुल्जिम कांग्रेस पार्टी के थे। मान्यवर, हमारे इटावा में एक वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो कम से कम 5 बार विधायक रहे, इनका नाम है गजेन्द्र सिंह, इनका लड़का जितेन्द्र सिंह है। जितेन्द्र सिंह की 18-3-88 को एक पचायत के ए0 डी0 ओ0 से बातचीत हो गयी। इतने में उसने जाकर रपट लिखा दी। उस भूतपूर्व विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र के लिए आपका कानून यह कहता है कि आप उसको 333 या 332 में बन्द कर देते। लेकिन मान्यवर, उसका मुंह पुलिस वालों ने काला किया और उसका सिर मुड़वाया और निर्ममता पूर्वक पीटते हुए उसे सारे विधूना में घुमाया। इस तरह से आपकी पुलिस ने उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व विधायक का मजाक उड़ाया। आपको इस तरह की पुलिस मित्र दिखाई पड़ती है। माननीय मंत्री जी, आपने तो हमारी लोटिया डुबो दी, इसलिए कि माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार को दो सिपाहियों ने मारा।

श्री अम्मार रिजवी–

रिस्ता कौन सा है, वह बता दें आप। आपसे कौन सा रिस्ता है?

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय गृह मंत्री की पुत्री भी ब्याही है और ससुराल भी है। अगर ससुराल भी मान लीजिए, तब भी कोई बात नहीं । मेरा कहने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार पीटे गये। मैंने मंत्री जी से कहा कि मेरी भी नाक कटा दिया। आपकी नाक तो पहले से ही कटी थी। आपने मेरी नाक इसलिए कटवा दी कि पुलिस के सिपाहियों ने पीटा। वह सिपाही आज अपनी तारीफ करते हुए घूम रहा है और कहता है कि मैंने तो माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार को पीट दिया। उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां पर पुलिस को माननीय गृह मंत्री का दर्शन हो जाता है, तो उस पुलिस का डर ही साफ हो जाता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, सही बात है, आपके बेटे को लखनऊ की पुलिस ने पीटा, आप उसे नहीं बचा पाये। आप पुलिस वाले को नसीहत नहीं दे पाये।

माननीय नरेन्द्र सिंह के पुत्र को पुलिस ने पीटा, पुलिस ने गृह मंत्री के पुत्र को पीटा गृह मंत्री के रिस्तेदार को पुलिस ने पीटा, तो आपकी निकम्मी पुलिस किसी भी भले आदमी की इज्जत बचाने में सफल नहीं हो पायेगी । माननीय मंत्री जी आपके जमाने में पुलिस के लोगों के हौसले इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि पुलिस के लोग भले आदमी की इज्जत करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं । भले आदमी को हर तरीके से परेशान करना यह उनका खास मकसद हो गया है। शासन का यह नियम है कि कोई भी इंसपेक्टर पड़ोसी जिले का, पड़ोसी जिले में नहीं रहेगा। यह आपने नियम बनाया था। लेकिन हमारे शाहजहांपुर में एक गया प्रसाद दुबे हैं, जो कि फर्रुखाबाद का रहने वाला है. आपसे इस बारे में कहा गया, तो आपने कहा कि अगर वह फर्रुखाबाद का रहने वाला है, तो उसे हटवा देंगे, और आपने उसका ट्रांसफर कोआपरेटिव सेल के लिए कर दिया। लेकिन अब मुझे पता चला है कि आप ही के कर कमलों द्वारा उसका तबादला फिर रोक दिया गया है।

श्री राम अतार मिश्र उर्फ मनकू–

मान्यवर, वह इंसपेक्टर हमारे थाने में तैनात हैं और उसके रिटायरमेंट के 6 महीने रह गये हैं । यह शासन का आदेश और विभागीय आदेश है कि अगर किसी की सेवा निवृत्त के 2 वर्ष शेष रह जाते हैं तो वह पड़ोसी जनपद में रह सकता है और 6 महीने शेष रह जाते हैं तो अपने जनपद में जा सकता है ताकि उसका सेटिलमेंट हो सके।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, राम अतार मिश्र जी, हमारे जिले के विधायक हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं उनको 6 महीने रिटायरमेन्ट के रह गये हैं यह हमारी जानकारी में नहीं है कि 6 महीने रह गये हैं और कानून के तहत उसका स्थानान्तरण नहीं हो सकता था तो फिर आपकी सरकार ने स्थानान्तरण किया क्यों? मेरे दबाव में तो कर नहीं दिया । आपने सदन में आश्वासन दिया कि कर दिया ट्रान्सफर, और अगर कर दिया तो फिर उसको रोकने की क्या आवश्यकता है और आपके गृहमंत्री फिर उसके लिये लिख

देते हैं कि इसका स्थानान्तरण रोक दिया जाय ऐसी आप नाइंसाफी की बात करते हैं। एक भृगुनाथ यादव को आपके मधुबन थाने के दरोगा ने बहुत पीटा वह पड़ोस के जिले का रहने वाला है, जब आपकी नीति है कि यह तो वह रिटायरमेन्ट पर है। मान्यवर, इसको एक ने सदन में उठाया, मैंने भी कई बार कहा लेकिन उसको नहीं हटाया गया क्योंकि आप दरोगा के बूते पर ही अपनी शानेशौकत कायम कर रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह से आगरा में एक हरिजन महिला के साथ, जो बार-बार हरिजन की बहुत दुहाई देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक हरिजन महिला थी मीरा देवी उस पर 3 पुलिस कर्मियों ने बंदूक की नोक पर बलात्कार किया और उसके बाद उसको एक कमरे में बन्द कर दिया और लहूलुहान हालत में उसको छोड़कर चले गये और उस घटना की रिपोर्ट तक थाना आगरा में नहीं लिखी गयी। यह आपके पुलिस का हिसाब किताब है। 14 दिसम्बर को एक प्यारे लाल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वयोवृद्ध करीब 80-90 साल की उम्र है, बेचारे इलाज के लिए आये। एक शराब पीकर दारोगा आया और उनको अपमानित किया और उनके पौत्र को पीटा और शराब के नशे में आपको और आपके बड़े मंत्री को भी उसने गालियां दी और मुकदमा 303/506 में लिखा गया। मान्यवर, इसी तरह से राम चरन मौर्य ने 25 अक्तूबर को छोटू नामक एक हरिजन की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसने मौर्य द्वारा बेवजह गांववालों की पिटाई का विरोध करा था, लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। 13 अक्टूबर को थाना उतरौला और बनगवां के आसपास के जो इलाके थे उनमें कई थाने में पुलिस आई और उसने लूटपाट की जब कि जो कत्ल हो गया था उसके सभी मुल्जिम एक माह पहले ही हाजिर हो चुके थे और जेल में थे लेकिन फिर भी पुलिस ने ज्यादती की हद कर दी। मान्यवर, इसी तरह से महोबा जो है उसमें पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने 8 लोगों के हाथपैर तोड़ डाले और 200 आदमियों को जख्मी कर दिया क्योंकि वहां की जनता जबरिया नशाबन्दी के खिलाफ एक जुलूस निकाल रही थी लेकिन जुलूस को निकालने वालों में 200 आदमियों को जख्मी कर दिया और 8 आदमी की टांगे तोड़ दी। यही घटना ही नहीं इसके अलावा करहना कांड हुआ आपने कहा था कि हमारी पुलिस दोषी नही है। सिसवां काण्ड हुआ, आपने कह दिया कि पुलिस दोषी नहीं है। जब करहना काण्ड में सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ गयी कि वहां के पुलिस अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जाय, आपने नहीं हटाया। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट को नहीं माना और कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। सिसवां में अमानुषिकता का नंगा नाच नाचा गया। उसमें भी आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की, जबकि सिसवां काण्ड पुलिस के सर पर बहुत बड़ा कलंक है और आपकी पुलिस, जिसकी आप बड़ी दुहाई देते हैं कि पुलिस इन्साफ कर रही है, वह जनता के लिये न्याय नहीं कर रही है। इसी तरह से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि हरिजनों के प्रति बहुत हमदर्दी कर रहे हैं, आप खास तौर पर थोड़ा सा देख लें तो मालूम हो जायगा। आपने अपनी पुस्तक में दिया है कि जो इन्सपेक्टर है, सी0 पी0, अनुसूचित जाति में, वह केवल 13.11 प्रतिशत है, इन्सपेक्टर ए0 पी0 4.54, सब इन्सपेक्टर सी0 पी0 22.0, इन्सपेक्टर सी0 पी0 7.29, हेड कांस्टेबिल ए0 पी0 6.59, हेड कांस्टेबिल ए0 पी0 12.67, कांस्टेबिल सी0 पी0 17.99

और कानिस्टेबिल ए0 पी0 है 20.73 परसेंट । तो केवल कानिस्टेबिल रैंक में हरिजनों का कोटा पूरा किया है, लेकिन इसके अलावा हरिजनों का कोटा कहीं पूरा नहीं किया है। अब आप जो इमारतों के लिये पैसा दे रहे हैं, आपने इसको पुलिस के लिये जरूरी बताया है ।

मान्यवर, रुद्रपुर में आपने पी0 ए0 सी0 की इमारत के लिये 90 हजार रुपये दिये थे, लेकिन इसकी शिकायत रुद्रपुर नैनीताल के सूरजपाल सिंह कम्पनी कमान्डर ने दिनांक 8-5-87 को की है कि जो 90 हजार रुपया मरम्मत के लिये दिया गया था, वह केवल पुताई में दिखाकर हड़प कर लिया गया । साथ ही साथ में और भी जो रुपया दिया गया, इसी तरीके से मान्यवर, वहां पर बनाने के लिये रसोई और बैरेक्स बनाने के लिये जो पैसा दिया गया, हड़प कर लिया गया । हर एस0 पी0 बहुत बड़ा कमीशन खा रहा है । हालांकि यह जनता का पैसा है । आपने कोशिश की कि इसके माध्यम से जनता का भला करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि पुलिस वाले उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छा कमीशन खा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप देखें । इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये ।

अब मैं मान्यवर, उन्नाव की एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं कि उन्नाव में रेलवे विभाग में, मामूली सी बात थी, कितनी छोटी सी चीज थी दो शीशम की बात थी, दो दरोगा श्री अमर नाथ और श्री उमा शंकर द्विवेदी ने चोरी से दो शीशम कटवा लिये, जिसकी रिपोर्ट संख्या 443/87 दिनांक 31-7-87 को लिखाई गयी धारा 97 आई0 पी0 सी0 में । परन्तु यह बताया गया कि मा0 गृह मंत्री जी उन दो शीशम के पेड़ों की हिमायत कर रहे हैं और दबाव डलवा रहे हैं कि उन दरोगाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने पाए । मैं जानना चाहूंगा कि आप पर दबाव पड़ रहा है या नहीं । अब मान्यवर, मैं एक-दो बातें और कहना मुनासिब समझूंगा । मान्यवर, आगरा की एक घटना है, यह डा0 कौशल साहब का जिला है, वहां के भूतपूर्व सांसद हैं राजेश कुमार सिंह । पुलिस ने उनके साथ मारपीट की । उसके विरोध में वहां काफी लोगों में आक्रोश है । यह मान्यवर, हाल की घटना है । माननीय गृह मंत्री जी आप कहते रहते हैं कि लोगों की इज्जत सुरक्षित रखने में हम कटिबद्ध हैं । दूसरी तरफ आपके पुलिस वाले लोगों को कितनी इज्जत दे रहे हैं ? पुलिस ने भूतपूर्व सांसद के साथ बेइज्जती की. . .

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय नेता विरोधी दल जी, एक मिनट, माननीय राजेश कुमार सिंह जी का तो इन्तकाल हो चुका है काफी दिन पहले ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि उनका इन्तकाल हो चुका है । उस भूतपूर्व सांसद के परिवार के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की जिस कारण वहां के लोगों में काफी आक्रोश है । मान्यवर, मैं डाक्टर साहब से यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद के न रहने पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि उनके परिवार के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न होने पाये । आज भी मान्यवर, आपने सदन में देखा अगर विधायक जी के साथ वह घटना हुई होती तो

शायद इतना आक्रोश यहां न फैलता लेकिन विधायक जी की मां के साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, तो यहां लोगों ने अपना क्षोभ व्यक्त किया ।

मान्यवर, कुछ घटनायें ऐसी हो जाती हैं, जिन पर सरकार जांच न करके ऊपरी तौर पर रिपोर्ट लगा देती है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व विधायक, भू0 पू0 सांसद श्री हरगोविन्द वर्मा जी हमारी पार्टी के महामंत्री थे सीतापुर जिले के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गयी । स्थानीय पुलिस ने एक मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट लगायी । मैंने पुलिस अधीक्षक से भी इस संबंध में बात चीत की थी। उनका भी कहना था कि हरगोबिन्द वर्मा जी का कत्ल सामान्य हत्यारों ने नहीं किया । कई बड़े लोगों की इसके पीछे साजिश थी । पैसा देकर कत्ल कराया गया । उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को कुछ लोग सहन नहीं कर पाये । उनका कत्ल हो गया । माननीय वर्मा जी अकेले जा रहे थे, अगर कोई बात होती तो उनके साथ असलहे होते । 4-6 आदमी उनके साथ होते, उस स्थिति में उनकी हत्या कर दी गयी । मान्यवर, ऐसी स्थिति में आज राजनीतिक जीवन खतरे में दिखाई पड़ता है । उनकी किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी । उनकी हत्या को कराया गया । वहां के कुछ बड़े लोगों ने किसी साजिश के नाते यह हत्या करा दी । इसमें जांच में इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि उसकी गहराई तक पुलिस पहुंचे। जांच सी0 आई0 डी0 करे, सी0 बी0 आई0 करे, असली मुल्जिमों को पकड़ कर कानून के हवाले किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, इसी तरह से शाहजहांपुर की एक घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । उस घटना से हिन्दू मुस्लिम का दंगा भड़क गया । एक 5-6 साल का लडका उसकी लाश एक नाले में मिली । पुलिस ने जल्दी से निपटाने के लिये 2 मुसलमानों को पकड़कर बन्द कर दिया । मान्यवर, कम से कम तीन बार मैंने इस पर मुख्यमंत्री जी से कहा । उन्होंने आदेश भी किये । मैं मान्यवर, गृह सचिव से भी मिला और कहा कि आपकी पुलिस ने अपने सर की बला टालने के लिये 2 आदमियों को पकड़कर बंद कर दिया । शाहजहांपुर जो बिस्मिल की धरती है जहां कभी हिन्दू मुस्लिम में कभी झगड़ा हुआ नहीं पुलिस ने 2 मुसलमानों को पकड़कर बन्द कर दिया और जिसके तहत पुलिस ने हिन्दू मुस्लिम की लड़ाई के बीज बो दिये । माननीय गृह मंत्री जी शाहजहांपुर वाला यह मामला खासकर मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपको इस ओर खासकर ध्यान देना चाहिये । उसमें सही मुल्जिम जो दोषी है, वह हवालात में हो । मान्यवर, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो चौकीदार हैं उनका वेतन आज की परिस्थिति में भी 25 रु0 मात्र है । अब आप ही सोचिये 25 रु0 के वेतन पर चौकीदार क्या काम कर सकते हैं ? वह चौकीदार आपका काम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, जरूरत पड़ने पर वे बहुत काम आते हैं, उनका वेतन बढ़ाने की बात आप सोचें । इसी तरह से किचेन में रसोईघर में जो आपके काम करने वाले हैं, उनका वेतन 250 रु0 होता है. . मैं चाहता हूं कि इनका वेतन बढ़ाया जाये । इसी तरह मान्यवर, सी0 आई0 डी0 की बात आती है । सी0 आई0 डी0 के इन्सपेक्टर्स पर आज उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है और जब कभी भी नाइन्साफ होता है, तब लोग सी0 आई0 डी0 की ही बात करते हैं ।

मान्यवर, इनके साथ बड़ी कठिनाईयां हैं, उनको रहने के लिये आवास नहीं है। उनका बढ़ा हुआ वेतन 75 रुपये है और इसके अलावा उन्हें 70 रुपया और दिया जाता है लेकिन इस 145 रुपये पर उन्हें कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है और न पेंशन ही दी जाती है। सी0 आई0 डी0 के लोग जब लखनऊ में आकर और बड़े-बड़े शहरों में जाकर काम करते हैं, तो उनके रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं होती और वह क्लर्कों की तरह काम करके जनता के साथ इन्साफ करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार उनकी सुविधाओं का ध्यान रखे। यदि उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जायगा, तो अच्छे लोग भी सी0 आई0 डी0 में आयेंगे।

मैं बताना चाहता हूं कि अचलगंज, गंगा घाट, लखनऊ आदि ऐसे अनेक थाने हैं, जिनकी संख्या लगभग 40-50 है, जहां एक लाख से दो लाख रुपये प्रति माह की आमदनी होती है। जब इनकी आमदनी इतनी अधिक है तो कोई भी दरोगा एक लाख, दो लाख रुपये देकर अपना ट्रांसफर कहीं भी करवा लेगा, यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि आज पुलिस का आदमी सी0 आई0 डी0 में नहीं जाना चाहता। वह ऐसे थानों पर जाना चाहता है। आज सी0 आई0 डी0 पर जनता का विश्वास है और इसके लिये मैं आपको बधाई नहीं देता, बल्कि सी0 आई0 डी0 के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज के इस जमाने में भी अपने काम में सफाई रखी है। पुलिस के लोगों को आपने गाड़ियां दे रखी हैं, यह तो ठीक है। लेकिन गाड़ी के लिए पेट्रोल भी तो इतना दें कि वह अपना काम सुचारु रूप से कर सकें। इसके साथ ही आप अपने मुल्जिम के लिये 61 पैसे की खुराक देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 61 पैसे में क्या मिलता है? इसलिये इन लोगों की खुराक को 61 पैसे से बढ़ाकर कम से कम 3 रुपया करवाइये।

इसी तरह मान्यवर, जब यह किसी का पोस्टमार्टम करवाते हैं, तो उसको फीस दो रुपया देते हैं। पोस्टमार्टम काम एक ऐसा घिनौना काम है, हर कोई नहीं करना चाहेगा, इसलिये मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप इसके लिये भी 2 रुपये के स्थान पर कम से कम 10 रुपये करवाइये। मैं आपको यह कुछ सुझाव दे रहा हूं ताकि इस प्रकार की कठिनाईयां दूर हो सकें।

मान्यवर, हमारा आई0पी0एस0 है और दूसरी तरफ यू0 पी0 पी0 के लोग हैं, इनकी प्रोन्नति आई0 पी0 एस0 में होने के लिये सरकार पूर्णतया विफल रही है और इसका अन्जाम यह हो रहा है कि आज केवल यू0 पी0पी0 का वही आदमी प्रोन्नति पा रहा है, जो अदालत में जाता है और वहां से आदेश लेकर आता है। सरकार इस मामले में बिल्कुल अक्षम है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह पी0सी0एस0 और आई0ए0एस0 का झगड़ा है। यू0 पी0पी0 की प्रोन्नति का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, किसी तरह से डी0एस0पी0 तक लोग जाते थे, लेकिन अब उनकी प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है। कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है। यह सरकार आज इस मामले में फेल हो गई है। पुलिस के इन्सपेक्टर्स आज डी0एस0पी0 की बात को नहीं मानते हैं और वह यह सोचते हैं, कि अगर वह उनकी बात को नहीं मानेंगे, तो डी0एस0पी0 उनका कुछ नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल आप समाप्त करें। आप 4.15 से बोल रहे हैं।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी बात मान रहा हूं और एक-दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, सिपाहियों की संख्या को देखते हुये आज हेड कान्स्टेबिल्स की संख्या बहुत कम है, उसको भी बढ़ाया जाये, ताकि सिपाहियों को भी पोन्नति का अवसर मिल सके और एक सिपाही कम से कम हेड कान्सटेबिल के पद तक तो पहुंच सके।

सामान्य प्रशासन के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री उस पर किसी खास किस्म की चर्चा न करायें, मैं यह भी नहीं चाहता कि वह यह तय करें कि यह आपके पक्ष में है या नहीं। मैं कर्मचारियों के विषय में एक बात कहना चाहता हूं कि जो वेतन आयोग की रिपोर्ट है उसमें और नियमावली में भी साफ तौर से दिया हुआ है। उस नियमावली को मैं यहां पर लाया हूं। इसमें दिया गया है कि जो भी हमारे सचिवालय के कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन मिलेगा, वही वेतन सुविधा विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो भी कर्मचारी विधान सभा में कार्य कर रहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को आदेश दिया था और उस समय आपने कहा भी था कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, यदि वास्तव में शिरोधार्य है तो आप विधान सभा के कर्मियों को भी सचिवालय की भांति वेतन दें ताकि उनमें विसंगति न हो। आप उन्हें आन्दोलन करने के लिए मजबूर न करें, वैसे भी आन्दोलन का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आप तो पुलिस से भी ज्यादा निष्ठुर हो गये हैं। विधान सभा के जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके बारे में भी आप विचार करें। ये बातें केवल संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए थी। माननीय गृह मंत्री जी आप इस गृह मंत्रालय को सुधारें और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें, किन्तु पिछले 2 साल की कार्यपद्धति को देखते हुए, हम कम से कम विरोध पक्ष के सदस्य इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वर्तमान पुलिस प्रशासन पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। जब तक आप पुलिस प्रशासन में अमूल-चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। मैं प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से केवल आलोचना नहीं कर रहा हूं अपितु कहना चाहता हूं कि "सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी तो कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए", जो आज माननीय गृह मंत्री जी ने वर्तमान पुलिस प्रशासन की सूरत बना रखी है।

*श्री मुईद अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसके सपोर्ट में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा, उसमें उन्होंने 70 परसेन्ट तो अपने व्यक्तिगत कार्यों की चर्चा की केवल एक परसेन्ट ही उन्होंने सुझाव दिये होंगे। मान्यवर, पुलिस विभाग का काम इतना विवादास्पद है कि वह किसी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है पुलिस जहां पर भी और जो भी कर्य करेगी वह एक के लिए तो सुखदाई होगा और दूसरे के लिए दुखदाई निश्चित होगा। दोनों के लिए तो वह सुखदाई नहीं हो सकता है। इस समय पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल है और इस समय, देश में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम की जो परिस्थितियों की स्थिति है, अन्य प्रदेशों की तुलना में इस समय उत्तर प्रदेश में ला-एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं श्री वीर बहादुर सिंह जी की सरकार को बधाई देता हूं। आज जिस तरह से आतंकवाद फैला हुआ है अन्य प्रदेशों में, वह यहां पर नहीं है। जो सही चीज है, उसे आपको मान लेना चाहिए। आज माननीय श्री राजीव गांधी जी जिस तरह से आतंकबाद से भिड़ रहे हैं, उस तरह से दूसरा कोई आदमी नहीं भिड़ सकता है। मान्यवर, आज जब हम सख्त कानून बनाते हैं, जैसे पिछले समय हम एक बिल यहां पर लाये थे, गिरोहबन्दी का, तब आप लोग ही चिल्ला रहे थे। आखिर क्राईम को कन्ट्रोल करने के लिए कोई न कोई सख्ती तो उठानी ही पड़ेगी।

उसके लिये हमको सहयोग करना चाहिए और जिस प्रकार के रोज (समय 6 बजकर 20 मिनट पर) भाषण यहां पर करते हैं, बाहर करते हैं और प्रदर्शन करते हैं उससे ला एण्ड आर्डर प्रभावित होता है। आज राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति को गन्दा करते हैं ला एण्ड आर्डर को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, सबको सहयोग करना चाहिए।

जहां तक पुलिस की बकिंग की बात है-जिलों में जिला पुलिस अधिकारी का, थानेदार का, काम अच्छा है उसकी सराहना और प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जिसका खराब है उसको दण्ड तुरन्त मिलना चाहिए, तभी ला एण्ड आर्डर कन्ट्रोल होगा। जहां तक मुझे जानकारी है कोई नियम नहीं बनना चाहिए। जिलों में अगर थानेदार अच्छा, ईमानदार, और बहादुर है तो उसी को इंचार्ज के पद पर रहना चाहिए। सीनियर से सीनियर थानेदार अगर इमानदारी और बहादुरी में कम है तो उसे हटाकर बहादुर को रखना चाहिये। यह अधिकार पुलिस अधीक्षकों को होना चाहिए। यह नियम नहीं बनना चाहिए कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है। जिलों में बहुत से सीनियर लोग इंचार्ज पद पर रहते हैं। जूनियर को थाने का चार्ज इसलिए नहीं दिया जाता है कि वे जूनियर हैं। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक को अधिकार होना चाहिए कि पुलिस के थानेदारों को देखें कि कैसा आचरण हो रहा है कैसा काम कर रहे हैं। एक चीज यह देखी गयी है कि जो बड़े अपराधी हैं उन पर पुलिस जिस इन्टेन्सिटी से हमला करती है, मामूली अपराधी के साथ उसके अपराध के अनुसार सख्ती का रवैया होना चाहिए और मामूली अपराधियों को मौका दिया जाय, उनके साथ इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए।

दूसरी चीज इस वक्त कम्युनल हारमनी पर बात की गयी। हरिजन उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के खिलाफ बात की है। इस प्रकार का उत्पीड़न न करने पायें। पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ भी कहा है। यह सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन जो धर्म का सहारा लेकर राजनीति करते हैं, धार्मिक सद्भाव को कम करते हैं कम्युनालिज्म को फैलाते हैं, उनके साथ मुरौवत नहीं होनी चाहिए।

एक चीज विशेष कहनी है कि पुलिस में अधिकारियों की संख्या आई0 जी0, डी0 जी0पी0, डी0आई0जी0, की संख्या बढ़ती जा रही है उस अनुपात में पुलिस के सिपा-

हियों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से कन्ट्रोल करने वाले सी0ओ0, एस0 पी0 को परेशानी होती है। मेरी मांग है कि उस अनुपात में सिपाहियों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए । उन्हीं को ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए ।

पी0 ए0 सी0 में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि रिजर्वेशन कर रहे हैं, उसमें माइनारिटी का भी रिजर्वेशन होना चाहिए । पी0 ए0 सी0 का इन्चार्ज सिक्यूलर जेहन का होना चाहिए । उन्हीं को सेन्सिटिव पोस्टिंग देनी चाहिए । जहां पार जरा सा भी डाउट हो सेन्सिटव पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए । जब भर्ती होती है चाहे पुलिस में हो या पी0 ए0 सी0 में हो, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए ।

सद्व्यवहार की ट्रेनिंग होनी चाहिए । सेक्यूलरिज़ा की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा बर्ताव करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वह जब मौके पर जाय तो उसका कार्य सराहनीय हो ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट का समय और लूंगा । मान्यवर, पुलिस में ऐसी बात होनी चाहिये कि वह भले के साथ भला व्यवहार करे और जो गलत है उसके साथ वह सख्ती के साथ पेश आये, ऐसा उसका वर्ताव होना चाहिये ।

दूसरी बात ला एण्ड आर्डर के कन्ट्रोल की है, इसके लिये पक्ष व विपक्ष की कोई बात नहीं है, मगर देखने में यही आता है कि विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए वातावरण को दूषित कर देते हैं । वातावरण को खराब कर देते हैं ताकि ला एण्ड आर्डर खराब हो, देश के वातावरण को दूषित इस तरह से नहीं करना चाहिये । देखने में आता है कि राजनीतिक रोटी के सेंकने में ही विपक्ष के लोग जिलों का वातावरण खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये ।

श्री मुईद अहमद–

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा जो सराहनीय कार्य किये गये हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए । पुलिस की सराहना करते हुए मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैंने माननीय गृह मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना । माननीय मंत्री जी की सद्इच्छा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का प्रशासन ठीक हो । पुलिस जनता के हितों का ध्यान रखते तथा, जनता के प्रति समर्पित हो, लेकिन जो उनकी घोषणायें हैं, उनके जो फैसले हैं उससे कोई बात ऐसी नजर नहीं आयी कि जिससे उत्तर प्रदेश की पुलिस की मानसिकता में कोई भी अच्छा परिवर्तन आये । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पुलिस की मानसिकता में परिवर्तन उस समय आयेगा जब हमारे शासन की मानसिकता में परिवर्तन हो । हमारी शासन के दिमाग में, हमारी मौजूदा सरकार जो है इसके सोच में आज तक पुलिस के उत्तरदायित्व के संबंध में वही धारणा है जो धारणा अंग्रेजों के शासन के समय में थी, वही धारणा आज भी उनमें मौजूद है । ऐसी स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है ? निश्चित रूप से इसमें हमारी सरकार की ओर से,

शासन की ओर से ऐसा फैसला होना चाहिये कि हम पुलिस को ऐसी व्यवस्था में रखें, ऐसे कानून के शिकंजे में रखें, ऐसे नियमों के तहत उसे रखें कि पुलिस जनता के हितों के कार्य में आगे बढ़ कर आये । सही माने में लोकतंत्र की पुलिस का जो स्वरूप होना चाहिये, वह हो ।

आप देखें कि पिछले चालीस वर्षों में किसी तरह की इस ओर कोशिश नहीं की गयी या उसके रवैय्ये में कोई बदलाव आया हो । आज उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, किसी गांव में, किसी थाने में आप चले जाइये, पुलिस के कार्यकलापों को देखें, हम लोगों को इन्हीं सब बातों की शिकायतें मिलती हैं । पिछले चार-पांच सालों में तो पुलिस का रवैया और भी खराब हुआ है । उसमें कुछ भी अच्छा बदलाव नहीं आया है । यदि उसके रवैये में कुछ भी बदलाव नहीं आया तो वह दिन दूर नहीं कि जब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा जायेगी । इसके लिये सबसे बड़ा दोषी मैं उन्हीं शासकों को मानता हूं जो पुलिस के द्वारा अपना सारा काम सम्पूर्ण सुरक्षा पुलिस की सहायता से लेते हैं । सरकार के द्वारा ही उसका विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है । सरकारी पार्टी के चुनावों के मामलों में भी आप पुलिस का इस्तेमाल करते हैं । पुलिस में जो लोग हैं वह हमारे और आप के ही बीच के लोग हैं, हमारे ही भाई-बन्धु हैं फिर वह क्यों इतने खराब हैं ? उसका मूल कारण मैं यह मानता हूं कि जो लोकतंत्र में पुलिस की परिकल्पना होनी चाहिये, उसके अनुरूप हमारी नीतियां नहीं हैं । हमारे फैसले ऐसे होते हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले, मैंने पहले भी इस बात को अन्यत्र कहा है कि आप बराबर बीच-बीच में ऐसे गलत परिवर्तन करते रहते हैं जिससे पुलिस को ऐसे मौके मिलें कि उनको भ्रष्टाचार करने के लिए खुली छूट मिल जाए और मैं बराबर देख रहा हूं कि इनको इस प्रकार की छूट मिल जाती है । आप बंदूकों के रिनीवल को ही देख लीजिए । इस संबंध में अब आपने जो व्यवस्था की है जिसमें जन-प्रतिनिधि ही, मिनिस्टर हो, या कोई भी बड़ा नेता संतुति करे तो उस संस्तुति की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन इसके विपरीत यदि पुलिस की संस्तुति हो जाए, जो सिर्फ पैसों के बल पर ही होती है, वह मान्य है ।

इसी प्रकार से अभी हाल में आपने एक व्यवस्था लागू की है पेरोल के सम्बन्ध में जबकि इससे पहले इस संबंध में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई अपराधी जो जेल में 8–10 साल की सजा काट चुका हो और जेल में आचरण उसका यदि सही हो तो कुछ ऐसे मौकों पर बीमारी में या, शादी हो आदि ऐसे अवसरों पर यदि शासन से पैरोल की सिफारिश की जाती थी, तो वह स्वीकार हो जाती थी, और ऐसे व्यक्ति को एकाध माह के लिए अपने परिवार में भेज दिया जाता था पैरोल पर । लेकिन अब व्यवस्था आपने यह कर दी कि वह अपराधी जिस स्थान का रहने वाला है, वहां के थानाध्यक्ष से उसके आचरण की रिपोर्ट मंगाई जाती है, तभी उसे यह सुविधा मिल सकती है, अन्यथा नहीं । तो मान्यवर, आप स्वयं गौर करें जो व्यक्ति 8–10 साल से उस स्थान पर रहता नहीं है, उसके आचरण के सम्बन्ध में वहां का थानाध्यक्ष क्या प्रमाण-पत्र दे सकेगा, अगर आपको उसकी रिपोर्ट मंगानी थी तो जहां पर वह रह रहा है, जिन लोगों के बीच वह 8–10 साल से है, वहां के अधिकारी जेल सुप्रिन्टेंडेंट जो होते हैं, उनसे मगाईए । तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके आप खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और जो आप ऊपर के पद बढ़ाते जा रहे हैं, पच्चीस आई0 जी0 हैं, डी0 आई0 जी0 हैं हालांकि इन लोगों

के पास कोई काम नहीं होते हैं सिवाए इसके कि एस0 पी0 के कामों में हस्तक्षेप करें, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई काम नहीं है ।

मान्यवर, यह डी0 आई0 जी0 के पद बस ऐसे ही हैं जैसे कमिश्नर का पद शोभा बढ़ाने के लिए और यह एस0 पी0 के कामों में ऐसे हस्तक्षेप करता है जिससे पुलिस प्रशासन में और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी तो काम कैसे चलेगा और कैसे स्थिति में सुधार आयेगा और यदि निरंतर यही निरंतर यही नीति आपकी रही तो आपकी यह बिगड़ी हुयी पुलिस और बिगड़ेगी यह ठीक कैसे हो सकेगी । इस लिए मेरा आपसे सुझाव है कि जो आयोग इनकी ट्रेनिंग के सिलसिले में गठित हुआ था जिसमें मूलभूत परिवर्तन हुए थे, उसको लागू कीजिए ।

इसी प्रकार से सी0 आई0 डी0 विभाग में भी पूरी तरह से सुधार लाइए, बल्कि इस विभाग को पुलिस से अलग कर दीजिए तभी इसमें सुधार हो सकता है। आज तो वह लोग इसमें जाते हैं जिनको सजा देनी होती है, या जिन्होंने कोई गड़बड़ी कर रखी है, उसे आप सी0 आई0 डी0 में भेजते हैं और वहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता है, न मालूम कितनी दरख्वास्तें आती हैं कि हमें किसी भी थाने में या चौकी में भेज दीजिए परन्तु यहां से स्थानान्तरित करवा दीजिए, इसमें भी बहुत से अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं और वह अच्छे ढंग से काम करना भी चाहते हैं, इसीलिए मुझे बार-बार यह कहना पड़ता है कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो काम आपका सुचारू रूप से कहीं भी नहीं चलेगा । आप इन सब बातों पर विचार करें, जिससे जनता की कठिनाइयों का निवारण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इस बजट पर बहुत ज्यादा सदस्य बोलने के लिये नहीं, हैं, इसलिये आप लोग 5 मिनट में अपने सुझाव दे दें ।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करते हुये, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1987 में जो स्थिति डकैती, लूट और दंगों आदि की थी और जो स्थिति माननीय गृह मंत्री जी ने इस वर्ष की बताई है, मैं उसके लिये अपनी प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल सुधार आया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था की घटनायें जो हो जाती हैं, जब हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हुये लोग जो यहां सदन में कहते हैं कि हम सरकार के विकास के कार्यों में योगदान करना चाहते हैं, लेकिन यह अपनी दुमुही नीति के कारण, विवाद उत्पन्न करा देते हैं । आज प्रदेश के अन्दर हम सभी जानते हैं कि आर0 एस0 एस0 और बी0 जे0 पी0 के लोगों में राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर साम्प्रदायिक दंगा कराना चाहा । लेकिन हमारे गृह मंत्री और मुख्य मंत्री जी की सूझ बूझ से बहुत बड़े काण्ड को होते हुए बचा लिया गया । विरोधी पक्ष के लोग तमाम राजनैतिक आन्दोलन चलाने का प्रयास करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकैत के द्वारा एक राजनैतिक स्थिति उत्पन्न कर दी, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने बड़ी सूझ बूझ से उसका सामना किया और उस समस्या को हल किया । यही नहीं कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उसको भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से हल किया है और जो भी आन्दोलन हुये उनका सामना हमारी सरकार ने बड़ी खूबी से और बड़े साही ढंग से किया है । चाहे दंगा हो, या डकैती हो या चोरी हो सभी को रोकने के लिये हमारे गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, जो डकैत और डाकू होते हैं उनके पास अच्छे किस्म के शस्त्र रहते हैं, तो उनका सामना करने के लिये हमारी पुलिस के पास उस स्तर के हथियार उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये वर्तमान पुलिस को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जायेगा, इसके लिये माननीय गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । माननीय गृह मंत्री जी ने आज पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था के बारे में घोषणा की है कि उनको रहने की जो समस्या है, उसका समाधान किया जायेगा और इसके लिये पुलिस आवास संघ की स्थापना की गयी है । यह उनका सराहनीय कार्य है । माननीय मंत्री जी ने पुलिस बल को बढ़ा कर बहुत सराहनीय कार्य किया है । मान्यवर, अब मैं अपने जिले कानपुर के बारे में कुछ बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । कानपुर में जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का चयन किया जाता है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत ली जा रही है । वहां पर डी0 आई0 जी0 मलिक हैं, वह अपने ड्राइवर के माध्यम से रिश्वत लेते हैं, जो रुपया उनकी कार में डाल देता है, उसका चुनाव हो जाता है । मैं इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस सलेक्शन को कैंसिल करें और दुबारा सेलेक्शन कराया जाये ।

मान्यवर, गंगा के किनारे पटरी पर तमाम प्रकार के असामाजिक तत्व सक्रिय हो गये हैं। माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, लोक दल (अ) के नेता हैं, उनके संरक्षण में शराब आदि बनाने के तमाम कार्य किये जा रहे हैं, इस कारण वहां पर बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । इसलिये मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वह ऐसे लोगों को बेनकाब करें और एक उच्च स्तरीय जांच बैठायें जो हमारी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं विरोध करता हूं और माननीय नेता विरोधी पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा और सम्मानित सदस्य जो इस विधान सभी के सदस्य हैं जो मान्यवर, बगैर बजट को देखे और बगैर उत्तर प्रदेश की पुलिस समस्याओं को देखे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के हर आदमी की निगाह पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार, उनके आतंक, उनकी लूट, पुलिस द्वारा बलात्कार की तरफ लगी हुई है। यह समस्या हम सब के लिये सोचने का प्रश्न बन गया है । पुलिस व मुहकमा आज प्रदेश को कहां ले जा रहा है । पुलिस राज आज किस तरह से यहां पर कायम है, तो पुलिस के इस रवैये से यहां पर कानून का राज कैसे रह सकता है, यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है । यह सरकार कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में कामयाब रही है या नहीं इस प्रश्न पर आज ध्यान देने की जरूरत है । अभी कई माननीय सदस्यों ने पुलिस के राजनीतिकरण की बात कही ।

दूसरी बात यह है कि आज पुलिस के अन्दर भ्रष्ट अफसर बैठ गये हैं, उनके साथ ऐसे अफसर हैं जो डकैतों को पनाह दे रहे हैं । आज स्थिति यह है कि पुलिस डकैतों को संरक्षण दे रही है और डकैत पुलिस के भेष में डकैती डाल कर लूट मार करती है, इस प्रश्न पर ध्यान देने की बात है । पुलिस के सामने आज उत्तर प्रदेश सरकार में हिम्मत नहीं रह गई है । वह विकलांग हो गई है । उसके सामने नत-मस्तक खड़ी है । मैं एक उदाहरण देते हुये अपनी बात शुरू करूंगा । मान्यवर यहीं का मामला है । माननीय राम गोविन्द चौधरी के घर में हमला हुआ । जब हम लोग इसकी रिपोर्ट लिखाने पुलिस अधीक्षक के पास गये । विधान सभा में सवाल उठा किन्तु आज तक वह रिपोर्ट नहीं लिखी गई । कानून में, आई0 पी0 सी0 में रिपोर्ट न लिखना अपने आप में एक अपराध है । क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि क्या उनमें हिम्मत और क्षमता थी कि वे रिपोर्ट लिखवा देते । वह रिपोर्ट नहीं लिखवा सके । मैं चाहूंगा कि वे उत्तर भाषण में इस बात का खुलासा करें, क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी गई और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की बैशाखी पर चलने वाले लोग आई0 पी0 एस0 के सामने आपके मंत्री आज विकलांग हो रहे हैं, सरकार विकलांग हो रही है । आपकी हैसियत ही क्या है ? आप कानून की राजनीति की बात करते हैं । आज हर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । हर बड़े से बड़े अपराध को छोटा कर दिया जाता है और ज्यादातर यही होता है । जहां डकैती पड़ती है उसको लूट में बदल दिया जाता है । जहां लूट होती है उसको 323 में कर दिया जाता है । जहां जमीन का झगड़ा हो सकता है, वहां चाकूबाजी हो सकती है, लूट हो सकती है हत्या हो सकती है । लेकिन जहां सरे बाजार में डकैती पड़ी हो, चाकू चला हो, गोली चली हो वहां बिना पुलिस के सहयोग के, बिना पुलिस की मदद के यह नहीं किया जा सकता है । यह सरकार के लिये बड़ी शर्म की बात है । फिरोजाबाद में यही हालत हुई है । वहां पर आये दिन यही हो रहा है । परसों वहां पर अम्बेदकर की मूर्ति को उठाकर फेंक दिया गया । यह कुछ जातीय मामला था । उसमें एक आदमी मार दिया गया ।

परसों ही तीन लड़के बोर्ड की परीक्षा देकर आ रहे थे तो उन को बदमाशों ने लूट लिया एक सिपाही ने पीछा किया । और भागे तो बदमाशों ने सिपाही के ऊपर हैंड ग्रिनेड मार दिये । जब मैंने इस संबंध में एस0 ओ0 से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह हैंड ग्रिनेड नहीं था पटाखा था । तो इस तरह से वहां पर एस0 ओ0 काम कर रहा है । पूरे मंडल में यही स्थिति है । इसलिये मान्यवर, हमारे यहां डी0 आई0 जी0, एस0 एस0 पी0 बन गया है। वह जातिवाद में हस्तक्षेप कर रहा है। डी0 आई0 जी0 के संरक्षण में वहां पर थानों की खुली बिक्री हो रही है । फिरोजाबाद थाने की बोली 50 हजार रुपया है । थाना दक्षिण की बोली 40 हजार, इसी तरह एतमातपुर की 40 हजार, हरिवतौन की बोली 70 हजार, छाता की बोली 80 हजार। तो इस तरह से थानों की बोली होती है जो डी0आई0जी0 के नेतृत्व में होती है। तो कैसे आप समझते हैं कि लोगों के साथ न्याय होगा? कैसे आपकी पुलिस व्यवस्था ठीक होगी? कैसे उत्तर प्रदेश की हुकूमत कानून का राज देगी? आज राजस्थान की पुलिस ने हमारे यहां झोरिया गांव में आकर दो आदमियों की हत्या कर दी दो को पकड़ कर ले गई। मैं अपनी सरकार से जानना चाहता हूं कि यह कौन सा कानून है? आदमी को गिरफ्तार करने के बाद नजदीक

के पुलिस स्टेशन पर ले जाया जाता है लेकिन वहां पर राजस्थान ले जाते हैं। तो क्या यही कानून सब के लिये बराबर लागू होता है। इसी तरह से बार्डर पुलिस करती है। इससे पुलिस की प्रतिष्ठा दिन प्रति दिन गिर रही है। लोगों को 10-10 दिनों तक थानों में बन्द कर दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, बांदा में बदौसा में एक नौजवान पुलिस इन्स्पेक्टर महेश सिंह ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से यह कहा कि मैं यहां रहा और मुझे नहीं हटाया गया तो यहां के डकैतों द्वारा यहां के थानाध्यक्ष मुझे मरवा देंगे क्योंकि वह उनसे मिले हुये हैं और ऐसा ही हुआ 18/19 मार्च, 1988 को उस की हत्या करा दी गयी।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

उसकी हत्या के समय दो पुलिस आफिसर मौजूद थे, जो उसकी बंदूक लेकर भाग गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या पुलिस विभाग उसकी विधवा को पारितोषिक और पुलिस पदक देगी और उसे नौकरी वेतन और आवास देगी तथा उसके परिवार के सदस्य तथा बच्चों को नौकरी मिलेगी। एक आदमी जो मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हो गया उसे कोई प्रोत्साहन स्वरूप पुलिस पदक देगी और जो दरोगा पीठ दिखाकर भाग गया क्या उनको आपकी पुलिस में रहने का अधिकार है ? इन शब्दों के साथ में कटौती का समर्थन करता हूं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय नेता विरोधी के कटौती प्रस्ताव का विरोधी करता हूं। मैंने नेता विरोधी दल तथा अन्य साथियों के भाषण सुने। मेरा निश्चित मत है कि अगर कुछ कमियां कहीं पर हैं या कोई बुराइयां हैं तो उनकी तरफ ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहिए। लेकिन मात्र विरोध के खातिर विरोध करना गलत है। हमारी जो उपलब्धियां हैं गत वर्षों में, उसके प्रति हमारे पुलिस कर्मी जो 24 घंटे विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिये यह हमारा फर्ज बनता है। हमारे विरोध पक्ष के साथी केवल विरोध के खातिर विरोध करते हैं और केवल कमियों की ही ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

हमारी सरकार ने 20 जिलों में हरिजन प्रकोष्ठ की स्थापना की है, हरिजनों के प्रति जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम में आशातीत सफलता पाई है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस कर्मियों को जो 100 रुपया पौष्टिक आहार भत्ता दिया है उसके लिये मैं उनको तथा गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि यह सौ रुपया भी कम है इस धनराशि को और बढ़ाया जाना चाहिये।

आज एक सबसे बड़ी समस्या पुलिस कर्मियों के लिये उनकी आवास की है। केवल 45 प्रतिशत लोगों को ही आवास सुविधा मिल पाती है बाकी पुलिस कर्मी आवास समस्या में उलझे रहते हैं इसी कारण अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से अंजाम नहीं दे पाते हैं।

मैस में जो उनको भोजन मिलता है उसको मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्री जी ने देखा होगा अगर नहीं देखा हो तो उसे देख लें। वह भोजन ऐसा है जो जेल के कैदियों को मिलता है उसी तरह का है उससे थोड़ा अच्छा हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। जब इस तरह का पौष्टिक आहार उनको मिलेगा तो उनसे आशा नहीं कर सकते हैं कि वह पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे सकेंगे। श्रीमान् मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आवास की व्यवस्था आप करायें तथा इस हेतु धन की और व्यवस्था करें।

अब मान्यवर, आगरा की कुछ समस्यायें हैं। फिरोजाबाद के बारे में श्री रघुबर दयाल वर्मा जी ने बताया ही है। मान्यवर, हमारे यहां वी0आई0पीज0 बहुत आते हैं और जो सी0ओ0 हैं वही थानों को देखते हैं और इसके साथ-साथ वी0आई0पीज0 को भी देखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नतीजा होता है कि थानों का काम सफर करता है। इसलिये सी0ओ0 वी0आई0पी0 का पद आगरा में अलग होना चाहिए। आगरे में वी0आई0पी0 प्रदेश देश और विदेशों से अक्सर आते रहते हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा में ताजमहल है और उसके चारों तरफ लगभग दो लाख की आबादी है। आज सबसे ज्यादा जरायम हीरोइन, अफीम और स्मैक की तस्करी इसी ताजगंज के क्षेत्र में होती है। मैं नहीं कहता हूं कि अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने और मैंने भी इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया लेकिन आज तक इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नियंत्रण की नहीं की गयी। गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ पुलिस कर्मी भी इसमें लिप्त हैं, उनके सहयोग के बिना हीरोइन स्मैक और अफीम का धंधा नहीं चल सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि डेढ़ किलो0 हीरोइन की खपत ताजगंज में प्रतिदिन है। शराब तो खुले आम बिकती है। काफी नौजवान इन चीजों के आदी होने जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है हीरोइन उनको जरूर चाहिए। इसलिये इस धन्धे को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।

श्रीमान्, एक विडम्बना है कि यदि कोई कार्यवाही किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ करनी है, अनुशासनहीनता की कार्यवाही करनी है और उसे दण्ड देना है तो थाना ताजगंज और रकाबगंज में उसको पोस्ट कर देते हैं चूंकि वहां से ज्यादा आय होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसको दण्ड कहां दिया गया क्योंकि ताजगंज में एक दो महीने में एक मारुति कार बना लेते हैं चूंकि वहां हीरोइन स्मैक और अफीम की तस्करी होती है।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नाई की मण्डी थाना है, उस थाने के निर्माण के लिये स्थल का भी चयन हो गया लेकिन अभी तक वह थाना नहीं बनाया गया है और उसका रुपया देहात में डाईवर्ट कर दिया गया है, इसलिये शीघ्र ही नया थाना बनाया जाये। मान्यवर, पुलिस विभाग की एक कारगुजारी की मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आर0आई0 श्री पाठक एटा में थे, वह बीमार हो गये। उनके बच्चे पुलिस लाईन आगरा में रहते हैं लेकिन उनका स्थानान्तरण फतेहपुर में पी0ए0सी0 में कर दिया गया। वह डायबीटीज (ब्लड शुगर) की बीमारी से परेशान थे और अपना इलाज जिला अस्पताल आगरा में करा रहे थे। दिनांक 29 दिसम्बर 87 को मुख्य मंत्री जी ने आदेश किया कि उनको आर0आई0 रहने दिया जाये। वह स्वतंत्रता

संग्राम सेनानी के लड़के हैं और इसके पहले वह पी0ए0सी0 में 6 साल रह भी चुके हैं। 21 जनवरी को सचिव गृह विभाग ने लिखा कि मुख्य मंत्री जी के आदेशों का कार्यान्वयन किया जाये किन्तु इसके बाद 30 जनवरी को पुलिस विभाग ने उनको सस्पेंड कर दिया। मुख्य मंत्री जी के आदेश की इस प्रकार की अवहेलना जान बूझकर की गयी है। शो काज नोटिस उनको दी गयी उसमें आरोप लगाया कि आपने पता नहीं लिखा था जबकि उनके बच्चे पुलिस लाईन में ही रहते हैं और वह अपना इलाज जिला अस्पताल आगरा में करा रहे हैं। यदि विभाग इस तरह से बदले की भावना से काम करेगा तो कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा कैसे रह सकेगा? मान्यवर, इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मथुरा जनपद के सेहपऊ थाना के इसौंधा ग्राम में आज से करीब डेढ़ माह पहले 15 लाख रुपये की एक डकैती पड़ी थी और उसकी लाइसेंसी बन्दूक चली गई थी और उसमें महिला समेत तीन लोग बुरी तरह घायल हुए थे, जो अब भी जिला अस्पताल में तब से भरती हैं, किन्तु उस भीषण डकैती के मामले में आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां के इन्वेस्टीगेशन अफसर ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। कोई भी पुलिसकर्मी उस गांव में पूछने भी नहीं गया है कि यहां पर डकैती पड़ी है। इस प्रकार की लापरवाही होगी तो इसके दुखद परिणाम होंगे। गृह मंत्री जी आशा है वह लिख रहे हैं, लेकिन सुन भी रहे होंगे मेरी बात को इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करेंगे और वह श्री पाठक जी की फाईल अपने पास मंगाकर देख लें कि उनके मामले में मुख्य मंत्री के आदेश की इतनी बुरी तरह अवहेलना कैसे और किसके द्वारा हुई है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, अत्यन्त खेद का विषय है कि पुलिस के भरोसे पर ही यह शासन अपराधों को रोकना चाहता है और पुलिस की ही जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन मान्यवर, मैं शासन में रहने वाले अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि यदि स्वयं पुलिस अपराधी बन गई है, उसकी काफी संख्या स्वयं कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए निधड़क तत्पर हैं तो कैसे शासन अपराध रोक सकता है और कानून व्यवस्था ठीक बनाए रख सकता है। पुलिस कहती है कि लड़के लोग बिना टिकट गाड़ियों में यात्रा करते हैं, लेकिन क्या कोई भी पुलिस का आदमी किसी भी गाड़ी में कभी भी कोई टिकट लेकर बैठता है? वह तो फर्स्ट क्लास ए0सी0सी0 में बिना टिकट बैठना अपना अधिकार समझते हैं और गलती करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। तो कैसे कानून व्यवस्था कायम रह पायगी। आजाद भारत के शासन की पुलिस आज वही काम कर रही है, जो 700 साल तक अपनी हुकूमत को बनाये रखने के लिये विदेशी शासकों ने उनके द्वारा इस देश में कराया है। जनता पर शासन करने के लिये शासन द्वारा उनसे यदि यही काम लिया जाएगा तो पुलिस के प्रति जो 7 सौ वर्षों में धारणा रही है, वह कभी बदल नहीं पाएगी अंग्रेजों के साम्राज्यकाल में और मुगलों की राज्य में जनता को दबाने, शासन करने और जनता का शोषण करने के लिए ही उन्हें नियुक्त किया गया था और उन्होंने यह काम किया है।

मैंने अपने क्षेत्र के चौतिया में एक थाना खोलवाने के बारे में जब गांववालों से पूछा, तो उन्होंने हमसे कहा कि हरीश जी कसाईखाना खुलवा देना यहां, लेकिन पुलिस थाना न खुलवाएं । क्योंकि जिस दिन से पुलिस वाले वहां आ जाएंगे चोरी डकैती, लूटमार, हत्याकांड और अशान्ति बढ़ जायगी, लोगों की शान्ति छिन जायगी, जीवन नरक हो जायगा । यह मानसिकता पुलिस के प्रति जनता में हो, तो मेरा विचार है कि पुलिस शब्द ही हटा दिया जाए और कोई नया शब्द शान्ति सेना, शान्ति रक्षक आदि रखवा दीजिए । नाम के संस्कार को पड़ने दीजिए । आप मान्यवर, सदन की इसके लिए एक समिति बना दीजिए यह बताने के लिए कि जो विभाग अपराधों के नियन्त्रण और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हो, उनका क्या नामकरण कर दिया जाए । इससे लोगों के मन में उनके नाम की मानसिकता में कमी हो जाएगी । शासन उनसे सही तरीके से काम ले सकता है । मैं खाद्य मंत्री था, गृह मंत्री नहीं था, आप बस्ती जिले का 77-78 का अपराधों का रिकार्ड निकलवा लीजिए, मैंने और एस0 पी0 शर्मा जी ने जो किया और उनसे कराया, भयानक अपराधी भागकर नैपाल चले गये । कान्स्टेबुल सोते रहते हैं । दरोगा पड़े रहते हैं । अगर ऐसा होता रहेगा तो अपराधी पकड़े नहीं जा सकते हैं । अपराध बढ़ते जा रहे हैं । एफ0 आई0 आर लिखी नहीं जाती है । अगर लिखी जाती है तो तफ्तीश नहीं होती है । जिनसे पैसा ले लेते हैं उनकी रिपोर्ट की तफ्तीश होती है अन्यथा नहीं होती है । अपराधियों को दंड नहीं मिलता है ।

मान्यवर, एक दरोगा साहब हैं वह रिक्शे पकड़ते हैं मोटर-साइकिल पकड़ते हैं । हत्यायें होती हैं तो पता नहीं चल पाता है । डकैती होती हैं तो कोई पता नहीं चल पाता है । मोटर साइकिलें और टैक्सियां पकड़ी जाती हैं । मान्यवर, पुलिस लाइन में एक अभ्यास होता है उसमें दरोगा आते हैं ,कान्स्टेबुल आते हैं और गोली चलाने का अभ्यास होता है । मान्यवर, यह जो अभ्यास होता है यह फर्जी अभ्यास होता है । कई दरोगा, कान्स्टेबुल आते नहीं हैं और कहते हैं कि हमारी हाजिरी भर लेना और अभ्यास के लिए जो गोलियां मिलती हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है उनको बेच दिया जाता है । और अगर वही गोलियां डकैतों के पास चली जाती हैं तो उससे डकैती और बढ़ती है । डकैती को नहीं रोका जा सकता है । मान्यवर, फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील में बरावं गांव है वहां पर नौ साल के बच्चे का खतना कर दिया और मान्यवर, जब इसकी एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई तो एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की गई । अपराधियों को दंड देने का काम नहीं हो रहा है । मैं कहना चाहूंगा कि आप कड़ाई से काम लें । आप कड़ाई नहीं करते हैं जिसके कारण पुलिस निरंकुश हो गई । वह सोचते हैं कि विधायक हमारा क्या कर लेंगे । आपकी पुलिस बहुत अनियंत्रित हो गई है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, यह कहा गया था कि पुलिस सुधार गृह बनाये जाएंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती

के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं।

श्री बद्री प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा जिला उन्नाव है जो गृहमंत्री जी का निवास स्थान भी है। मेरे क्षेत्र में अपराध बहुत कम हो गये हैं। दलाल और गुण्डों का पता नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

हरिजनों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। जो अधिकारी गुण्डों और दलालों से मिलकर रहते हैं उनका तबादला कर दिया जाता है। पुलिस के अधिकारी जो हैं उनका आचरण अच्छा है। वह गुण्डों को और दलालों को पनाह नहीं देते हैं। मान्यवर, माननीय गृहमंत्री पर आरोप लगाए गये हैं वह सत्य से परे हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने कस्बा सफीपुर के बसों के बारे में जो कहा वह सत्य नहीं है। वह सत्य से परे कहा गया है। वहां पांच-छः बसें रोडवेज की चलती हैं। प्राइवेट बसों में कानपुर से हरदोई तक बस चलाने वालों की यूनियन बनी है। उसमें कोई धांधली नहीं है: मान्यवर, हमारे यहां हरिजनों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहे हैं, गुंडई नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जिले में तोंदा, मोहान, जसमड़र बब्बन में पुलिस चौकियां कायम की जायं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब किसी की हत्या हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो लाश को उन्नाव पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मोहाना में रिपोर्टिंग चौकी, तहसील हेडक्वार्टर पर पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लाश को जिला मुख्यालय न ले जाना पड़े। दूसरी बात लाश को ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है और पुलिस फोर्स बहुत कम है, पुलिस फोर्स को बढ़ाना चाहिए। आजकल आग लगने की घटनायें बहुत हो रही हैं इसलिए मेरी मांग है कि हर तहसील पर फायरब्रिगेड स्टेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसका संबंध सीधा आम जनता से लेकर सर्वोच्च लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करने से है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस विभाग से जनता को सुरक्षा नहीं मिलती है बल्कि जनता यह समझती है कि पुलिस रक्षक की जगह पर हमारी भक्षक हो गयी है। इसका कारण केवल पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि सरकार में बैठने वाले लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। आजादी के 40 साल के बाद भी इस देश में जो अंग्रेजी हुकूमत ने आई0 पी0 सी0 और सी0 आर0 पी0 सी0 बनाया था वही आज भी लागू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आई0 पी0 सी0 और सी0 आर0 पी0 सी0 को नहीं बदला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा पुलिस में कोई सुधार नहीं हो सकता है। पुलिस प्रशासन जब ऊपर दुरुस्त होगा तभी पुलिस का कांस्टेबुल और दरोगा ठीक रहेगा। जब कप्तान ठीक रहेगा, एस0 पी0 ठीक रहेगा तो सी0 ओ0 भी ठीक होगा । सी0 ओ0 ठीक होगा तो एस0 ओ0 ठीक होगा। एस0 ओ0 ठीक होगा तो सिपाही ठीक रहेगा। आज यह चलन हो गया है। दरोगा से बात करने पर वह कहते हैं कि हमको 10 हजार पुलिस अधीक्षक को देना पड़ता है अगर पैसा नहीं बटोरेंगे तो हमको चार्ज नहीं मिलेगा। इस तरह से धन बटोरने की जो मानसिकता पुलिस में आ गयी है यह सारी गड़बड़ी का कारण है और आम जनता आज अपने को असुरक्षित समझ रही है।

माननीय मंत्री जी, हमारे जिले जौनपुर में एक पुल का शिलान्यास करने गये थे। वहां पर उनसे मीरगंज थाने में तैनात वीर बहादुर पांडे दरोगा के खिलाफ शिकायत की गयी थी। इसकी शिकायत एस0 पी0 जौनपुर ने लिखित रूप से की थी। इनके जमाने में 4 डकैतियां केवल 15 दिन में पड़ीं लेकिन ऐसे अधिकारी को मंत्री जी ने अपने हाथ से पुलिस मेडल दिया। मैंने नियम 56 के अंतर्गत एक डकैती के बारे में मामला उठाया था जिसकी रिपोर्ट चोरी में लिखी गयी थी। ऐसे अधिकारियों को जब पुलिस मेडल इनाम दिया जायगा तो उनका मनोबल इतना ऊंचा हो जायगा कि वह साधारण जनता को कुछ नहीं समझेंगे। एस0 पी0 को वह कुछ नहीं समझ रहे हैं और जन प्रतिनिधियों को गाली देकर संबोधित करते हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे दरोगा को जब आप स्टेशन अफसर बनायेंगे तो वहां की क्षेत्रीय जनता की सुरक्षा नहीं हो सकती है। मेरा एक निवेदन और है कि मेरे क्षेत्र में थाना दवेरिया है, जहां का एस0 ओ0 अमिताभ सिंह है। वहां जुर्म को छुपा करके डकैती को चोरी में लिखता है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि थाना मीरगंज के दरोगा श्री वीर बहादुर पाण्डेय को वहां से हटा दें, वहां पर उसके रहते हुए जनता में बहुत ही रोष और आक्रोश व्याप्त है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने जो आज बजट रखा है, उस पर मैं अपना समर्थन देती हूं और सम्मानित नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करती हूं।

(व्यवधान)

श्री त्रिभुवन प्रसाद–

मान्यवर, मैं भी सदन का सदस्य हूं और चुनकर मैं भी आया हूं, लेकिन मैं बार-बार खड़ा होता हूं और मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, पुलिस का काम बड़ा मुश्किल काम है। जहां कहीं सुख और चैन, अमन है, वहां पर पुलिस वालों की जरूरत नहीं है और जहां परेशानी आती है, वहां पर पुलिस का काम शुरू हो जाता है। जहां संकट आये, वहां पर पुलिस आई और पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि वह संकट में हमारी रक्षा करे। विरोधी पक्ष के हमारे नेता अभी वह चले गये, जो बात उन्होंने बूथ कैपचरिंग के बारे में नहीं, मैं उसी संदर्भ में एक पुरानी याद मेरठ की उन्हें दिलाना चाहती हूं। मान्यवर, वहां पर विरोधी दल का चुनाव था, बूथ कैपचर करके ही वह जीते थे। वहां के चुनाव अधिकारी श्री कपूर वहां पर तैनात थे। वहां पर कुछ व्यक्ति आये, जिनके हाथ की उंगली में वोट देने के बाद स्याही का निशान था। श्री कपूर ने उन्हें वोट न देने के लिए आग्रह किया। इसी में एक झुंड आया और श्री कपूर को इतना मारा कि वह गिर पड़े, बेहोश हो गये, वे लोग उन्हें मरा समझ कर छोड़ गये। किसी तरह उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैंने स्वयं बलरामपुर अस्पताल में उन्हें देखा उनकी बोली हमेशा के लिए समाप्त हो गयी और संज्ञाहीन हो गये। चूंकि आप खुद बूथ कैपचरिंग से जीते रहे, इसलिए आपको उसकी जानकारी ज्यादा है। हरिजन आपके यहां वोट डाल ही नहीं सकते थे और डालते तो घर फूंक दिया जाता, बस्ती जला दी जाती।

मान्यवर, मैं तीन चीजों पर सुझाव देना चाहती हूं। एक तो यह कि जो फिल्मों के भद्दे पोस्टर्स, जिसमें महिलाओं के अंग प्रदर्शित होते हैं, उन पर सख्ती से रोक लगाई जाय, इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि पुलिस से गलतियां होती भी हैं, मैं सच कहना चाहती हूं कि गलतियों के साथ-साथ वे बहुत बड़ी जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। आपके पास अंगरक्षक हैं, वे पुलिस के ही लोग हैं, आप उनको इसलिए रखते हैं कि उनके रहने से आपको यह संतोष है कि आपकी रक्षा हो रही है। मान्यवर, माननीय सत्यपाल सिंह यादव जो नेता विरोधी दल हैं, उनके बराबर तो समय मिल नहीं पायेगा, उनकी तो "हरि कथा अनन्ता" थी और मुझे आप लाल बत्ती दिखाकर रोक देंगे, इसलिए अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगी, यद्यपि उनकी सब बातों का उत्तर देने के लिए मैं सक्षम हूं।

एक मान्यवर, और बात कहना चाहती हूं कि दहेज के मामलों में कानून भी बने हैं और यह भी सही बात है कि एक डी0 आई0 जी0 अलग कर दिया, एक विभाग अलग कर दिया लेकिन जितनी जरूरत है, उसके आधार पर अभी रोक नहीं लगी। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसके ऊपर विशेष रूप से बंदिश करें और कोशिश करें कि जहां से एक भी दहेज की या महिलाओं को छोड़ देने की पुलिस के पास रिपोर्ट आती है तो सख्त से सख्त कार्यवाई करें और ऐसी महिलाओं की रक्षा करें। मान्यवर, एक चीज और कहकर बात समाप्त करूंगी, आपने आंख दिखा दी। अंत में मान्यवर, मैं फिर आभार प्रकट करती हूं चाहे वह अधिकारी हों या सिपाही जिन्होंने सेवा करते-करते अपनी जान दे दी, शहीद हो गये, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूं। एक बात और कह दूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रेमवती जी, लिखकर भेज दें।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

छोड़ दूं? धन्यवाद ।

श्री मनोहर लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने गृह विभाग की कटौती पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मान्यवर, किसी भी प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था, पुलिस का संगठन इसलिए होता है कि वह प्रदेश की जनता की जानमाल की सुरक्षा करे, शांति व्यवस्था कायम करे। अगर किसी प्रदेश की शांति व्यवस्था खत्म हो जाय, अगर किसी प्रदेश में पुलिस अत्याचार पर उतारू हो जाय और गरीब जनता पर अत्याचार शुरू कर दे और उसके बाद पूरी तरह से सरकारी मशीनरी अपनी ईमानदारी को छोड़कर इन पुलिस कर्मचारियों के, दोषी अधिकारियों के खिलाफ बचाव का काम शुरू कर दें तो प्रदेश में कोई शांति व्यवस्था, कोई अमन चैन नहीं रह सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो डी0 जी0 पी0 हैं उनकी निरीहता की तरफ उनकी बेबसी की तरफ एक बात कहना चाहता हूं, माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ बातें कह दी डी0 जी0 पी0 के बारे में और गृह मंत्री के बारे में।

मान्यवर, उन्नाव के दारोगा ने एक एस0 पी0 के घर जाकर गालियां दी। इस मामले को मौजूदा डी0 जी0 पी0 के सामने लाया गया एक दारोगा ने इस तरह से एस0 पी0 को गालियां दी हैं पहले तो वह बहुत ताव में आये और कहा कि अगर ऐसी घटना है, ऐसी बात हुई है तो उस दारोगा के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । लेकिन मान्यवर, जैसे उनको यह मालूम हुआ कि यह उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री माननीय गोपीनाथ दीक्षित जी के गृह जनपद उन्नाव के एस0 पी0 का मामला है और वह उनका चहेता दरोगा आदिल रसीद ने उस एस0 पी0 को गालियां दी हैं तो वह चुपचाप हो गये उन्होंने कहा कि मैं बेबस हूं, मैं कोई कार्यवाही नहीं कर सकता हूं। यह एक पत्रिका में इनकी फोटो सहित छपा है।

पहली बात तो यह हुई, एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर शांति व्यवस्था कायम है। मेरठ के दंगे के बारे में उन्होंने कहा है कि मलियाना और हाशिमपुरा के बाद प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हुए। मान्यवर, 22 मई, 1987 को जिस तरह से मेरठ में दंगा हुआ था जिस तरह से मलियाना और हाशिमपुरा के लोगों को ट्रक में बैठाकर हिंडन नदी में ले जाकर मारा गया और नदी नालों में बहा दिया गया। मान्यवर, ज्ञान प्रकाश जी की रिपोर्ट, इंटरनेशनल एमिनिस्टी की रिपोर्ट में सारी बातें आई हैं कि पुलिस और पी0 ए0 सी0 के लोगों का दोष है, उसके बाद क्या हुआ कि उनको मुआवजे के रूप में रुपया दिया गया लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गृह मंत्री जी ने मुआवजे के रूप में रुपया दिया था वह एक साल के बाद चेक डिसआनर हो गयी। जो रुपया दिया गया था वह चेक डिसआनर होकर वापस हो गयी । इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है माननीय गृहमंत्री के लिए ? अभी हमारे एक मित्र नवयुवक बोल रहे थे जब वह 12-13 साल के थे तो माननीय गृहमंत्री जी के और उनके बड़े ही नजदीकी संबंध थे।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्रीमन्, हमारे तो आपसे भी संबंध बहुत पुराने हैं।

श्री मनोहर लाल–

हमारा आपका तो खानदानी सम्बन्ध है।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह पता ही नहीं था, जो सम्बन्ध मा0 मनोहर लाल जी और गृह मंत्री का है, उसका आज तक सदन को पता ही नहीं था।

(समय 7 बजकर 20 मिनट पर)

श्री शारदा नन्द अंचल–

उनका सम्बन्ध जायज है कि नाजायज।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, उन्नाव के अन्दर हमारे भाई बद्री प्रसाद जी कह रहे थे कि उन्नाव में अच्छी शांति व्यवस्था कायम है। मान्यवर, वहां पर 21 गम्भीर वारदात 1987 में हुई थीं। मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, 31 दिसम्बर, 86 को हड़हा निवासी बदरुद्दीन थाना अचलगंज उन्नाव में पुलिस पिटाई से मौत हो गयी। इसी प्रकार वहीं पर 27-2-87 को बद्दल की कटरी निवासी छोटेलाल की मृत्यु पुलिस पिटाई से हुई। मैंने यह मामला नियम 56 में उठाया था और उसमें सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के आदेश हुए और श्री बी0 के0 मिश्रा का स्थानान्तरण पिथौरागढ़ किया गया लेकिन [xxx] उनका दोबारा स्थानान्तरण अचलगंज में कर दिया। अचलगंज पुलिस पुलिस द्वारा एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कोई भी आरोप लगाते समय उसकी लिखित सूचना भेजनी चाहिए। जब भी कोई इस तरह का आरोप लगाया जायगा, मा0 नेता विरोधी दल बैठे हैं, इस तरह का कोई आरोप होगा तो उसकी लिखित रूप में सूचना पहले देनी चाहिये।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैंने नियम 56 में उठाया था।

श्री अधिष्ठाता–

यहां पर बहस के दौरान नहीं दिया।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आप एक सदन की कमेटी बना दीजिये। मैं इसकी जांच के लिए तैयार हूं कि उन्नाव का जो एस0 पी0 जोशी था। आप जांच करा लें। हरईपुर थाना बांगरमऊ की हरिजन महिला बासमती के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार किया गया, जिसकी सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश हैं। इसी प्रकार 29-6-87 को हूसेपुर थाना फतेहपुर चौरासी में पुलिस पिटाई से गर्भवती जोधा की पत्नी की मौत हो गयी। मान्यवर, 500 बीघा जमीन उन्नाव में कटरी बांगरमऊ में मा0

नोट:–[xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गृह मंत्री के खानदान के पास है। वहां से गरीब लोगों को हटाया जा रहा है। अभी मा0 प्रेमवती तिवारी बोल रही थीं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर रोज बलात्कार होते हैं। पुलिस सेल्स टैक्स की चोरी में साथ देती है। जो उन्नाव के मौजूदा एस0 पी0 हैं, वह शराब के अड्डे चलवा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें। हमारी अनुमति के बगैर बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा।

श्री मनोहर लाल–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

कुछ नहीं लिखा जायेगा। लाल प्रताप सिंह जी आप बोलें।

श्री मनोहर लाल–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अनुचित शब्द एक भी नहीं लिखा जायगा। मैं इसको देख लूंगा। मनोहर लाल जी आप खत्म नहीं करेंगे तो लिखा नहीं जा रहा है। आप बैठें।

*श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा निवेदन व्यवस्था के प्रश्न के रूप में कर रहा हूं। यह एक लाख रुपये रिश्वत लेने की लिखित सूचना इन्होंने पीठ को दी है या नहीं। अपनी पीठ से हमें यह जानकारी दें, सदन को जानकारी दें कि इसकी लिखित सूचना दी है या नहीं और यदि कोई लिखित सूचना है तो उसकी जांच कराई जाय और यदि झूठ बोलने और झूठा भाषण देने की किसी सदस्य को आदत पड़ गयी है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बगैर बोलेंगे तो कोई बात नहीं लिखी जायेगी। आपने जो व्यवस्था की बात उठायी थी, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, इस तरह से झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? मैंने यह जानकारी चाही है कि इन्होंने जो आरोप लगाया निश्चित आरोप लगाया, उसकी क्या लिखित सूचना आपकी पीठ के पास भेजी, उस आरोप की लिखित प्रति आपके पास आयी?

श्री अधिष्ठाता–

इस पीठ पर कोई लिखित चीज उनकी तरफ से आज नहीं आयी। आप बैठें।

(व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेन्द्र देव–

तो जो उन्होंने मनगढ़न्त आरोप लगाया है, उसे कार्यवाही से निकाला जाय। जो आरोप लगाया है, उसे निकलवायें।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें। मैं कार्यवाही देख लूंगा।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, माननीय मनोहर लाल जी ने माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर किसी मामले में एक लाख रु0 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, माननीय गृह मंत्री जी तो उसका खंडन नहीं कर रहे हैं और यह माननीय नरेन्द्र देव बीच में खड़े होकर अनायास बोल रहे हैं। मान्यवर, इनको आप बिठायें।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी अनुमति के बगैर जो बोला जायेगा, वह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य फर्रुखाबाद बैठें। अभी कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपका और आपके माध्यम से सारे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश को रिवाइवलिज्म और फन्डामेन्टलिज्म से सख्त खतरा है। रिवाइवलिज्म और फन्डामेन्टलिज्म के मायने पुनरोत्थान, धर्मान्धता से, कट्टरपन से है। मान्यवर, पोलिटीकल लेविल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेविल पर यह दोनों लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अगर हम इसे चेक नहीं कर सके, शिकस्त नहीं दे सके तो इसमें संदेह नहीं है कि हमारी यूनिटी और इन्टीग्रेटी को खतरा है। मान्यवर, आज पुलिस विभाग को और सारे विभाग को पहचान करने की आवश्यकता है कि कौन से लोग हैं, कौन से कम्युनल लोग हैं, जो इस मुल्क को इस प्रदेश की फिजा को खराब करना चाहते हैं ? इन सबको देखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू जागरण मंच, विश्व हिन्दू परिषद्, शिव सेना हनुमान दल आदि एक तरफ और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम मुशावराज और मुस्लिम यूथ आदि जो कुछ ऐसी जमायतें हैं, जो मुल्क में खराबियों को पैदा कर रहे हैं। इस पर ध्यान देना होगा, सचेत रहना होगा, नहीं तो मुल्क की बर्बादी होने में कोई आशंका नहीं है, मुल्क खतरे में पड़ जायेगा। मान्यवर, आर0 एस0 एस0 पोजेज थ्रेट टू दि यूनिटी एण्ड इन्टेग्रेटी आफ दि कन्ट्री। वह कन्ट्री की पीस के लिए खतरा है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पीस के लिए खतरा है। इसकी पीस के लिए आर0 एस0 एस0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसके अनुयायी खतरा बने हुए हैं, इसलिए उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं पूरे तरीके से और अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि जो कुछ झगड़े हैं, पहले हिन्दू कोड बिल पर झगड़ा उठाया, फिर गौ माता के ऊपर झगड़ा उठाया गया और उसके बाद फिर मंदिर, मस्जिद, अयोध्या आदि के झगड़े उठाये गये। इन सबके लिए सारी की सारी ताकतों को एक प्लेटफार्म पर आने की आवश्यकता है वह सेकुलर पार्टी जो इनसे हाथ मिलाती है वह पोलीटिकल पार्टी रह ही नहीं जाती है। एक पार्टी ने इनसे हाथ मिला दिया, जिससे इनका पोलीटिकल किरदार खत्म हो जाता है। यह तो एक नमूना है।

मान्यवर, हर तरह से धर्म और राजनीति को सदा-सदा के लिए अलग कर देना चाहिए। मान्यवर, किसी ने बिल्कुल सही कहा है "इन एवरी कन्टरी, एण्ड इन एवरी एजे, प्रीसट्स हैव आलवेज बीन हास्टाइल टू दी फ्रीडम"। इसका मतलब यह है कि हर वक्त, हर समय में, हर जगह हर मुल्क में एक ऐसा प्रीस्ट क्लास है, जो मुल्क के लिए खतरा पैदा करता है। इसकी तरफ आज ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह एक कहावत है "जीव है तो जहान है"। मान्यवर, पुलिस की यह प्राइमरी ड्युटी है कि वह सुरक्षा प्रदान करे चाहे सम्पत्ति की हो, चाहे जान की हो। पुलिस को लायल होना चाहिए, पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, पुलिस को वफादार होना चाहिए। वह किसी पोलीटिकल पार्टी की विंग नहीं है, वह तो स्टेट के सर्वेन्ट हैं। मान्यवर, आज हर डेमोक्रेसी वाले देश में इनआर्डीनेन्ट के खिलाफ पीस मेन्टेन करने की आवश्यकता है। यह आज सभी मानते हैं कि बिना पुलिस के काम नहीं चल सकता है। पुलिस की जो आज कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की भी आवश्यकता है। रोज एजीटेशन होता है। रोज घेराव होता है। रोज हड़ताल होती है। रोज स्टूडेन्ट बवाल करते हैं। यह सब ऐसी चीजें हैं, जिनसे हमारी शान्ति व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है।

मैं पूरी चुनौती से कहना चाहता हूं कि आज कोई भी यह बता दे कि कहीं भी, किसी भी मुल्क का टीचर सड़क पर आता है? माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पूछना चाहता हूं क्या कहीं कोई इम्प्लाई सड़क पर आता है? तो यह भी व्यवस्था पुलिस के हाथ में हो गई है कि पुलिस की जो शक्ति है, इसमें सारी की सारी शक्तियां लगी हुई हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बीट कानिस्टेबिल की पूरी होनी चाहिए। कहीं भी कोई परेशानी हो, पुलिस को वहां देखा जा सकता है। मान्यवर, आज सर्किल आफीसर को इतने अधिकार दिये जाने चाहिए, कि वह

कानिस्टेबिल का तबादला कर सके और उसे सब डिवीजन पर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह एफ0 आई0 आर0 को चेक कर सकें, जिससे एस0 पी0 की ड्यूटी कम हो जाय और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नाजायज हथियारों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए और जो भी व्यक्ति एक से ज्यादा हथियार रखता हो, एक के अलावा हथियार उसके पास नहीं रहना चाहिए। किसी के पास 2-3 हों, तो उनको जब्त किया जाये। इसी तरह से बम बनाने की फैक्ट्रियों को, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को समाप्त किया जाना चाहिए। इन दिनों मैं कह सकता हूं कि पुलिस व्यवस्था सन्तोषप्रद है और मुझे आशा है कि आगे भी यह इसी तरह कायम रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस सिलसिले में मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय लाल प्रताप सिंह, बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं लेकिन उन्होंने जो इल्जाम लगा दिया, मुस्लिम मजलिस के बारे में। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार मुख्य मंत्री जी भी इसी हाउस में मुस्लिम मजलिस पर आरोप लगा चुके हैं। मैंने उस दिन चुनौती दी थी कि इस सदन की एक समिति बना दें और उसमें सारे कांग्रेस के मेम्बर को रख दें और मुस्लिम मजलिस के आचरण की पूरी जांच हो जाये। इन्क्वायरी हो जाये। मान्यवर, मुस्लिम मजलिस एक पोलीटिकल पार्टी है और मैं यह साबित कर देता हूं कि आज देश में और प्रदेश में, जितनी भी साम्प्रदायिकता फैल रही है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, बल्कि इस बेन्च पर बैठे हुए लोग ही हैं। मान्यवर, यह साम्प्रदायिक कौन होता है जो अपने नाजायज दौलत को छिपाने के लिए दिल के तारों को छूकर लोगों को मजबूर करता है कि वह अपने पेट की भूख की तरफ न देखने पाये। यह तो रोज आप बाजार में देखते हैं। जो डंडी मारने वाले हैं, वे साम्प्रदायिक हैं, जो रिश्वत लेते हैं, वे साम्प्रदायिक हैं, जो आज मन्दिर व मस्जिद के नाम पर पूरे अमन को धरम-भरम कर रहे हैं, वे बोफोर्स में काम कर रहे हैं। फेयरफैक्स का मामला जिसकी इन्क्वायरी तक नहीं हो रही है, ये लोग साम्प्रदायिक हैं। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपने जो वर्ण-व्यवस्था अपने समाज में बना रखी है, पहले आप उससे डिपार्टमेंट को पाक कर दीजिये। अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था, उनके यहां एक कानिस्टेबिल व उसके बाद चीफ कान्सिटेबिल होता था, लेकिन इनके यहां, कान्स्टेबिल के बाद, हेड कान्स्टेबिल, उसके बाद दरोगा, फिर इन्सपेक्टर, उसके बाद डी0 वाई0 एस0 पी0, उसके बाद ए0 एस0 पी0, उसके बाद एस0, पी0, उसके बाद डी0 आई0 जी0 व आई0 जी0, इतनी लम्बी चेन इनके यहां हैं। अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था, वह तो सिर्फ इस मुल्क में राज करने के लिए यहां के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए वह बनाया था, वही आज ये भी कायम किए हुए हैं। इसकी मिसाल आप देख लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह डा0 दत्ता से लेकर माननीय सदस्य गोरखपुर तक है। जहां तक सवाल है पी0 ए0 सी0 का, लोग शिकायत करते हैं, हम भी शिकायत करते हैं। एक माननीय सदस्य इधर से कह रहे थे कि पी0 ए0 सी0 को खत्म कर दिया जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने यह मान लिया कि साम्प्रदायिक दंगे में इस्तेमाल के लिए एक मिली जुली फोर्स होनी चाहिए। ऐसी सूरत में कहना है कि माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी ने पटवारी को हटाकर लेखपाल बना दिया था और उनके अख्तियारात छीन लिये थे, उसी प्रकार आज आपको पी0 ए0 सी0 की जगह पर एक दूसरा दल बना देना चाहिए।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, कृपा करके आप बैठ जायं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

श्रीमन्, आपने मुझे गृह विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं। संक्षिप्त में मैं अपनी बात कहूंगा। आज सीमित संसाधनों के बावजूद भी प्रदेश के अन्दर पुलिस का अच्छा काम चल रहा है। देखा जाय तो 10 हजार की जनसंख्या पर आज हमारे यहां केवल 12.80 पुलिसकर्मी हैं। इसी तरह से 10 हजार की जनसंख्या पर केवल 12 वाहन पुलिस को मिलते हैं। आज उसे परीक्षा के समय, राजनैतिक नेताओं के कार्यक्रमों के समय और चाहे कोई कार्यक्रम हो, शान्ति व्यवस्था बनानी पड़ती है। हालत यहां तक है कि हमारे विपक्षी भाइयों के कारनामों के कारण पुलिस को किसी दिन इस सदन के अन्दर आकर लाठी चलानी पड़ सकती है। आज दूसरों को अनुशासनहीन कहना बहुत आसान है। जब हम रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो जनता यही कहती है, विशेषकर विपक्षी भाईयों के कारनामों को देखकर, कि जिन नुमाइन्दों को चुनकर हमने भेजा था, वे कितने अनुशासनप्रिय हैं। आखिर पुलिस कर्मी भी उसी हाड़ मांस के बने हुए हैं और हमारे बीच से हैं। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अधिक आलोचनाओं में न पड़कर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। नेपाल बार्डर से मिला हुआ गोण्डा है। वहां से बहुत तस्करी होती है। नई तस्करी जानवरों की शुरू हुई है, जो चीन तक भेजे जाते हैं। नेपाल से मिला हुआ गोण्डा, बहराइच और बस्ती है। यहां पर देखें तो जो चौकियां हैं नेपाल की जिन्हें भण्डसर कहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे यहां जो थाने हैं, उनकी क्षमता उससे बहुत कम होती है। जो नेपाल बार्डर पर चौकियां हैं, उन्हें सक्षम किया जाय। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय अब समाप्त हुआ, शेष सुझाव लिखकर दे दें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

एक बात और कह दूं चौकीदार बहुत छोटी पोस्ट होती है, वह जिलाधिकारी के अधीन होता है, वही उसकी नियुक्ति करता है। इसे पुलिस अधीक्षक के अधीन किया जाय और इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाय। वह जो भी नई सूचना लेकर आये, उसको पुरस्कृत किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका आभार प्रकट करते हुए गृह विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राज किशोर सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, लगभग 4 अरब रु0 का यह बजट है। 4 अरब रु0 तो मा0 गृह मंत्री ने पेश किया है अनुदान की मांग के रूप में लेकिन स्थिति यह है कि जो थाने हैं हमारे प्रदेश में, उनका अलग बजट है और एक-एक थाने में अगर हिसाब लगाया जाए तो साल भर में एक करोड़ रु0 से ज्यादा का उनका अपना बजट है क्योंकि ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पैसा कमाने का मुख्य धंधा न हो। पुलिस का मुख्य पेशा पैसा कमाने का रह गया है। पुलिस हर जगह लोगों पर अत्याचार कर रही है चाहे विधायक हों या नागरिक हों। हमारे माननीय कौशल जी बहुत तारीफ कर रहे थे कि 100/- रु0 दे दिये और पुलिस हमारी हो गयी। आप उनको और भी कुछ दे दीजिये। आजादी के बाद आपने पुलिस का ढांचा बदला ही नहीं, जो अंग्रेजों ने बनाया था, वही आज भी है। यही कारण है कि जनता पुलिस से बहुत डरती है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप आज थाने में निर्भीक होकर नहीं जा सकते हैं जब आप नहीं जा सकते हैं तो गांव का मामूली किसान थाने में जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैंने समाजवादी देशों में पुलिस व्यवस्था को देखा है। थाने में देखा है कि जैसे ही कोई नागरिक थाने में गया, दरोगा उठकर उसको नमस्कार करता है और तुरन्त उसकी बात पूछता है। आपके थानेदारों की क्या हालत है। जो पहुंचेगा उसे मां बहन की गालियां देंगे। न बिठाने की जगह है और न ही वह बिठाता है। जब तक पुलिस का ढांचा नहीं बदलेंगे, पुलिस के प्रति सद्भावना उभर नहीं सकती। हमारे बनारस जिले में रोहनिया थाने के टी0 एल0 यादव नायब दरोगा हैं। और वह हमारी कांस्टीट्यूएन्सी का कोटवा गांव बहुत बड़ा है वहां पर मुसलमानों की बस्ती है, वहां वह मुसलमानों में रोज झगड़ा लगाता है, अस्पताल की जमीन पर कब्जा किये हुए हैं और उस जमीन पर उस दरोगा ने दो कमरे भी बनवा लिये हैं। मैं इस संबंध में अधिकारियों को बराबर लिखता रहा लेकिन आज तक उस पर किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की और न उस दरोगा को पकड़ा।

करहना काण्ड का यहां बहुत जिक्र हुआ था, करहना काण्ड के समय जो डी0 आई0 जी0 था वह आज भी वहां मौजूद है। इसी सदन के अन्दर तात्कालिक मुख्य मंत्री, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने माननीय विधायक, श्री मित्रसेन यादव के केस में सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश दिये थे, लेकिन उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ और सदस्य माननीय मित्रसेन यादव के ऊपर 30 अगस्त, 1987 को हमला किया गया था, उनको भी चोट लगी थी लेकिन नामजद रिपोर्ट लिखाई गयी लेकिन उसके संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उल्टे इस मामले में सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश दे दिये गये थे। यह हमारी हुकूमत का हाल है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, हमारे बिल्हौर में आलू की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, बड़े-बड़े काश्तकारों से मिल कर दूसरी जगह से

लोग आकर झगड़ा करते हैं, बड़ा मजबूर होना पड़ता है लोगों को, इसके लिये कोई उपाय किया जाय ।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि हमारे मुल्क में स्पेशल प्रकार की पुलिस फोर्स चलायी जाय, खास तरह की पी0 ए0 सी0 की व्यवस्था की जाय । आपसे विशेष निवेदन यह भी करना है कि हमारे यहां फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता है । आज कल चारों तरफ खलिहान लगा हुआ है, लोग रंजिश के शिकार हो कर आगजनी कर देते हैं । इसलिए हर तहसील के हेड क्वार्टर पर एक फायर स्टेशन होने की बहुत आवश्यकता है । मेरी मांग है कि बिल्हौर तहसील में एक फायर स्टेशन स्थापित किया जाय । हमारे यहां कटवान क्षेत्र का बहुत ही बीहड़ इलाका है जो कि बहुत इन्टीरियर में पड़ता है, वहां पुलिस स्टेशन पर कोई जीप भी नहीं है । मेरा निवेदन है कि वहां कटवान थाने में जीप की व्यवस्था कर दी जाय ताकि भागदौड़ का काम आसानी से हो सके । मकन्दपुर में एक थाना स्थापित किया जाय ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स में विशेष रूप से हरिजनों के आरक्षण को पूरा किया जाय । वहां न तो अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है और न आरक्षण का कोटा ही पूरा किया गया है । इसके लिये सर्वे कराया जाय और इसके प्रति जांच की कार्यवाही की जाय और आरक्षण के कोटा को पूरा करने की व्यवस्था की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

श्री मूलचन्द–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने के लिए मौका दिया है । केवल मैं ही नहीं बल्कि जितने भी इस प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग हैं, वह सब इसके विरोध में लगे हुए हैं । मान्यवर, मुल्क को आजाद कराने के लिए इसमें वकीलों का बड़ा योगदान रहा है । वकील संगठन ही आगे आया था चाहे वह महात्मा गांधी हों, चाहे पं0 जवाहर लाल नेहरू हों, चाहे मोती लाल नेहरू हों, चाहे डा0 भीमराव अम्बेदकर हों, लेकिन आज वही वकील सम्प्रदाय पुलिस के विरोध में हड़ताल कर रहा है और हमारी सरकार ऐसे बुद्धजीवी वर्ग से बात नहीं कर रही है, पता नहीं पुलिस से उन्हें क्या परेशानी है ? लगता है मान्यवर यह सरकार पुलिस और पी0 ए0 सी0 की पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है और बुद्धजीवी वकीलों से आप जानबूझ कर बात नहीं कर रहे हैं और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पुलिस वाले आज अल्लाह मियां हैं कि कहीं अगर वह यमराज हो जायेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे ?

हमारे भाई उस पक्ष के जिन्होंने इन पुलिस वालों का समर्थन किया है, वह मजी से नहीं किया है, बल्कि मजबूर हो कर किया है, बेचारे एक माननीय सदस्य भी गये फिर भी मजबूरों में कुछ कह नहीं सके कि सरकार की बदनामी होगी, फिर हम लोगों को उनकी हमदर्दी में बोलना पड़ा । इसी प्रकार से पुलिस को भ्रष्टाचार बढ़ावा देने वाले हमारे यही भाई हैं और ऐसे-ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे इनको भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी । एक सब-इन्सपेक्टर को ही ले लीजिए जिसकी 1100 या 1200 रु0 तनख्वाह होगी, लेकिन उसके पास एक मोटर है,

मोटर साईकिल है, जिसके पेट्रोल में प्रति माह कम से कम 2,000 रु0 खर्च करता है, तो यह कहां से लाते हैं । इसी प्रकार से किसी के यहां जब डकैती हो जाय कत्ल हो जाए, लूट-मार हो जाए तब उससे कहा जायेगा कि तुम बंदूक ले लो, लेकिन उससे पहले रखने की इजाजत नहीं देते, तो यह कानून है आपके । इसलिए मेरा सुझाव है कि यह अपराध उसी वक्त समाप्त हो सकेगा । जब आप असलहों के लाईसेंस हम लोगों को और हम लोगों की संस्तुति पर ही देंगे अन्यथा नहीं और जब आप ऐसे नहीं देंगे तो लोग अवैध रूप से हासिल करेंगे । इसलिए आज लाइसेंस दिए जाने की बहुत जरूरत है । . . . (व्यवधान) मान्यवर, एक शेर है मेरा जो बहुत जरूरी है, इसको सुन लीजिए "इलाही मौत से तो बेढ़ब यह पुलिस वालों का पंजा" जो हमसे हो तो करे गादर चोप है अंधी मान्यवर, मैं नहीं कह रहा हूं यह किसी शायर ने कहा है, वैसे मैं इनके बारे मे क्या कहूं, यह तो है . . . (व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर यह बजट जो माननीय गृह मंत्री जी ने रखा है, इस बजट पर बल देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश न केवल एक प्रदेश है बल्कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और जितना बड़ा यह प्रदेश है, उसी तरह से उतनी अधिक समस्याएं भी यहां हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह पुलिस विभाग बड़ी ही सूझ-बूझ से चल रहा है और अभी हमारे जितने भी त्योहार जैसे होली, दिवाली व अन्य सब के सब बड़ी शांतिपूर्वक मनाए गये । दूसरी बात मान्यवर, यहां पर जो यह कहा गया कि बड़े पद अधिक संख्या में चयनित हुए हैं छोटे पदों के मुकाबले में ऐसा नहीं है छोटे पद अधिक चयनित हुए हैं जैसे कानिस्टेबिल 2,227 और इसके मुकाबले में हेड कानिस्टेबिल 256 ही प्रमोट किये गये इसके अलावा भी हम अपनी पुलिस को और सुदृढ़ बना रहे हैं जिससे सरकार की व्यवस्था भी और मजबूत हो सके ।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह कि आज गृह विभाग का बजट है, जिस पर गृह मंत्री जी बोलें तो बोले तो क्या दीवान जी भी बोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

बोलने दीजिए । माननीय मंत्री जी इस सदन के सदस्य भी हैं और अपने पद भार को देखते हुए भी अपने विचार तो रख ही सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

तो मान्यवर, जहां तक पुलिस कर्मियों के आवास का जिक्र आया तो इस संबंध में मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि इन पुलिस कर्मियों के लिए 12,233 आवास निर्माण का कार्य बड़ी तत्परता से किया जा रहा है और जितनी भी मोटर साईकिलें हैं, जीपें हैं, वाहन हैं सभी को संचार सेवा से जोड़ा जा रहा है, इसी वित्तीय वर्ष में 130 मोटर साइकिल वायरलेस सेट से जोड़े जायेंगे । सिपाहियों के लिए 150 रुपया साइकिल के लिए राजकीय सहायता दी जायेगी और 2500 रुपया सब इन्सपेक्टर को मोटर साइकिल के लिए राजकीय सहायता देने का प्राविधान किया गया है । जो हमारे पुलिस कर्मी वीरगति को प्राप्त होते हैं, उसके लिये पहले 16 लाख रुपये का प्राविधान

रखा गया था, उसको अब बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया गया है । जिन पुलिस कर्मियों की सेवारत रहते हुये मृत्यु हो जाती है, उसके लिए 25 हजार रुपया अराजपत्रित कर्मचारी के लिये और 50 हजार रुपया राजपत्रित कर्मचारी को देने का प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, इस बात का प्रश्न उठाया गया है और पुलिस के व्यवहार और भ्रष्टाचार की बात कही गयी है । सदन के सामने मैं यह कहना चाहता हूं कि और बड़े खुले दिल स्वीकार करना चाहता हूं कि गलतियां हैं, गलतियां होती रहेंगी और होती हैं । जो पुलिस कर्मी हैं वह इसी समाज से आये हैं, जो इन्सपेक्टर हैं वह इसी समाज से आया है तो जिस प्रकार का हमारा समाज होगा, उसका उन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। नेता विरोधी दल ने रजबपुर कांड की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब कानून और व्यवस्था हाथ में ले लेंगे, वहां के आन्दोलनकारियों ने आने जाने वालों का रास्ता रोक लिया बसों को टूट फूट की गयी अधिकारियों को चोटें आयीं , तो उस स्थिति में वहां पर गोली चलानी पड़ी । हम नहीं चाहते हैं कि गोली चलायी जाये, जब मजबूरी की स्थिति होती है, तभी गोली चलायी जाती है । मान्यवर, मैं अलीगढ़ से चुनकर आया हूं, वहां पर जो स्थिति हुई थी, वह जनता पार्टी के रिजीम में हुई। एक वर्ष के लिए अलीगढ़ के नागरिक त्राहि-त्राहि करते रहे, वहां की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गयी थी, उद्योग समाप्त हो गये थे । उस समय अलीगढ़ में जो कुछ हुआ उसको आप सभी लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं । दूसरी चीज, मैं यह बताना चाहता हूं कि आपकी ही रिजीम में कानपुर में काटन मिल के मजदूरों पर गोलियां चलायीं गयीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेरठ में जो कुछ हुआ, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि 3 महीने में सारी स्थिति को काबू में पा लिया गया, जब कि अलीगढ़ में एक साल तक डावाडोल स्थिति चलती रही थी । इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सामान्य प्रशासन पर चर्चा नहीं हो सकी है और आज पुलिस प्रशासन पर चर्चा हो रही है । कुछ सदस्य अपने क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको समय दे दें, चाहे 11 बजे तक सदन चले या 12 बजे तक चले, हम बैठने के लिए तैयार हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

इतने दिनों के बाद अंचल जी शेर पढ़ने जा रहे हैं, उसको पढ़ लेने दें । जो बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही है, तो अब काफी समय हो गया है, आज चुनाव भी था । आप 2-2 मिनट का समय और दे दें और 8-10 पर नेता विरोधी दल से अनुरोध कर लें ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आज इनकी वही हालत है :–

"जुल्म करते रहें ज्यादती ही उनकी नीयत है
फिर भी कहते हैं इन्साफवर मुझ को कहिये ।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर बीर बहादुर की सरकार के राज में हरिजन पीटा जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है, उनके राज में पुलिस के राज में आज न विधायक, न सामाजिक कार्यकर्ता, न शिक्षक, न छात्र न महिलायें कोई भी सुरक्षित नहीं है । आज गांव का आदमी अगर उसके ऊपर ज्यादती होती है और वह अगर किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पास अपनी गुहार करने के लिये जाता है कि हमारी सुरक्षा कीजिए तो वहां भी उसको न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि वह भी पुलिस से परेशान है । अगर वह किसी वकील के पास जाता है कि अर्जी लिख दीजिये कि मुझे इंसाफ चाहिए तो कचहरी का आदमी और मजिस्ट्रेट तक इस पुलिस से परेशान है । मंत्री जी उनकी वकालत में लगे हुये हैं । जब वे ही पुलिस की ज्यादती का समर्थन करेंगे तो जाहिर है कि पुलिस का दिमाग बढ़ेगा और वह किसी की बात नहीं समझेगा ।

बीर बहादुर सिंह के क्षेत्र पनियारा में जो घटना हुई है, उसे पूरा सदन जानता है । पूरे प्रदेश में यही हालत है । पुलिस बेगाना बन गई है, मनमाना बन गई है । सब लोग देख रहे हैं कि आज पुलिस पर से सरकार का किसी प्रकार का अंकुश नहीं रह गया है, वह सरकार के आदेशों को नहीं मानती है । जनता अर्जी देती है, हम लोग उस पर लिखते हैं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय तो वह अर्जी घूमती हुई फिर उसी दरोगा के पास पहुंच जाती है और जब वह देखता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ न्याय की मांग की है तो फिर वही दरोगा उसके ऊपर ज्यादती करता है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र बलिया जिले के बार्डर के क्षेत्र का आदमी जो कि सिर्फ एक किलोमीटर भी दूर का रहने वाला नहीं है, उसे वहां पर एस0 पी0 बना दिया गया है . . . (व्यवधान) वहां पर पुलिस का कोई अंकुश नहीं रह गया है । मंत्री जी के कोई दिमाग ही नहीं है । अगर होता तो हमारे बगल के ही आदमी को वहां पर न रखते । वहां पर अपराधी प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं, घटनायें कर रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं । जुल्म और ज्यादती की स्थिति वहां पर बनी हुई है ।

श्री महरम सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश के शासन, उसके गृह मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव और सचिवालय के अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस बात के लिए देता हूं कि उन्होंने इस बजट को बड़े अच्छे ढंग से बनाया है । . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अवरोध पैदा न करें, अन्यथा समय बढ़ाना पड़ेगा ।

श्री महरम सिंह–

माननीय नेता विरोधी दल ने बजट की आलोचना नहीं की बल्कि पुलिस के दरोगाओं व सिपाहियों की आलोचना की है । बजट अच्छा है और बजट पर ही बहस हो गई है । बजट की प्रशंसा नहीं करेंगे और दरोगा की शिकायत करेंगे ।

"जाके रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी ।"

हम अच्छाई को अच्छाई कहते हैं और खराबी को खराब ही कहते हैं । यही फर्क है हममें और उनमें कि विपक्ष से माननीय सदस्यगण अच्छाई और खराबी को खराबी ही कहते हैं । मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पर पुलिस ने आलोचना का कार्य किया है या पुलिस की खराबी है तो उसकी जांच होनी चाहिये । लेकिन पुलिस के बिना शांति व्यवस्था कायम नहीं रख सकते हैं । पुलिस में भी खराब लोग हो सकते हैं लेकिन सभी लोग खराब नहीं हो सकते । अंग्रेजों के जमाने में भी सभी लोग खराब नहीं थे । अगर पुलिस में खराबी है तो समाज में भी खराबी है, सब में खराबी है । (लाल बत्ती होने पर) मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि पुलिस में शराब खोरी और सट्टे-बाजी को सख्ती से रोका जाय जिनके कारण खराबियां फैल रही हैं । उनकी आमदनी की जांच हो । हमारे फर्रुखाबाद जिलों को क्रिमिनल एरिया घोषित किया गया है लेकिन उसे टेलीपिंटर और हाट लाइन से नहीं जोड़ा गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिख कर दे दीजिये ।

श्री महरम सिंह–

इन शब्दों के साथ में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शारदा प्रताप जी आप दो मिनट में अपने सुझाव दे दें ।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ । मैं दो बातें आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ । एक तो उनके जनपद उन्नाव का मामला है और दूसरा मेरे क्षेत्र का है । माननीय गृह मंत्री जी इधर मुखातिब हों आपके उन्नाव का मामला है । आपके यहां ही हसनगंज पुलिस ने भय्यालाल पुत्र डोरी कहार थाना हसनगंज को 20-7-85 को अपराध संख्या 184/186/85 अन्डर सेक्सन 399/402 आई0 पी0 सी0 25 आर्म्स एक्ट के तहत फर्जी तरीके से गिरोह बंदी में पकड़ कर बंद कर दिया । इसका कारण यह था कि वह बड़े लोगों के यहां मजदूरी नहीं करता था । इसलिये उन्होंने नाराज हो कर उसे हसनगंज के थाना इंचार्ज से कह कर गिरोहबंदी में बंद करा दिया और वह 25-3-86 को थर्ड ए0 डी0 जे0 के यहां से जेल से रिहा हो गया था । चूंकि वह गरीब आदमी था और उसकी जमानत करने वाला कोई नहीं था इसलिए पूरी सजा काट आया । लेकिन इनकी पुलिस ने 29-7-87 को पुनः धारा 399/402 में 25 आर्म्स एक्ट के तहत फर्जी केस बना कर बंदी बना लिया। जब भय्या लाल जेल में बंद था उस समय वहां की पुलिस ने अपराध संख्या 297 धारा 395/397 आइ0 पी0 सी0 में मुकदमा कायम कर दिया यह रिपोर्ट 10-12-85 को दर्ज की गयी और यह घटना 9-12-85 की है जिस वक्त वह जेल में बन्द था । वह 25-3-86 को छूटता है और पुनः उसे जेल भेज दिया जाता है । इस वक्त भी वह जेल में है । मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह आपके जनपद का मामला है इसकी आप सी0 आई0 डी0

से जांच करा लें आपको मालूम हो जायेगा कि किस तरह से निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है ।

दूसरी घटना मेरे क्षेत्र की है हरौनी गांव में श्रीमती राजकुमारी जब भैंस चरा रही थी तो बदमाशों ने उसे लूट दिया । इस पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और बाबा रामचन्द्र को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया । बाबा रामचन्द्र की जेल में मृत्यु हो गयी लेकिन पुलिस वाले राजकुमारी के लड़कों को फंसा रहे हैं । रोज पुलिस वाले गांव वालों को परेशान करते हैं . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री शारदा प्रताप–

मैंने इस मामले में माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था और कहा था कि जिनका इसमें कोई दोष नहीं है उनको पुलिस तंग कर रही है । माननीय मंत्री जी ने 25-11-87 को प्रभावी जांच करने के आदेश किये थे उसकी जांच के लिए मोहनमणि त्रिपाठी 10 फरवरी को मौके पर गये थे उन्होंने जांच की और लोगों के बयान भी लिए हैं । लेकिन वहां की पुलिस निर्दोष लोगों को रोज थाने में बुलाती है और प्रताड़ित करती है ।

(कर्नल केशरी सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरे से सहयोग करें । बैठें, अब बोलेंगे तो नहीं लिखा जायेगा । मैंने कर्नल केसरी सिंह को पुकार लिया है ।

श्री शारदा प्रताप–

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप बंथरा पुलिस को कहें कि वह निरपराध लोगों को परेशान न करे ।

(व्यवधान)

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे गृह विभाग (पुलिस) पर प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गत वर्षों में जिस प्रकार पुलिस व्यवस्था में लगातार तरक्की हुई है उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार और उसके मंत्री लोग बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने एक सुनियोजित ढंग से पुलिस के मनोबल को गिराने का प्रयास किया है यह बड़े खेद का विषय है । पुलिस पर इस समय बहुत दबाव है। एक तो थानों का बहुत बड़ा बोझ है और उसके साथ ही साथ अनेक प्रकार के आयोजनों जुलूसों, प्रदर्शनों और बंदी का सामना करना पड़ता है: पुलिस के सिपाही आज बड़े दबाव में हैं और उन्हें एक महीने में एक रात की छुट्टी नहीं मिलती है । लगातार एक ड्यूटी पर से दूसरी पर भेज दिये जाते हैं, इसलिए उनके मनोबल को गिरना चिंता की बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो रहा है, आप सुझाव दें दें ।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, सबसे पहला सुझाव है कि पुलिस बल आज कम मात्रा में है इसलिए इसमें और बढ़ोत्तरी करनी चाहिए फायर सर्विसेज भी अनुपात में बहुत कम है।

दूसरी सुझाव है कि पुलिस में भावनात्मक परिवर्तन की आज बहुत आवश्यकता है, इसलिये प्रशिक्षण की आवश्यकता है पुलिस में भर्ती होते ही आदमी सोचने लगता है कि धन कैसे इकट्ठा करें कैसे झूठ की धाराएं लगा कर लोगों को परेशान करके धन प्राप्त करें । भ्रष्टाचार को दूर करना है तो अधिक से अधिक नवजवानों और भूतपूर्व सैनिकों की पुलिस में नियुक्ति की जाये जिससे मेरी राय है कि निश्चित ही पुलिस में भ्रष्टाचार में कमी होगी । इसके साथ ही मैं गृह विभाग के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठ जांय । श्री भगवान दीन कुशवाहा, आप बोलें ।

(व्यवधान)

*श्री भगवान दीन कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1970 से मैं विधायक हूं । गांधी जी का बड़ा सम्मान था लेकिन उसको कांग्रेस ने गिरा दिया है ।पहले गांधी जी की फोटो के दोनों तरफ झंडे लगे थे लेकिन इन्होंने अब उन झंडों को (दोनों तरफ के) उतरवा दिये हैं । इसलिए इन्होंने गांधी जी के सम्मान को गिरा दिया है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनको लगवा दें । मान्यवर, 40 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं [xxx]

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार का आप चार्ज न लगायें, यदि चार्ज लगाना है तो पहले से लिखकर दें, वरना इसको नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान) आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठ जांय । श्री नरेन्द्र देव ।

(श्री भगवान दीन कुशवाहा द्वारा बोलते जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कुशवाहा जी आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा, आप बैठ जांय ।व्यवधान न पैदा करें ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री नरेन्द्र देव–

(व्यवधान) माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री भगवान दीन कुशवाहा के निरन्तर बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कुशवाहा जी, आप बैठ जायं, आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मेरा कहना है कि आज शहर के पुलिस थानों में 20 से लेकर 35 तक पुलिस कर्मी सोते हैं और 20 पुलिस कर्मियों से लेकर 35 पुलिस कर्मियों पर एक शौचालय की व्यवस्था है । 1915 के एक्ट की व्यवस्था के अनुसार चले आने वाले हिसाब से आज भी वह 14 किलो वजन की बन्दूक लादे 8-8 घंटे और 12-12 घंटे तक ड्यूटी करते हैं . . .

(व्यवधान)

आज पूरे प्रदेश में राजनीतिज्ञों के संरक्षण में अपराध पनप रहे हैं और समय असमय बेचारे वह मारे जाते हैं, उन पर दोष दिया जाता है . . . (व्यवधान) उनके बिना बीमारी के बिना जीवन की सुरक्षा के उनके जीवन की सुरक्षा हेतु बिना आश्वासन दिये हुए, इस सदन में हम उनसे कैसे अच्छे व्यवहार की आशा कर सकते हैं । आखिर में केवल एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आज सवाल इस बात का है कि पुलिस का सिपाही 14 किलो का वजन लादे हुए चार घंटे भी नहीं सो पाता है । 400 किलोमीटर दूर अपने परिवार से रहता है, वह बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। आज इस प्रदेश में जरूरत है गृह मंत्री जी, आप इसे अवश्य सुन लें . . . (व्यवधान) उनके आधुनिकीकरण के लिए बजट में और सुविधायें बढ़ाई जाएं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें समय नहीं है ।

श्री नरेन्द्र देव–

इसके साथ मैं गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि विभिन्न चुनौतियों का सामना उन्होंने सफलतापूर्वक किया है ।

(नेता विरोधी दल को पुकारे जाने पर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है । कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं समय नहीं दे पाता हूं । अब आप लोग बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी–

जो सुझाव देना चाहें वह मंत्री जी को लिखकर दे दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आप यह भी साथ में सुनिश्चित कर दें कि हम लोग जो देंगे वह कार्यवाही का अंग बनेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं ऐसे सुझावों के बारे में मंत्री जी को पहले निर्देश दे चुका हूं । (व्यवधान) इस तरह नहीं । माननीय तिवारी जी बैठें . . . (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल। (व्यवधान) अब नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इसे तो सुन लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी मजबूरी है ।समय समाप्त हो गया है, आप बैठें । (व्यवधान) आप विपक्ष के हैं, जब नेता विरोधी दल खड़े हैं तो आपको बैठना चाहिए ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या आपने यह निर्देश दे दिये हैं कि जो हम लिखकर देंगे वह कार्यवाही का अंग बन जाएगा?

श्री अधिष्ठाता–

कार्यवाही का अंग नहीं होंगे, लेकिन मंत्री जी से आशा की जाती है कि जब सुझाव दिये जाते हैं तो उन पर यह कड़ाई से कार्यवाही करें और यह देखें कि क्या हो सकता है ।

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री सत्य पाल सिंह–

यह लोग एक-एक सेन्टेंस कहेंगे । सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री त्रिभुवन प्रसाद–

यह सुन नहीं रहे हैं । इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री त्रिभुवन प्रसाद सदन, त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात कहूंगा । अभी माननीय सदस्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोल रहे थे और अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि पुलिस और कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है और उनकी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे, तो मैं समझा कि स्वर्गीय अक्षयवर मल्ल के बारे में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं । मैं इस पुस्तिका को पढ़ रहा था . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, गोरखपुर जनपद के डी0 आई0 जी0 वी0 पी0 सिंह जो हैं वह गोरखपुर [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय हो गया ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, चिल्लूपार विधान सभा के बड़हलगंज थाने के निगि गांव में डकैती पड़ी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसी तरह से गगहा थाना गऊर पार में हत्या हुई और थानाध्यक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा वही सीहाईज पार में डकैती पड़ी और . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई और गृह मंत्री जी अपनी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, आप बैठें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इलाहाबाद में कानून व्यवस्था के सुधार हेतु जन-प्रतिनिधियों के साथ पुलिस प्रशासन की बैठक होती है उसमें जानकारी मिली है कि इलाहाबाद में तीन सौ पुलिस कर्मियों की कमी है । यह व्यवस्था पूर्ण होने से कानून व्यवस्था में सुधार हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

सुझाव दें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, यह जो तीन सौ पुलिस कर्मियों की कमी है उसकी व्यवस्था करायी जाए । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मान्यवर, दो पुलिस थाने के भवनों का जिनका निर्माण हो रहा है, जल्दी कराया जाये ताकि पुलिस कर्मियों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो सके ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

इलाहाबाद में जो पुलिस थाने के नवनिर्माण भवनों की व्यवस्था हुई है इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा । मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चायल में सिराथू तहसील में फायर ब्रिगेड स्थापित कराया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं । मेरा सुझाव है कि फसल कट रही है, तो माननीय मंत्री जी हर ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस थाने में एक-एक फायर ब्रिगेड गाड़ी की व्यवस्था करवा दी जाय । ताकि आपसे जो नुकसान किसानों का हो जाता है उस पर काबू पाया जा सके और कृषकों को अपना अनाज पूरा मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता–

जल्दी खत्म करें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, साम्प्रदायिक झगड़े तथा इलाहाबाद में माघ मेले के अवसर पर जो कानून और व्यवस्था को संभाला गया है उसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित–

मान्यवर, आपका धन्यवाद कि मुझे आपने अवसर दिया माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद की हालत बिल्कुल मरघट जैसी है और वहां मौत का नंगा नाच हो रहा है। मेरे एक विधान सभा प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि उन्नाव में थानों में जो शिकायत पेटिकायें लगवायी गयीं हैं उनमें पिछले एक साल में एक भी शिकायत नहीं मिली । यह इस बात का गवाह है कि यहां पर आम जनता में कितनी दहशत है और वह थानों से न्याय की आशा नहीं करती है । मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उ0 प्र0 व उन्नाव में आज पुलिस के अत्याचार बढ़ रहे हैं इसके रोकने के लिए एक विशेष जांच अभिकरण बनाने की कृपा करें । पुलिस विभाग में अधिकारियों को तो आप बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन सिपाहियों की संख्या कम है । मैं अनुरोध करूंगा कि सिपाहियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए । उन्नाव जनपद में माननीय गृह मंत्री जी के क्षेत्र के एक इंसपेक्टर साहब हैं । उन्होंने एस0 डी0 एम0 की अदालत में घुसकर न्यायालय को अपमानित किया और मुलजिमों को भगा लाये । परगनाधिकारी सफीपुर ने गृह मंत्री के चहेते उन इंसपेक्टर जुड़ावन प्रसाद मिश्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई एस0 डी0 एम0 का तबादला हो गया । इसका नतीजा यह हुआ है कि प्रशासनिक अधिकारी दरोगाओं से डर रहे हैं । उन्नाव जनपद में दरोगा राज है, यह बढ़कर पूरे प्रदेश में फैल रहा है । मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह पुलिस ज्यादतियों की विशेष जांच के लिये एक अभिकरण बनाने की कृपा करें ताकि पुलिस के द्वारा किये गये अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, हमारे कटौती के प्रस्ताव पर सत्तापक्ष और विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

थोड़ा समय का ध्यान रखें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

बस एक घंटा लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

कम से कम समय लें।

श्री सत्यपाल सिंह–

लिखने वाले से कह दीजिये, मैं इतनी स्पीड से बोलूंगा कि वह लिख लें, वरना यह लिख नहीं पायेंगे।

मान्यवर, सत्ता पक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यों ने पहले सेन्टेन्स में आपके प्रति आभार व्यक्त किया दूसरे सेन्टेन्स में बजट का समर्थन किया और तीसरे सेंटेंस में वह हमारा समर्थन करने लगे। अभी डाक्टर कौशल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पुलिस पर बहुत वर्क लोड है। उनकी कठिनाइयों के बारे में मैंने नहीं कहा तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस संबंध में कहा है कि पुलिस के कर्मचारियों पर ज्यादा वर्कलोड है मैंने यह भी कहा है कि पुलिस फोर्स में सब निकम्मे नहीं हैं। जैसा कि डी0 जी0 (पी) ने कहा था कि 50 फीसदी ईमानदार हैं, 25 फीसदी में सुधार की आवश्यकता है और 25 फीसदी ऐसे हैं जिनको एक दिन भी पुलिस में रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद डाक्टर कौशल ने कहा कि उनके ताजगंज क्षेत्र में शराब अफीम आदि-आदि चीजें बिक रही हैं और उन्होंने हमारी बातें कहनी शुरू कर दीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि बजट बढ़ा दिया जाय तो बजट के बढ़ाने की बात नहीं है बल्कि बजट का सदुपयोग हो रहा है या नहीं यह देखने की बात है। हमारी तो मान्यता है बल्कि सत्ता पक्ष के सदस्यों की मान्यता है कि पुलिस पर जो बजट खर्च किया जा रहा है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे कटौती के प्रस्ताव को गृह मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिए।

मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूं आप कहते हैं कि सबके लिए कानून और व्यवस्था समान है। अभी 2 मार्च को जो घटना घटी थी हमारे विधायकों के साथ और आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के साथ उसमें हमारे माननीय विधायकों को आपने जेल में सींकचों के अंदर बंद कर दिया लेकिन आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो सामान्य कानून के तहत थे उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि लार्ड मैकाले की जो व्यवस्था थी वह आज भी लागू है। ब्रिटिश कानून की व्यवस्था जिसके जरिये आपकी सरकार चल रही है और उसके अधीन अधिकारियों का प्रयोग अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। लार्ड मैकाले की इंडियन पैनल कोड पर इनकी कानून व्यवस्था निर्धारित है। जिसके माध्यम से ब्रिटिश जमाने के कानूनों को वर्तमान समय की बदली हुई परिस्थितियों पर लागू किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एक विद्वान ने कहा था, जो बिल्कुल इस समय इस कानून व्यवस्था पर सही साबित हो रहा है। आज की कानून व्यवस्था हमारे समाज के देश द्रोह, असामाजिक तत्वों, साम्प्रदायिक तत्वों, संगीन अपराधों को रोकने, नियंत्रित करने और सजा दिलाने में पूर्णतया असमर्थ है। ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान कानून व्यवस्था बिल्कुल खोखली है और लोगों

की और समाज की अपेक्षा के प्रतिकूल है। जनता में उत्पन्न भय और असुरक्षा की भावना से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वास्तविकता यह है कि हमारी वर्तमान व्यवस्था काफी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी, जिनके खिलाफ रिपोर्ट है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही कराने की कृपा करें। आप इन चीजों को समझ लें, क्योंकि आप फौरन उत्तर नहीं दे पायेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन बातों के लिए कार्यवाही करें।

सादाबाद, जिला मथुरा में नये थाने का निर्माण पिछले वर्ष किसी आदमी की जमीन पर किया गया था, जबकि उस भूमि को अधिगृहीत नहीं किया गया था। क्या पुलिस का यही कार्य है कि वह किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके थाना बना ले। सादाबाद थाने का निर्माण ही जबरदस्ती कब्जा करके किया गया है, इसका क्या औचित्य है, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें? मान्यवर, जनपद आगरा में थाना डौकी के अंतर्गत गांव बमरौली कटारा पर एक नई अस्थायी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खोली गयी। अस्थाई रूप से यहां कई वर्ष पहले पुलिस चौकी चल रही थी एक छप्पर में यह चौकी चल रही है। हमारे साथी विधायक श्री राणा ने अपने प्रयास से इस चौकी के नाम पर एक एकड़ जमीन दी है, जिसकी बाजारू कीमत दो लाख रुपये से अधिक है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस चौकी के भवन के लिए कम से कम 50 हजार रुपया जरूर स्वीकृत करा दें, ताकि जो जमीन चौकी के नाम पर दी गयी है, उसका उपयोग हो जाए। नहीं तो उस पर नाजायज कब्जा हो जाएगा। 10 नवम्बर, 83 को प्रधानपुर गांव में वीर बहादुर, राम लग्न यादव, लक्खी यादव, भृगु यादव का इन्काउन्टर थाना रसड़ा की पुलिस द्वारा हुआ था। इसमें दर्दनाक बात यह है कि दो आदमियों को डिप्टी एस0 पी0 प्रताप सिंह और एस0 पी0 गिरिराज शाह ने पेड़ पर लटका कर मार दिया। सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 ने 302 में इन लोगों को दोषी पाया, किन्तु आज तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

वह लोग जुर्म करने जा रहे थे प्रधानपुर गांव वाले, इसलिए वह मुठभेड़ में मारे गये।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये, नेता विरोधी दल को बोलने दीजिए।

श्री सत्य पाल सिंह–

इसके साथ मैं चाहूंगा कि आप आवश्यक रूप में कोई ठोस कार्यवाही करवायें और दोषी अधिकारियों को स्थानान्तरित करवायें। इनका स्थानान्तरण इसलिए जरूरी है, क्योंकि सी0 आई0 डी0 ने संस्तुति की है कि इन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष न्याय के लिए स्थानान्तरण होना आवश्यक है। लेकिन आज तक इस रसड़ा काण्ड में आपने सी0 आई0 डी0 की पुष्टि के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की। करहना काण्ड में सी0 आई0 डी0 ने जांच की है, वहां के डी0 आई0 जी0, पुलिस को दोषी पाया गया। सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट में संस्तुति की गई थी कि डी0 आई0 जी0 का स्थाना-

न्तरण कर दिया जाए. लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया और अगर न्याय-संगत हैं जैसा कि सी0 आई0 डी0 की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अवश्य हुआ करते हैं, तो आप इसको भी कार्यान्वित करायें। इसी तरह से बस्ती जिले में एक ढेबुरवा और इटाया की पुलिस बार्डर से तस्करी के हथियारों का अवैध धंधा चलवा रहा है। जब हमारे माता प्रसाद जी के संज्ञान में यह बात आई तो उन्होंने पुलिस से कहा तो उल्टे सांम्प्रदाय भुगतने की उनको धमकी दी गई। वहां पर तस्करी का व्यापार हो रहा है। हथियारों का व्यापार हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इसको भी मान्यवर आप देख लें और आवश्यक कार्यवाही करें।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि फैजाबाद में, जैसा मैंने अभी एक सवाल आपके गृह सचिव से पूछा था कि आपके प्रदेश में अपहरण की घटनाएं बहुत हो रही हैं और आप इन अपहरण की घटनाओं में अंकुश लगाने में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि फैजाबाद में एक व्यवसायी था गुलाब चन्द्र, उसके एक 7 वर्षीय बेटे अंकुर का अपहरण करके 7 लाख रुपये मांगे गये, बेचारा नहीं दे पाया तो सुबह उसके बेटे की लाश उसके घर के पास पड़ी हुई मिली। 28 जनवरी का यह हाल है और उसके बाद एक 4 वर्षीय बालक का अपहरण हो गया जिसका आज तक पता नहीं चला। मान्यवर, फैजाबाद जिले में पिछले 4 महीनों में 7 घटनाएं हो चुकी हैं और एक का भी पता नहीं चला। इसी तरह से मान्यवर, आप देखें वीरेन्द्र सिंह ठेकेदार का अपहरण हुआ। अम्बिका प्रसाद ठेकेदार का अपहरण हुआ। रामराज के 11 वर्षीय बच्चे ललित उपाध्याय का अपहरण हुआ, इन सारे लोगों का अपहरण हुआ लेकिन आज तक कोई गम्भीरता से नहीं देखा गया है कि इनका अपहरण हुआ है, कौन अपहरण कर रहा है और इन दोषी लोगों को पकड़ा जा चुका है या नहीं? मान्यवर, लखनऊ में ही नहीं, फैजाबाद में नहीं, बांदा में वहां के सीनियर एडवोकेट शिशुपाल सिंह का अपहरण हुआ और एक किशोर बालक था उसका अपहरण हुआ लेकिन इन मुल्जिमों को पकड़ा नहीं जा सका है।

जो मैंने रिपोर्ट के विषय में बताया था कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि खीरी जनपद का थाना खसवा है वहां पर पिछले वर्ष 87 के अन्दर 15 डकैतियां पड़ी लेकिन वहां के एस0 ओ0 ने उसको नहीं लिखा। इसके लिए मान्यवर, मैंने लिखा भी था। एक गांव किरारा किरारी है वहां पर हेडक्वार्टर से जांच कराई गयी और मेरी बात को सही पाया गया। मान्यवर, वहां का एस0 ओ0 जुल्म ढा रहा है, जो विधायक गण हैं जो शिकायत करते हैं उन शिकायतों पर गौर नहीं हो रहा है। आपने यह कह दिया कि शिकायत पेटिका टंगवा दी है लेकिन प्रदेश के किसी भी थाने में कोई शिकायत पेटिका नहीं है और अगर आप लगवा भी दें तो पुलिस के डर से कोई शिकायत करने थाने में नहीं जायेगा। अगर आप पेटिका लगवायें तो प्रत्येक थाने की उस थाने से अलग हटाकर जो आपके टाउन एरिया के म्यूनिसिपल के आफिस हैं वहां लगवा दें तो इसका उपयोग होगा। आपने कहा कि दलालों का रजिस्टर खुलवाया है, मैं कहना चाहता हूं कि कोई दलालों का रजिस्टर नहीं काम कर रहा है इससे

कानून का मजाक बन रहा है। वह कानून जिसका पब्लिक में कार्यान्वयन न कर पायें और कानून बना दें तो वह मजाक बन जायेगा। उदाहरणस्वरूप सती प्रथा और बाल विवाह का कानून बना दिया लेकिन इससे क्या फायदा। कानून बनाना है तो यह लचरपना छोड़िये इससे काम नहीं चलने वाला है। यह पुलिस विभाग है जरा सख्ती से काम करने की नीति अपनाइये। अगर इसी तरह से नीतियों का ढिंढोरा पीटते रहे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।

आपको मालूम होगा कि कर्मचारियों के संबंध में गोरे कमेटी और सिंघल कमेटी बनाई गयी थी उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है लेकिन गृह मंत्री जी बतायेंगे कि उन कमेटी की संस्तुतियों पर क्या किया गया उनको लागू किया गया शायद कोई भी आपकी कमेटी की संस्तुतियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन संस्तुतियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। पिछली बार आपने कहा था इस सदन के अन्दर कि 6 प्रशिक्षण संस्थान खोलेंगे जहां पर पुलिस के अधिकारियों को कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। आपने वर्ष 87 के बजट में कहा था, 6 संस्थाओं को खोलने का वायदा किया था किन्तु वह खोले गये या नहीं खोले गये, मैं इसका जवाब चाहूंगा।

मैंने एक बात जो आपको बतायी, इलाहाबाद का उदाहरण दिया था कि वहां पर 146 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन 500 पोस्टमार्टम हुए। यह प्रतीक है कि पुलिस कत्ल की सही रिपोर्ट नहीं लिख रही है। वहां पर आतंक विरोधी अधिनियम की एक भी सूचना इटावा में नहीं दी गयी है। लेकिन इटावा में एक दर्जन लोगों के लिये धमकी भरे पत्र आए, उनको सुरक्षा गार्ड तक दिये गये, लेकिन एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, इससे सिद्ध होता है कि एफ0आई0आर0 सही नहीं लिखी जा रही है। यह प्रदेश का ही नहीं देश का पहला जिला है जहां पर महिलाओं के साथ अनैतिक व्यापार की एक भी घटना दर्ज नहीं है, जबकि ऐसी घटनाएं हर जिले में होती रहती हैं। इसी प्रकार से बाल अपराधों की एक भी घटना दर्ज नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इटावा में कोई भी मामला तस्करी का दर्ज नहीं है, जबकि घड़ियां, ट्रांजिस्टर, टू इन वन, टेप रिकार्डर आदि की वहां तस्करी की जाती है। सारे जुर्म छुपाए जा रहे हैं।

इसके साथ ही मान्यवर, मुझे यह कहना है कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों का उद्धार कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि आपने कोटा पूरा नहीं किया है। हरिजनों पर निरन्तर अत्याचार बढ़ रहा है। उदाहरण के रूप में इसमें हत्या के मामले वर्ष 85 में 223 हुए, 86 में 270 और 87 में 235 हुए। हरिजनों पर गम्भीर चोट के 85 में 582, 86 में 754 और 87 में 806 मामले हुए। इसी तरह से हरिजन बलात्कार के 85 में 177, 86 में 229 और 87 में 208 मामले हुए। इसी प्रकार से हरिजनों पर जुल्म में कमी नहीं हुई है। एक बात और हरिजनों के बारे में बताना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी विचार करें। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में 82 से 86 के बीच में आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जुर्म सबसे ज्यादा है और प्रदेशों में कम है। आन्ध्र प्रदेश में कत्ल हुए 72, बलात्कार हुए 147 और आगजनी हुई 48, हरियाणा में कत्ल हुए 20, बलात्कार 142 और आगजनी हुई 22, मैं सब नहीं पढ़

रहा हूं, थोड़ा ही पढ़ रहा हूं। केरल में कत्ल के 3, बलात्कार के 99 और आगजनी के 44 केस हुए, जबकि यू0 पी0 में 1652 हत्याएं, 1813 बलात्कार और 2641 आगजनी के केस हुए। यह मैं बता रहा हूं कि किस तरह से हरिजनों पर आये दिन बराबर अपराध बढ़ रहे हैं। खास तौर पर मुझे कहना है कि यू0 पी0 के अन्दर 37096 अपराध हुए हैं। जबकि आन्ध्र प्रदेश से लगाकर आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा सबमें बराबर अपराध कम हो रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 नेता विरोधी दल जो खास-खास बातें हों कह दीजिये, यह उत्तर भाषण है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, सिर्फ 15 मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं यह कह रहा था कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केवल मेरठ, अमरोहा और फैजाबाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए। मान्यवर, फैजाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ आदि कई जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए। तीर्थ स्थलों पर पुलिस और प्रशासन ठीक व्यवस्था नहीं कर पाया। अयोध्या की परिक्रमा में 100 लोग नाले में गिर कर मर गये। मुख्य मंत्री जी हरिद्वार गये थे, वहां पर इनके पापों से पुल गिरने से 100-150 व्यक्ति मर गये। पूर्णागिरि मेले में 15-16 आदमी मर गये। तीर्थस्थलों पर आपके जमाने में, आपके पापों के परिणाम-स्वरूप जनता का हनन हो रहा है, लोग बच नहीं रहे हैं। जो हमारे पुलिस के थाने खुल गये हैं, आपने कहा था कि हम यहां पर तेज रफ्तार की गाड़ियों की व्यवस्था करेंगे ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। अगर आपने कहीं व्यवस्था की है तो कृपया अपने उत्तर भाषण में उसे बताने का कष्ट करें। पुलिस आवास के विषय में मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्यों ने भी उस पर अपने विचार यहां रखे थे, पिछले वर्ष आपने 43 करोड़ 84 लाख 16 हजार रु0 की व्यवस्था करायी थी, इसमें आपने पुलिस आवास निगम के माध्यम से 5763 आवासीय भवन, 1690 बैरक और 134 थाने, 20 चौकियां, 5 कार्यालय भवन और 2 पी0 ए0 सी0 वाहिनी के भवन के निर्माण का प्राविधान किया है। आपने जो यह 43 करोड़ की मांग की है, आपने उसकी स्वीकृति के समय जो वायदा किया था जिस कार्य का वायदा किया था, वह कितना पूरा किया है उसको भी बताने की कृपा करेंगे, अपने उत्तर भाषण में? आप जो पैसा पुलिस आवास निगम के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

(शोर होने पर)

श्री सत्यपाल सिंह–

पुलिस लाइन में एक सब इंस्पेक्टर के घर की चारदीवारी पर 20 हजार रुपये खर्च करके पूर्ण कराया है, कितने पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। बिजनौर के नजीमाबाद में एक स्थायी बैरक के निर्माण पर 15,500 रु0 खर्च आया है, जबकि 5 हजार

रु0 से ज्यादा का खर्चा है। बिजनौर में ही 19604 रु0 में पुलिस लाइन में मीटर का कार्य कराया। बिजनौर में ही थाना शिकारन में 27220 का खर्चा आया है, यह पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि जिस पैसे की आप यहां पर स्वीकृति लेते हैं उस पैसे का सही सदुपयोग हो। इस पर ध्यान होना चाहिए। चाहे 24 फीट के गैस निर्माण की बात हो या 50 फीट के स्कूल के बरामदे के निर्माण की बात हो, आपके अधिकारी उसमें भी 20 हजार रु0 की वसूलयाबी कर रहे हैं।

मान्यवर, रेलवे के अंदर आपके अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। आपने और जगहों पर अपराधों में कमी की बात कही, कमी कागजों पर है धरती के धरातल पर नहीं है। रेलवे में आपके अपराध बढ़ रहे हैं। रेलवे में जी0 आर0 पी0 में जो आपके पुलिस के कर्मी हैं, वह आपने इतने निकम्मे भेजे हैं कि वे अपने आपको वहां असमर्थ पा रहे हैं। आपको जी0 आर0 पी0 के पुलिस कर्मियों को भी देखना होगा। लखनऊ में ब्रिज वर्कशाप में जिन लोगों की चोरी पकड़ी गयी, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे ने दिल्ली से यहां की 5 बार यात्रा कर चुके हैं, जिन लोगों ने उस चोरी में हिस्सा दिया, उनको तो नौकरी से नहीं निकाला गया, लेकिन जिन्होंने हिस्सा नहीं दिया, ऐसे 400 आदमियों को पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, दिल्ली से एक महीने में 5 बार आकर निकाल चुके हैं। इसको आप देखें। मान्यवर, आपके यहां जो बड़े लोग अपराध करते हैं उनका मापदण्ड कुछ है और जो छोटे लोग अपराध करते हैं उनका मापदण्ड कुछ है। फैजाबाद में एक अमृत बोटामस है जो थम्स अप का निर्माण करती है। उस थम्स अप की बोतलों में छिपकलियां पायी गयी। थाना फैजाबाद में धारा 279/283 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन इतने दिन हो गये, कोई कार्यवाही नहीं हुई। बड़े-बड़े मालिक पूंजीपति पुलिस वालों पर प्रभाव डाल देते हैं और पुलिस वहां चुप है। कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, पत्रकार उत्पीड़न के विषय में बहुत बातें कही गयी। जिले में पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में कमेटी बनायी गयी है। प्रदेश स्तर पर पत्रकार उत्पीड़न के संबंध में कमेटी बनायी है, इसके माध्यम से कहा गया कि पत्रकारों के उत्पीड़न के मामलों को देखा जायेगा। मान्यवर, आज पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। एक सी0 बी0 झा हैं, दूसरे राधेश्याम दातर उरई के हैं। मान्यवर, उनके विषय में कई बार लिखा जा चुका है। लेकिन उनके मामले में सी0 आई0 डी0 की जांच नहीं हुई और उनको इस सरकार के द्वारा कोई राहत नहीं दी गयी। इसी प्रकार एम0 सी0 यादव, झांसी के हैं। उनको एक दरोगा जो, अपने को मुख्य मंत्री का रिश्तेदार बताता है और बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है। मान्यवर, मैंने स्वयं उसका व्यवहार देखा है। जैसा ब्रिटिश काल में पुलिस का व्यवहार होता था, उसी तरह उसका व्यवहार है। इसी तरह मान्यवर, एक पारशर हैं, जिनको पुलिस द्वारा झूठा फंसा दिया गया और सहारनपुर की पुलिस ने हथकड़ी लगाकर उनको जेल भेज दिया। इस प्रकार मान्यवर, हमीरपुर, बांदा, उरई आदि अनेकों स्थानों से पत्रकारों के उत्पीड़न की शिकायतें आती हैं, जिसके तहत पत्रकारों को सुरक्षा देने की व्यवस्था आपकी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के अन्दर आज पत्रकारों को कोई राहत नहीं मिल रही है। मैं इस संबंध

में एक उदाहरण देना चाहता हूं । मान्यवर, एक सुरेश बाबू नाम का थानेदार है, जिसकी पूरी पढ़ाई कानपुर में ही हुई। यह मंत्री जी का बहुत चहेता आदमी है। इसको बार बार लाइन हाजिर किया जा चुका है और इस दरोगा की ससुराल भी कानपुर में ही है। पता नहीं मंत्री जी को इस थानेदार से कौन सा प्यार-मोहब्बत है, कि आज 9–10 साल हो जाने के बाद भी इसको कानपुर से नहीं हटा रहे हैं। जबकि इनका आदेश है कि कोई भी आदमी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। यह मान्यवर, भांग और चरस भी बिकवाता है। जब सुरेश गुप्ता नाम के एक आदमी ने इसकी शिकायत की और इसका विरोध किया और जब इस बात की शिकायत की गयी, तो इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनका उस थानेदार से कौन सा प्यार-मोहब्बत है, जिसकी वजह से यह उसको कानपुर से नहीं हटा रहे हैं? मान्यवर, इस थानेदार के खिलाफ एक नहीं, अनेकानेक शिकायतें चल रही हैं।

मान्यवर, हमें अभी कल ही एक गनमैन दिया गया है और रामनरेश यादव जी को भी दिया गया है। मान्यवर, यह बजट से पहले दिया गया। सवाल इस बात का नहीं है कि यह बजट से पहले दिया गया अथवा बाद में। सवाल इस बात का है कि गनमैन को उस समय दिया जाना चाहिए था, जब कि दुर्घटना न हुई हो। बजट से पहले इसलिए दिया गया है, ताकि हम शिकायत न करने पायें इसलिए आपने कल उसको मेरे पास भेज दिया।

मान्यवर, मेरे एक साथी अवध पाल सिंह, एटा जिले के हैं, उनके लिए एक अंगरक्षक की मांग हुई थी, लेकिन मान्यवर, उनको अंगरक्षक नहीं दिया गया। मान्यवर, वह बहुत भले आदमी हैं और ब्लाक प्रमुख हैं। एटा के अन्दर ही एक आदमी है, जिस पर हत्याओं के मुकदमें भी चल रहे हैं और भी अनेक अपराधों में वह वांछित है, फिर भी उसे आपने अंगरक्षक दे रखा है। जो भले आदमी आपसे शैडो की मांग करते हैं, उनको आप नहीं देते हैं। इसी प्रकार मान्यवर, उन्नाव का बेदी, अशोक कुमार सिंह जो आपका विरोधी था और कुछ वोटों से हार गया था, उसकी सुरक्षा के लिए भी आपको शैडो देना चाहिए था, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। अगर मान्यवर, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो मान्यवर, उसकी सारी जिम्मेदारी मंत्री जी पर होगी। इसी तरह प्रदीप गुप्ता, विमल सिंह आदि अनेकों ऐसे आदमी हैं, जिन पर अनेकों मुकदमें चल रहे हैं, उनको आपने शैडो दे रखा है। मान्यवर, फैजाबाद में एक डी0 वाई0 एस0 पी0 थे श्री बी0 सी0 आर्या, जब तक यह मऊ में रहे, वहां दंगा हुआ उस डी0 वाई0 एस0 पी0 पुलिस विभाग में रखने लायक नहीं है। फैजाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिले का चार्ज उसे देना निहायत गलत बात है। इसी के साथ ही फैजाबाद में सोर निवासी असगर नामक व्यक्ति को इनकाउन्टर कर दिया गया है। जो पुलिस कर्मी उसमें दोषी थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बनारस में नियमताबाद में वहां के प्रधान के नाम पर अनेकों मुकदमें चल रहे हैं। आज भी उसका एक मंत्रिमंडल के सदस्य से संबंध है लेकिन आज तक उसका हथियार जमा नहीं किया गया है। उसका भाई दरोगा है। उस दरोगा की बन्दूक से उस प्रधान ने श्री रंजीत प्रसाद यादव पर गोली चलाई थी, फिर भी उसके हथियार को जमा नहीं किया गया । आज वह नियमाताबाद में हरिजनों को उजाड़ रहे हैं । आपके सतर्कता विभाग में टी0 एस0 खुरना व माजिद अली सिद्दीकी के खिलाफ 12-12 मामलों में इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपका एक पुलिस इन्सपेक्टर जो इस समय अभियोजन मुख्यालय पर तैनात है और लखनऊ नगर महापालिका के अन्दर पड़ी जुगोल में जो विश्व बैंक के तहत सड़क बन रही है, वहां पर यह दरोगा गांव वालों को परेशान कर रहा है। विश्व बैंक के कर्मचारी भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। यह तो आपका कर्तव्य होना चाहिए और आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपके ऊपर अंगुली न उठे। यदि आप दरोगा राज कायम करेंगे, इतने बड़े मंत्री होकर भी तो कैसे काम चलेगा। सी0 आई0 डी0 से आप इन्साफ नहीं करा पायेंगे तो आपकी छवि ही बिगड़ेगी। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

''कली बेकली है, चमन रो रहा है,

''कली बेकली है, चमन रो रहा है,

इसकी तरफ आप ध्यान दें।

श्री हरदेव–

''बक रहा है जुनून में न जान क्या-क्या,

कुछ न समझे खुदा करे कोई।''

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैं सभी विपक्षी नेताओं व माननीय नेता विरोधी दल का आभारी हूं, जिन्होंने पूरी तरह से अपने अमूल्य व महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । जो नीतिगत सुझाव दिये हैं, मैं उन सब पर कार्यवाही करूंगा । और विस्तृत तौर से पुलिस प्रशासन के ऊपर माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है मैं उनकी पूरी जानकारी करूंगा । और देखूंगा । उनका ब्यौरेवा जवाब देना सम्भव नहीं है । केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री पर, मुझ पर या मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य पर या अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये हैं, निराधार हैं और उनमें कोई तथ्य नहीं है । मैं माननीय नेता, विरोधी दल से यह आशा नहीं करता था कि नीतिगत प्रश्नों से हटकर अपना स्तर दरोगा तक रखेंगे मैं आशा करता था कि वह इतनी बड़ी विधान सभा के विपक्ष के नेता हैं, इसलिये वह अपना स्तर इस प्रकार का नहीं बनायेंगे । जहां तक उन्होंने बहुत सी छोटी-छोटी बात कही है, जो लिख सका हूं, लिखा है, जो नहीं लिख सका हूं प्रोसीडिंग में देख लूंगा और कार्यवाही करूंगा । लेकिन सम्पूर्ण चर्चा के सम्बन्ध में कुछ निश्चय करना आवश्यक है । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में चाहे दरोगा राज्य का फोटो छपे, चाहे विधान सभा में चर्चा हो या समाचार पत्रों के माध्यम से बदनाम करने की चेष्टा हो लेकिन हमारे प्रदेश में कहीं भी नाजायज भट्ठियां शराब की नहीं चलने पायेंगी ।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में नाजायज किस्म के जुए खाने नहीं चल पायेंगे । यह भी विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि विदेशी हथियारों की फैक्टरी चाहे कटरी का स्थान हो या कोई मुअज्जिज आदमी के द्वारा चलायी जा रही हो, वह चलने नहीं पायगी । चाहे किसी की जमीन पर या गंगा की बालू पर या कटरी पर नाजायज कब्जे होंगे तो निश्चित रूप से बरखास्त किये जायेंगे और गरीब लोगों में बांट दिये जायेंगे । आतंकवाद को पनपाने की चेष्टा, चाहे कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो, अगर करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। हमारे सम्मानित सदस्य ने दो मांगें की हैं, नेक चन्द्र जी ने कहा है कि गंगा की कटरी से नाजायज भूमि के कब्जों की जांच करायी जाय। मैं घोषणा करता हूं कि इसकी जांच करायी जायगी। साथ ही इस बात की भी घोषणा करता हूं कि फायरमैन की परीक्षा में जो गड़बड़ी के संकेत किये गये हैं, उसकी भी जांच कराऊंगा। शैडो की जांच के संबंध में भी मांग की गयी है । यह कहा है कि बहुत से ऐसे लोगों के पास शैडो हैं जिनका सम्बन्ध आतंकवाद से है या जिनका आपराधिक इतिहास है । इसलिये हमने आदेश दे दिये हैं कि ऐसे लोगों का आपराधिक इतिहास देखा जाय जिनके पास शैडो हैं और ऐसे लोगों से उन्हें वापस लिया जाय । एक से अधिक असलहा रखने वालों की भी जांच करायी जायगी । अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है या उसकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें वापस ले लिया जायगा ।

मन्त्री के बेटों और रिश्तेदारों के बारे में जो बात कही है कि पुलिस ने कार्यवाही की है, उसमें सत्यता तो कम है लेकिन अगर पुलिस ने किसी के खिलाफ कार्यवाही की है तो यह पुलिस की निष्पक्षता का प्रमाण है । करहना काण्ड के बारे में कहा गया है । इसमें सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ गयी है, कुछ अधिकारियों पर दोष सिद्ध हो गये हैं । परीक्षण किया जा रहा है । उनके खिलाफ यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमन्, अन्त में सिर्फ एक ही निवेदन करना है कि हमारे भाईयों ने जितनी भी बातें यहां पर कही हैं उसके लिये राम चरित्र मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी ने दो बातें कही हैं–"साधु, चोर, लम्पट, ज्ञानी । जस आपन तस दूसर जानी ।।" और दूसरी चौपाई है कि–"तुलसी बुरा न मानिये, जो गवांर कहि जाय । जस घर सो नारा बहे, ताहि में सब बहि जाय।" हमारा प्रदेश भगवान कृष्ण का है। यहां उन्हीं का अनुसरण किया जायं, पुलिस विभाग में भी उसी के आदर्शों का पालन किया जाय तो पवित्र साधु नाम वाली बात हो जाय। भले ही आदमी की रक्षा पुलिस विभाग करे और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश किया जाय, यह हमारा संकल्प है और यही हमारा विचार है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से और नेता विरोधी दल से कि कृपया वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । जैसा कि उन्होंने कहा है और वह चाहते हैं कि पुलिस में सुधार हो सी0 आई0 डी0 के लिये सुझाव दिये हैं इसलिये वे कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और हमारे बजट का समर्थन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 नेता विरोधी दल, क्या आप प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री सत्यपाल सिंह–

(बैठे-बैठे नकारात्मक सूचक सिर हिला दिया ।)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्यपाल सिंह–

आपने हम लोगों को स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया है, अतः हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,92,41,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 में 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से एक सूचना जो कि माननीय काशी सिंह एरी की जनपद पिथौरागढ़ से संबंधित है उसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया और शेष को अस्वीकार किया गया है ।

स्व0 अक्षयवर मल्ल की हत्या करने वाले अपराधी को पकड़ने की मांग करने वाले श्री राज कुमार को पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री धर्मवीर सिंह, उप निरीक्षक, थाना हजरतगंज, लखनऊ ने दिनांक 14-3-88 को दिन 2.50 बजे कोतवाली हजरतगंज में यह सूचना दी कि जब वे शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु अन्य पुलिस कर्मियों तथा पी0ए0 सी0 के जवानों के साथ कैपिटल क्रासिंग पर तैनात थे तब लगभग 2.30 बजे दिन पांच-छः व्यक्ति एक समूह के रूप में विधान सभा की ओर जाने लगे और मना करने पर नहीं माने। उनमें से एक व्यक्ति श्री राज कुमार पुत्र श्री जगन, श्री धर्मवीर सिंह उप निरीक्षक को धक्का देते हुए गाली-गलौज करने लगा। आपस में झगड़ा होने के कारण दोनों को साधारण चोटें आयी। उक्त श्री राज कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस सूचना के आधार पर थाना हजरतगंज में मुकदमा पंजीकृत हुआ। श्री धर्मवीर सिंह एवं श्री राज कुमार दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु सिविल अस्पताल भेजा गया।

दिनांक 14-3-88 को 4 बजे सायं थाना हजरतगंज में उपरोक्त श्री राज कुमार की ओर से एक हस्ताक्षरित लिखित सूचना प्रस्तुत की गयी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उसी दिन लगभग दिन 2.30 बजे जब वह लोकदल की ओर से विधान भवन गेट नंबर–3 पर धरना दे रहा था और इसी बीच अपनी छोटी बहन को पानी पिलाने के उपरान्त वापस लौट रहा था तब जी0 पी0 ओ0 के सामने एस0आई0 श्री धर्मवीर सिंह ने गिरहबान पकड़ कर मारना शुरू कर दिया तथा उसे घसीटते हुये थाना हजरतगंज ले गये, एवं उसकी जेब से रुपये भी निकाल लिये। इस सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उपर्युक्त दोनों अभियोगों की विवेचना प्रचलित है।]

श्री अधिष्ठाता–

कोई भी सदस्य इस पर प्रश्न करने के लिये उपस्थित नहीं है। अतः अब हम आगे बढ़ते हैं।

जनपद फतेहपुर में स्थित क्वालिटी स्टील ट्यूब लिमिटेड चौड़ामरा के श्रमिकों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

यह मद स्थगित हो गयी है।

दिनांक 15 मार्च, 1988 को भारत बन्द के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में की गयी गिरफ्तारियां एवं लाठी चार्ज के सम्बन्ध में चर्चा का निरस्त किया जाना

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 17 अब में "भारत बन्द" वाली चर्चा को ले रहा हूं। माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी (अनुपस्थित) माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित), माननीय

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वीरेन्द्र सिंह (एटा) (अनुपस्थित), माननीय श्री प्रकाश सिंह (अनुपस्थित), माननीय मुलायम सिंह यादव (अनुपस्थित), माननीय कौशिक रमाशंकर (अनुपस्थित), माननीय बलराम यादव (अनुपस्थित), माननीय गया प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित), माननीय शतरुद्र प्रकाश (अनुपस्थित), माननीय कनक सिंह (अनुपस्थित), माननीय हरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित), माननीय मूलचन्द्र (अनुपस्थित), माननीय जगवीर सिंह (अनुपस्थित), माननीय लक्ष्मी नारायण (अनुपस्थित), माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित), माननीय राज किशोर सिंह (अनुपस्थित), माननीय राम सजीवन सिंह (अनुपस्थित), इसमें से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है अतः इसे समाप्त किया गया।

बलिया जिले में ओला वृष्टि से कृषि को हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

यह ओला वाली चर्चा को कल के लिये स्थगित कर दिया गया है।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 10 मिनट पर मंगलवार, अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

28 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं04 का उत्तर पीछे पृष्ट 30 पर।)

दिनांक 24-11-83 को गृह विज्ञान शिक्षिका हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने वाली विभागीय अभ्यर्थियों की सूची —

क्रम	नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	बी0टी सी0प्रशि0 वर्ष
1	2	3	4	5
1-3	काजमी बेगम	मु0 हाशिम	प्रा0पा0न्योती रुदौली	1976
2-6	राज कुमारी	रामलाल पाण्डे	प्रा0पा0 बंकी	1974
3-7	सत्यवती सैनी	रामनाथ	प्रा0पा0 पारा बधोली	1973
4-8	कमला देवी	शिव नारायण	प्रा0पा0 मेडिया	1973
5-9	कमर जहां	इशरत अली	प्रा0पा0 शेरपुर नौबस्ता	1974
6-10	अनीस फातिमा	मसनद अली	प्रा0पा0 बांसी	1975
7-11	निर्मल मोहिनी पा0	ओम प्रकाश पा0	क0प्रा0पा0 बबुरी गांव	1968
8-13	इशरत बानों	मा0 नजीर खां	प्रा0पा0 प्योरपुर सरैया	1972
9-15	कुसुम कुमारी निगम	जगदीश नारायण	प्रा0पा0 पिपरौली	1975
10-18	कु0 मिथिलेश कु0	बृजलाल भट्ट	प्रा0पा0 बड़ो सराय	1975
11-26	तंजीम फातिमा	आफाक रसूल	प्रा0पा0 नयागंज	1974
12-27	सुमन श्रीवास्तव	शिवचन्द्र श्रीवास्तव	पिपरौली	1975

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0—33 का उत्तर पीछे 40 पर।)

चयनित विद्यालयों की वर्षवार तालिका

वित्तीय वर्ष	प्राइमरी पाठशालाओं के नाम	जू0हाई स्कूलों के नाम
1	2	3
सामान्य योजना		
1984-85	1—प्रा0पा0 जाम	1—जू0हा0स्कूल, हरहरी
	2— ,, मननागर	2— ,, खडारोमनगर
	3— ,, सिसौना	3— ,, शिवनगर कैनी
	4— ,, उगनपुर	4— ,, हरूनगला
	5— ,, ढकिया मिलक	5— ,, अटंगा चांदपुर
	6— ,, मसीहाबाद	6— ,, जरोंल
	7— ,, मवारी	7— ,, मेहतरपुर करौल
	8— ,, नामदारगंज	
	9— ,, गहर्रा	
	10— ,, करिपया	
	11— ,, जसनपुर	
	12— ,, गोहनिया	
	13— ,, बंशपुर गुलड़िया	
	14— ,, पिन्तरपुर	
	15— ,, गंगई	
	16— ,, बैसावनपुर	
	17— ,, रमपुरा माफी	
1985-86	18—प्रा0पा0 बुखारा	
	19— ,, नडवा बंशीपुर	8—जू0हा0 स्कूल समसपुर
	20— ,, रिछा	9— ,, जुन्होई
	21—प्रा0पा0 कुंआ डांडा	10— ,, कसमरा
	22— ,, अन्नतपुर	11— ,, राजूपुर
	23— ,, रुरियां	
	24— ,, जाम अनन्त रामपुर	
	25— ,, ठरिया बुजुर्ग	
	26— ,, असद नगर	
	27— ,, नरेली रसूलपुर	
	28— ,, जुवा जवाहरपुर	
	29— ,, कंडरियाइखलासपुर	
	30— ,, टांडा सिकन्दरपुर	
	31— ,, रिछा	

1	2	3
1986–87	32--प्रा0पा0 अनरुद्धपुर	12--जू0हा0स्कूल लक्ष्मीपुर
	33-- ,, पन्डरी	13-- ,, (क0) अतरछेड़ी
	34-- ,, बहादुरपुर	14-- ,, कुआं डाडा
	35-- ,, खरगपुर	15-- ,, रायपुर हंस
	36-- ,, निवांहिया	
	37-- ,, जटांवां	
1987–88	..	.. 16--जू0हा0स्कूल दौली रघुबर दयाल
		17-- ,, माधोपुर
		18-- ,, दलपुरा
		19-- ,, मांगपुरा

आर0एल0बी0पी0

1986–87	1--प्रा0पा0 मदनापुर	
	2-- ,, देवरिया अब्दुल्लागंज	
	3-- ,, टिउलिया	
	4-- ,, अमरौली	
	5-- ,, चम्पतपुर	
	6-- ,, लमेड़ा	
	7-- ,, सिर्थरा	
	8-- ,, गलडिया घीमड़	
	9-- ,, पंचपेड़ा	
	10-- ,, खताया	
	11-- ,, बबुरावबुरी	
	12-- ,, सरकण्डा	
	13-- ,, मसतीपुर	
	14-- ,, पडौली	
	15-- ,, बजरिया	
	16-- ,, गंगापुर गवटिया	
	17-- ,, मडसर	
	18-- ,, दडा	
	19-- ,, लिलियापुर	
	20-- ,, चौपारा	
	21-- ,, कंचनपुर	
	22-- ,, पिडारी अशोक	
	23-- ,, दईयाबोझ	
	24-- ,, बर्कनिया स्याले	
	25-- ,, भोगपुर	इन 27 विद्यालय भवनों का निर्माण
	26-- ,, मिपुरा भोपतनगर	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
	27-- ,, किशनपुर	

सत्यमेव जयते

1	2	3
1987–88	1— प्रा0पा0 डूगरपुर	
	2— ,, रजपुरा	
	3— ,, वचनपुर	
	4— ,, पिपपौली	
	5— ,, पिपरिया	
	6— ,, हटाआ	
	7— ,, कूंअरगढ़ा	
	8— ,, टैनका	
	9— ,, बंसई	
	10— ,, सुलतानपुर	
	11— ,, रास	
	12— ,, ढकियाकली	
	13— ,, जाफरपुर	
	14— ,, शीशगढ़	
	15— ,, गुलडिया	
	16— ,, पन्डरी	
	17— ,, ढकिया ठकुराइन	
	18— ,, पंखा विराटनगर	नोट—विवादग्रस्त क्र0 15 व 17 पर अंकित विद्यालयों को छोड़कर शेष 35 स्कूलों का भूस्थल एवं नजरी नक्शा निर्माण इकाई को हस्तान्तरित किया जा चुका है।
	19— ,, मवई जरेला	
	20— ,, ढोढ आलमपुर	
	21— ,, संग्रामपुर	
	22— ,, सराय	
	23— ,, नगलिया सतन–1	
	24— ,, पिपनी	
	25— ,, ढकिया	
	26— ,, इंचार झूनानगर	
	27— ,, कल्यानपुर	
	28— ,, रुखड़ा	
	29— ,, बझेड़ी	
	30— ,, रहगवां	
	31— ,, पटपरागंज	
	32— ,, मुगलपुर	
	33— ,, भेंडावसन्तपुर	
	34— ,, मेड़ा	
	35— ,, रेनापुर	
	36— ,, खटेना	
	37— ,, कुड़रिया फजुल्लापुर	

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0-51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

वर्ष 1985 के बाद मृतक अध्यापकों के नियुक्त आश्रितों तथा अध्यापकों की मृत्यु की तिथि का विवरण

क्रमांक	मृतक अध्यापक का नाम तथा पता	मृत्यु तिथि	मृतक आश्रित का नाम
1	2	3	4
1	राम आसरे शुक्ल, गुडिया बाजार, निन्दुरा, बाराबंकी ।	18-7-74	हरीश कुमार
2	हरिहर बख्श सिंह, नगरौरा इटौरा, बाराबंकी ।	18-10-74	संजय कुमार
3	सुखानन्दन, भविनि यापुर, सूरजपुर ।	1-9-75	राधेश्याम
4	बेनीराम वर्मा, उजरवारा पुरवा, सुद्दियामऊ बाराबंकी	21-10-76	संजीव कुमार
5	कृष्ण दत्त तिवारी, इटहुआ थोरथिया ।	1-1-77	अशोक कुमार
6	शोभाराम मिश्र, शफीपुर कमेला	26-2-77	प्रेम नारायण मिश्र
7	बाबूराम श्रीवास्तव, रसूलपनाह, फतेहपुर ।	6-10-77	बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
8	शान्ती देवी, कतुरीकला, निन्दूरा,	5-2-78	जगदीशचन्द्र वर्मा
9	चन्द्रकान्ता अस्थाना, (नगरक्षेत्र), कटरा ।	15-2-78	सुरेश कुमार अस्थाना
10	हरी प्रसाद, उजरवारा पुरवा, सुद्दियामऊ ।	3-3-78	जयराज सिंह
11	रामेश्वर प्रसाद, मकनगुरगढ़ी त्रिवेनीगंज	8-12-78	शिव कैलाश
12	मो0 मुकीम, बढ़नपुर, अलियाबाद	17-12-78	मु0 शहीर
13	जगदीश बख्श सिंह, जलालपुर, त्रिवेनीगंज ।	31-8-79	योगेन्द्र बहादुर सिंह
14	साबरा खातून, 1013, कानूनगोयान	29-11-79	अदीबा सिद्दीकी
15	देवकली प्रसाद द्विवेदी, देबा महुलारा बाराबंकी ।	11-12-79	परसुराम
16	सुरेन्द्र चन्द्र, अटवामऊ, देवा	22-12-79	अवधेश कुमार
17	रघुनाथ प्रसाद, औदार पतुलकी	26-2-79	अरुण कुमार यादव

1	2	3	4
18	पन्नालाल सिंह, हकामी सूरजपुर, बाराबंकी ।	30-12-79	अरविन्द कुमार सिंह
19	अखिलेश मिश्र, कुम्हरावा, लखनऊ ।	21-5-80	रामा देवी
20	अलिया खातून, मुहामिदपुर, रुदौली ।	26-6-80	आफाक अहमद
21	साहब बख्श सिंह, बनकोट किसिया, हैदरगढ़ ।	27-1-81	राम सिंह
22	नन्द कुमार सिंह, अमराई गांव, रुदौली ।	26-2-81	कृष्ण प्रताप सिंह
23	बाल कृष्ण ,हतौली चन्द्रा	29-3-81	राजीव मिश्र
24	इकबाल बहादुर सिंह, चौखण्डी, सआदतगंज ।	14-8-81	सुरेश सिंह
25	देवनारायण त्रिपाठी, श्रीकृष्णपुर लाही	23-1-82	दिलीप कुमार
26	डोमेलाल, पूरेरोशनलाल, रा0सा0 घाट, बाराबंकी ।	27-8-82	अशोक कुमार
27	महेश प्रसाद, ग्राम पो0 बीवीपुर	28-10-82	ज्ञानेन्द्र कुमार
28	मो0 मतीन, बढनपुर अलियाबाद	5-1-83	मो0 हलीम अहमद
29	ठाकुर प्रसाद, मझगांवा, दहावा हड़िया, सीतापुर ।	11-1-83	सुरेश चन्द्र
30	राम कुमार तिवारी, मुरारपुर शाहपुर, रा0सा0 घाट ।	26-5-83	अशोक कुमार तिवारी
31	लाजपति राम, अगानपुर, रानीकटरा	29-7-83	रामशंकर श्रीवास्तव
32	ज्वाला प्रसाद शुक्ल, पूरे मिश्री, गाजीपुर ।	16-10-83.	बृज किशोर शुक्ल
33	जयकरन नाथ, शेषपुर, जैदपुर	10-5-84.	अक्षय सिंह
34	जयसराम, बृन्दावन, खेवली	29-5-84	राम सिंह
35	राम किशोर श्री0मंगूपुर खुटौली	29-8-84	हरीश कुमार श्रीवास्तव
36	बैजनाथ वर्मा, रानेपुर नेवरा	10-9-84	विनोद कुमार
37	विशम्भरनाथ शर्मा, फरीदपुर, हरिहरपुर	13-1-85	श्रीकान्त शर्मा
38	अनन्त राम, पीड, खेवली	20-1-85	कन्हैयालाल
39	शान्तीदेवी, 5/141, सत्यप्रेमी नगर, बाराबंकी ।	20-1-85	गीता वर्मा
40	मुनेश्वर बख्श सिंह, मिठवारा, फतेहपुर ।	4-2-85	सुशील कुमार
41	गोरखनाथ पाण्डेय, रामपुर, सूरजपुर	27-2-85	सोमेश्वर नाथ
42	राम लखन, उधौली	19-3-85	राम प्रसाद
43	बीरबल, खिझना	16-4-85	राम नरेश
44	रामलाल, करौदी खुर्द गाल्हामऊ	19-5-85	देवेन्द्र प्रताप सिंह

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0–87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर।)

क–प्रश्न में सन्दर्भित प्रोन्नत कर्मचारियों का विवरण

1—श्री शिव कुमार पाण्डेय . . श्री अब्दुल समी किदवई स्थानान्तरित के प्रति।

2—श्री कामता प्रसाद श्री जयकरन नाथ की तदर्थ नियुक्ति के प्रति।

ख—पदोन्नति के फलस्वरूप नियुक्त कर्मचारियों की सूची और उनका विवरण

क्रमांक	नाम व पता	जन्म तिथि	विवरण
1	2	3	4
1	श्री गिरीश कुमार सिंह, राजकीय टाकीज के सामने, बाराबंकी।	1–1–53	श्री शिव कुमार पाण्डेय पदोन्नति के प्रति।
2	श्री कौशल किशोर रामपुर जोगा बरौली जाटो, बाराबंकी।	10–1–46	श्री कामता प्रसाद प्रोन्नति के प्रति।
3	श्री सैयद अहमद दिलशाद, द्वारा श्री सै0 दिलशाद अली सी0 आर0ए, कार्यालय जिला अधिकारी, बाराबंकी।	7–7–53	श्री गुरु प्रसाद तिवारी अनु0 पद पर नियुक्ति के प्रति।
4	श्री बृजलाल (परिगणित) ग्राम हरई, पो0 छोवली, बराबंकी।	4–1–52	श्री रच्छाराम शुक्ला अनु0 पद पर नियुक्ति के प्रति।

पी0एस0यू0पी0—एल0 93 वि0सभा (147)—1988—813।